लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

[तीसरा सत्र]

Third Session

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14, शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1967/10 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 14, Friday, December 1, 1967/10 Agrahayana 8, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
391.	दक्षिण अफ्रीका का व्यापार तथा विकास सम्बन्धी राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेना	Participation of South Africa in U. N. C. T. A. D. Conference	1907—1909
392.	भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	Bharat Barrel and Drum Manufacturing Company (P) Limited	1909—1912
393.	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant	1912—1916
395.	विदेशी सहयोग के संबंध में नई नीति	New Policy for Foreign Collaboration	1916—1922
396.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरे-शन रांची में उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production at H. E. C. Ranchi	1922—1923
	अल्प-सूचना प्रश्न Short Notice Question		
7.	माल डिब्बों का चोरी छिपे पाकिस्तान भेजा जाना	Smuggling of Wagons into Pakistan	1923—1926

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
397.	परमाणु खनिज पदार्थों की खोज	Search for Atomic Minerals	1927

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
398. निर्यात संवर्धन अभियान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training Programme for Export Promotion Drive	1927—1928
399. चाय बोर्ड की शक्तियां	Powers of Tea Board	1928
400. सरकार का संकटग्रस्त पाटसन मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना	Taking over of sick jute Mills	1928
401. कोयला आसवन संयंत्र	Coal Distillation Plants	1928—1929
402. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	1929
403. कोरिया को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Korea	1929—1930
404. रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने की घटनाएं	Chain Pulling incidents	1930
405. रूरकेला इस्पात कारखानों में कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच झगड़ा	Dispute between Management and Workers in Rourkela Steel Plant	1930—1931
406. रेल के किराये और भाड़े में वृद्धि	Increase in Railway Fares and Freights	1931
407. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को मशीनों की सप्लाई	Supply of Machines to Hindustan Cables Ltd.	1931—1932
408. उद्योगों सम्बन्धी प्रोदयोगिकीय उन्नति	Technological Advances in Industries	1932
409. एक नये इस्पात कारखाने का स्थापित किया जाना	Setting up of a New Steel Plant	1932—1933
410. राखा तथा दरीबा में तांबे के निक्षेप	Copper Deposits at Rakha and Dariba	1933—1934
411. आयात नीति को उदार बनाना	Import Liberalisation	1934
412. गुजरात से नमक का निर्यात	Export of Salt from Gujarat	1934
413. बिड़ला बन्धुओं की कपास मिलें	Cotton Mills belonging to Birla Group	1934—1935
414. मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही	Legal Proceedings against M/s Bennett Coleman and Co.	1935—1936

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
415. दिल्ली में रेलवे कालोनियां	Railway Colonies, Delhi	1936
416. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कार्य संचालन	Working of H.E.C. & N.C.D.C.	1936—1937
417. मैसूर में लौह अयस्क के खनन के लिए विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration for Mining Iron Ore in Mysore	1937
418. बिमलगाड़ तालचेर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Bimalagarh to Talcher	1938
419. टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन	Textile Machinery Corporation	1938

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

2592. नागपुर के लिये छोटी कार परियोजना	Small Car Project for Nagpur	1939
2593. लोहे के स्लीपर	Iron Sleepers	1939
2594. पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति	Indian Property seized by Pakistan	1939—1940
2595. संयुक्त कारखाना समिति	Joint Plant Committee	1940—1941
2596. शिशु आहार का उत्पादन	Manufacture of Baby Food	1941
2597. शिशु आहार की वार्षिक मांग	Annual Demand for Baby Food	1941—1942
2598. शिशु आहार का स्टैंडर्ड	Standard of Baby Food	1942
2599. नौपद गुनुपुर छोटी लाइन	Naupada Gunpur N. G. Line	1942—1943
2600. महाराष्ट्र में छोटी कार परियोजना की स्थापना	Establishment of Small car project in Maharashtra	1943
2601. प्रबन्धक अभिकरण कमीशन	Managing Agents Commission	1943—1944
2602. नेपाल से टैरीलीन के रेशों का आयात	Import of Terylene Fabrics from Nepal	1944—1945
2603. दुर्गापुर धातु मिश्रित इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टर	Residential Quarters of Durgapur Alloy Steel Plant Workers	1945
2604. बिहार से कोयला	Coal from Bihar	1945—1946

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2605.	पूर्वी रेलवे के रेलवे गोदामों से दालों का न छुड़ाया जाना	Pulses lying undelivered in Railway Godowns on Eastern Railway	1946
2606.	मध्य प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण	Survey of Mineral in Madhya Pradesh	1647
2607.	मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Madhya Pradesh	1947
2609.	हबीबगंज और भोपाल के बीच गाड़ियों का रुकना	Stopping of Trains between Habibganj and Bhopal Stations	1947
2610.	सिने आर्क कार्बन यूनिट	Cine Arc Carbon Units	1948
2611.	केले को लाने ले जाने पर रेलवे माल भाड़ा	Railway Freight on Banana Traffic	1948—1949
2612.	गुजरात में हथकरघों और विद्युत चालित कर्घों के कपड़े का उत्पादन	Manufacture of Handloom and Powerloom products in Gujarat	1949
2613.	पश्चिमी रेलवे में छोटी लाइन	N. G. Lines on Western Railway	1949—1950
2614.	पश्चिम रेलवे में डीजल चालित रेलवे इंजन	Diesel Locomotives on Western Railway	1950
2615.	गुजरात में सूती कपड़ा उद्योग	Cotton Textile Industries, Gujarat	1950—1951
2616.	बहादुरगढ़ स्टेशन में ऊपरी पैदल पुल	Foot over Bridge at Bahadurgarh	1951
2617.	गंगापुर स्टेशन में प्लेटफार्म पर शेड	Shed over Platform at Gangapur station	1951
2618.	हिन्डौन स्टेशन क्षेत्र में बाह्य (आउट) एजेंसी	Out Agency in Hinduan Station Area	1951—1952
2619.	गंगापुर सिटी तथा सवाई माधोपुर स्टेशनों में पूछ-ताछ कार्यालय	Enquiry offices at Gangapur City and Sawai Madhopur Stations	1952
2620.	खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D.A. to Employees of Khadi Gramodyog Bhavan	1952

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2621.	खादी ग्रामोद्योग भवन में शहद की बिक्री	Sale of Honey at Khadi Gramudyog Bhawan	1952—1953
2622.	सवाई माधोपुर में हाथों से बोगियों को धकेलना	Pushings of Bogies with hands at Sawai Madhopur	1953
2623.	अखबारी कागज बनाने के कारखाने	News Print Plants	1953—1954
2624.	कलामोसेरी में स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में बोनस का भुगतान	Payment of Bonus in H.M.T. Factory Kalmassery	1954
2626.	पटसन के मूल्य	Jute prices	1954
2627.	भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारी	Employees of Bhilai Steel Plant	1654—1955
2628.	समुद्र खाद्य उद्योग	Sea food industry	1955
2629.	औद्योगिक केन्द्रों पर मंदी का प्रभाव	Effect of recession on Industrial centres	1955—1956
2630.	धूम्रपान	Smoking	1956
2631.	सीमेंट	Cement	1956
2633.	वस्त्र आयुक्त के विरुद्ध आरोप	Charges against textile commissioner	1956—1957
2634.	रेशम के कर्घों को ऊनी कर्घों में बदलना	Conversion of silk looms to woolen looms	1957
2635.	औद्योगिक लाइसेंस पद्धति सम्बन्धी समिति	Committee on Industrial Licencing System	1957—1958
2637.	औद्योगिक विकास की गति	Rate of Industrial Growth	1958
2638.	बिहार में नये उद्योग	New Industries in Bihar	1958—1959
2639.	मोटर कारें, लारियाँ इत्यादि का वहन करने वाली माल गाड़ियां	Goods Trains carrying motor cars lorries etc	1959
2640.	कपड़ा मिलों को रुई का वितरण	Distributing of cotton to Textile Mills	1959—1960
2641.	बढ़िया किस्म की चाय की पत्तियों का उत्पादन	Production of good quality Tea Leaf	1960

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2642.	इण्डिया शिपिंग कम्पनी की मैनेजिंग एजेन्सी	Managing Agency of India Shipping Compnay	1961
2643.	कपास का उत्पादन	Cotton Production	1961
2644.	महाराष्ट्र में डीजल शैड	Diesel shed at Patratu (Maharashtra)	1961
2645.	नये बाक्साइट के खनन का पट्टा	New Bauxite Mining Lease	1962
2646.	मनीपुर के लिये औद्योगिक ऋण	Industrial Loan to Manipur	1962
2647.	अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय पश्चिमी रेलवे दिल्ली में पदोन्नति	Promotion in Foreign Traffic Account Office Western Railways, Delhi	1962—1963
2648.	यातायात लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे दिल्ली में पदोन्नति	Promotions in Traffic Accounts Office Northern Railway, Delhi	1963—1964
2649.	दक्षिण रेलवे के नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labour on Southern Railway	1964
2650.	कच्चो ऊन का आयात	Import of Raw Wool	1964—1965
2651.	रुई का निर्यात	Export of cotton	1965—1966
2652.	चतुर्थ पांचवर्षीय योजना के दौरान नई रेलवे लाइनों का निर्माण	New Railway line in Fourth Plan	1966—1967
2653.	उद्योगों में बेकार क्षमता	Idle capacity in industries	1967—1968
2654.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कार्य संचालन सम्बन्धी समस्याएं	Working problemes in public sector Steel plants	1968
2655.	कच्चे पटसन का मूल्य	Price of Raw jute	1968
2656.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने की चौथी धमन भट्टी	Fourth Blast Furnace of Durgapur Steel Plant	1969
2657.	रेलवे में लेखा के कार्य के लिये मशीनों की व्यवस्था	Mechanisation of Accounts on Railways	1969—1970
2658.	तारबाबुओं के पदों की क्रमोन्नति करना	Upgradation of posts of telegraphists	1971
2659.	नंगल बांध परियोजना में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway employees working in Nangal Dam Project	1971

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2660.	फीरोजपुर डिवीजन में रेलवे स्टाफ	Railway staff in Ferozepur Division	1971—1972
2661.	फीरोजपुर (डिवीजन) कार्यालय में कार्य विश्लेषण	Job analysis in Divisional offic Ferozepur	1972
2662.	मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल	M/s Aminchand Pyarelal	1972
2663.	दिल्ली में स्कूटर के टायरों की कमी	Shortage of scooter tyres in Delhi	1972—1973
2664.	उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory council for industries	1973—1974
2665.	अल्जियर्स में विकाससील देशों का सम्मेलन	Conference of developing countries at Algiers	1974
2666.	निषिद्ध वस्तुओं का आयात	Import of prohibited Items	1974—1975
2667.	दिल्ली और गाजियाबाद के बीच चलने वाली रेलगाडियों में भीड़भाड़	Overcrowding in trains running between Delhi and Ghaziabad	1975
2668.	दोहाई में फलेग स्टेशन	Flag Station at Dohai	1975
2669.	कोयला खानों में घेराव	Gheraos in Collieries	1975—1976
2670.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक उत्पादन में कमी	Fall in Industrial output in Public Sector undertakings	1976
2671.	केरल में हथकरघे से बना माल	Handloom products manufactured in Kerala	1976—1977
2672.	यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे, अजमेर	Traffic Accounts Office, Western Railway, Ajmer	1977—1978
2673.	दक्षिण रेलवे लेखा कर्मचारी संघ	Southern Railway Acconnts Staff Association	1978
2674.	भारत में मन्दी	Recession	1978—1979
2675.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	Heavy Engineering Corporation	1979
2676.	स्कूटरों के निर्माण के लिये मंजूरी	Sanctions for manufacture of Scooters	1979—1980
2677.	विदेशों में बिक्री केन्द्र (सेल्स एम्पोरिया)	Sales Emporia in Foreign Countries	1980
2678.	इस्पात स्लीपरों का निर्यात	Export of Steel Sleepers	1980—1981

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2679.	पूर्व रेलवे मुख्यालय, कलकत्ता के रोकड़ कार्यालय से नकदी गुम होना	Cash found missing from cash office of Railway Headquarters, Calcutta	1981—1982
2680.	यात्रियों के लिये सुविधायें	Amenities for Passengers	1982
2681.	बोगायगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार	Extension of B.G. line from Bongaigaon to Gauhati	1982—1983
2682.	स्टेशनों पर पड़े माल को छुड़वाना	Delivery of Goods Lying on Stations	1983
2683.	इस्पात कारखाने	Steel plants	1983—1984
2684.	सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी	Public sector Employees	1984
2685.	दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय में पदोन्नति	Promotion in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi	1985
2686.	कटक पारादीप रेल लाइन	Cuttack-Paradip Rail Link	1985
2687.	कासगंज के रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Railway Employees of Kasganj	1985—1986
2688.	मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें	Textile Mills in M. P.	1986
2689.	पश्चिम रेलवे की दिल्ली संकलन शाखा से कर्मचारियों का तबादला	Transfer of staff from camp Branch of Western Railway, Delhi	1986
2690.	नहान फाउंडरी के लेखे	Accounts of Nahan Foundary	1986—1987
2691.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड में बिजली की चोरी	Power Pilferage in Heavy Electricals (India) Ltd.	1987—1988
2692.	रेलों में चोरी	Thefts on Railways	1988
2693.	औद्योगिक बस्तियों का कार्य	Working of the Industrial Estates	1988—1990
2694.	कुप्पम (दक्षिण रेलवे) के निकट दुर्घटना	Accident Near Kuppam (S. Railways)	1990
2695.	दिल्ली में रिंग रेलवे	Ring Railway around Delhi	1990—1991
2696.	दिल्ली में रेलवे उपरि पुल	Railway over bridges in Delhi	1991—1992
2697.	कोयला विपणन बोर्ड	Coal Marketing Board	1992
2698.	दोहरी रेलवे लाइनों का बिछाया जाना	Doubling of Railway lines	1992

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2699.	स्टेशनों पर पीने के पानी की सप्लाई	Supply of drinking water at Stations	1993
2700.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची	H.E.C. Ranchi	1993
2701.	रेलवे बोर्ड द्वारा कार्मिक संघों को मान्यता दिया जाना	Recognition of Trade Unions by Railway Board	1993—1994
2702.	आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक केन्द्र	Industrial centres in Adivasi Areas	1994
2703.	हावड़ा स्थित डिवीजनल सुपरिन्डेन्ट के कार्यालय पर हमला	Assualt on the office of D.S. Howrah	1994—1995
2704.	चिरमिरी रेलवे स्टेशन पर आग लगने की घटना	Fire Incident at Chirimiri Railway Station	1995
2705.	चिरमिरी रेलवे स्टेशन पर उपरी पुल	Over bridge at Chirimiri Railway Station	1995
2706.	पूर्वोत्तर रेलवे की पार्सल गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में झगड़ा	Clash in Third Class Compartment of parcel train on N.E. Railway	1996
2707.	फतेहपुर से चुरु तक रेल का किराया	Fare from Fatehpur to Churu	1996
2708.	सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन	Reorganisation of Public Undertakings	1996—1997
2709.	बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति	Ticketless Travel	1997
2710.	उड़ीसा में खानों के पट्टे	Mining lease in orissa	1997—1998
2711.	यात्री टिकटों की बिक्री से होने वाली आय	Sale proceeds from passenger tickets	1998—2000
2712.	खनिजों की खोज के लिये अनुसंधान संस्था	Research Institute for explorarion of Mineral	2000
2713.	हसन मंगलोर मीटर लाइन	Hassan Mangalore M.G. Line	2001
2714.	होस्पेट से मिराज तक और लोंडा से मरमागोडा तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of M. G. to B. G. from Hospet to Miraj and Londa to Mormugoda	2001

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2715.	उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ	Northern Railway Employees Union	2001—2002
2716.	उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ	Northern Railway Workers' Union	2002
2717.	संगणकों की व्यवस्था	Installation of computers	2003—2004
2718.	उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सुविधायें प्रदान करना	C.G.H.S. Facilities to Employees of Northern Railway	2004
2719.	हस्त शिल्प बोर्ड	Handicrafts Board	2005
2720.	खादी के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of committee to look into various aspects of Khadi	2005
2721.	कुप्पम रेलवे दुर्घटना सहायता समिति, त्रिवेन्द्रम	Kuppam Railway Accident Relief Committee, Trivendrum	2005—2006
2722.	माल गाड़ी के बन्द डिब्बे	Covered Wagons	2006
2723.	राजस्थान में सीरामिक तथा जिप्सम पर आधारित उद्योग	Caramic and Gypsum based Industries in Rajasthan	2006—2007
2724.	इस्पात का उत्पादन	Steel Production	2007—2008
2725.	व्यापार मण्डल	Board of Trade	2008
2726.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विज्ञापन	Advertisement by Hindustan Steel Ltd.	2008—2009
2727.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	Investment in Hindustan Steel Ltd.	2009
2728.	रूरकेला में फ्लैट उत्पादों का निर्माण	Production of Flat Products at Rourkela	2009—2010
2729.	रबड़ के छोटे उत्पादक	Small Rubber Growers	2010
2730.	छोटे रबड़ उत्पादक	Small Rubber Growers	2010
2731.	हाई टेंशन इन्सुलेशन बनाने वाले कारखाने	Factries manufacturing high tension Insultations	2011
2732.	ट्रैक्टर	Tractors	2011
2733.	रेलवे लेखा विभाग में पदों का आरक्षण	Reservation of Posts in the Railway Accounts Department	2012

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2734.	रेलवे लेखा विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां के लिये स्थानों का रक्षित किया जाना	Reservation of Posts for S. C. and S.T. in Railway Accounts Department	2012
2735.	परिशिष्ट दो की परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारी	Qualified App. II Staff	2012—2013
2736.	रेलवे के लेखा विभागों में चयन के द्वारा भरे जाने वाले उप प्रमुखों के पद	Selection posts of Sub-Heads in Railways Accounts Departments	2013
2737.	औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences	2013
2738.	मोटर तथा स्कूटर के टायरों की कमी	Shortage of Motor and Scooter tyres	2014
2739.	मूंगफली के तेल का निर्यात	Export of Groundnut oil	2014
2740	बहुत तेज चलने वाली माल गाड़ियां	Super Fast Goods Trains	2015
2741.	सीमेंट का निर्यात	Export of Cement	2015
2742.	रेलवे में अपराध	Crime on Railways	2015—2016
2743.	फर्मों का काली सूची में रखा जाना	Black Listed firms	2016
2744.	संयुक्त राष्ट व्यापार तथा विकास सम्मेलन	U.N.C.T.A.D. Conference	2016—2017
2745.	इन्जीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात	Export of Engineering Goods	2017
2746.	पूर्वी यूरोप के देशों को जूतों का निर्यात	Export of foot wear to East European countries	2017—2018
2747.	बिना जोड़ के टयूबों का निर्माण	Manufacture of Seamless Tubes	2018
2748.	भारतीय रेलवे में चोरी	Thefts on Indian Railways	2018—2019
2749.	कार उद्योग के लिये फ्रांस से सहयोग	French collaboration for car industry	2019
2750.	कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादन	Production by textiles mills	2019—2020
2751.	रेल के डिब्बों से रबड़ के गद्दों की चोरी	Theft of rubber causions from Railway compartments	2020

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2752.	ब्रिटेन के इस्पात दल का दुर्गापुर, इस्पात संयंत्र में जाना	Visit to Durgapur steel plant by U.K. Steel Team	2020—2021
2753.	इस्पात निर्यात सार्थ संघ	Steel Export consortium	2021
2754.	आयातित रुई का उत्तर प्रदेश के लिये आवंटन	Allocation of Imported Cotton for U.P.	2021—2022
2755.	बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plant	2022
2757.	सीमा क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का बिछाया जाना	Laying of Railway lines on Borders	2022—2023
2758.	जीपों और व्यापारिक मोटर गाड़ियां के मूल्यों पर से नियन्त्रण	Price decontrol of jeeps and commercial vehicles	2023
2759.	मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Tariff Commission on Automobile industry	2023—2024
2760.	मेनेजिंग एजन्सी प्रणाली	Managing Agency System	2024
2761.	खान मालिकों को उपकरण तथा तकनीकी जानकारी उधार देने की योजना	Scheme to give on Hire Equipment and Technical know-how to Mine owners	2024
2762.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण	Nationalsation of T.I.S. Co. and I.I.S. Co.	2024—2025
2763.	निवेली में दूसरी खान चालू करना	Second Mine cut at Nevyeli	2025
2764.	तालचेर उद्योग समूह	Talcher Complex	2025
2765.	इंजीनियरी सार्थ समूह	Engeering Consortium	2025—2026
2766.	डिब्बे (कोचों) और माल डिब्बों के लिए विदेशी मंडिया	Foreign Markets for coaches and wagons	2026—2027
2767.	रंग रोगन उद्योग	Paint Industry	2027
2768.	अमरीका को सूती कपड़े का निर्यात	Export of cotton Goods to USA	2027—2028

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2769.	हयकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry	2028
2770.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स	Lakshmirattan Cotton Mills	2028—2029
2771.	जनता रेलगाड़ियां चलाना	Introduction of Janata Trains	2029
2772.	मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया को प्रतिकर का भुगतान	Payment of compensation to Metal Corporation of India	2029—2030
2773.	हरयाना में खनिज पदार्थों की खोज	Exporation of Minerals in Haryana	2030
2774.	कारों और ट्रेक्टरों का मूल्य	Prices of Cars and Tractors	2030—2031
2775.	किसानों के लिये पम्पिंग सैट	Pumping sets for Farmers	2031
2776.	मेल / एक्सप्रैस गाड़ियों में लगे हुए दो शायिका और तीन शायिकाओं वाले डिब्बे	Two Tier and Three Tier Bogies Attached to Mail / Express Trains	2031—2032
2777.	रेलवे के लिये आई० बी० एम० मशीनें	I.B.M. Machines on Railways	2032—2033
2778.	रेलवे कर्मचारियों को पारी के बाहर क्वार्टर दिया जाना	Out of Turn allotment of Houses to Raiiway Employees	2033
2779.	दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था	Accommodation for Railway Employees in Delhi	2033 -2034
2780.	अत्यावश्यक तथा गैर अत्यावश्यक रेलवे कर्मचारी	Essential and Non-Essential Railway Employees	2034
2781.	मेहसाना से अबू रोड तक रेलवे लाइन को दोहरा बनाना	Doubling of railway line from Mehsana to Abu Road	2034
2782.	गुजरात में चालित करघे	Powerlooms in Gujarat	2034—2035
2783.	काड़ी दुर्गा काटन मिल्स	Kadi Durga Cotton Mills	2035
2784.	होस्पेट में इस्पात कारखाना	Hospet Steel Plant	2035—2036
2785.	रूस के सहयोग से घड़ियां बनाने के कारखाने	Watch Factories in Collaboration with USSR	2036
2786.	मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास	Industrial development of Madhya Pradesh	2036—2037
2787.	मध्य प्रदेश में नये औद्योगिक कारखाने	New Industrial Units in M.P.	2037

अतां० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2788.	स्वेज नहर के रास्ते व्यापार	Trade Through Suez Canal	2037—2038
2789.	इगतपुरी भुसावल सेक्शन का विद्युतीकरण	Electrification of Igatpuri Bhusawal Section	2038—2039
2790.	मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोयला खानें	Coal Mines in Narsinghpur District of M.P.	2039
2791.	पूर्वी यूरोप के देशों को पटसन की वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods to East European Countries	2040
2792.	महाराष्ट्र में चूने के पत्थर के निक्षेप	Lime stone deposits in Maharashtra	2040
2793.	राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा सर्वेक्षण	Survey by the National Productivity Council	2040—2041
2794.	लघु उद्योग	Small Scale Iudustries	2041
2795.	दक्षिण मध्य रेलवे को धोन मनमाद खंड का दिया जाना	Transfer of Dhon-Manmad Section to South Central Railway	2041
2796.	कपड़ा आयुक्त (टैक्सटाइल कमिश्नर) के कार्यालय में छंटनी	Retrenchment in Textile Commissionr's Office	2041—2042
2797.	विदेशी सहयोग के बारे में मुदालियर समिति का प्रतिवेदन	Mudaliar Commission Report on Foreign Collabaration	2042
2798.	रूपसा बंगरीपोसी रेलवे लाइन हटाई जाना	Dismantling of Rupsa Bangriposi Line	2042
2799.	तुरन्त तैयार होने वाली चाय	Instant Tea	2042—2043
2801.	केरल में स्थित केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memoramdum submitted by Central Government production centres, Kerala	2043
2802.	हिन्दुस्तान मोटर्स के शेयर सर्टिफिकेट	Shares Certificates of Hindustan Motors	2043—2044
2803.	ऊनी धागे का आयात	Import of Woolen Yarn	2044
2804.	राज्यों में उद्योगों में पूंजी विनियोजन की जांच	Check on investments in Industries in States	2044—2045
2805.	नीलगिरी रोड स्टेशन पर रेलवे फाटक	Level crossing at Nilgiri Road Stotion	2045

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2806.	किशनगंज रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) पर उपरि पुल	Over Bridge at Kishauganj Railway Station	2045—2046
2807.	एल्यूमीनियम कारखाने	Aluminium Plant	2046
2808.	कृत्रिम रेशम उद्योग	Art Silk Industry	2046—2047
2809.	रेलवे की बंजर भूमि	Fallow Railway Lands	2047—2048
2810.	जापान के सहयोग से कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill with Japanese collabaration	2048
2811.	औद्योगिक एककों का विस्तार	Expansion of Industrial Units	2048
2812.	ओलावक्कोड में ऊपरी पुल	Over-bridge in Olavakkode	2048—2049
2813.	कलकत्ता से गया होकर बनारस के लिये एक्सप्रेस गाड़ी	Express Train from Calcutta to Banaras via Gaya	2049
2814.	पिपरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक	Level crossing near Pipra Railway Station	2049—2050
2815.	पश्चिम बंगाल के रेलवे कर्मचारी	Railway Employees of West Bengal	2050—2051
2816.	लघु उद्योग विशेषज्ञ का संयुक्त अरब गणराज्य का दौरा	Team of Expert on Small Scale Industries to UAR	2051
2817.	आस्ट्रेलिया के सहयोग से कारों का निर्माण	Manufacture of Cars with Australian Collaboration	2051—2052
2818.	इस्पात कारखानों में उत्पादन का कम हो जाना	Decline in Productive in Steel Plants	2052—2053
2819.	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य	Prices of Export Commodities	2053—2054
2820.	समान औद्योगिक विकास	Uniform Industrial Development	2054
2821.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	2055
2822.	भारत में कारखाने लगाने के लिये विदेशी कम्पनियों को जारी किये गये लाइसेंस	Licences Issued to Foreign Companies to set up Factories in India	2055
2823.	कागज बनाने के कारखाने के लिये लाइसेंस	Licences for paper factories	2055

अता॰ प्र॰ संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2824.	चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	2055—2056
2825.	मेवों का आयात	Import of Dry Fruit	2056
2826.	नियंत्रण वाले धातुओं के लिये लाइसेंस	Licences for controlled Metals	2056—2057
2827.	कारों के टायर	Car Tyres	2057
2828.	लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries	2057
2829.	आसाम में कागज की लुगदी बनाने का कारखाना	Paper Pulp Factory, Assam	2057—2058
2830.	पटसन के माल का निर्यात	Export of Jute Products	2058
2831.	आसाम में सिमलुगुड़ी मोरनहाट ब्रांच लाइन का बन्द करना	Closing of simaluguri Moranhat Branch line in Assam	2058
2832.	आसाम में डीजल से चलने वाले रेल इंजन	Diesel Loctomotives in Assam	2058—2059
2833.	निर्यात प्रोत्साहन योजना	Export Incentive Scheme	2059
2834.	बाटने बचे-खुचे रेशम का निर्यात	Export of Throwster Waste	2059—2060
2835.	राखा में तांबे की खोज	Exploration of Copper at Rakha	2060—2061
2836.	रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण	Assaults on Railwaymen	2061
2837.	पश्चिम बंगाल में रेलवे गैंगमैनों की मृत्यु	Death of Railway Gangmen in West Bengal	2061
2838.	उद्योग आयोग	Industries Commission	2061—2062
2839.	रुपये के अवमूल्यन से पहले तथा बाद जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued before and after Devaluation	2062
2840.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स मिल्स, भावनगर	Mahalakshmi Textile Mills Bhavnagar	2062
	प्रश्नों के ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	Re. Questions, Calling attention Notices etc.	2063
	निधन सम्बन्धी उल्लेख (श्री सेनापति बापत)	Obituary Reference (Shri Senapati Bapat)	2063—2067

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2068—2069
पाकिस्तान को दालें इत्यादि का चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of pulses etc. to Pakistan	
ऊन के आयात तथा विवरण सम्बन्धी नयी नीति	New policy of import and distribution of wool	2070
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2072—2073
सभा का कार्य	Business of the House	2073—2074
पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motions Re. Situation in West Bengal	2074—2085
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री अ. कु. सेन	Shri A. K. Sen	
श्री मेघराज	Shri Meghrajji Dhrangadhra	
श्री रविराय	Shri Rabi Ray	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members and Resolutions	2085—2086
15 वां प्रतिवेदन	Fifteenth Report	
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	Bills Introduced	
1. दण्ड क्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 520 का प्रतिस्थापन (श्री एम० नारायण रेड्डी का)	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1967 (Substitution of Section 520) by Shri M. Narayan Reddy.	2086

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 धारा 540 का प्रतिस्थापन (श्री एम० नारायण रेड्डी का)	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1967 (Substitution of Section 54OA) by Shri M. Narayan Reddy.	2086—2087
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 धारा 197 क का हटाया जाना (श्री एम० नारायण रेड्डी का)	The Cods of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1967 (Omission of section 197A) by Shri M. Narayan Reddy.	2087
4. संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 331 का हटाया जाना) (श्री रघुवीर सिंह शास्त्री का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Omission of articls 331) by Shri Raghuvir Singh Shastri	2087—2088
5. मंत्रियों की आस्तियों का प्रकटीकरण विधेयक, 1967 (श्री शचीन्द्रनाथ माइती का)	The Disclosure of Assets of Minister Bill, 1967 by Shri Sachindra Nath Maiti	2088
6. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (नये अनुच्छेद 125 क तथा 221 क का रखा जाना) (श्री शचीन्द्रनाथ माईती का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Insertion of new articles 125A and 221A) by Shri Sachindra Nath Maiti	2088
7. पिछड़े समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक, 1967 (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)	The Backward Communtties (Religious protection) Bill, 1967 by Shri Prakash Vir Shastri	2089
8. स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा उपप्रधान मंत्री की सामयिक चिकित्सा परीक्षा) विधेयक (श्री यमुना प्रसाद मंडल का)	The Health (Periodical Medical Check-up of President, Prime Minister and Denuty Prime Minister of India) Bill, 1967 by Shri YamunaPrasad Mandal	2089

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9. स्वास्थ्य (संसद् सदस्यों की सामयिक चिकित्सा परीक्षा) विधेयक, 1967 (श्री यमुना प्रसाद मन्डल का)	The Health (Periodical Medical Check up of Members of Parliament) Bill, 1967 by Shri Yamuna Prasad Mandal	2090
कम्पनी (संशोधन) विधेयक (धारा 293 क), 324 का प्रतिस्थापन किया जाना) (श्री मधु लिमये का)	Companies (Amendment) Bill Withdrawn (Substitution of sections 293A 324 etc.) by Shri Madhu Limaye	2090—2097
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री रामचन्द्र अमीन	Shri R.K. Amin	
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Chaud Goel	
श्री दामानी	Shri S. R. Damani	
श्री राजाराम	Shri Rajaram	
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu	
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
लोक पाल विधेयक	Lokpal Bill	2097—2100
श्री प्र. के. देव	Shri P. K. Deo	
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to circulate	
श्री प्र. के. देव	Shri P. K. Deo	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
संविधान संशोधन विधेयक (आठवीं अनुसूचित का संशोधन) (डा० कर्णी सिंह का)	Constitution (Amendment Bill) Amendment of Eigth Schedule by (Dr. Karni Singh)	2100—2101

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

विषय		पृष्ठ PAGES
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee	
डा. कर्णी सिंह	Dr. Rarni Singh	
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
नवां प्रतिवेदन	Ninth Report	
शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-An-hour Discussion Re. Detention of Sheikh Abdullah	2101—2103
श्री अ. कु. गोपालन	Shrs A. K. Gopalan	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1967/10 अग्रहायण, 1889 (शक)

Friday, December 1, 1967/Agrahayana 10, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दक्षिण अफ्रीका का व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेना

391. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका ने हमारी सरकार को यह सूचना दी है कि वह फरवरी, 1968 में नई दिल्ली में होने वाले व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेगा; **और**

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह : (क) तथा (ख) व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के आमन्त्रण संयुक्त राष्ट्र द्वारा भेजे जाते हैं, भारत सरकार द्वारा नहीं, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र का ही सम्मेलन है। भारत सरकार ने तो सम्मेलन को नई दिल्ली में करने की सुविधा मात्र दी है। फिर भी, दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधिमण्डल के लिये अपेक्षित आवासस्थान के बारे में हमारे पास सूचना आई है।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : दक्षिण अफ्रीका के प्रति हमारे देश के रवैये के बारे में सब को

अच्छी तरह पता है इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि जब उस देश के प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे तो हमारे देश की नीति उनके प्रति क्या होगी ?

श्री दिनेश सिंह : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्पो संख्या 2202, 2054 और 1761 द्वारा सदस्य राष्ट्रों को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अनिवार्य आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने को कहा है । इस बात को तथा उनकी जातीय भेदभाव की नीति को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका इस सम्मेलन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकेगा । भारत सरकार की स्थिति यही है ।

श्री काशीनाथ पान्डेय : दक्षिण अफ्रीका के बारे में अन्य देशों के रवैये का भी अच्छी तरह पता है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इस देश के प्रति एक संकल्प पास किया है । इस तथ्य के बावजूद यदि उस देश के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और उनके विरुद्ध प्रदर्शन होते हैं तो सरकार का क्या रवैया होगा ।

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न काल्पनिक है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य अभिकरणों की स्थिति का पता है । यह निर्णय करना सम्मेलन का काम है ।

श्री रंगा : जिन अप्रिय परिस्थितियों में यह सम्मेलन हो रहा है उनको देखते हुए इससे पूर्व कि यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका को इस में भाग लेने अथवा न लेने के बारे में कोई निर्णय ले, क्या सरकार संस्थापित समिति का अथवा प्रस्तावित सम्मेलन का प्रारम्भिक सम्मेलन भारत से बाहर करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र तथा सम्बन्धित अधिकारियों को लिखेगी ताकि भारत में सम्मेलन होने से पूर्व इस बात का निर्णय किया जा सके कि दक्षिण अफ्रीका को इस सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं ? इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान द्वारा संयुक्तराष्ट्र की दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार करने अथवा प्रतिबन्ध लगाने वाली घोषणा को प्रभावहीन करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही के बारे में हमने अनेक आपत्तियां उठाई हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि इस मामले में हमारा क्या रवैया होगा ?

श्री दिनेश सिंह : इस मामले में हम कुछ अन्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं । इसका प्रारम्भिक सम्मेलन करना कठिन होगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ा निकाय है और इस सम्मेलन के लिये बहुत प्रबन्ध करने होते हैं, परन्तु संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र हो रहा है और इस मामले पर वहां चर्चा की जा सकती है ।

श्री सूपकार : इस बात को देखते हुए कि दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं है, उसके विरुद्ध प्रदर्शन होना एक बहुत काल्पनिक बात नहीं है । इस बात को देखते हुए क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिये कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : स्वाभाविक ही है कि सरकार विधि व्यवस्था बनाये रखेगी ।

श्री लोबो प्रभु : क्या मंत्रालय ने इन सम्मेलनों की उपयोगिता के बारे में भी विचार किया है ! इस विशेष सम्मेलन के सम्बन्ध में हमें आवास आदि के प्रम्बन्धों के बारे में भारी

व्यय करना पड़ेगा। इससे हमारी गम्भीर खाद्य स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या माननीय यह बतायेंगे कि इन सम्मेलनों का हमें क्या लाभ है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे माननीय सदस्य के प्रश्न पर बड़ा आश्चर्य हुआ है। भारी संख्या में लोग यहां आयेंगे और वे होटल में रहने का व्यय स्वयं वहन करेंगे। हमें उनके होटल में रहने के लिये व्यय नहीं देना होगा। इससे यदि और कुछ नहीं तो लोगों को भारत आने और यहाँ पर व्यय करने को प्रोत्साहन तो मिलेगा।

श्री बलराज मधोक : जो तर्क दक्षिण अफ्रीका के इस सम्मेलन में भाग लेने के विरुद्ध दिये जा सकते हैं वही तर्क रोडेशिया के इसमें भाग लेने के विरुद्ध भी दिये जा सकते हैं। क्या रोडेशिया को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जा रहा है और यदि हां, तो इस बारे में हमारी सरकार का क्या रवैया होगा ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि रोडेशिया संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है और इसलिये उसको इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जायेगा।

भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड

***392 श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड के विरुद्ध चलाये गये मुकदमें में विशाल बम्बई के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा उनको अपराधी ठहराये जाने के फलस्वरूप उनका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया गया था ;

(ख) क्या उनका नाम काली सूची से हटा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक):

(क) जी हां।

(ख) और (ग) : जी नहीं। उनके नाम को काली सूची में रखने सम्बन्धी आदेशों को रद्द नहीं किया गया है। पंजाब उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार इन आदेशों की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया है।

श्री स० मो बनर्जी : इस से पूर्व कि मैं प्रश्न करूँ मेरा एक निवेदन है। सर्वप्रथम यह प्रश्न 16 नवम्बर, 1967 को उत्तर के लिये उठाया गया था और उस समय यह पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री को सम्बोधित किया गया था। इसके पश्चात इसको इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया। आज हम जो अनुपूरक प्रश्न पूछने वाले हैं वे भी इंडियन आयल कम्पनी से सम्बन्धित है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अन्य मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित रहें अथवा इस प्रश्न को उस तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाये जबकि दोनों मंत्री सभा में उपस्थित हों।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय मंत्री उपस्थित हैं वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : 22 जून, 1967 को पिछले प्रश्न के उत्तर में पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने यह कहा था "कि कालीसूची में नाम दर्ज करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी । प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर ही अवधि निर्धारित की जाती है । जुलाई, 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय ने 25.1.64 के आदेशों को स्थगित करने के लिये कहा था । इसलिये उनका नाम कालीसूची में दर्ज नहीं किया गया था।" मुझे विश्वास है इस प्रश्न का उत्तर श्री अशोक मेहता अथवा श्री रघुरामैया ने दिया था । 1964 में जबकि कालीसूची में नाम रखने का आदेश दिया जा चुका था तो इन्डियन आयल कम्पनी ने नियमित आर्डर 1966 में दिया था इस बात को माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आज भी उनको सामान सप्लाई किया जा रहा है और क्या उच्च न्यायालय के बाद उनको आर्डर दिये जा रहे हैं अथवा इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा उनको आर्डर नहीं दिया जा रहे हैं ।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

जहाँ तक इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा आर्डर देने का प्रश्न है मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह अन्य मंत्रालय से सम्बन्धित है ।

श्री रंगा : क्या किसी विशेष फर्म से सम्बन्धित आदेशों को सभी सम्बन्धित मंत्रालयों में परिचालित नहीं किया जाता ।

श्री प्र० चं० सेठी : नहीं । ये आर्डर इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा दिये गये थे जोकि पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन है । मैं केवल नाम को कालीसूची में रखने के बारे में ही उत्तर दे सकता हूँ क्योंकि मेरा मंत्रालय उससे सम्बन्धित है ।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. The issue of the Appeeze Shipping was also raised here. Letters were received in the Food Ministry regarding pilferage. The Transport Ministry was not aware of it and they recomnend that the said firm is a good one. That is actualy happenening in regard to the Bharat Barels. I want details in this regard.

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : अन्य सभी सम्बन्धित मंत्रालयों को 23-6-1966 को सूचित कर दिया गया था ।

Shri Madhu Limaye : After two years.

श्री चन्ना रेड्डी : आदेश पास हो गये थे और पंजाब उच्च न्यायालय ने 1966 की सिविल लेख याचिका के बारे में अन्तरिम इन्जक्शन पास किया था । इसलिये इसकी सूचना भी सभी को दी गई थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न बहुत सरल है । पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने पिछले प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा था उससे यह पता लगता है कि इस समय कालीसूची में नाम रखने सम्बन्धी कोई आदेश स्थगित नहीं किया गया है । 1966-67 के लिये 18. जी० कौली की खरीद के लिये टैन्डर समिति ने टैन्डर संख्या ओ० पी । टेन-7/67 में यह कहा था कि 'हमारे

कहने पर' इस पार्टी ने हमें सूचित किया था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है और लोअर न्यायालय ने तो दोषसिद्धि कर दी है परन्तु उच्च न्यायालय ने उन्हें मुक्त कर दिया है। मुझे यह भी पता लगा है कि महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी है। तब यह कहा गया है कि यह बात स्पष्ट नहीं कि यह मुकदमा काली सूची में नाम रखने के सम्बन्ध में किया जा रहा है। कारपोरेशन ने स्पष्टीकरण करने के लिये 1965 में इस्पात मंत्रालय को लिखा था। मुझे आज भी बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है।

Shri Madhu Limaye : I demand that according to rules the relevant documents may be placed on the Table of the House.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इसको सभापटल पर रखने को तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह देखना अध्यक्ष का काम है। सर्वप्रथम दस्तावेज अध्यक्ष के समक्ष विचार के लिये रखे जाने चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी : बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के पश्चात 25 जनवरी 1964 को इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। 28-10-64 को इस फर्म ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपील कर दी और उसने बम्बई स्पेशल जज के न्यायालय के आदशों को रद्द कर दिया। जनवरी, 1966 में बम्बई सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और मामला अभी तक विचाराधीन है। इस फर्म द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय में की गई एक अन्य अपील के सम्बन्ध में पंजाब उच्च न्यायालय ने इस फर्म को काली सूची में रखने संबंधी आदेशों को स्थगित करने के लिये कहा। हमने सम्बन्धित मंत्रालय को इस बारे में सूचित कर दिया। इसी प्रकार 18-7-66 को हमने सभी सम्बन्धित मंत्रालयों पंजाब उच्च न्यायालय के आदेशों के बारे में सूचित कर दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने एक विशेष रिपोर्ट तथा सिफारिश से इसका उल्लेख किया है। यद्यपि यह गुप्त है तथापि मैं इसको सभापटल पर रखने तथा इसको प्रमाणित करने के लिये तैयार हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इस समिति ने भारत बैरल की प्रशंसा की है और कहा है "कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत बैरल्स ने कारपोरेशन से बैरल सप्लाई करने के सभी अधिकार प्राप्त करने के लिये बहुत आकर्षित शर्तें दी थी। कारपोरेशन के गत अनुभव को देखते हुए इस फर्म का काम तकनीकी तौर पर बहुत अच्छा था। परन्तु इस फर्म आकर्षित शर्तों का लाभ उठाने के लिये कारपोरेशन को इस फर्म को 31-3-1967 तक सप्लाई के बारे में एकाधिकार के अधिकार देने होंगे। इसलिये मैं आप से निवेदन करता हूँ कि समस्त मामले की जांच के लिये एक छोटी समिति नियुक्त की जाये। 1965 में जब इन्डियन आयल कारपोरेशन ने स्पष्टीकरण मांगा था तो इस्पात मंत्रालय ने क्या स्पष्टीकरण दिया था?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने वास्तविक स्थिति के बारे में बता दिया है। इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा आर्डर दिये जाने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे सूचना चाहिये। मैं जांच करके सूचना दूँगा।

Shri Sita Ram Kesri: Bombay lower court convicted the Bharat Barels and as a result of the conviction their firm was black listed. Then Bombay High Court set aside the orders of the lower court and there after Government of Maharashtra filed an appeal in the Supreme court. I would like to know whether after the decision of the High Court the firms' name was removed from the black list ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस फर्म को 20-8-64 को कालीसूची में रखा गया था और बम्बई उच्च न्यायालय के 20-10-64 को स्पैशल जज न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया। जहां तक इस फर्म को काली सूची में रखने का प्रश्न है यह जारी है ।

Shri Madhu Limaye: The Government permitted this firm to increase their capacity illegally. Actually they wanted to increase the capacity of two firms and in that illegal business they permitted the third firm Bharat Barels to increase the capacity. I want a categorical answer from the Hon. Minister whether to conceal the two illegal works they permitted the Bharat Barels to increase the capacity and whether it is also a fact that Shri Manubhai Shah pleaded the case of the one firm and for the other one Shri Hathi pleaded the case and for the third firm. I don't know who pleaded the case. I request you to refer this matter to P. A. C. as it concerns to many ministers or new committee may be appointed.

अध्यक्ष महोदय : श्री फरनेन्डीज

Shri Madhu Limaye: My question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा था कि यह मुझसे कहा गया है ।

Shri Madhu Limaye: The question is for the minister to reply and suggestion is for you to implement.

डा० चन्ना रेड्डी : मैं इस बात को न तो मान रहा हूँ और न ही उसमे इन्कार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस सम्बन्ध में तथ्य नहीं है और जानकारी उपलब्ध होने पर मैं उसे तुरन्त माननीय सदस्य के पास पहुंचा दूंगा ।

Shri Madhu Limaye: May I know the names of those ministers who have pleaded for them ?

Dr. Channa Reddy: I will tell you if anyone has signed the power of attorney.

रूरकेला इस्पात कारखाना

*393 **श्री प्र० के० देव** :
श्री बलराज मधोक :
श्री दे. अमात :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा. रा. सिंह देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताये की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में हाल में कोई श्रम विवाद उत्पन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति को सम्भालने तथा श्रमिकों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सितम्बर-अक्तूबर, 1967 में रूरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारियों ने हड़ताल किये बिना, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा वर्ष 1966–67 के लिये घोषित बोनस की 4 प्रतिशत की दर के विरुद्ध, जो निम्नतम कानूनी दर है आन्दोलन किया था। चूंकि इस कारखाने के कीमती उपकरणों को भीषण क्षति का खतरा था, इसलिये, अक्तूबर, 1967 के दौरान कुछ दिनों के लिये रूरकेला स्थित कोक भट्टियों तथा धमन भट्टी को बन्द करना पड़ा था। यह विवाद अब शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया जा चुका है और इस कारखाने में 19 अक्तूबर, 1967 से फिर काम शुरू हो गया है।

श्री प्र० के० देव : रूरकेला कारखाने में कुछ दिन काम बन्द होने के कारण देश को काफी हानि हुई है, दूसरी बात यह कि श्रमिकों को पूजा-पूर्व बोनस देने का मामला इस हद तक नहीं जाना चाहिए था जिससे धमन भट्टी तक बन्द करने की नौबत आई, भट्टी बन्द करने का ज्यादा कारण प्रशासन में मतभेद था वह नहीं जो कि मंत्री महोदय ने कहा है कि पूजा के पहले 4 प्रतिशत बोनस को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जहां तक 4 प्रतिशत बोनस का सम्बन्ध है, स्थिथि इस प्रकार है कि इस कारखाने को 193.8 लाख रुपये का घाटा हुआ है और बोनस देने के लिये फालतू राशि उपलब्ध ही नहीं थी, लेकिन बोनस भुगतान अधिनियम, 1955 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक नियोजक को कम से कम 4 प्रतिशत बोनस देना अनिवार्य है, इसलिये 4 प्रतिशत बोनस की घोषणा की गई थी।

श्री प्र० के० देव : बोनस तो केवल एक दलील है, किन्तु धमन भट्टी के बन्द किये जाने का कारण उनके (प्रशासन के) आपसी मतभेद थे।

श्री प्र० च० सेठी : जी, नहीं, वास्तविकता यह है कि काम के बन्द हो जाने तथा मन्द गति से काम करने की चालों के परिणामस्वरूप धमन भट्टी बन्द करनी पड़ी थी और कोक भट्टी में काम की गति हलकी करनी पड़ी थी।

श्री प्र० के० देव : वास्तव में रूरकेला में जो तनाव है वह कांग्रेस द्वारा प्रायोजित भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस तथा रूरकेला मजदूर संघ, जिससे प्रजा समाजवादी दल सम्बन्धित है, के बीच मान्यता प्रदान करने के मामले को लेकर है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि विभिन्न मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने की कसौटी क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : वास्तव में संघ का सत्यापन तथा मान्यता राज्य सरकार की सिफारिश पर ही की जाती है। हमें राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार ने एच० एम० एस० संघ को मान्यता प्रदान की सिफारिश की है और हमने उसे स्वीकार कर लिया है।

श्री बलराज मधोक : सरकारी क्षेत्र के इन इस्पात कारखानों को खोलते समय दो मुख्य तर्क दिये गये थे, पहला यह कि हमें इस्पात और भारी उद्योग की जरूरत है इसलिये इन्हें स्थापित करना आवश्यक है दूसरा यह कि गैर-सरकारी कम्पनियां इस काम को अच्छी तरह नहीं कर सकती क्योंकि वे मजदूरों को सन्तुष्ट नहीं रख सकतीं। अब सरकारी क्षेत्र में हमारे पास तीन इस्पात कारखाने हैं और पिछले कुछ वर्षों का हमारा अनुभव यह है कि उनमें उत्पादन नहीं बढ़ा है और वे घाटे में चल रहे हैं और इसके अलावा, मजदूर गैर-सरकारी क्षेत्र की टाटा जैसी कम्पनियों के मुकाबले में अधिक अस्न्तुष्ट हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि इतने अधिक सरकारी खर्च पर बने ये कारखाने न तो देश की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, और न ही पर्याप्त उत्पादन ही कर पा रहे हैं—वे घाटे में चल रहे हैं और यहां तक कि उनमें मजदूर भी असन्तुष्ट हैं।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : इसका सम्बन्ध सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र से नहीं है। जहां श्रमिक होंगे वहां यह समस्या रहेगी। इस विशेष मामले में श्रमिकों की मांग पर तुरन्त विचार किया गया था; फिर भी हड़ताल के कारण हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह की एक घटना इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी में भी हो गई थी। ऐसी बात नहीं है कि केवल सरकारी क्षेत्र में ही ऐसा हो रहा है।

श्री दे० अमात : क्या यह सच है कि काम पर जाने के इच्छुक मजदूरों तथा ड्राइवरों को धमकी दी गई थी और उन्हें अपने काम पर जाने से रोका गया था जिसके परिणाम-स्वरूप अत्यधिक गर्मी के कारण कीमती उपकरण क्षतिग्रस्त हो गये थे ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह सच है कि कुछ मामलों में इच्छुक कर्मचारियों को रोका तक गया था और कुछ मामलों में उन पर हमले भी किये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप इस्पात कारखाने तथा उर्वरक कारखाने दोनों] में ही उत्पादन की हानि हुई। 2 करोड़ 32 लाख रुपये की हानि हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कर्मचारियों की मांग यह नहीं थी कि उन्हें बोनस अथवा बोनस तथा कुछ अन्य भत्ते के रूप में उतनी ही राशि दी जाये जितनी कि उन्हें पिछले वर्ष दी गई थी ? क्या प्रबन्धकों को अन्ततोगत्वा इसी बात पर सहमत होना पड़ा था ? क्या दो सप्ताह तक उत्पादन रोके बिना पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था ?

डा० चन्ना रेड्डी : बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन घाटे की स्थिति में कम से कम 4 प्रतिशत बोनस देना अनिवार्य है और प्रबन्धक उसी दर पर बोनस दे रहे थे। इसलिये पिछले वर्ष अथवा पिछले वर्षों में कितना दिया गया था, घाटे की स्थिति में इसका कोई सवाल नहीं उठता। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, समझौते की बात-चीत में कामयाबी न मिलने पर इस मामले को दो सप्ताह के भीतर न्याय-निर्णयन के लिये सौंपा गया था। अन्त में, मैं उड़ीसा के मुख्य मंत्री का आभारी हूँ जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया। किन्तु इसमें काफी समय लगा, समझौता यह हुआ कि हम फैसले की प्रतीक्षा करें और फेस्टिवल एडवांस की राशि में अतिरिक्त वृद्धि करें जिसे फरवरी से वसूल करना आरम्भ किया जायेगा।

श्री वेदव्रत बरुआ : रूरकेला में इस वर्ष तथा पिछले वर्ष लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं के उत्पादन में कमी को तथा इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मजदूरों को अपने श्रम की उत्पादिता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है, क्या सरकार रूरकेला के प्रबन्ध में श्रमिकों को भी स्थान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डा० चन्ना रेड्डी : ऐसी बात नहीं है कि इसी कारण कर्मचारियों को प्रबन्ध से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन, आमतौर पर, केवल रूरकेला में ही नहीं, हम इस बात की संभाव्यता पर विचार कर रहे हैं कि प्रबन्ध में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को किस प्रकार सम्बद्ध किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि रूरकेला में गत वर्ष इस्पात के धातु पिंडों का वास्तविक उत्पादन 98 प्रतिशत था ? लेकिन इस वर्ष इस्पात संयंत्र के काम में घाटा दिखाया गया है। क्या इसका कारण कारखाने में किया गया विस्तार है ? इस मामले पर क्या मंत्री महोदय बोनस के इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने को तैयार हैं ? क्या बोनस अधिनियम में जिस न्यूनतम राशि की व्यवस्था है कि वह केवल इस संदर्भ में ही लागू होती है, अथवा, वास्तव में, कर्मचारियों को और अधिक राशि मिलनी चाहिए ? दूसरा यह कि क्या यह सच है कि रूरकेला में उत्पादन की हानि कर्मचारियों की चालों के कारण नहीं अपितु प्रशासन में मतभेद के कारण हुई थी ? क्या आप इस बारे में जांच करेंगे ?

डा० चन्ना रेड्डी : दो प्रश्न उठाये गये हैं। पहला–उन्होंने उत्पादन के बारे में पूछा है जिस पर पिछले वर्ष प्रभाव पड़ा था। इसके विभिन्न कारण थे जिसमें मन्दी भी शामिल है, एक कारण यह भी था कि श्रमिकों के साथ विवाद के कारण पूरी तैयारी के बावजूद भी नया विस्तार कारखाना नहीं लगाया जा सका। दूसरा प्रश्न बोनस के बारे में पूछा गया है; बोनस अधिनियम बना है और उसका प्रवर्तन जरूरी है। मैं नहीं जानता कि हड़ताल से सम्बन्धित केवल इस मामले की जांच करने के लिये ही किसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति पर कैसे विचार किया जा सकता है। किन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में एक आम नीति निर्धारित करना जरूरी है, लेकिन इस मामले में सम्बन्धित मंत्रालय ही कुछ कर सकता है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि उत्पादन में हानि प्रशासन में आपसी मतभेद के कारण हुई है, जहां तक मुझे पता है मजदूरों के काम पर न आने के कारण ऐसा हुआ है, फिर भी मैं इस मामले की निश्चित रूप से जांच करूंगा।

श्री दामानी : क्या यह सच है कि इस कारखाने की परियोजना रिपोर्ट में उसके लिये जितने कर्मचारियों की व्यवस्था है उससे कहीं अधिक कर्मचारी उसमें नियुक्त किये गये हैं ; और क्या उत्पादन में हानि मजदूर संघों के बीच वैमनस्यता के कारण हुई है और कितनी हानि हुई है ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह एक सामान्य आर्थिक चर्चा का प्रश्न है। वास्तव में कुछ अन्य कारखानों की भांति इसमें भी कर्मचारी अधिक संख्या में नियुक्त किये गये हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने ने एक पुस्तिका जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि काम बन्द हो जाने पर कोक भट्टी के बैटरियों के नाजुक पुर्जों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है और इस संदर्भ में पुस्तिका में यह उल्लेख किया गया था कि 1964 में ऐसी ही एक स्थिति उत्पन्न हो जाने के परिणामस्वरूप बैटरी खराब हो गई थी जिसकी मरम्मत करने में एक वर्ष का समय लगा था और 30 लाख रुपये से अधिक व्यय हुआ था ? यदि हां, तो इस समय बैटरियों को जो हानि पहुंची है उसे ठीक कराने में कितना समय तथा खर्च लगेगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह सच है कि 1964 में ऐसी ही एक स्थिति के उत्पन्न हो जाने के परिणामस्वरूप भारी क्षति हुई थी और उनकी मरम्मत पर 30 लाख रुपये खर्च करने पड़े थे; लेकिन इस मामले में वहां के अधिकारियों ने व्यक्तिगत जोखिम पर ऐसी स्थिति नहीं आने दी और कोई स्थायी क्षति नहीं पहुची है, किन्तु उत्पादन में कमी आई है और इस्पात कारखाने तथा उर्वरक कारखाने में 2 करोड़ 32 लाख रुपये की क्षति हुई है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस पुस्तिका में बताया गया है कि इस मामले में ज्यादा नुकसान हुआ है ।

विदेशी सहयोग के सम्बंध में नई नीति

* 395. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री वासुदेवन नायर** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में नई नीति बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) कब तक उसे घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) से (ग) सरकार विदेशी सहयोग तथा विदेशी विनियोजन के संबंध में सरकारी नीतियां बताने वाला एक विशद संकल्प तैयार कर रही है । इस मामले में अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय और लगेगा ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या नई नीति निर्धारित करने में इस विलम्ब से नये उद्योगों के चालू करने तथा उनके विकास पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : इस मामले में विलम्ब नहीं हुआ है । जहां तक संभव है, सभी सम्बन्धित मंत्रालयों की राय लेने के बाद, हमारा निर्णय दिया जा चुका है और अब उस पर अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या सरकार अपनी नई नीति बनाने में कुछ उद्योगपतियों से भी परामर्श करेगी और उनकी राय लेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उद्योगपतियों द्वारा समय-समय पर व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखा गया है ।

श्री वासुदेव नायर : चूँकि सरकार का विचार विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति को नया मोड़ देने का है, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उसने इस बात का उचित अध्ययन किया है कि पिछले वर्षों में खास कर दूसरी तथा तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में हमारे देश में कितनी विदेशी गैर सरकारी पूंजी विनियोजित की गई है और यदि हां, तो क्या यह सच है विदेशी की भेजे जाने वाली लाभ की राशि में धीरे-धीरे वृद्धि होती जा रही है जिससे हमारी विदेशों मुद्रा की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और देश में विदेशी मुद्रा संकट पैदा हो गया है, यदि हां, तो क्या इस नई नीति में इन लाभों के विदेशों में भेजे जाने पर और आगे प्रतिबन्ध लगाने तथा विदेशी पूंजी के विनियोजन पर प्रतिवन्ध लगाने पर विचार किया जा रहा है ताकि हमारे उद्योग के विकास को क्षति पहुंचने से बचाया जा सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सरकार की नीति निर्धारित करने में हमने हाल की घटनाओं पर निश्चित रूप से विचार किया है—यथा विदेशी सहयोगियों द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है, ऋण पर हमें कितना ब्याज देना पड़ता है, हमें लाभांश कितना देना पड़ता है आदि । इन सभी बातों पर विचार किया गया है । इसलिये हम विदेशियों से स्पष्ट तौर पर यह कह देना चाहते हैं कि जहां तक ऐसी वस्तुओं का सम्बन्ध है, जिनका उत्पादन हम खुद कर सकते है और जहां तक देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी का सम्बन्ध है, हम विदेशी सहयोग का स्वागत नहीं करेंगे । हम केवल कुछ विशेष वस्तुओं के मामले में ही विदेशी पूंजी का स्वागत कर सकते हैं, यह बात हम इस नई नीति के जरिये स्पष्ट कर देना चाहते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : विदेशी सहयोग कुछ हद तक ही सहायक हो सकता है । दुर्भाग्य से हमारे देश में विदेशी सहयोग जरूरत से ज्यादा प्राप्त किया गया है, इसके परिणामस्वरूप विदेशी कर्मचारी बड़े ऊंचे वेतनों पर नियुक्त किये गये हैं जिनका वेतन सरकार कम नहीं करवा सकती जिससे लाभों तथा लाभाशों के रूप में हमारे देश से बहुत सी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, इन बातों को देखते हुए क्या सरकार विदेशी सहयोग के तत्व को पूर्णतः समाप्त करने का कदम उठायेगी और यदि ऐसा करना संभव न हो, तो कम से कम उसे निरुत्साह करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मैंनें अपने पिछले उत्तर में यह पहले ही बता दिया है कि जब से हमनें औधोगिक विकास शुरू किया है तब से हम विदेशी योगदान सम्बन्धी सभी तथ्यों पर भी विचार कर रहे हैं ! मैं सभा को यही बता सकता हूँ कि जो तकनीकी जानकारी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है और जो सामान हमारे यहां निर्मित नहीं हो सकता है, उसी के बारे में सरकार विदेशी योगदान प्राप्त करती है और यह औधोगिक विकास के हित में भी है।

यदि आप आंकड़ों पर विचार करें तो आप पायेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से विदेशी योगदान घटता जा रहा है ।

श्री रंगा : हमारी सरकार और योजना आयोग विदेशियों को हतोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपनी पूंजी और जानकारी को लेकर यहां पर आयें और हमारे उद्योगपतियों के सहयोग से उद्योग स्थापित करें इसलिये हमें उनके योगदान से या इनकी अत्यधिक उदारता से भयभीत नहीं होना चाहिये ! जैसा कि केरल और मद्रास के मुख्य मंत्रियों ने सुझाव दिया था, कुछ राज्य सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार उद्योगों का विकास करने के उद्देश्य से और अपने उद्योगपतियों के सहयोग से विदेशी सहयोगियों के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहती हैं, क्या सरकार ने उन राज्यों को ऐसा करने की अनुपति देने के सुझाव पर विचार किया है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : राज्यों से प्राप्त सभी सुझावों की उनके गुण दोषों को ध्यान में रखकर छानबीन की जाती है और जब एक उद्योग योजना के अन्तर्गत स्थापित हो सकता है और यह मद उन मदों में है जिन्हें योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया है तो हम राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर और जो सहयोग उन्हें अन्य देशों से मिल रहा है उस पर अवश्य विचार करते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, the Hon. Minister has said that Government accepts foreign collaboration in respect of such technical know.how which is not indigenously available. But the fact is that whether the know-how is indigenously available or not and inspite of the machinery being available in India or not, we enter into foreign collaboration. For instance, we enter into foreign collaboration for preparing biscuits and baby-food etc. It means that our technical know-how is not being used here and the same is being sent abroad. We are depending more and more on others. Besides, the foreign technicians are sabotaging our production.

Therefore, I would like to know the amount of foreign capital invested in our country during the last three years and also the number of foreign technicians who came in our country. I shall also like to know as to what concrete steps have been taken by the Government to reduce the foreign collaboration and our dependence on other countries to the minimum, and whether a report containing the details thereof will be laid on the table of the House.

Shri F. A. Ahmad : Tha details of the foreign collaborations entered into are as under :

Year	Number of foreign collaboration entered into
1960	400
1961	405
1962	300
1963	301
1964	405
1965	242
1966	202
1967 (till the end of Leptember)	154

It clearly shows that the foreign collaboration is gradually decreasing on account of our policy in this regard. As regards the amount of investment in respect thereto, I shall require notice.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I wanted to know the amount of the foreign capital invested in our country and also the concrete steps being taken to reduce the foreign collaboration.

Shri F. A. Ahmad : I have given the numbers of the foreign collaborations entered into. So for as the capital is concerned, I shall require notice for it. We are thoroughly examining these collaborations and we do not allow any foreign collaboration in respect of such know-how which is available in our country.

Shri Prem Chand Verma : Sir, I would like to know the amount of the capital invested in the 154 Companies, which came into existence till the last month of 1967, by the Indian Companies and the foreign Companies separately. Besides this, will the Hon. Minister formulate such a scheme as would enable the Indians to retain more shares in comparison with the foreigners in the industrial companies proposed to be set up ?

Shri F. A. Ahmad : We still adhere to the policy of the majority of the in shares, being retained by the Indians. Barring a few industries, we wish that if any foreign participation is invited, then the shares to be retained by the foreigners should be in minority. So far as the question of capital is concerned, I shall require notice for it.

Shri Rabi Ray : Sir, I would like to know the amount of the investment in India by the Britishers at the time when India became free and also the amount of their present investment in India. Sir, the Hon. Minister has said that we need technical-know-how. But my submission is that instead of welcoming technical know-how from individual countries, we should form a World Development Organisation and get technial know-how through such an organisation. Is the Hon. Minister thinking in these terms ?

Shri F. A. Ahmad : We have considered the possibility of developing technical know-how in our country through C. S. I. R. or through some other private agency. We are making efforts in this direction. We do not enter into any foreign collaboration in respect of the items which we develop here in our country. So far as the capital is concerned, I have already stated that I shall require notice for this and this information can be furnished later on.

श्रीमती शारदा मुखर्जी : भारत के रिजर्व बैंक के मुद्रा तथा वित्त प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश कर रही है जिनके द्वारा और अधिक विदेश सहयोग प्राप्त किया जा सके। किन्तु मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि उनकी नीति विदेशी सहयोग को कम करने की हैं। सरकार की निश्चित नीति क्या है ? क्या वह विदेशी सहयोग में कमी करना चाहती है या और भी अधिक विदेशी सहयोग प्राप्त करना चाहती है ? क्या कमी इस कारण से है कि हम विदेशी सहयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं या इसका कारण सरकार की विदेशी सहयोग को कम करने की नीति ही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़े पहले ही सभा के सामने प्रस्तुत कर दिये हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी नीति विदेशी सहयोग को कम करने की ही रही है। मैंने कहा है कि हम विदेशी सहयोग औद्योगिक विकास के उन्हीं क्षेत्रों में चाहते हैं जहां पर निर्माण हमारे देश में सम्भव नहीं है और जिनके बारे में तकनीकी जानकारी भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है।

श्री उमानाथ : तकनीकी ज्ञान और सेवाओं के लिये की गई अदायगी के बारे में 68 सहयोग करारों की समीक्षा फिलहाल की गई थी जिनसे यह पता चला कि इसमें लगभग 17 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त था किन्तु तकनीकी ज्ञान के लिये 19 करोड़ रुपये की अदायगी की गई जो कि उससे भी ज्यादा है। इससे हमारे विकास में बाधा पड़ती है। क्या सरकार ने सहयोग के इस पहलू पर भी विचार किया है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई नीती बनाई है जिस पर मंत्रिमंडल विचार करेगा और बाद में इस सभा को भी इस पर विचार करने का अवसर मिलेगा। हम सभी बातों पर विचार कर रहे हैं और हम अपनी नीति में यह बात भी शामिल कर रहे हैं कि एक विदेशी, लाभांश, रोयल्टी और तकनीकी ज्ञान के रूप में हमसे क्या प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है और उसी आधार पर सभा चर्चा कर सकेगी कि क्या यह नीति उचित हैं अथवा नहीं।

श्री राज शेखरन : यदि हमारी कोई राज्य सरकार वस्तु-विनिमय प्रणाली के आधार पर विदेशी सहयोग प्राप्त करना चाहती है तो इसके बारे में सरकार की क्या नीति है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जो देश हमारी सहायता कर रहे हैं यदि वे अदायगी के स्थान पर वे वस्तुयें स्वीकार कर लें जो हमारे देश में बन रही हैं तो यह बहुत अच्छी बात है।

श्री नाथपाई : यह बात कहां तक सच है कि सहयोग के मामले में फैसला मंत्री द्वारा उल्लिखित कसौटी के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि इसका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि सहयोग में दिलचस्पी रखने वाली भारतीय और विदेशी पार्टियां मंत्रालय के अधिकारियों पर कितना दबाव डाल सकती हैं? क्या यह सच नहीं है कि कुछ मुख्य मंत्री खास तौर पर कुछ कांग्रेसी मुख्य मंत्री इतने प्रभावशाली हैं कि वे केन्द्रीय सरकार को भी चुनौती देते हैं और वे सहयोग की शर्तों में परिवर्तन करा सकते हैं? यह हो रहा है क्योंकि प्रत्येक मुख्य मंत्री की अपने ही राज्य में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी होती है। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करेंगे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिये मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। ये तो गुण-दोषों के आधार पर निश्चित किये जाते हैं। जहां तक राज्य सरकारों के दबाव का सम्बन्ध है, इन मामलों में निर्णय केन्द्रीय सरकार करती है। राज्य सरकारों से समय-समय सुझाव प्राप्त होते हैं और यदि वे सुझाव अच्छे होते हैं तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है और यदि वे हमारी नीति और योजना के अनुरूप नहीं होते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाता।

डा० रानेन सेन : यह सर्वविदित है कि हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वे इस विदेशी सहयोग और इस तकनीकी ज्ञान आदि के सम्बन्ध में अपना रोष प्रकट करते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाये ताकि भारत अपने पैरों खड़ा हो सके। किन्तु इन वैज्ञानिकों की माँगों को सुनने के बजाय, क्या यह सच नहीं है कि विदेशी और भारतीय

निजी पूंजी लगाने वालो के दबाव के कारण और नौकरशाही जो सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदार हैं, उसके दबाव के कारण यह सरकार विदेशी सहयोग की इस स्थिति को स्वीकार कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी विदेशी सहयोग के किसी प्रस्ताव पर समिति विचार करती है तो उस समिति में सी० एस० आई० आर० का एक प्रतिनिधि होता है। हमारे देश में तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं सी० एस० आई० आर० से स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने के मामले में खास दिलचस्पी लेता रहता हूँ। जब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कि तकनीकी ज्ञान हमारे देश में उपलब्ध नहीं है तभी विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है। देश में तकनीकी ज्ञान को प्रोत्साहित करने के वास्ते और अनुसंधान के प्रयोजनार्थ हम अपने सीमित साधनों में से ही यथासम्भव धन देने की इच्छा रखते हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : पहले विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित थी जिसके कारण भरतीय निवेश केन्द्र जैसी संस्थायें भी कोई निर्णय नहीं कर पाती थी। क्या नई नीति एक विस्तृत नीति होगी और इसका पर्याप्त प्रचार किया जायेगा ताकि सहायक रुख लिया जा सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : एक विस्तृत नीति बनाने का हमारा इरादा है। बहुत सी समितियों के स्थान पर हम एक निकाय रखना चाहते हैं जो इन मामलों में निर्णय करेगा। हम निर्णय करने के लिये एक समय-सीमा भी निर्धारित करने जा रहे हैं।

श्री पीलु मोडी : जहाँ तक मेरी जानकारी है देश को जितना सहयोग प्राप्त है उससे भी तिगुने या चौगुने सहयोग की आवश्यकता है। जैसा सहयोग हम चाहते हैं वह हमें इसलिये नहीं मिलता है कि हमारी सरकार प्रस्तावों की छानबीन करने के नाम पर बड़ी रुकावट डालती है और इस प्रकार हमारे देश में विदेशी पूंजी नहीं आ पाती। नयी नीति बनाते समय सरकार ने इन प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिये क्या किया है जिससे कि किसी भी सहयोग करार के पूरा होने में एक वर्ष से अधिक समय न लग सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि विदेशी सहयोगियों की दो शिकायतें ये हैं कि हमारी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है और हमारी शर्तें अनिश्चित हैं। इन दोनों बातों के सम्बन्ध में हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि मामले को एक समिति से दूसरी समिति में भेजने के बजाय हम एक संस्था स्थापित कर रहे हैं जो इन आवेदन-पत्रों पर विचार करेगी। हम एक समय-सीमा भी निर्धारित कर रहे हैं जिसके अन्दर प्रत्येक आवेदन-पत्र को निबटा दिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि हमारे मंत्री श्री मोरारजी देसाई से लेकर श्री फ़खरुदीन अली अहमद तक, जब विदेशों में जाते हैं तो वे कुछ लाख डालरों में दावतें उड़ाते हैं और फिर स्वाभाविक है कि वे विदेशी पूंजी को भी भारत में आमंत्रित करते हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम विदेशी सहयोग को आमंत्रित करने के वास्ते नहीं जाते। हम वहा पर इसलिये जाते हैं ताकि हम देख सकें कि उन देशों में कितनी प्रगति हुई

है और हमारे देश के औद्योगिक विकास के लिये हम अपनी गतिविधियों को कैसे समन्वित कर सकते है ?

Shri Bhogendra Jha : In view of the fact that we need foreign exchange in certain matters and foreign collaboration in certain factories, do the Government propose to stop foreign companies from taking the profit earned by them on their investment in this country for the coming ten years and to persuade them to invest such profits in the new factories of the countries ?

Shri F. A. Ahmad : The Government do not propose to go back from the old contracts and agreements.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उत्पादन में वृद्धि

*396. **श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री न० कु० सांघी : श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सुझाव देने की दृष्टि से उसकी कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक रूसी दल के भारत आने की आशा है;

(ख) क्या यह कार्य भारतीय इंजीनियरों को नहीं सौंपा जा सकता ; और

(ग) इस काम पर रूसी इंजीनियरों को लगाने में कितना खर्च होने की सम्भवना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) चूंकि सोवियत विशेषज्ञ इसी प्रकार के भारी इंजीनियर संयंत्रों की कार्य-प्रणाली से परिचित है और चूंकि जो प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं उनका प्रभाव निर्यात के लिये सोवियत संभरणकर्ताओं के संयुक्त सहयोग पर पड़ता है, इसलिये सोवियत इंजीनियरों के एक दल को बुलाना कालोचित समझा गया था ।

(ग) सोवियत अधिकारियों के साथ में दल में कौन-कौन लोग होंगे और उनके यहाँ ठहरने की अवधि कितनी होगी आदि के बारे में विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद ही इस पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the quantun of our present production ; the extent to which we wish to raise our capacity and why our capacity is less.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : The production capacity of the plant installed at Ranchi is 80,000 tons of machinery. But at present production is 30,000 or 40,000 tons. The reason therefor is that we have received no order for the period beyond 1970. We are in a fix as to how to run that plant. This plant was started under the impression that in our country one millian tons of

steel will be produced every year but on account of our limited sources, the production of steel was stopped, as a result of which we received no order for our plant for the period beyond 1970. This has been done with a view to divestifying this plant.

अल्प सूचना पत्र

SHORT NOTICE QUESTION

माल डिब्बों का चोरी छिपे पाकिस्तान भेजा जाना

7. ***श्री म० ल० सोंधी : श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों से लगभग 7000 माल डिब्बे चोरी छिपे पाकिस्तान भेज दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे माल डिब्बे अनुमानतः कितनी लागत के होंगे ; और

(ग) क्या इस मामले की जाँच करने का आदेश दे दिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग से यह सूचना प्राप्त होने पर कि भारतीय रेलवेज के 5000 माल डिब्बे, 2000 ब्रेक गाड़िया तथा कुछ मुसाफिरों के डिब्बे गुम हैं और चोरी छिपे पाकिस्तान भेज दिये गये हैं । इसकी जाँच की गई और उस से यह पता चला कि यह आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

श्री म० ल० सोंधी : जब यह आरोप छपे तो इन आरोपों को सरकार ने गलत नहीं बताया । क्या इससे सरकार की सुस्ती का पता नहीं लगता है । क्या सरकार इस मामले की जाँच के लिए एक ससदीय समिति नियुक्त करने को तैयार है क्योंकि यह ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध हमारी भावी औद्योगिक क्षमता से है ?

श्री परिमल घोष : महोदय दिसम्बर, 1965 में केन्द्रीय जांच विभाग ने कुछ आरोप हमारे पास भेजे जो गृह कार्य मंत्रालय को प्राप्त हुए थे जिनमें कहा गया गया था कि कुछ रेल के डिब्बों के पाकिस्तान चले जाने के समाचार मिले हैं। यह आरोप भी थे कि कुछ पाकिस्तान के डिब्बों की भारत में मरम्मत हुई है । केन्द्रीय जाँच विभाग ने रेलवे बोर्ड को कहा कि उनकी गुप्त जांच की जाये और इसकी सूचना उन्हें भी भेजी जाये । इस कार्य के लिये रेलवे मंत्रालय में एक विशेष खण्ड खोला गया जिन्होंने 6 मास तक इसकी जाँच की । यह जाँच महा निर्देशक ने स्वयं की और उनकी सहायता से लिए एक संयुक्त जाँच निर्देशक थे। छः मास की जाँच के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक भी डिब्बा पाकिस्तान नहीं गया है तथा यह मामला भी सिद्ध नहीं हो सका कि पाकिस्तान के डिब्बों की यहाँ मरम्मत हुई थी ।

साथ ही यह प्रश्न भी उत्पन्न हुआ कि इन 7000 डिब्बों का बना क्या जिनके बारे में वह समाचार थे । इनकी जाँच तथा सर्वेक्षण के बाद यह पता चला कि कुछ डिब्बों पर

एक से अधिक बार गणना में नम्बर डाल दिये गये थे तथा कुछ पर नये नम्बर डाले गये थे जब उन्हें विभिन्न क्षेत्रों को दिया गया तथा जब फिर से गणना हुई तो बाकी सब मिल गये। भ्रष्टाचार के आरोपों को भी जाँच द्वारा निराधार पाया गया।

श्री म० ला० सोंधी : यह कहने से काम नहीं चलेगा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरी प्रकार की अनिर्मिततताय तथा अकार्यकुशलतायें हैं। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इनकी पूरी जाँच होगी ?

श्री परिमल घोष : अनियमितता तथा अकार्यकुशलता का जब भी कोई विशेष आरोप प्राप्त होगा, हम उसकी जांच करेंगे। यदि माननीय सदस्य हमारे द्वारा की गई जांच आरोप की प्रति चाहते हैं, तो हम उन्हें भेज देंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the number of passengers' wagons and the loading wagons. What was their number in the year when they were reported to be missing? Were those wagons physically presant with you ? Do you conduct some stock taking or not and if you do not do so, the reason for it ? Did you send a copy of the finding of your cell to the C. B. I. and if so what is their reaction to that ?

श्री परिमल घोष : इनमें से कुछ डिब्बों को प्रयोग में न आ सकने वाला घोषित कर दिया था और इस कारण इनका वहां पता नहीं चला। इन सब 7000 डिब्बों का पता चल गया है। इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय जांच विभाग को भेज दी है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को अब समाप्त कर दिया जाये।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप प्रत्येक वर्ष इनकी गणना करते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : प्रत्येक वर्ष गणना होती है। एक वर्ष मीटर गेज पटरी के डिब्बों की और दूसरे वर्ष बड़ी पटरी के डिब्बों की। इस प्रकार के सर्वेक्षण तथा डिब्बों के रिकार्ड रखने के लिये भारतीय रेलों में एक स्वतन्त्र संस्था है जिनका नाम भारतीय रेलवे सम्मेलन संस्था हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : कुल मिलाकर कितने डिब्बे हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमारे पास 2 लाख बड़ी पटरी के डिब्बे तथा 70,000 मीटर गेज के डिब्बे है।

Shri Prakash Vir Shastri : Certain cases about the missing of railway wagons were discussed in the P. A. C. and it sent a report to the Railway Ministry about that. What action was taken by the Ministry on that ?

श्री चे० मु० पुनाचा : 1947 से 1965 तक हमारा पाकिस्तान से रेल के डिब्बे बदलने का व्यवहार था परन्तु 1965 के युद्ध के पश्चात् वह समाप्त हो गया है। 6-9-1965 को पाकिस्तान के पास हमारे 53 बड़ी पटरी के डिब्बे तथा 463 मीटर गेज के डिब्बे अधिक थे। इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत चल रही है।

श्री वी० चं० शर्मा : मैं चाहता हूँ कि रेलवे मंत्रालय का कोई मंत्री वहां जाये जहाँ

इन डिब्बों का लेना देना होता है अथवा वह अमृतसर जायें तो पता चलेगा कि जो डिब्बे एक बार पाकिस्तान चले गये वह वापिस नहीं आते ।

श्री चे० मु० पुनाचा : जिन दस्तावेजों द्वारा रेल के डिब्बों का लेना देना होता है वे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा उन्हें यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं इनके पास भेजने को तैयार हूँ । उस स्थान पर रेलवे के अधिकारियों के अतिरिक्त सीमाशुल्क, पुलिस तथा सीमा सुरक्षा के अधिकारी भी मौजूद होते हैं और वे डिब्बों तथा अन्य गाड़ियों की जाँच करते हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हमारे जो डिब्बे उनके पास हैं उनका केवल 10% भाग भारत भेजा है परन्तु हमने उनके सारे डिब्बे पाकिस्तान भेज दिये हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : उस समय केवल 53 डिब्बों का अन्तर था जो पाकिस्तान के पास अधिक थे ।

Shri Ram Charan: How many wagons have you written off and how many are pending with you to be written off ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसके लिये मुझे अलग नोटिस चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa: During the 1965 Indo-Pakistan war some 210 wagons, three engines and 24 passenger coaches were sent to Pakistan or Barmer border. May I know whether those wagons etc. have been received back ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास पहले दी हुई सूचना के अतिरिक्त और सूचना नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : पाकिस्तान के साथ हमारा जो व्यवहार रहा है उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूचना मंत्री महोदय ने दी है, वह सत्य नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कोई सामान वापिस नहीं करता । क्या मंत्री महोदय इन सारे तथ्यों को एक संसदीय समिति के सामने रखने को तैयार हैं ताकि वह इन सब बातों की जांच करे और आगे इस प्रकार की घटना न हो उसके बारे में सुझाव दे ?

श्री परिमल घोष : जो भी तथ्य हमारे पास थे वह हमने सामने रख दिये हैं । इस लिये एक ऐसी समिति की जैसा कि सुझाव दिया है, हमारे विचार में आवश्यकता नहीं हैं ।

श्री रंगा : महोदय मेरा सुझाव यह है कि आप अलग अलग सदस्यों को सूचना देने की बजाय, यह सारा मामला सदन की किसी समिति के सामने भेज दें और बाद में अध्यक्ष महोदय उसके बारे में निर्देश दे सकते हैं कि क्या कार्यवाही की जानी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : 202 कारखानों में से लगभग 148 कारखानों ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है । मेरा विचार है कि यह संख्या अब 150 अथवा 152 होगी । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4 और कारखानों में उत्पादन चालू हो गया है,

श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : सरकार द्वारा नियंत्रित कितने कारखानों ने काम करना प्रारम्भ नहीं किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. speaker, the policy of partial control adopted by Government has failed. As has been remarked by the Hon Minister about profit to farmer and the consumer, I would like to say that instead the industrialists have been earning a profit of 50 crores. Is Government aware that the sugar factories near Delhi are selling sugar in the open market at the rate of Rs. 525 per quintal while they issue cash memos of Rs. 425 per quintal. What steps Government have been taking to check this and whether Government would review its policy ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरा विचार है कि यदि कारखाने जाली हिसाब किताब रख रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कँवर लाल गुप्त : आप क्या कार्यवाही करेंगे ? मैंने यही तो पूछा है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक चीनी की खुली बिक्री का सम्बन्ध है, किसी भी प्रकार का मूल्य नियंत्रण नहीं है । अब, मेरी समझ में नहीं आता कि इन परिस्थितियों में ये मिल जाली हिसाब किताब क्यों रखेंगे । परन्तु मैंने माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कहा है कि यदि कारखाने जाली हिसाब किताब रख रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : अब बारह बजकर 1 मिनट हो गया है । प्रश्न काल समाप्त हुआ । अल्प सूचना प्रश्न । श्री राजशेखरन--वह अनुपस्थित है ।

श्री स० मो० बनर्जी : चीनी का कुल उत्पादन कितना हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमने चीनी के प्रश्न पर लगभग 50 मिनट खो दिये हैं । खाद्य पर चर्चा चल रही है और आप चोनी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । परन्तु 45 मिनट के बाद भी मैं सब सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सका हूँ । अभी कुछ और सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं । यदि मंत्री महोदय ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिये हैं, तो जैसा मैं कह रहा हूँ, जानकारी प्राप्त करने के और भी तरीके हैं । आज केवल कुछ प्रश्नों का ही उत्तर दिया गया है और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर रह गया है । मैं दलों के नेताओं से यह जानना चाहता हूँ कि अध्यक्ष इस मामले में क्या कर सकते हैं । आपको आज अवसर नहीं मिल सका है और यदि कल भी ऐसा ही होता है तो मैं पूरे प्रश्न काल में केवल एक प्रश्न की ही अनुमति दूँगा ।

श्री बलराज मधोक : जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि कम से कम कुछ सदस्य तो "ना" कहते हैं । मेरे विचार से एक प्रश्न के लिये 5 मिनट का समय ठीक है । मेरी दल के नेताओं से प्रार्थना है कि है कि वे मेरी सहायता करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : आपको स्वैच्छिक शक्ति भी तो प्राप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में बहुत विवश हूँ ।

श्री हेम बरुआ : आपको संसद ने सभी शक्तियाँ दे रखी हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

परमाणु खनिज पदार्थों की खोज

* 397. **श्री पार्थसारथी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1967 में धातु और खान से सम्बन्धित केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन श्रीनगर में हुआ था और उन्होंने यूरेनियम जैसे परमाणु खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में समूचे देश में व्यापक खोज करने का निश्चय किया था; और

(ख) यदि हां, तो खोज के लिये किन-किन स्थानों को चुना गया है और क्या यूरेनियम और थोरियम का पता लगाने के लिये इन राज्यों को पर्याप्त मात्रा में गाइगर-गणक विकिरण परिचयन के उपकरण दिये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) आणविक खनिजों का अन्वेषण तथा विदोहन आणविक शक्ति विभाग की ही जिम्मेदारी है । अतः इस प्रश्न पर 28 और 29 सितम्बर, 1967 को भूविज्ञान तथा खनन के राज्य मंत्रियों की श्रीनगर में हुई बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई और न ही इस विषय पर कोई संकल्प पास किया गया ।

निर्यात संवर्धन अभियान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

*398 **श्री वामानी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन अभियान को उन्नतिशील बनाने के हेतु वाणिज्य दूतों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तृत प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो पहले दल में कितने प्रशिक्षणार्थी रखे गये है; और

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय वैदेशिक सेवा के अधिकारियों के लिये विदेशी व्यापार के भारतीय संस्थान द्वारा दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

(ख) दोनों पाठ्यक्रमों में क्रमशः 2 तथा 15 अधिकारियों ने भाग लिया ।

(ग) पहला पाठ्यक्रम जो एक सप्ताह तक रहा उसका आयोजन भारतीय वैदेशिक सेवा (ग्रेड ए) के उन अधिकारियों का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया गया जो अपने वाणिज्यिक नियोजन पर पश्चिमी यूरोप जा रहे थे । पाठ्यक्रम में ये विषय शामिल थे—आर्थिक सिद्धान्त, टैरिफ, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याएँ, यूरोपीय साझा बाजार तथा एफ्टा की अर्थ-व्यवस्था का विश्लेषण तथा पश्चिमी यूरोप के बाजार की विशेषताएँ ।

भारतीय वैदेशिक सेवा (ग्रेड बी) के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम 5-1/2 महीनों तक चला तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की घटनाओं को पर्याप्त रूप से समझने वाले अधिकारियों का संवर्ग तैयार करने के लिये इसका आयोजन किया गया था । पाठ्यक्रम का उद्देश्य

विदेशों में भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक विभागों में उत्तरदायित्व सम्भालने के लिये सक्षम अधिकारियों का संवर्ग तैयार करना था।

चाय-बोर्ड की शक्तियाँ

399. **श्री देवकीनन्दन पाटौदिया : श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री न० कु० सांघी : श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय-बोर्ड ने अपनी वर्तमान प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) इस समय बोर्ड को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड ने यह अनुभव किया कि उनके कार्य में इसलिए रुकावट आ रही थी कि उनके विचार में उनके पास पर्याप्त रूप में प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ नहीं थी।

(ग) वर्तमान चाय अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत ही चाय बोर्ड को कुछ बढ़ी हुई प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ देने का निश्चय किया गया है।

सरकार का संकटग्रस्त पटसन मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना

*400. **डा० रानेन सेन : श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संकटग्रस्त पटसन मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) संकटग्रस्त पटसन मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का कोई विशेष प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला आसवन संयंत्र

*401. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोकिंग कोयले से कार्बनिक तथा अकार्बनिक उपोत्पाद प्राप्त करने के लिये हमारे देश में केवल एक प्रतिशत कोयला खानों में ही कोयला आसवन संयंत्र है, जिसका परिणाम यह है कि बहुमूल्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, जिसमें अमोनिया और गन्धक भी शामिल है, बहुत बड़ी मात्रा में बेकार हो जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो आसवन के लिये तथा उपोत्पाद प्राप्त करने के लिये संयंत्र लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) पाँच कोयला खानें हैं जिनमें कोयला आसवन प्लांट उप-पदार्थ प्राप्त करने के लिये लगाये गये हैं। लगभग 40 कोयला खानें बी-हाइव कोक उत्पादन करती हैं परन्तु उप-पदार्थ प्राप्त नहीं करती। चूँकि ये कोयला खाने छोटा हैं यहाँ पर उप-पदार्थ प्राप्त करने के प्लांट लगाना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

*402. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री राममूर्ति :**
श्री गणेश घोष : श्री भगवान दास :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अक्तूबर, 1967 से कम उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हाँ, तो जाँच का क्या निष्कर्ष निकला है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोरिया को लौह अयस्क की सप्लाई

403. **श्री मरण्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उलसेन स्थित कोरियाई इस्पात कारखाने को प्रति वर्ष 20 लाख टन लौह अयस्क की सप्लाई सम्बन्धी एक करार पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है और इस करार के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोरिया से कोई प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था और क्या किसी करार पर हस्ताक्षर हुये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो करार की मुख्य शर्ते क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कोरिया ने अपने इस्पात संयंत्र के लिये भारत से कुछ लौह अयस्क आयात करने के लिये पूछताछ की थी । अभी कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कोरिया से एक प्रतिनिधिमण्डल अगस्त 1967 में भारत आया था । बातचीत अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है । अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुये हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Chain Pulling Incidents

*404. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Ramji Ram:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Shri Y. S. Kushwah:
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that incidents of Chain pulling in trains by Students still continue;

(b) whether it is also a fact that at some places railway employees have been badly beaten up; and

(c) if so, the preventive steps taken in this connection?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Some incidents of this nature have taken place on certain railways.

(c) In addition to blanking off of the alarm chain apparatus on certain trains on which chain pulling is heavy, the following measures are being taken to reduce the incidence of alarm chain pulling:

(i) conducting educative campaigns in the Press, through posters, cinema slides, etc. and by announcements on the public address system provided at important Stations;

(ii) creating consciousness among the students about the evils of alarm chain pulling through the Heads of the Institutions as well as through senior railway officers giving lectures in the institutions;

(iii) Posting of plain clothed TTEs and Railway Protection Force men in 3rd class compartments;

(iv) conducting surprise checks by anti-alarm chain pulling squads consisting of TTEs and Railway Protection Force personnel on some railways;

(v) arranging surprise raids for ambushing of miscreants at places noted for unauthorised chain pulling.

(vi) introduction of a scheme of awarding cash upto Rs. 50 to those persons who help the railway administrations in detecting and in prosecuting the offenders in a Court of Law.

रूरकेला इस्पात कारखाने में कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच झगड़ा

*405. **श्री प० गोपालन:**
श्री एस्थोस:
श्री नम्बियार:
श्री नायनार:
श्री अब्राहम:

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के झगड़े को निपटाने में काफी विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं और झगड़ा न निपटाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने झगड़े को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) रूरकेला इस्पात कारखाने के मजदूर संघों द्वारा उठाये जाने वाले झगड़ों का निपटारा पुरानी प्रक्रियाओं के अनुसार यथासम्भव शीघ्र कर दिया जाता है । झगड़ों के अलावा संघों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न मांगों पर प्रबन्धक विचार करते हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांग इस समय वार्षिक बोनस में वृद्धि करने के बारे में है। जब तक बोनस के मामले पर निर्णय नहीं हो जाता है. प्रबन्धकों और मजदूर संघों के बीच 19 अक्तूबर, 1967 को हुए समझौते के अनुसार यह बात स्वीकार कर ली गई है कि वार्षिक बोनस के भुगतान के बारे में विभिन्न विचार विमर्शों पर विचार करने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के बीच एक उच्च-शक्ति प्राप्त सम्मेलन बुलाया जाये। इस सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा ।

Increase in Railway Fares and Freights

*406. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any proposal to increase the railway fares and freights is under the consideration of Government;

(b) if so, the reasons for this increase; and

(c) the time by which it will be enforced ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No, Sir. There are no proposals at present under consideration for a general increase in freights and fares.

(b) and (c) Do not arise .

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को मशीनों की सप्लाई

*407. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने कुछ विशेष मशीनों की सप्लाई के लिए 1966 में कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स को 20 लाख रुपये का एक आर्डर दिया था ;

(ख) क्या उक्त आर्डर के अन्तर्गत पहली मशीन मई, 1967 में लगाई गई थी तथा दोषयुक्त पाई गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इसका कारण मशीनों का निर्माण के समय हिन्दुस्तान केबल्स के अधिकारियों द्वारा उपयुक्त निरीक्षण नहीं किया जाता था ; और

(घ) इससे पहले कि करार के अनुसार शेष मशीनें प्राप्त हों, क्या इस मामले में कोई जांच की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) पहली मशीन जून, 1967 में लगाई गई थी। इससे पहले ये मशीनें आयात की जाती थीं। देश में बनी यह अपने किस्म की पहली मशीन थी। इस मशीन का निरीक्षण मेसर्स हिन्दुस्तान केबल्स के इन्जीनियरों ने उत्पादकों के कारखाने में ही किया था और इसे पूर्ण उपयुक्त पाया। फिर भी जब इस मशीन से हिन्दुस्तान केबल्स कारखाना, रूप नारायणपुर में उत्पादन प्रारम्भ किया गया तो उनमें कुछ खराबियाँ देखी गई जिनका पता निरीक्षण से नहीं चलता था। इन खराबियों को कारखाने में ही ठीक कर लिया गया था। आर्डर से प्राप्त की गई इस पहली मशीन के संचालन तथा उन छोटी खराबियों से जो मशीन में पाई गई थीं, से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों को भविष्य में सम्भरण की जानी वाली मशीनों के बारे में कुछ सुधार सुझाए गए हैं। इसमे किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है।

उद्योगों सम्बन्धी प्रौद्योगिकीय उन्नति

*408. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हुई उद्योगों सम्बन्धी प्रौद्योगिकीय उन्नति का पता लगाकर अपने देश में उद्योगों में उसका लाभ उठाने की सम्भावना का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई अधिकरण स्थापित किया है ; और

(ख) सरकार ने इस उद्देश्य के लिए क्या कार्यवाही की है कि आधुनिकतम और प्रौद्योगिकीय जानकारी भारतीय उद्योगों को उपयोग में लाने के लिए दी जाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) विदेशी सहयोग के संबंध में मुदलियार समिति द्वारा सरकार को दी गई रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला को इस बात के लिए जिम्मेदार बना दिया जाय कि वह अपने-अपने क्षेत्र में आने वाली जानकारी के बारे में संसार में अन्य कहीं भी जिस प्रकार के ज्ञान का विकास हुआ हो वह उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करे और उसे विकास परिषद अथवा तकनीकी नामिका तथा दूसरे सम्बद्ध तकनीकी अधिकारियों को उपलब्ध कराये। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तकनीकी विकास के महा निदेशालय के अधिकारी भी भारतीय उद्यमियों को जहाँ तक सम्भव हो सकता है नवीनतम विकास तथा परामर्श देने का प्रयास करते हैं।

एक नये इस्पात कारखाने का स्थापित किया जाना

*409. **श्री जो० ना० हजारिका** :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणधीर सिंह :
श्री शशि भूषण बाजपेयी :
श्री हेम बरुआ :
श्री स० कुन्दू :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम में एक नये इस्पात कारखाने की स्थापना की सम्भावना पर अग्रेतर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या मद्रास की सरकार ने मद्रास में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की पेशकश की है और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं और इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) चौथी योजना में एक नया इस्पात कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता और उसके लिये साधनों की उपलब्धता के समूचे प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ग) मद्रास सरकार ने सेलम में एक ऐसा लौह और इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये, जिसमें 220,000 टन साधारण इस्पात और 225,000 टन घटिया किस्म का धातुमिश्रित इस्पात पैदा होगा, औद्योगिक लाइसेंस माँगा है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूंजीगत उपकरणों पर 56 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी । उन्होंने अपने आवेदनपत्र में यह भी लिखा है कि कारखाने की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिये जापान से सहायता मिलने की आशा है हालांकि रॉयलटी, तकनीकी जानकारी की फीस आदि के विस्तार के बारे में बात-चीत की जायेगी ।

2. जब तक भारत सरकार स्वयं यह निर्णय नहीं कर लेती है कि नया इस्पात कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये या नहीं, औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है ।

राखा तथा दरीबा में तांबे के निक्षेप

*410. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राखा तथा राजस्थान में दरीबा के ताँबे के निक्षेपों से तांबा निकालने के लिए कोई योजनायें बनायी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हाँ, महोदय ।

(ख) इस समय राखा तांबा निक्षेपों के विकास की योजना से एक हजार टन अयस्क प्रतिदिन उत्पादन करने का विचार है । प्रस्ताव है कि निक्षेप के स्थान पर अयस्क का संकेन्द्रण किया जाय तथा उसका प्रद्रावण अन्य स्थान पर करवाया जाय । लगभग 3,500 टन तांबा धातु प्रति वर्ष उत्पादन होने का अनुमान है । साथ ही साथ एक और ज्यादा बड़ी खान का निर्णय करने के लिये और विस्तृत विदोहन करने का प्रस्ताव है ।

दरीबा में निक्षेपों के विकास की योजना के अन्तर्गत एक नई खान खोल कर 250 टन अयस्क प्रति दिन उत्पादन करने तथा एक संकेन्द्रक स्थापित करने का विचार हैं । इन निक्षेपों से 1400 टन तांबा धातु प्रति वर्ष निकलने का अनुमान है ।

(ग) राखा में 100 टन अयस्क प्रति दिन के सीमित उत्पादन पर लगभग 6.98

करोड़ रुपये पूंजी लागत आयेगी। इसके अतिरिक्त विस्तृत अन्वेषण कार्यों पर लगभग 1.51 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

दरीबा परियोजना पर 1.81 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत आएगी।

आयात नीति को उदार बनाना

*411. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात के मामले में एक उदार नीति अपनाने से उद्योगों के कार्यकरण पर, विशेष कर निर्यात के बारे में, पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या सरकार का विचार आयात के मामले में उदारता बरतने की वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो नीति में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात से नमक का निर्यात

*412. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात से 3.5 लाख मीट्रिक टन की वर्तमान दर के स्थान पर 1967-68 के लिए गुजरात से 10 लाख मीट्रिक टन नमक के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम, जिसके जरिये गुजरात से निर्यात किया जाता हैं, निर्यात मूल्य को 22 शिलिंग प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 21 शिलिंग प्रति मीट्रिक टन करने का विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, नहीं। वर्ष 1967-68 के लिये समस्त भारत से 5 से 6 लाख मी० टन नमक के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) वर्ष 1966 तथा 1967 की संविदाओं के लिये जापान को नमक के निर्यात का मूल्य वही था, अर्थात् 2.94 डालर प्रति मे. टन (पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन-पूर्व के 21 शिलिंग के बराबर) था। मूल्यों में कोई कमी करने का विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिड़ला बंधुओं की कपास मिल

*413. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 14 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1167 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं की कपास मिलों पर मारे गये छापे में पकड़े गये कागजातों की सरकार ने जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) और (ख) जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

मैसर्स बेनट कोलमैन एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

*414. **श्री कामेश्वर सिंह : श्री ओंकारलाल बेरवा :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 11 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बेनट कोलमैन एण्ड कम्पनी के श्री एस० पी० जैन तथा अन्य निदेशकों के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा इस समय किस अवस्था में है ;

(ख) इस मुकदमे को पूरा होने और उसका निर्णय दिये जाने में और कितना समय लगेगा ;

(ग) देरी के क्या कारण है, और

(घ) यदि इस मुकदमे का निर्णय हो गया है तो इस सम्बन्ध में सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 388बी के अन्तर्गत, सर्वश्री एस० पी० जैन, जी० सी० जैन ए० पी० जैन तथा पी० के० रौय के विरुद्ध मिसिल किये गये केस की कार्यवाही, अभी तक कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत रोक आदेश के अधीन है। जैसा कि 11 अगस्त, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8918 के उत्तर में कहा गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह रोक आदेश, सर्वश्री एस० पी० जैन, तथा ए० पी० जैन द्वारा, उनकी मिसिल की गई लिखित याचिकाओं के खारिज करने पर उक्त न्यायालय की एक मात्र न्याय पीठ के आदेश के विरुद्ध मिसिल की गई अपीलों के निपटारे निलंबित होने से, स्वीकृत किया गया था। इन लिखित याचिकाओं में उन्होंने, धारा 388 बी के उपबन्धों तथा अन्य संबधित उपबन्धों की विधि मान्यता पर आपत्ति की थी। इन अपीलों की सुनवाई के लिये अब, 11 दिसम्बर 1967 तैनात की है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 398 के अन्तंगत मिसिल की गई याचिका बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अभी नियमित सुनवाई के लिये, नहीं ली गई है, क्योंकि माननीय जज, जिनको यह केस सौंपा था, एक निर्वाचन याचिका में व्यस्त हैं । यह आशा की जाती है कि इस केस की दिन प्रति दिन की सुनवाई तथा साक्षियों को अभिलेखबद्ध करना, जनवरी 1968 तक पुन: आरंभ किये जायेंगे ।

(ख) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 8918 के उत्तर में कहा गया था, कि इन केसों के उच्च न्यायालय के समक्ष होने से, उनके निपटारे के लिये समय सूचित करना कठिन है।

(ग) श्री एस० पी० जैन तथा अन्यों के द्वारा विलम्बकारी व्यूह कौशल अपनाने तथा

तकनीकी आधार पर अपीलों तथा लिखित याचिकाओं के मिसिल करने से, देर हो रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में रेलवे कालोनियां

*415 **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **रलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रेलवे कर्मचारियों तथा दिल्ली के महापौर के साथ हाल में दिल्ली में रेलवे कालोनियों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन रेलवे कालोनियों के निवासियों की क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा०) :

(क) जी, हां ;

(ख) और (ग) इन कालोनियों के निवासियों की शिकायतें प्राय : शौचालयों का पर्याप्त संख्या में न होना, जल निस्सारण व्यवस्था का ठीक न होना, नलकों में पानी का दबाव कम होना, सफाई की बुरी स्थिति और सड़कों की देखभाल के बारे में थीं। चालू तथा वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम के अनुसार जहाँ जहाँ आवश्यक समझा गया है। अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था करने / साधारण शौचालयों के स्थान पर फ्लश वाले शौचालय बनाने, नलकों में पानी का दबाव बढ़ाने तथा नालियों, सड़कों आदि की मरम्मत करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कार्य-संचालन

*416. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य-करण की जाँच करने के लिए अनुसचिवीय अधिकारियों का एक दल अगस्त, 1967 में रांची गया था;

(ख) क्या इस दल ने देखा कि अत्यधिक लागत पर स्थापित की गई बहुत अधिक क्षमता प्रयोग नहीं की जा रही है तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बीच परस्पर दोषारोपण करने के सम्बन्धों के कारण स्थिति अधिक गम्भीर हो गई है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन कारखानों के कार्य-संचालन तथा लाभप्रदता में सुधार करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) भारी मशीन निर्माण संयंत्र में 70-71 तक कोई भी अप्रयुक्त क्षमता नहीं है, किन्तु फाउन्ड्री फोर्ज और भारी मशीनी औजार संयंत्र मे है इसका कारण एच० ई० सी० और एच० एस० एल के सम्बन्धों में किसी प्रकार की वैमनस्य का होना नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि दोनों के सम्बन्ध अच्छे हैं।

(ग) संयन्त्रों के कार्यसंचालन और उपादेयता का लगातार निरीक्षण किया जाता है और इन संयंत्रों को आर्डरों से लाद रखने तथा उत्पादन में जहां तक सम्भव हो सके विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मैसूर में लौह अयस्क के खनन के लिए विदेशी सहयोग

*417. **श्री यशपाल सिंह :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में कुडेरमुख मैगनेटाइट लौह अयस्क के निक्षेपों के खनन के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) विदेशी इंजीनियरों को इस सम्बन्ध में जो विदेशी मुद्रा दी जायेगी, उनकी राशि क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) मैसूर के कुदेरमुख मैगनाटाइट कच्चे लौह के जिन निक्षेपों का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० ने पूर्वेक्षण किया है, उनका विस्तृत अनुसंधान और विदोहन करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इन निक्षेपों के वाणिज्यिक विदोहन से पूर्व आवश्यक धातुकार्मिक जांच तथा पाइलट प्लाट अनुसंधान करने के कार्य में तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रस्ताव एक अमरीकी फर्म तथा उसके तीन जापानी सहयोगियों से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस परियोजना के विकास में मैगनाटाइट लोहा अयस्क को कम करने, अलग करने तथा अभिपिंडन की जटिल प्रौद्योगिकी निहित है तथा खान से बन्दरगाह तक पाइप लाइन तथा वाहकों द्वारा परिवहन की कठिन समस्याएं भी हैं। यह जटिल परियोजना अपने ही प्रकार की भारत में पहली परियोजना है और उसके चालन में विशेषज्ञ तकनीकी ज्ञान आवश्यक कारक है। अतः पाइलट प्लांट की जांच, खान तथा प्लांट की धातुकार्मिक सामग्री तथा आकल्प का निर्वचन और बन्दरगाह तक की परिवहन योजना का डिजाइन बनाने के कार्यों को पूरा करने के लिये एक समक्ष अनुभवी भागी के साथ सहयोग करना आवश्यक समझा जाता है।

(ग) विदेशियों द्वारा लिये जाने वाले भाग के विस्तारों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः इस अवस्था पर यह बताना सम्भव नहीं है कि विदेशी इंजीनियरों को विदेशी मुद्रा की कितनी राशि देनी पड़ेगी।

बिमलगढ़ से तालचेर तक रेलवे लाइन

*418. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा उड़ीसा की जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बिमलगढ़ से तालचेर तक शीघ्र एक रेलवे लाइन बनाने पर बल दिया गया है ताकि रूरकेला से तैयार किया गया माल पारादीप पत्तन के रास्ते निर्यात किया जा सके ; और

(ख) क्या इस लाइन का फिर से सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस लाइन को बनाने के लिये विशेष रूप से अब तक कोई प्रार्थना नहीं की है हालांकि उड़ीसा के लोगों से बहुत से अभ्यावेदन आये हैं।

(ख) इस लाइन का नये सिरे से सर्वेक्षण करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इसको तुरन्त निर्माण करने में कोई औचित्य नहीं है। दूसरे सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस नई लाइन पर इस समय खर्च करना ठीक नहीं है।

टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन

*419. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग के लिए 'सैन्ट्रीफ्यूगल मशीनें और 'हीट ट्रीटमेंट' उपकरणों का निर्माण करने के लिए मार्च, 1964 में टैक्सटाइल मशीनरी कार्पोरेशन (कलकत्ता) को लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी ने अभी तक लाइसेंस के अनुसार काम लाना आरम्भ नहीं किया है और चार वर्ष के पश्चात लाइसेंस को लौटा दिया है ; और

(ग) सरकार इस मामले में और ऐसे अन्य मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हां।

(ग) यह लाइसेंस विशेष रद्द कर दिया गया था । विभिन्न पार्टियों को दिये गये लाइसेंसों को कार्यान्वित किये जाने की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जिन लाइसेंसों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं होती उन्हें रद्द कर दिया जाता है ।

Small Car Project for Nagpur

2592. **Shri Deo Rao Patil**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the reasons advanced by the Vidarbha Industries Association, Nagpur in their demand to locate the Small Car Project at Nagpur; and

(b) whether their demand has been considered and a decision taken and, if so, the nature thereof ?

The Minister of Industrial Development And Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) The reasons advanced by the Vidarbha Industries Association for the location of the Small Car Project at Nagpur mainly are:

(i) Historically, Nagpur being a city which has lost the status of the capital of a state needs to be rehabilitated. Steps have to be taken to sustain the tempo of industrialisation of Nagpur City. Besides industrialisation of Vidarbha is linked with the growth of Nagpur as an industrial centre.

(ii) Geographically, the importance of Nagpur City, with its central location in the country and adequate availability of communications, is obvious.

(iii) Educationally, Nagpur city has a network of institutions for advanced technical education and training.

(iv) The location of the car unit at Nagpur will assist in the growth of industries in the backward regions of Marathwada and Vidarbha.

(b) The demand of the Vidarbha Industries Association will be considered along with other similar requests when a final decision in regard to the establishment of a Small Car Project is taken.

लोहे के स्लीपर

2593. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 1966-67 अथवा 1967-68 में गैर-सरकारी क्षेत्र को 8½ करोड़ रुपये के लोहे के स्लीपरों की सप्लाई करने के लिये आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों / फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें ये आदेश प्राप्त हुए हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) ढले लोहे के स्लीपरें खरीदने के लिये 1966-67 में कोई क्रयादेश नहीं दिये गये थे, परन्तु 1967-68 के लिये 4 करोड़ 30 लाख रुपये के क्रयादेश दिये गये हैं;

(ख) 1967-68 में जिन फर्मों को क्रयादेश दिये गये हैं उनकी सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1814/67]

पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति

2594. **श्री बाबू राव पटेल**: **श्री समर गुह** :
श्री हेम बरुआ : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री शारदा नन्द** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तथा पश्चात् पाकिस्तान द्वारा पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान दोनों में अलग-अलग कितने मूल्य की भारतीय सम्पत्ति जब्त की गई थी तथा उस सम्पत्ति का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ;

(ख) संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान में जब्त की गई, कब्जे में ली गई विभिन्न भारतीय फर्मों के मालिकों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस सम्पत्ति को वापस लेने के लिये हमारी सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और उसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान सरकार से प्राप्त हुए मुआवजे की राशि, स्वरूप तथा मूल्य क्या हैं ; और

(घ) विभाजन के बाद विभिन्न मदों के अन्तर्गत पृथक पृथक रूप से पाकिस्तान को इस समय में कुल कितनी रकम देनी है और इस राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) कई भारतीय राष्ट्रिकों के पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ही में स्वत्व थे। इसलिये उन्होंने शत्रु-सम्पत्ति के अभिरक्षक के समक्ष संयुक्त दावे पेश किये। एक समेकित विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में ही भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा उठाई गई हानि के ब्योरे दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1815/67**]

(ख) भारतीयों की 190 वाणिज्यिक फर्में तथा 10 बैंक पाकिस्तान द्वारा जब्त कर लिये गये हैं। भारत सरकार को इसकी निश्चित जानकारी नहीं कि इनमें से कितनी फर्में पाकिस्तान सरकार द्वारा नीलाम कर दी गई है।

(ग) भारत सरकार, ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद आठवें के अनुसार, जब्त की गई सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों की वापसी के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने हेतु पाकिस्तान सरकार से अनुरोध करती रही है। फिर भी, अब तक लगभग 70 लाख रुपये मूल्य के 'सहायता' माल को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों में से किसी को भी वापस लेना सम्भव नहीं हो सका है।

(घ) विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजन के पश्चात भारत की पाकिस्तान पर जो धन राशि शेष है उसका निर्णय अभी किया जाना है और सरकार अपनी परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों के वापस लेने के लिये पाकिस्तान को राजी करने के लिये सतत प्रयत्नशील है। परन्तु प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में संलग्न विवरण में वह धनराशि शामिल नहीं है जो पाकिस्तान पर विभाजन के ऋण तथा विभाजन के पश्चात अन्य दावों के कारण पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत सरकार को देय है।

संयुक्त कारखाना समिति

2595. **श्री दामानी :** **श्री मणीभाई जे० पटेल :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त कारखाना समिति को संविहित निकाय का रूप देने के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (तृतीय लोक सभा) के 68वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश संख्या 3(14) के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) संयुक्त कारखाना समिति को संविहित निकाय का रूप देने के बारे में विचार किया गया था परन्तु यह निर्णय किया गया था कि इसे फिल्हाल इसी रूप में काम करते जाना चाहिये ।

यदि इसके कार्यसंचालन में कोई विशेष कठिनाइयां अनुभव हुई तो स्थिति पर, यदि आवश्यक समझा गया, बाद में पुनर्विचार किया जा सकता है ।

संयुक्त कारखाना समिति के भावी कार्यों और उनके पुनर्गठन के प्रश्न पर तदर्थ समिति द्वारा विचार किया जा रहा है बशर्ते कि 1 मई, 1967 से पूरी तरह से नियंत्रण हट जाता है ।

शिशु आहार का उत्पादन

2596. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शिशु आहार उत्पादकों की संख्या कितनी है, उनके नाम क्या हैं और वे कहां कहां हैं तथा प्रत्येक उत्पादक द्वारा वार्षिक उत्पादन (मात्रा तथा मूल्य में) कितना किया जाता है ;

(ख) शिशु आहार बनाने वाले विदेशी स्वामित्व वाले समवायों की संख्या कितनी है, उनके नाम क्या है और उनके द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है और उनमें से प्रत्येक के पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष भारत से बाहर अपने लाभ की कितनी राशि भेजी है; और

(ग) शिशु आहार के इन उत्पादकों में से प्रत्येक को पिछले तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई तथा उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में विदेशों से किन-किन वस्तुओं का वर्षवार कितना कितना आयात किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ग) दो विवरण नत्थी हैं (अनुबन्ध 1 और अनुबन्धन 2) [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 1816/67]

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शिशु आहार वार्षिक मांग

2597. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शिशु आहार की वार्षिक मांग कितनी हैं और अब देश में उसका वार्षिक उत्पादन (मात्रा तथा मूल्य में) कितना होता है; और

(ख) यदि उत्पादन कुछ कम है तो उसे किस प्रकार पूरा किया जाता है और यदि आयात द्वारा पूरा किया जाता है तो पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का शिशु आहार का आयात किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीनअली अहमद):

(क) वर्तमान का अनुमान 10,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष लगाया गया है, इस वर्ष अनुमानित उत्पादन 9,000 मीट्रिक टन होगा जिसका मूल्य 8 करोड़ रुपये होगा।

(ख) मांग पूरी करने के लिए अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में शिशु आहार का आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है।

शिशु आहार का स्टैंडर्ड

2598. **श्री बाबू राव पटेल:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि घटिया किस्म के शिशु आहार का उत्पादन न होने पाये, किस प्रकार के तथा कितने-कितने समय के पश्चात् रासायनिक तथा अन्य प्रकार के परीक्षण किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य निरीक्षकों ने ग्लैक्सो शिशु आहार के अनेक डिब्बों में कीड़े देखे थे; और

(ग) यदि हां, तो पिछली बार ऐसे कितने डिब्बे जब्त किये गये थे तथा उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी और इसी प्रकार मानवीय उपभोग के लिये अयोग्य पाये गये अन्य उत्पादों के नाम क्या हैं और उनके बारे में कब पता लगा था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) कच्चे दूध तथा उस से निर्मित उत्पादों पर उत्पादकों द्वारा प्रतिदिन भौतिक, रासायनिक तथा जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण किए जाते हैं।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नौपद-गुनपुर छोटी लाइन

2599. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर नौपद-गुनपुर छोटी लाइन सैक्शन पर वार्षिक खर्च कितना होता है तथा उससे वार्षिक आय कितनी होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सैक्शन पर भारी धन का गोलमाल हो रहा है ;

(ग) क्या इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 की कुल आय और व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल आय रुपये	कार्यकारी व्यय रुपये
1964-65	4,49,078	5,83,501
1965-66	4,71,733	6,87,908
1966-67	4,49,948	8,23,248

(ख) नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) इस सैक्शन पर बड़ी लाइन बनाना वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं समझा गया है।

Establishment of Small Car Project in Maharashtra

2600. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Government of Maharashtra have forwarded to the Central Government any schemes for the establishment of Small Car Projects and other industrial units including Cement factories in the Vidarbha region of Nagpur in Maharashtra; and

(b) if so, the details of the schemes and the action taken by Government in this regard?

The Minister of Industrial Development And Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) and (b) Government of Maharastra have not submitted any schemes for the establishment of small car projects in the Vidharbba region of Nagpur. They have however, supported a request from the Vidharbha Industries Association, Nagpur for the establishment of small car project at Nagpur. They have been told that, in case it is decided to proceed with the project their request will be considered along with similar requests from other States.

Information in respect of other industries is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

प्रबन्धक अभिकरण कमीशन

2601. **श्री मधु लिमये :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि वर्ष 1962 से लेकर

1967 तक की अवधि में कम्पनियों ने प्रबन्धक अभिकरण कमीशन के रूप में कुल कितनी राशि दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस अत्यावश्यक आँकड़ों को एकत्रित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वास्तविक विनियोजकों तथा अंश-धारियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के वित्तीय मामलों के अध्ययन से, पता चलता है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से, जिनका उन्होंने प्रबन्ध किया, प्राप्त कमीशन, 1960-61 से 1964-65, अन्तिम वर्ष, जिसकी सूचना प्रकाशित हो चुकी है, की अवधि के मध्य प्रति वर्ष 10.65 से 11.97 करोड़ रुपयों के मध्य विस्तृत था। यह भी उल्लिखित करना है कि प्रबन्धित कम्पनियों को प्रदत्त पूंजी के विषय में रिजर्व बैंक अध्ययन कुल के लगभग 75 प्रतिशत को आच्छादित करता है। यद्यपि 1965-66 तथा 1966-67 की विस्तृत सूचना अभी प्राप्त नहीं है, फिर भी इन वर्षों में दिया गया प्रबन्ध अभिकरण का कमीशन कम होगा क्योंकि शीघ्र ही प्रबन्ध अभिकरण प्रबंधित कम्पनियों की संख्या में अवनति हो गई है ।

(ख) आच्छादित कम्पनियों की संख्या से सम्बन्धित, 1960-61 से 1964-65 तक के वर्षो का ब्योरा, उद्योग जिन से यह सम्बन्धित है, तथा संबंधित कम्पनियों के लाभ में से, प्रत्येक वर्ष दिया गया कमीशन, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित हुआ है, संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1817/67**]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने, कम्पनी कानून के वर्तमान उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन की शर्त द्वारा, प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय कर लिया हैं ।

नेपाल से टेरीलीन के रेशों का आयात

2602. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि टैरीलीन के रेशे, मूल्यवान मिश्रित सूत तथा स्टेनलैस स्टील के बरतनों का भारत में आयात "लाल पुस्तिका" (रेड बुक) में निषिद्ध है, तथापि आयात पर प्रतिबन्ध नेपाल से आने वाले माल पर लागू नहीं होते ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि निषिद्ध माल आयात व्यापार नियंत्रण के उपबन्धों से बचकर, एक चक्करदार रास्ते से होकर देश के बाजारों से बड़ी मात्रा में आ रहा है, अर्थात् पहले

संश्लिष्ट रेशा, इस्पात की चादरें जैसा कच्चा माल नेपाल से आयात किया जाता है और फिर उससे माल तैयार करके, जैसे सूत स्टेनलैस स्टील के बरतन, भारत में आयात किया जाता है;

(ग) क्या कुछ व्यापार संगठनों ने इस प्रकार के विलासिता के मूल्यवान माल के आयात पर प्रतिबन्ध से बचने के इस चालाकीपूर्ण तरीके की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ; और

(घ) इस प्रकार के आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा तत्परता से कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (घ) भारत और नेपाल के मध्य व्यापार का विनियमन भारत तथा नेपाल के मध्य व्यापार तथा परिवहन संधि के उपबन्धों के अनुसार होता है। संधि के अनुच्छेद द्वितीय में व्यवस्था है कि दोनों में से किसी भी देश से चलने वाला माल यदि वह दूसरे देश में खपत के लिये हो तो उसे सीमा शुल्क तथा इसी प्रकार के प्रभारों से छूट दी जायगी और उस पर मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी नहीं लगाए जायेंगे परन्तु ऐसे आयातों पर समान भारतीय उत्पादों पर देय उत्पादन शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है जब तक कि उन्हें भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 2 (ए) के अधीन छूट न मिली हो। अभ्यावेदन भेजने वाले कतिपय व्यापारी संगठनों की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

दुर्गापुर धातुमिश्रित इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टर

2603. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातुमिश्रित इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने रिहायशी क्वार्टरों की खराब दशा की ओर दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस प्रश्न पर दुर्गापुर इस्पात कारखाने और धातुमिश्रित इस्पात परियोजना के अधिकारियों ने विचार किया था तथा स्थिति सामान्य कर दी गई है।

बिहार से कोयला

2604. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 14 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला निकालने के सम्बन्ध में बिहार के स्वायत्त शासन मंत्री के कथित भाषण का अधिकृत तौर पर प्रकाशित प्रति प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) कोयला निकालने के बारे में जो भाषण बिहार के स्वयात्त शासन मंत्री द्वारा दिया गया बताते हैं उसकी कोई प्रमाणिक या शब्दशः प्रति राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी। इस लिये उन्होंने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि उक्त भाषण का कोई शासकीय संस्करण नहीं दिया जा सकता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी रेलवे के रेलवे गोदामों से दालों का न छुड़ाया जाना

2605. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा पारेषणियों से माल उठाने के लिये बार-बार प्रार्थना किये जाने के बावजूद 27 अक्तूबर, 1967 को रेलवे के विभिन्न गोदामों से लगभग 15,000 टन दालें छुड़ाई नहीं गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे लोगों को माल छुड़ाने के लिये वाध्य करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) कलकत्ता क्षेत्र में रेलवे के विभिन्न माल गोदामों में 27 अक्तूबर, 1967 को सब मिला कर 2,581 टन दालें पड़ी थीं जो अभी छुड़वाई नहीं गई थीं।

इसके अतिरिक्त माल न छुड़वाये जाने वाले ऐसे 164 माल डिब्बो जिनमें दालें लदी थीं, हावड़ा में और 165 माल डिब्बे रामकिस्नोपुर में रोक लिये गये थे।

(ख) रेलवे के प्रशासकों के पास यह पता लगाने के कोई निश्चित साधन नहीं है कि पारेषणियें माल आने पर उसे छुड़वाते क्यों नहीं है परन्तु प्रायः ऐसा समझा जाता है कि कलकत्ता क्षेत्र में माल गोदामो में दालों का इकट्ठा होने के कारण बाजार में बनावटी कमी दिखाने और इसलिये मूल्य बढ़ाने की व्यापारियों की इच्छा थी।

(ग) यह आग्रह करने के लिये कि सम्बन्धित व्यापार संगठनों और माल छुड़वाने वाले एजेंटों को माल छुड़वाने के लिए उनके साथ बार-बार सम्पर्क स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार को स्थिति से अवगत कर दिया गया था ताकि वह जैसा मुनासिब समझे, उचित कार्यवाही कर सके। पूर्वी रेलवे प्रशासन ने 8 अक्तूबर और फिर 19 अक्तूबर को व्यापारियों और व्यापार संस्थाओं की बैठक बुलाई थी । चूंकि यातायात 'स्वयं' के लिये बुक था और इसलिये पारेषणियों का पता नहीं था अतः भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत पारेषकों को नोटिस दे दिया गया था कि वे सामान को छुड़वायें ।

Survey of Mineral in Madhya Pradesh.

2606. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether any plan for carrying out a survey of minerals and extracting them has finally been drawn up in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, whether Government propose to chalk out such a plan for Madhya Pradesh?

The Minister of Steel, Mines And Metals (Dr. Channa Reddy):

(a) and (b) During the field season 1967-68, the Geological Survey of India proposes to undertake preliminary mineral survey and geological mapping in Bastar, Dhar, Surguja, Raipur, Raigarh, Ratlam, Mandasaur, Hoshangabad, Damoh, Sagar, Guna, Shahdol and Datia districts. Reconnaisance for Kyanite in Balaghat, Andalusite in Jabalpur; investigation of lead in Surguja and Hoshangabad, Chromite in Balaghat and detailed investigations by drilling for bauxite in Mandla and Bilaspur districts; iron are in Bastar district; limestone in Bastar, Bilaspur Rewa and Jabalpur districts and for Coal in Surguja and Betul districts are also proposed to be undertaken.

(c) Does not arise.

Small Scale Industries in Madhya Pradesh

2607. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the names and details of such small scale industrses as are liely to be closed down in Madhya Pradesh due to paucity of funds;

(b) the action taken by the Central Government for assisting each of those industries; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected from the concerned authorities and will be placed on the Table of the House.

Stopping of Trains Between Habibganj and Bhopal Stations.

2609. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that because of no signal provisions, passenger trains bound for Bhopal from Itarsi side usually stop between Habibganj and Bhopal railway stations and as a result hundreds of passengers leave the train; and

(b) if so, whether Government have taken steps to check this and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. Suitable signalling arrangements exist at Habibganj and Bhopal stations and there is no lack of signalling provisions. However, on certain occasions, passenger carrying trains from Itarsi direction are held up outside signals for reception difficulties at Bhopal due to late running of trains and non-availability of platforms and due to unauthorised pulling of alarm chains. Some passengers do get down but their exact number is not known.

(b) Yes. Every effort is made to keep a platform line clear for an approaching passenger train. There is also a proposal for construction of an additional platform at Bhopal station. Steps are also being taken to prevent unauthorised pulling of alarm chain outside signals.

सिने आर्क कार्बन यूनिट

2610. **श्री दामानी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सिने आर्क कार्बन यूनिटों ने उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात करने की भारत के राज्य व्यापार निगम की आयात नीति के बारे में शिकायत की है;

(ख) क्या बहुत अधिक मात्रा में आयात के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, हां। स्वदेशी निर्माताओं की ओर से उनके द्वारा निर्मित किस्म के साइन आर्क कार्बनों के राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये जाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली थीं परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य व्यापार निगम उनका आयात जनवरी, 1967 से पूर्व की गयी संविदाओं के अन्तर्गत कर रहा है। इस तिथि को भारत में निर्मित साइन आर्क कार्बनों के आयात पर रोक लगा दी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केले को लाने ले जाने पर रेलवे माल भाड़ा

2611. **श्री राणे :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को 1961-62 से 1966-67 तक प्रति वर्ष स्टेशनवार रेवर, निम्मोरा, सावदा, भुसावल, जलगांव और पंछोरा स्टेशनों पर केले लाने ले जाने से रेलवे माल भाड़े के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) उक्त अवधि में इन स्टेशनों पर केला उत्पादकों, व्यापारियों तथा अन्य यात्रियों की सुविधाओं पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय केलों को डिब्बों में भरने से पूर्व उन्हें रखने के लिये स्टेशन पर पर्याप्त क्षेत्र में और 'अप' और 'डाउन' यात्री प्लेटफार्मों पर जहां शैड नहीं है, शैड बनाने का विचार कर रहा है।

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1818/67]

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1818/67]

(ग) सावदा के सिवाय, सब स्थानों पर ढके स्थान पर्याप्त समझे गये हैं तथा उनका विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। सावदा में लदान वाले प्लेटफार्म पर छत को लम्बा करने का विचार है।

जहाँ तक प्लेटफार्मों पर छत की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है ऐसी सुविधाओं का काम रेलवे प्रयोक्ता सुविधा समिति की सलाह से, जो विभिन्न स्टेशनों की आवश्यकताओं और धनकी उपलब्धता पर विचार करती है। कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। केवल भुसावल में प्लेटफार्म नंम्बर एक पर छत डालने के प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है।

गुजरात में हथकरघों और विद्युत चालित करघे के कपड़े का उत्पादन

2612. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में गुजरात में हथकरघे तथा विद्युत चालित करघे के कपड़े का पृथक पृथक कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि में हथकरघों और विद्युत-चालित करघों में कितना कितना धागा प्रयोग में लाया गया;

(ग) हथकरघों तथा विद्युत चालित करघों में विभिन्न कांउटों (नमूनों) का कितना कितना धागा प्रयोग में लाया गया; और

(घ) उक्त अवधि में गुजरात को राज्य में हथकरघा तथा विद्युत-चालित करघा उद्योग का विकास करने के लिये कितना धन दिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) 4·40 लाख रुपये।

पश्चिम रेलवे में छोटी लाइनें

2613. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बड़ौदा सैक्शन पर छोटी लाइनों को सुधारने के सम्बन्ध में कोई और कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि छोटी लाइनों पर यात्रियों की बहुत भीड़ रहती है और रेल गाड़ियों में स्थान की कमी के कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या इस सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) प्रताप नगर और छोटा उदयपुर के बीच चलने वाली 215 डाउन/216 अप तेज यात्री

गाड़ियों को 15 जून, 1966 से प्रताप नगर और जम्मूसार के बीच चलाना आरम्भ कर दिया गया है। 1966-67 में बड़ौदा डिवीजन भर में छोटी लाइन के स्टेशनों पर लगभग 99,600 रुपये की लागत की यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। 1967-68 में लगभग 1,12,600 रुपये खर्च करके वैसी सुविधायें प्रदान करने का विचार है।

(ख) वैसे तो स्थान की कमी के कारण प्रायः कोई कठिनाई नहीं होती है परन्तु बड़ौदा डिवीजन के छोटी लाइन के कुछ सैक्शनों पर गरमियों के महीनों में कुछ भीड़ भाड़ देखी गई है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) यह देखने के लिये कि छोटी लाइन के इन सैक्शनों को बड़ी लाइन में बदला जाये, या उन्हें वैसे ही रहना दिया जाये अथवा उन्हें समाप्त कर दिया जाये, अध्ययन किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे में डीजल-चालित इंजन

2614. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पश्चिम रेलवे पर कुल कितने डीजल-चालित रेलवे इंजन चल रहे हैं ;

(ख) क्या डीजल-चालित इंजन चलाने से यात्रियों तथा माल को ले जाने की क्षमता बढ़ गई है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार गुजरात राज्य के पश्चिम रेलवे खण्ड पर और डीजल-चालित इंजन चलाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पश्चिम रेलवे में 27 ब्राड गेज और 66 मीटर गेज के मुख्य लाइन पर चलने वाले डीजल-चालित इंजन चल रहे हैं। रेलवे को सारे इंजन नियत कर दिये जाते हैं। उनका नियतन प्रदेशवार नहीं होता।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) डीजल से इंजन चलाने के प्रस्तावों पर विचार अखिल रेलवे खण्डों के आधार पर किया जाता है और वह इस बात पर निर्भर करता है कि यातायात की कितनी आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में कितने इंजन चलाने की आवश्यकता है तथा कितने डीजल-चालित इंजन उपलब्ध हैं। पश्चिम रेलवे की आवश्यकताओं पर विचार अन्य रेलों की आवश्यकताओं के साथ साथ किया जायेगा।

गुजरात में सूती कपड़ा उद्योग

2615. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में गुजरात में सूती कपड़ा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहादुरगढ़ स्टेशन में ऊपरी पैदल पुल

2616. **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीजनल रेलवे प्रयोक्त सलाहकार समिति की एक बैठक में यह अनुरोध किया गया था कि रोहतक दिल्ली सेक्शन के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहली तथा दूसरी लूप लाइनों पर स्थित प्लेटफार्मों को मिलाने वाला एक उपरी पैदल पुल बनाया जाय;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस पुल के कब तक बनाये जाने की सम्भावना है ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) दोनों प्लेटफार्मों को मिलाने के लिये दूसरे प्लेटफार्म और पैदल उपरी पुल के निर्माण कार्य के लिये प्रशासन ने अपनी स्वीकृति दे दी है ।

(ग) निर्माण-कार्य के 1968-69 के अन्त तक पूरा होने की आशा है ।

Shed Over Platform at Gangapur Station

2617. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all passenger and goods trains stop at Gangapur City station (Western Railway) ;

(b) whether it is also a fact that no shed has been provided at the main platform of the station;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action taken in that regard?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) No. A platform covering 200' X 32' has been provided recently.

(c) and (d) Do not arise.

Out-Agency in Hindaun Station Area

2618. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Railway out-agency was functioing at Karauli in the Hindaun Station (Western Railway) area;

(b) whether it has been closed down now;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) when it is being re-opened?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The Out-Agency had to be closed with effect from 31.5.1967 because the contractor

found it unremunerative and did not wish to continue beyond the term of his contract. Tender were invited in March, 1967, but no suitable contractor could be found.

(d) Tenders were invited again in July, 1967, but with no better results. Fresh tenders are being invited again and the Out-Agency will be re-opened if a suitable contractor comes forward to work it.

Enquiry Offices At Gangapur City And Sawai Madhopur Stations

2619. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no person has been appointed to attend the telephone calls in the Enquiry Offices at Gangapur City and Sawai Madhopur Stations;

(b) whether it is a fact that nobody attends the telephone calls in the Enquiry Office at Gangapur City station;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the arrangements proposed to be made in that regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No separate Fnquiry Office is provided at Gangapur City or Sawai Madhopur. The question of appointing a person specifically to attend to telephonic enquiries at these stations, therefore, does not arise.

(b) and (c) A telephone has been provided in the Assistant Station Master's Office at Gangapur City station and he attends to the Telephonic enquires.

(d) The existing facilities are considered adequate. There is no proposal to provide a separate Enquiry Office at Gangapur City or Sawai Madhopur station.

D. A. to Employees of Khadi Gramodyog Bhawan

2620. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the dearness allowance at increased rates from February, 1967 has not been paid to emoloyees of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the date by which the increased amount of the said allownce would be paid to the emloyees?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) The dearness allowance has already been paid.

(b) and (c) : Do not arise.

Sale of Honey at Khadi Gramodyog Bhawan

2621. **Shri J. Sunder Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8956 on the 11th August, 1967 and state :

(a) whether any departmental inquiry was held against the officer responsible in connection with the purchase and sale of adulterated honey in the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi;

(b) if not, the reasons thereefor;

(c) whether it is a fact that the Manager of the Bhawan purchased sub-standard honey from the organisation which was not approved by the Khadi and Village Industries Commission; and

(d) the date by which departmental inquiry will be held in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) The Khadi & Village Industries Commission did hold an enquiry in connection with the allegations regarding the sale of sub-standard honey. No departmental enquiry has however, been held against the officer or officers who may have been responsible.

(b) As an appeal (the expenses of which were borne by the Khadi Commission) was filed by the Assistant Manager of the Khadi Gramodyog Bhawan against his conviction and the whole case was sub-judice, a departmental enquiry was not legally considered appropriate. It is understood that the judgement of the appellate court was delivered recently reducing the punishment to a fine of Rs.100 only from one year's R.I. and a fine of Rs.7500/. The advisability of holding a departmental enquiry will be considered in the light of the judgement of the appellate court.

(c) The particular sample of honey which turned out to be sub-standard was purchased from an organistation from which honey had been purchased during the last few years. Purchases from this orgnisation had been started in the time of the earlier Manager who is no more in service. There was no practice of giving approval to institution in respect of purchases of products of village industries as is the practice in the case of Khadi. However, the Khadi and Village Industries Commission has instructed various Khadi Gramodyog Bhawans under its control to purchase and sell only Ag-marked honey.

(d) In view of the position explained in answer to (c) above, this does not arise.

Pushings of Bogies with hands at Sawai Madhopur

2622. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3397 on the 23rd June, 1967 and state :

(a) the progress since made in the investigation being conducted by the Central Bureau of Investigation in connection with the connivance between railway officials and Jaipur Industries Limited, Sawai Madhopur to secure certain unfair advantages for the firm; and

(b) the time by which the investigation is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poodacha):

(a) The investigation are at a preliminary stage.

(b) It is difficult to indicate at this stage when the investigations will be completed.

अखबारी कागज बनाने के कारखाने

2623. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज बनाने के नये कारखाने स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कारखाना की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान निर्धारित करने के उद्देश्य से कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में भी कोई स्थान विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) जी हाँ।

(ग) जी, नहीं।

कलामासेरी में स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में बोनस का भुगतान

2624. **श्री नायनार :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कलामासेरी में स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने के कर्मचारियों को 1964-65 और 1965-66 में कितने प्रतिशत बोनस दिया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालामासेरी स्थित कारखाने के कर्मचारियों को 1964-65 तथा 1965-66 में कोई बोनस नहीं दिया गया था क्योंकि इन वर्षों में कारखानों के कार्य संचालन सम्बन्धी परिणामों के अनुसार इसके हकदार नहीं थे।

Jute Prices

2626. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is fact that at the time of arrival of new Jute in the market, the price of Jute has been lowered to the detriment of farmers; and

(b) whether Government propose to procure all the Jute by fixing its minimum price at Rs. 65 per maund with a view to promote Jute production during the next season?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Prices of raw Jute have been showing a downward tendency presumably due to large scale arrivals and the depressed condition in the Jute goods market.

(b) No, Sir. For the current season Government are committed to provide price support for raw Jute at the level of Rs. 107.17 per quintal (equivalent to Rs. 40 per maund) for Bottom grade of Assam variety of Jute delivered at Calcutta. The State Trading Corporation is in charge of procurement arrangements.

Employees of Bhilai Steel Plant

2627. **Shri Lakhan Lal Gupta :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the percentage of employees of different categories belonging to each State separately employed in the Bhilai Steel Plant in Madhya Pradesh; and

(b) whether Government have made any special provision to employ the residents of Chattisgarh in larger number with a view to provide them employment opportunities?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) :

(a) Statistics of employment region or locality-wise are not being maintained.

(b) According to the policy laid down by Government for all public sector undertakings first preference in the matter of recruitment is required to be given to persons displaced from

areas acquired for the projects, especially those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, in the recruitment of skilled workers, clerks and other non-technical staff whose scales are comparately low, the preference is to be given only so long as the basic qualifications and experience are forthcoming. Since all such vacancies are generally to be filled through the employment Exchanges close to the project, there are good chances of posts going to suitable local people registered with these Employment Exchanges.

समुद्र-खाद्य उद्योग

2628. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णतया निर्यात प्रधान समुद्र-खाद्य उद्योग अब गम्भीर संकट में है ।

(ख) क्या कच्चे चिंगट की उपलब्धता में कमी और देश में चढ़ते हुए मूल्यों के कारण निर्यात योग्य उत्पादन मंहगे और अलाभकारी हो गये हैं; और

(ग) क्या इस उद्योग को बचाने के लिये पहले वाली प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) और (ख) प्रतियोगी देशों में अधिक उत्पादन होने से विदेशी बाजारों के मूल्यों में असाधारण गिरावट के कारण हमारा समुद्री खाद्यान्न उद्योग कठिन परिस्थिति में है ।

(ग) जी, नहीं ।

औद्योगिक केन्द्रों पर मंदी का प्रभाव

2629. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों पर आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हाल के मन्दी के रुख का इन्जीनियरी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रेल के डिब्बों, तार के रस्से, इस्पाती ढांचे मशीनी औजारों, व्यवसायिक गाड़ियों जैसे उद्योगो में उत्पादन के गिर जाने के कारण सहायक उद्योग जैसे इस्पात के पाइप तथा टयूब वैल्डिंग के इलेक्ट्रोड, कच्चा लोहा, इस्पात तथा पिघला कर ढलाई इत्यादि उद्योग भी प्रभावित हुए है ।

(ख) औद्योगिक उत्पादन में मन्दी का सामना करने के लिये उठाए गए कदमों में विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना है ताकि यथासम्भव माँग को बढ़ाया जा सके; प्रभावित उद्योगों में विविधता के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा सके और सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादों के लिए बिक्री ढांचे को सुदृढ़ कर नियमित निर्यात मण्डियों का विकास किया जा सके साथ ही जहां तक देश में स्थापित क्षमता की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हो उस सीमा तक आयात पर रोक लगाई जाये जिससे उस आयात का,

जिसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है किन्तु जिसमें परिवर्तन न किया जा सकता हो, का पुनरीक्षण तथा उद्योग में मन्दी का सामना करने के लिए नई ऋण नीति की घोषणा करना भी सम्मिलित है।

Smoking

2630. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in certain countries of Europe and U.S.A., Governments of those countries have made it obligatory on the part of cigaratte producing factories to write on the cigarette packets indicating that smoking is harmful; and

(b) if so, whether Government also propose to compel statutorily bidi and cigarette manufacturers to do so ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have presently no such proposal under consideration.

Cement

2631. **Shri Prakash Vir Shastri: Shri Raghuvir Singh Shastri: Shri Shiv Kumar Shastri: Dr. Surya Prakash Puri:**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether cement is now easily available in the country;

(b) whether it is a fact that black-marketing in cement is now less; and

(c) the increase in the production of cement over the last six months?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) Yes, Sir.

(b) As for as we are aware there is no black-marketing in cement as ample supplies are available.

(c) There has been an increase in the production of cement of 2,39,093 tonnes during the last six months of 1967 corresponding to the period of 1966.

वस्त्र आयुक्त के विरुद्ध आरोप

2633. **श्री मधु लिमये :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के वस्त्र आयुक्त के विरूद्ध कोई शिकायतें, आरोप-पत्र अथवा याचिकाएं सरकार को मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है;

(ग) क्या इन आरोपो के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (ग) पिछले वस्त्र आयुक्त के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें माननीय सदस्य द्वारा की गयी कुछ शिकायतें भी शामिल हैं।

निम्नलिखित मामलों से मुख्य रूप से सम्बन्धित कुछ अभियोगों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है :

(1) चीनी आक्रमण के पश्चात् रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात की गई मात्रा में से फालतू ऊन का वितरण;

(2) मेसर्स मोडन वूलन मिल्स को 50,000 पौंड वर्स्टेड धागे का आवंटन, और उन के द्वारा कृत्रिम रेशम करघों को ऊनी करघों में परिवर्तित कर देना; और

(3) कपास विनिमय योजना के अन्तर्गत कोटे तथा बिक्री परमिट जारी करने के मामले में अनियमितताएं। अन्य अभियोगों की भी जांच हो रही है।

रेशम के करघों को ऊनी करघों में बदलना

2634. **श्री मधु लिमये :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडल वूलन मिल्स, बम्बई द्वारा रेशम के करघों को ऊनी करघों में अवैध रूप से बदले जाने के सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

औद्योगिक लाइसेंस पद्धति

2635. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दस वर्षों में औद्योगिक लाइसेंस पद्धति के संचालन की जांच करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष ने समिति के ठीक प्रकार से काम करने के लिये सुविधायें न दिये जाने की शिकायत की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि समिति के अध्यक्ष ने समिति के कार्य में उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा सहयोग न किये जाने की भी शिकायत की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) समिति के बनने के तत्काल बाद ही उसके लिये उपयुक्त स्थान तथा पर्याप्त

संस्था में कर्मचारियों की व्यवस्था करने में कुछ कठिनाई थी किन्तु जितनी शीघ्र व्यावहारिक हो सका, सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक विकास की गति

2637. **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औद्योगिक विकास की वर्तमान औसत गति क्या है और औसत से कम वाले राज्य कितने हैं; और

(ख) बिहार के औद्योगिक विकास की गति राष्ट्रीय औसत से अधिक है अथवा कम ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 1967 के पहले सात महीनों में 1966 की इसी अवधि की तुलना में औद्योगिक विकास का औसत (आधार 1956=100)+1.3% था।

(ख) राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते अतः जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बिहार में नये उद्योग

2638. **शिव चन्द्र झा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिहार में विशेषकर उत्तरी बिहार में क्या क्या भारी उद्योग स्थापित करने की योजना है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तरी बिहार में डिब्बों में माल बन्द करने का उद्योग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस समय उसमें सम्मिलित योजनाओं के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के अनुसार जो अगस्त, 1966 में प्रकाशित हुई थी, बिहार राज्य में केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं के स्थापित किए जाने की आशा है :

1. बोकारों इस्पात संयंत्र, बोकारो।

2. पायराइट्स एण्ड केमिकल डेवेलपमेंट कम्पनी (माइनिंग तथा सल्फयूरिक एसिड विस्तार) सिन्दरी।

3. हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के लिए भारी मशीन निर्माण संयन्त्र की ढांचे बनाने की वर्कशाप तथा संतुलन उपकरण।

4. राखा तथा तांबे की दूसरी परियोजनाएं, राखा ।
5. सिन्दरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण ।
6. बेरोनी उर्वरक परियोजना, बेरोनी ।
7. पेट्रोकेमिकल परियोजना, बेरोनी ।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के आर्थिक जांच पड़ताल दल ने जिसने कुछ समय पूर्व उत्तरी बिहार का सर्वेक्षण किया था, के सुझावों पर उत्तरी विहार में फलों के संरक्षण कारखानों की स्थापना के कुछ प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

मोटर-कारें लारियां इत्यादि का वहन करने वाली माल गाड़ियां

2639. **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इनका मंत्रालय ऐसी मालगाड़ियों को चालू करना चाहता है जिनमें केवल मोटर-कारों, लारियों इत्यदि का वहन किया जायेगा,

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और ये गाड़ियां किन किन मार्गों पर चलेंगी; और

(ग) इससे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) रेलवे मंत्रालय ने उद्योग से यह कहा है कि वह अपने द्वारा निर्मित मोटर और अन्य मोटरगाड़ियों को विशेष रेलगाड़ियों द्वारा भेज सकता है, जैसे कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बीच । यह पाया गया है कि केवल कलकत्ता वाले हिन्दुस्तान मोटर ही बम्बई अथवा मद्रास के लिए विशेष रेलगाड़ियों द्वारा मोटरगाड़ियां भेजने की स्थिति में हैं । औरों के पास इतना माल भेजने के लिये नहीं होता कि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जायें । इस साल अप्रैल से कलकत्ता से छः विशेष रेलगाड़िया चलाई गईं--4 बम्वई के लिए और 2 मद्रास के लिए । इस प्रकार की प्रत्येक विशेष रेलागाड़ी पर लगभग 68,000 रुपये भाड़े के रूप में रेलवे को मिले ।

कपड़ा मिलों को रुई का वितरण

2640. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकाह ने कपड़ा मिलों को रुई के वितरण पर लगे हुए वर्तमान प्रतिबन्धों पर पुनर्विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने छः मिलों को अनिवार्य रूप से बन्द करने के प्रश्न पर भी विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके बारे में कोई निर्णय किया है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चालू मौसम में, भारतीय रुई का वितरण एक ऐसी प्रणाली द्वारा नियमित किया जाता है जिसके अधीन देश के विभिन्न प्रदेशों में स्थित मिलों के लिए अधिकतम स्टाक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं । जहां तक विदेशी रुई का सम्बन्ध है,

मिलों की उसका नियतन उन में चालू तकुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली को केवल पिछले सितम्बर से लागू किया गया है और इसलिए उनके कार्य की, इस स्थिति में सामान्य समीक्षा इतनी जल्दी नहीं की जा सकती । रुई के सम्बन्धित योजना के ब्योरे की वास्त विक क्रियान्विति की, रुई सलाहकार बोर्ड के परामर्श से वस्त्र आयुक्त द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

(ख) अनिवार्य मिल-बन्दी के निर्णय को भी पिछले सितम्बर में वापिस ले लिया गया था और तब से इन पर पुनः विचार करने का कोई अवसर नहीं आया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बढ़िया किस्म की चाय की पत्तियों का उत्पादन

2641. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग जिले में बढ़िया किस्म की चाय की पत्तियों का उत्पादन प्रति वर्ष कम होता जा रहा है;

(ख) क्या उत्पादन में कमी का कारण यह है कि चाय के पौधे 80 वर्ष पुराने अथवा उससे भी अधिक पुराने हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत पुराने पौधों को उखाड़ा जाये तथा वहां नये पौधे लगाये जायें, जैसे कि लंका में किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो क्या बढ़िया किस्म की चाय की पत्तियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई दूसरी व्यापक योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) वर्ष 1964 से दार्जिलिंग जिले में चाय के उत्पादन में थोड़ी कमी हुई है ।

(ख) चाय का उत्पादन तथा उनकी किस्म चाय के झाड़ की उम्र पर पूर्णतः निर्भर नहीं है। इन झाड़ियों के उचित पोषण तथा देखभाल से भी इनसे उत्पादित चाय की मात्रा तथा किस्म पर बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है ।

(ग) और (घ) चाय उगाने वालों के लिए विस्तार तथा पुनः आरोपण हेतु सहायता की योजनाएं बनाने में भारत सरकार ने श्रीलंका की प्रणाली को नहीं अपनाया है। इस समय भारत में चाय उगाने वालों के लिये निम्नलिखित योजनाएं हैं :

(1) केन्द्रीय आयकर के प्रयोजनार्थ कर-योग्य आय का हिसाब लगाते समय नये क्षेत्रों में रोपण की लागत पर 50 प्रतिशत तथा पुनर्रोपण वाले क्षेत्रों में ऐसी लागत पर 30 प्रतिशत की विकास छूट दी जाती है ।

(2) चाय उगाने वालों को ब्याज की अपेक्षाकृत कम दर पर दीर्घावधि ऋण दिए जाते हैं ।

Managing Agency of India Shipping Company

2642. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state

(a) whether the transfer of Managing Agency of India Shipping Company to Ratnakar Shipping Company which was under Company Law Board's consideration has been finalised;

(b) if so, the terms and conditions of transfer; and

(c) if not, the further time likely to be taken in the matter ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) :

(a) to (c) An Application under section 346 of the Companies Act has been received from Messrs. Lionel Edwards Ltd., Managing Agents of India Steamship Co. Ltd., for approval to transfer of a controlling block of shares to certain companies of the Birla Group. The matter is under consideration on the Company Law Board and is expected to be finalised shortly.

Cotton Production

2643. **Shri N. S. Sharma** :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cotton production this year is expected to exceed the production for any one year in the past; and

(b) if so, whether prices of cotton cloth are likely to be reduced as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qurerhi):

(a) It is too early to make a precise estimate of the Indian cotton crop for the cotton year 1967-68. The general expectation, however, is that it would be about 20% higher than the last year's figure; it may or may not be the highest so far.

(b) It is difficult to say whether the expected increased production of cotton in itself will lead to reduction in prices of cotton and consequently of cloth as cost of wages, power and other ingredients also have a bearing on prices.

Diesel Shed at Patratu

2644. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of railway employees working in diesal shed at Patratu (Hazaribagh, Bihar) and the number of those out of them who live in diesel colony;

(b) whether it is a fact that there is a nominal health unit in Diesal Colony, whether there is neither arrangement for accommodating patients nor there are any male and female doctors and nurses ;

(c) whether it is also a fact that there is neither any High School in the colony nor primary schools with English, Urdu and Bengali as medium of instruction for providing education to the children of the railway employees; and

(d) if so, whether Government propose to set up a fully equipped hospital for railway employees in Diesel colony and to open High School and Primary Schools for providing suitable educational facilities to the children of the railway employees and if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) to (d) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

नये बाक्साइट के खनन का पट्टा

2654. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि उड़ीसा सरकार ने नये बाक्साइट के खनन का पट्टा शान्ति प्रसाद जैन को देने का वचन दिया है; और

(ख) क्या खनिज रियायत नियमों के अधीन यह ग्राह्य है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनीपुर के लिये औद्योगिक ऋण

2646. **मेघचन्द्र :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में मनीपुर के लिये कुल कितनी राशि का औद्योगिक ऋण मंजूर किया गया है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में, जिसमें वर्ष 1967-68 भी शामिल है, मनीपुर सरकार ने ईंटे बनाने वाले उद्योगपतियों को कितनी राशि का औद्योगिक ऋण दिया था, और

(ग) उसका व्यौरा क्या है और वर्षवार किन-किन उद्योगपतियों को ऋण दिया गया और कितनी-कितनी राशि का ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई इकट्ठी निधि में से मणिपुर की सरकार ने निम्नलिखित औद्योगिक ऋण मंजूर किये थे :

	1965-66	1966-67	1967-68
लघु उद्योग	2,14,000 रु०	1,00,000 रु०	कुछ नहीं
ग्रामोद्योग परियोजनाएं	1,00,000 रु०	1,50,000 रु०	कुछ नहीं

(ख) मणिपुर सरकार लघु औद्योगिक कारखानों तथा ग्रामोद्योग परियोजनाओं के लिये पिछले पांच वर्षों में 1967-68 को सम्मिलित कर ईंटों का निर्माण करने हेतु क्रमश: 59,000 रु० तथा 20,500 रु० की राशि मंजूर की है।

(ग) स्वीकृत ऋणों का वर्षवार व्यौरा तथा ऋण दिये गये व्यक्तियों के नामों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1819/67]

अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे, दिल्ली में पदोन्नति

2647. **श्री उमानाथ :** **श्री अब्राहम :**

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 जून, 1967 को वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी, पश्चिम रेलवे, बम्बई ने अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली के कुछ क्लर्कों की पदोन्नति के आदेश दिये थे ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) यह पदोन्नतियों वास्तव में कब की गई थी ;

(ग) क्या पदोन्नतियों में कुछ विलम्ब हुआ था, और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे और क्या उस बिलम्ब के लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है;

(घ) जिस तारीख से वास्तव में पदोन्नति के आदेश दिये गये थे क्या उस तारीख से बकाया राशि देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) 1963 में प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के जो स्थान रिक्त हुए थे उन पर पदोन्नति करते समय एक गलत धारणा के कारण रेलवे द्वारा परिशिष्ट 2-क के आर्हता प्राप्त कर्मचारियों के लिए निर्धारिता कोटा से एक व्यक्ति अधिक और श्रेणी 2 के अनर्ह वरिष्ट उपयुक्त क्लर्कों में से एक व्यक्ति कम (अर्थात् निर्धारित कोटा से एक कम) की पदोन्नति के आदेश दे दिये गये थे । जब जून, 1967 में इस गलती की ओर ध्यान गया तो बाद वाले वर्ग से एक और व्यक्ति को पदोन्नति देकर गलती ठीक कर दी गई । सही व्यक्ति की पदोन्नति 17 जुलाई, 1967 से की गई । क्योंकि इस कर्मचारी को वास्तव में पहले पदोन्नति इस कारण नहीं दी गई थी कि दूसरा व्यक्ति उस पद पर था और उसे उस पद का वेतन भी दिया गया था अतः बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न ही नहीं है परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी को औपचारिक वेतन निर्धारण का लाभ दे दिया गया है— जो कि इस प्रकार की पदोन्नतियों के मामले में जिनमें प्रशासनिक कार्यवाही के कारण विलम्ब हुआ हो दिया जा सकता है ।

यातायात लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे, दिल्ली, में पदोन्नति

2648. **श्री उमानाथ : श्री अब्राहम :**
श्री विश्वनाथ मेनन : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1962 से यातायात लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे, दिल्ली में प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के पदों पर कुल कितनी पदोन्नतियाँ हुई हैं ।

(ख) 1 अक्तूबर, 1962 से उत्तर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में परिशिष्ट 2 क के अधीन अर्हता-प्राप्त कितने कर्मचारी प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के पदों पर पदोन्नत हुए हैं ;

(ग) 1 अक्तूबर, 1962 से उत्तर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर कुल कितने अनर्ह कर्मचारी प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के पदों पर पदोन्नत हुए हैं ;

1963

(घ) क्या भाग (ग) में उल्लिखित कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत कोटा पूरा हो गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) :(क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और वह लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण रेलवे के नैमित्तिक श्रमिक

2649. **श्री उमानाथ:** **श्री रमानी :** **श्री नायनार :** **श्री अब्राहम :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में दैनिक मजूरी पर काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) विभिन्न डिवीजनों में नैमितिक श्रमिकों की मजूरी आजकल कितनी है ;

(ग) क्या सरकार को नैमित्तिक श्रमिकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हाँ, तो ज्ञापान की मुख्य-मुख्य बातें कौन सी हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) : (क) 14,952

(ख) अदक्ष	1.50 रुपये से 3.00 रुपये तक
अर्द्ध-दक्ष	2.00 रुपये से 3.00 रुपये तक
दक्ष	3.00 रुपये से 5.00 रुपये तक

(ग) जी, हां।

(क) नैमित्तिक श्रमिकों ने अपनी दैनिक मजूरी में वृद्धि की मांग की है। कुछ सेक्शनों में दक्षिण रेलवे द्वारा अदक्ष नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी बढ़ाकर 3.00 रुपये प्रति दिन की जा चुकी है। अन्य मामलों में इस विषय पर रेलवे द्वारा विचार किया जा रहा है।

कच्ची ऊन का आयात

2650. **श्री मधु लिमये :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपति काल की घोषणा के पश्चात आयात की गई कच्ची ऊन की अधिकांश मात्रा 56 एस वूल टाप थी जो कि भारतीय कच्ची ऊन से बनाई जा सकती थी;

(ख) क्या यह सच हैं कि प्रतिरक्षा सेवाओं को "64 एस" किस्म के ऊन की आवश्यकता थी न कि "56 एस" किस्म के ऊन की ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसको ध्यान में रखते हुए 56 एस वूल टाप फालतू पाई गई और बाद में उसे सरकार द्वारा नियुक्त किये गये ऊन सलाहकारों द्वारा नियंत्रित कर दिया गया ;

(घ) क्या वूल टाप की इस बनावटी फालतू मात्रा का वितरण करते समय अन्य मित्रों की आवश्यकता की उपेक्षा की गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य ऐजेन्सी द्वारा कोई जांच का आदेश दिया गया था ; और

(च) इस जांच के क्या परिणाम निकले और सम्बन्धित अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (च) चीनी आक्रमण के समय कच्ची ऊन तथा लच्छियों का कुछ अतिरिक्त आयात करने की अनुमति दी गयी थी ताकि रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय स्वदेशी उपलब्धि को ध्यान में रख कर किया गया था। आयातों में से अधिकांश, सर्ज की सामरिक पोशाकें तथा ग्रेटकोट आदि बनाने के लिये 48 एस तथा 56 एस किस्म के लच्छियों के थे और शर्टिंग अंगोला के लिये भी 64 एस की ऊन की लच्छियो की थोड़ी सी मात्रा आयात की गयी थी । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि रक्षा सेवाओं के लिये 56 एस की ऊन की आवश्यकता न होकर केवल 64 एस किस्म ऊन की आवश्यकता थी । वास्तव में उन्हें 64 एस की अपेक्षा 56 एस की ऊन की अधिक मात्रा की आवश्यकता थी। रक्षा की आवश्यकता के बाद फालतू घोषित 56 एस की लच्छियों की मात्रा 29 ऊन मिलों में वितरित की गयी जिनमें कुछ ऊन सलाहकारों द्वारा नियंत्रित तीन मिलें भी शामिल हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरे ने विभिन्न मिलों को 56 एस की ऊन की लच्छियों के वितरण के सम्बन्ध में कुछ जांच पड़ताल की है और उसके प्रतिवेदन पर अब केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके सरकार विचार कर रही है।

रुई का निर्यात

2651. **श्री मधु लिमये :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में रुई की भारत में पैदा होने वाली कौनसी किस्मों का निर्यात किया गया !

(ख) प्रत्येक वर्ष में उनके निर्यात से कितनी आय हुई ;

(ग) इस अवधि में विदेशी कपास की कौनसी किस्मों का आयात किया गया ;

(घ) प्रत्येक वर्ष में विदेशी मुद्रा तथा रुपयों में कितना व्यय हुआ ;

(ङ) क्या मिट्टी, जलवायु, बीज तथा ऋण की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के बाद भारत में इन किस्मों को पैदा करने के लिये कोई निश्चित योजना बनाई गई है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) (1) बंगाल देशी।

(2) जोडा तथा यलो पिकिंग्स ।

(3) आसाम कोमिल्लाज् ।

(ख)

वर्ष (सितम्बर—अगस्त)		मूल्य करोड़ रु० में
1962-63	...	14.48
1963-64		10.90
1964-65		10.53
1965-66		9.71
1966-67		14.38

(ग) सामान्यतः इस अवधि में विदेश से 1-1/16 तक उससे अधिक लम्बे रेशे की रुई आयात की गई है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) और (च) जी, हां। विगत दशक में, 1-1/16 तथा उससे अधिक लम्बाई के रेशे वाली अधिक लम्बे रेशे की किस्मों को पैदा करने के लिये विभिन्न राज्य में भूतपूर्व भारतीय केन्द्रीय रुई समिति द्वारा वित्त पोषित कई गवेषणा प्रायोजनाएं चल रही थीं। हाल ही में कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् ने देश भर में इसी आधार पर गवेषणा कार्य को सघन करने से लिये एक अखिल भारतीय समन्वित रुई सुधार प्रायोजना स्वीकार की है।

पहले ही किये गये कार्य के परिणामस्वरूप कुछ आशाजनक किस्मों जैसे मद्रास में एम सी यू 4, गुजरात तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में बी 1007, देविराज, देवीतेज तथा गुजरात 67 और कुछ अन्य किस्मों को वाणिज्यिक खेती के लिये दिया गया है। इनके अतिरिक्त अखिल भारतीय समन्वित रुई सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत देश भर में कई बढ़ियाँ लम्बे रेशे की किस्मों के बारे में इस समय उपज निष्पादन तथा किस्म सम्बन्धी परीक्षण किये जा रहे हैं। मिस्री किस्म, कर्णाक, में से कोयम्बटूर (मद्रास राज्य) में किये गये चयन से भी आशाजनक परिणाम निकले हैं क्योंकि यह मद्रास राज्य में किये गये प्रारम्भिक परीक्षणों में सर्वोतम उपज निष्पादन वाली और बढ़िया रेशे वाली पायी गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेलवे लाइनों का निर्माण

2652. श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये बनाई गई योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) चौथी योजना में जो नई रेलवे लाइनें बनायी जानी है उन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि, चौथी योजना में बनाए जाने के लिए अभी तक निम्नलिखित दो रेलवे लाइनें मंजूर की गई हैं :—

(एक) **पोकरन-जैसलमेर** :

(मीटर गेज, 105 किलोमीटर, लागत 3.11 करोड़ रुपये-यह सामरिक महत्व की लाइन है) मुख्य लाइन जोड़ी जा चुकी है और उस पर 15.8.1967 से विभागीय रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। जन यातायात के लिए इस लाइन को इस महीने में खोले जाने की आशा है।

(दो) **कठुआ-जम्मू** :

(बड़ी लाइन, 80 किलो मीटर लागत 12 करोड़ रुपये। 5.05 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मई, 1967 में जो फाइनल लोकेशन सर्वे मंजूर किया था उनके कार्य में अच्छी प्रगति है और लगभग 51 किलोमीटर मार्ग-रेखा निर्धारण किया जा चुका है। फाइनल लोकेशन सर्वे के पूरा हो जाने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और इस लाइन को पूरा करने में लगभग 3 से 4 वर्ष तक का समय लगेगा)।

इन दो परियोजनाओं पर अब तक हुए वास्तविक व्यय को बताना कठिन है क्योंकि खाते अभी बन्द नहीं किए गए हैं। तथापि, इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत प्रत्येक के सामने ऊपर बता दी गई है।

उद्योगों में बेकार क्षमता

2653. **श्री ईश्वर रेड्डी** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय उद्योगों में कितनी बेकार क्षमता है; और

(ख) उद्योगों की वर्तमान क्षमता का अधिकाधिक उपयोग हो इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से एकक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसलिए अप्रयुक्त क्षमता का ठीक ठीक अन्दाज लगाना सम्भव नहीं है। वर्तमान मन्दी के कारण कुछ अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है और यह इन्जीनियरी उद्योग में प्रमुख रूप से प्रकट हुई है।

(ख) क्षमता के और अधिक उपयोग के लिए उठाए गए कदमों में विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना है ताकि यथा सम्भव माँग को बढ़ाया जा सके; प्रभावित उद्योगों में विविधता के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा सके और सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादों के लिए बिक्री ढांचे को सुदृढ़ कर नियमित निर्यात मण्डियों का विकास किया जा सके साथ ही जहाँ तक देश में स्थापित क्षमता आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हो उस सीमा तक आयात पर रोक लगाई जाये जिसमें उस आयात का, जिसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है किन्तु जिसमें परिवर्तन न किया जा सकता हो, का पुनरीक्षण तथा

उद्योग में मन्दी का सामना करने के लिए नई ऋण नीति की घोषणा करना भी सम्मिलित है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कार्य संचालन सम्बन्धी समस्याएँ

2654. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री चक्रपाणि :** **श्री राममूर्ति :** **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कार्य-संचालन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिए सरकार का विचार कार्य प्रवर्तन समिति स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन होंगे तथा उसके कृत्य क्या होंगे; और

(ग) समिति का कब तक गठन किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिए एक कार्य प्रवर्तन समिति स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इसके सदस्य कौन-कौन होंगे और इसके कृत्य क्या होंगे यह अभी तय किया जाना है पर मोटे तौर पर यह समिति उच्च अधिकारियों की स्थिति, उत्तरदायित्व और उनके कार्य के बारे में तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में ब्योरे तैयार करेगी ।

कच्चे पटसन का मूल्य

2655. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री राममूर्ति :** **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के मूल्य गिरने के बारे में पटसन उत्पादकों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत कच्चा पटसन राजकीय व्यापार निगम द्वारा खरीदा जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) मूल्यों में गिरावट, प्रमुखतः बाजार में व्यापक पैमाने पर पटसन आने और पटसन के माल के बाजार में मन्दी की अवस्था के कारण आई ।

(ग) राज्य व्यापार निगम पहले ही पटसन बाजार में प्रवेश कर चुका है और उसने लगभग एक लाख मन पटसन खरीदा है । निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीद को बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय किए हैं ताकि कच्चे पटसन के विपणन में सुधार हो सके ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की चौथी धमन भट्टी

2656. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री पी० राममूर्ति :**
श्री गणेश घोष : श्री भगवान दास :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने की चौथी धमन भट्टी तीन महीने पहले चालू हो गई थी परन्तु इसने अभी तक उत्पादन करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह पता लगाने का है कि देरी क्यों हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) चौथी धमन भट्टी को चालू करने का औपचारिक उद्घाटन समारोह 23 अगस्त, 1967 को सम्पन्न हो गया था । भट्टी का कार्य अभी चालू नहीं हो पाया है क्योंकि श्रमिकों संघों ने श्रमिक सम्बन्धी समस्यायें उठा दी हैं । फिर भी, अब इसके शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है ।

रेलवे में लेखा कार्य के लिये मशीनों की व्यवस्था

2657. **श्री सूरज भान :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में लेखा कार्य के लिए अब तक कितनी मशीनें लगाई गई हैं;

(ख) इन मशीनों पर इस रूप में कितनी विदेशी तथा भारतीय मुद्रा व्यय की जाती है :—

(एक) अनावर्ती

(दो) उपरोक्त (एक) पर प्रति मास व्याज

(तीन) प्रति मास आवर्ती व्यय

(ग) उक्त व्यवस्था के कारण कितने पद समाप्त किए गए हैं और इसके फलस्वरूप कितनी बचत हुई है;

(घ) प्रतिमास कितना शुद्ध लाभ अथवा हानि होती है ; और

(ङ) विभिन्न रेलों में ऐसी मशीनें लगाने के लिए अग्रेतर क्या कार्यक्रम है और उन पर विदेशी तथा भारतीय मुद्रा के रूप में कितनी लागत आयेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) लेखा कार्य को मशीन से तैयार करने और आपरेटिंग और वाणिज्यिक सांख्यिकी आदि के लिए क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन यूनिटों में लगाई गई मशीनों की कुल संख्या 390 है । इस संख्या में केवल कमयूटर/केलकुलेटर/लिखा तैयार करने वाले मशीनें ही नहीं बल्कि सौर्टर, पंच, वेरी फायर, कौलेटर और रिप्रोड्यूसर भी शामिल है ।

(ख) इन मशीनों के लिए सभी पैसा केवल भारतीय रुपये में ही देना होता है।

(एक) लगभग 30 लाख रुपए ।

(दो) मशीनें लगाने पर अनावर्ती व्यय क्षेत्रीय रेलवे के मामले में राजस्व खाते में डाल दिया गया था और उत्पादन यूनिटों के मामले में कर्मशाला निर्माण उचन्त खाते (वर्कशाप मेन्यु फैक्चरिंग सस्पेन्स) में डाल दिया गया था। बाद वाली राशि उत्पादन यूनिटों में तैयार किए जाने वाले माल की लागत के एक हिस्से के रूप में ली गई । इसलिए अनावर्ती व्यय पर कोई व्याज नहीं होता है ।

(तीन) 1666-67 में लगभग 4 लाख रुपए प्रति माह/1967-68 की बिलकुल सही राशि अभी तक ज्ञात नहीं है क्योंकि कुछ यूनिटों में यूनिट रिकार्ड मशीनों के स्थान पर कम्प्यूटर लगाने का काम अभी भी चल रहा है ।

(ग) मशीनें लगायें जाने के फलस्वरूप लगभग 1300 पदों की बचत हो गई है और कर्मचारियों को अन्य उपलब्ध पदों पर लगा दिया गया है । इस प्रकार जो पद खाली हुए हैं उनसे 52 लाख रुपए की वार्षिक बचत का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) लगभग 4 लाख रुपये की बचत के अतिरिक्त (जो की पदों से होने वाली बचत से उपकरणों पर आवर्ती व्यय को निकालकर आती है), शुल्क की जाँच का काम मशीनों से आरम्भ करने के बाद यह पता करने में कि कितना शुल्क कम लगा है उसकी राशि में भारी वृद्धि हुई है। 1963 में यह पता लगा था कि 25 लाख रुपये का शुल्क कम लगा था जब कि 1966 में यह पता लगा कि 94 लाख रुपए का शुल्क कम लगा है, अर्थात् 69 लाख रुपए अधिक कमी का पता चला । मशीनें लगाए जाने के बाद अधिक आंकड़े उपलब्ध होने के कारण पूरी जानकारी का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मशीनें लगाए जाने से पहले 140 वस्तुओं की तुलना में अब 550 वस्तुओं के वहन तथा उनसे आमदनी के बारे में पूर्ण तथा शुद्ध ब्यौरों का हिसाब अब मशीनों पर लगाया जाता है तथा जानकारी पंजीकरण के पूर्व की तुलना में अब बहुत शीघ्र प्राप्त होती है ।

(ङ) आशा है कि दो और क्षेत्रीय रेलवे में इस समय जो यूनिट रिकार्ड उपकरण लगे हैं उनके स्थान पर कम्प्यूटर लगा दिए जायेंगे और दूसरा एक कम्प्यूटर रेलवे बोर्ड के कार्यालय में लगाए जाने की सम्भावना है जिसे परिवहन कार्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा, विशेषकर डब्बों के आने-जाने के अधिक अच्छे नियंत्रण के लिए। दो क्षेत्रीय रेलवे में यूनिट रिकार्ड उपकरणों के स्थान पर कम्प्यूटर लगाने और रेलवे बोर्ड में कम्प्यूटर लगाने में कुल खर्च लगभग 4 लाख रुपए होगा । क्षेत्रीय रेलवे के एक कंम्प्यूटर का किराया लगभग 48,000 रुपए प्रति माह होगा जो कि सभी रेलवे की, जहां कि यूनिट रिकार्ड मशीनों के स्थान पर कम्प्यू-र लग गए हैं, यूनिट रिकार्ड मशीनों के कार्य करने पर होने वाले खर्च के लगभग बराबर होगा । रेलवे बोर्ड में लगाए जाने वाले यंत्रों का, जिनमें पंच, बेरी फायर, सार्टर आदि जैसे पेरी फेरल उपकरण शामिल हैं, किराया लगभग 77,000 रुपए प्रति माह होगा । यह सब व्यय भारतीय रुपए में देय है ।

तारबाबुओं के पदों की क्रमोन्नति करना

2658. **श्री सूरज भान** :

क्या **रेलवे मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जगन्नाथ आयोग की यह सिफारिश स्वीकार की थी कि तारबाबुओं के 15 प्रतिशत पदों को 205-280 रुपए के वेतनक्रम में पदोन्नत कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय को पूरी तरह क्रियान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे में 'तारबाबूओं' की कोई श्रेणी नहीं है। अनुमानतः 'सिगनलरों' की श्रेणी के बारे में पूछा गया है । जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, जगन्नाथ दास आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नंगल बांध परियोजना में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारी

2659. **श्री सूरज भान** :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल बाँध परियोजना क्षेत्र में कार्य करने वाले डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के कुछ प्रतिशत के हिसाब से परियोजना भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नंगल बाँध परियोजना क्षेत्र में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ, कुछ निर्धारित यूनिटों के लिए ।

(ख) और (ग) रेलवे में इस समय लागू नियमों के अनुसार, इस प्रकार के सर्वेक्षण अथवा निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को ही सर्वेक्षण/निर्माण भत्ता मंजूर किया जाता है बशर्तें कि कुछ शर्तें पूरी होती हों । नांगल बाँध क्षेत्र में कोई रेलवे निर्माण परियोजना नहीं है और उस क्षेत्र में लगे रेलवे कर्मचारियों को कोई भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिरोज़पुर डिवीजन में रेलवे स्टाफ

2660. **श्री सूरज भान :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में फिरोज़पुर डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों को अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए स्वयं प्रबन्ध करने पड़े थे;

(ख) क्या ऐसे कुछ कर्मचारियों को, जिन्होंने अनुमति लेकर मुख्यालय छोड़ा था और संघर्ष के समाप्त होने से पूर्व ड्यूटी पर वापस आ गए थे, दण्ड दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दण्ड के उन मामलों पर पुनः विचार करने का है जिसमें कर्मचारी को मजदूरी के कारण मंजूर हुई छुट्टी से अधिक समय बाहर ठहरना पड़ा था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिरोजपुर डिवीजनल कार्यालय में कार्य विश्लेषण

2661. **श्री सूरज भान** :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिरोजपुर डिवीजनल कार्यालय में पिछली बार कार्य विश्लेषण 1949 में किया गया था;

(ख) क्या 1949 से रेलवे लाइन में काम करने वाले स्टाफ में वृद्धि और कुछ अन्य कारणों से उत्तर रेलवे, फिरोजपुर के डिवीजनल कार्यालय के कुछ अनुसचिवीय स्टाफ के कार्य भार में वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो निर्धारित मानदंड के अनुसार सबको काम के समान वितरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु०पुनाचा) : (क), से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल

2662. **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरन :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 30 जून 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा और इस्पात नियंत्रण ने मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल के मामले में सीमा-शुल्क निकासी (क्लीयरेन्स) परमिटों सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

दिल्ली में स्कूटर के टायरों की कमी

2663. **श्री हरदयाल देवगुण** :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लोगों को स्कूटर के टायर प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली में स्कूटरों के टायर और ट्यूबों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

मोटर गाड़ियों के टायर निर्माताओं ने उत्पादन को आगामी दो मास में पर्याप्त परिमाण में बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं । उनको यह भी निर्देश दिए गए हैं हैं कि (1) वे अपने स्कूटरों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन का 10 प्रतिशत पुराने टायर तथा ट्यूबों के बदलने हेतु 1 जनवरी, 1968 से सहकारी स्टोरों को दें; तथा

(2) वे अपने विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के मामलों की भी तुरन्त जांच करायें । मेसर्स फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़, बम्बई जो कि देश में स्कूटरों के टायरों के मुख्य उत्पादकों में से एक है, के कारखाने में मजदूरों की हड़ताल को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद

2664. **श्री मरंडी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के आर्थिक तथा श्रम सम्बन्धी स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए 10 नवम्बर, 1967 को उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या निर्णय किए गए हैं; और

(ग) इस बैठक में जिन सदस्यों ने भाग लिया उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद की एक बैठक 10 नवम्बर, 1967 को हुई थी । इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति और औद्योगिक विकास पर सामान्य रूप से चर्चा हुई तथा इंजीनियरी और सीमेंट उद्योगों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई थी ।

(ख) सदस्यों द्वारा दिये गए सुझावों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

(ग) 1. श्री आर० बी० अमीन
2. श्री सी० ए० पिट्स
3. श्री बी० डी० सोमानी
4. श्री एस० ए० फजलभाई
5. श्री ए० ई० फजलभाई

6. श्री पी० एल० टंडन
7. डा० एम० एन० रानाडे
8. श्री वी० वी० द्रविड
9. श्री ए० आर० भट
10. श्री चरत राम
11. श्री एम० एम० मिराजकर

अल्जियर्स में विकासशील देशों का सम्मेलन

2665. **श्री मरंडी : श्री मयावन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अक्तूबर, 1967 को अल्जियर्स में हुए "विकासशील देशों के सम्मेलन" में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) कितने अन्य देशों ने इसमें भाग लिया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस सम्मेलन में दक्षिण वियतनाम और दक्षिण कोरिया को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो इन देशों को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के लिए भारत ने क्या काम किया हैं; और

(ङ) इस बारे में सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किए गए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हाँ । बैठक 10 से 25 अक्तूबर, 1967 तक हुई ।

(ख) 71 देशों ने भाग लिया ।

(ग) से (ङ) दक्षिण वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग नहीं लिया और उसने कुछ दिनों के बाद अल्जियर्स से चले जाने का निर्णय कर लिया परन्तु दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया । भारत ने अन्य प्रतिनिधिमंडलों के साथ सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया ।

निषिद्ध वस्तुओं का आयात

2666. **श्री मरंडी : श्री मयावन :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निषिद्ध वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस दिए जाने के कुछ कथित माम सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हाँ तो क्या कोई जाँच कराने के आदेश दिए गए हैं;

(ग) जाँच-निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (घ) हाल ही में कुछ मामले जानकारी में आए हैं जिनमें अनियमित रूप से आयात लाइसेंसों के दिए जाने का संदेह है। इस समय यह पता नहीं चला है कि क्या किन्हीं 'निषिद्ध मदों' के आयात की अनुमति दी गई है अथवा नहीं। विशेष पुलिस सिब्बन्दी द्वारा जाँच की जा रही है और दो कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है।

Over-Crowding in Trains Running Between Delhi and Ghaziabad

2667. **Shri Prakash Vir Shastri: Dr. Surya Prakash Puri: Shri Y. S. Kushwah: Shri Shiv Kumar Shastri: Shri Ram Avtar Sharma: Shri Ramji Ram:**

Will the Minister of **Railways** be please to state:

(a) whether it a fact that over-crowding in the trains running between Delhi and Ghaziabad increases considerably in the morning and evening and the passengers travel on foot-boards and on the roofs of the trains;

(b) if so, whether Governments are considering further measures to reduce over-crowding; and

(c) when a final decision in this regard is likely to be taken?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes, some over-crowding exists on a few trains running between Delhi and Ghaziabod in the morning and evening periods.

(b) and (c) In order to relieve over-crowding, it is proposed to introduce one train in the morning from New Delhi/Delhi to Ghaziabad and other from New Delhi/Delhi to Hapur in the evening with effect from 1.12.1967. It is also proposed to augment the loads of 9 pairs of trains running on New Delhi/Delhi-Ghaziabad section shortly.

Flag Station At Dohal

2668. **Shri Prakash Vir Shastri: Dr. Surya Prakash Puri: Shri Y. S. Kushwah: Shri Shiv Kumar Shastri: Shri Ram Avtar Sharma: Shri Ramji Ram:**

Whether the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sometime back a request was made by the residents of Dohai to set up a flag station at Dohai, between Ghaziabad and Modi Nagar;

(b) whether it is also a fact that a survey in this regard was conducted; and

(e) if so, the progress made so for in this connection and the time by which a final decision is likely to be taken in regard thereto?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) and (b) Yes.

(c) The proposal has been examined and it has since been decided to open a conractor operated train halt at the proposed site between Muradnagar and Guldhar stations Delhi-Saharanpur Section.

Gheraos in Collieries

2669. **Shri Prakash Vir Shastri: Dr. Surya Prakash Puri: Shri Shiv Kumar Shastri: Shri Ramji Ram:**

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether there has been some improvement in the situation which had deteriorted in some collieries of West Bengal and Bihar as a result of 'Gheraos';

(b) the estimated financial loss as a result of 'Gheraos' and other agitations in these collieries; and

(c) the action Government propose to take to prevent such incidents in future ?

The Minister of State in The Ministry of Steel, Mines And Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) No such estimate has been made.

(c) Whenever lawlessness is reported to the Central Gavernment where considered necessary, the matter is taken up with the State Government who are responsible for the maintenance of law and order.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के औद्योगिक उत्पादन में कमी

2670. **श्री प० गोपालन** : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री नम्बियार : **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री सत्य नारायण सिंह** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक उत्पादन घट गया है;

(ख) यदि हां तो, कितना; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ। सरकारी क्षेत्र के कुछ कारखानों में जो मुख्य रूप से भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं।

(ख) उत्पादन में कितनी कमी हुई है यह बता सकना संभव नहीं है।

(ग) कमी का कारण इंजीनियरिंग उद्योगों में पूंजीगत वस्तुओं की मांग गिर जाना है।

केरल में हथकरघे से बना माल

2671. **श्री प० गोपालन** : **श्री चक्रपाणि** :
श्री एस्थोस : **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में केरल में हथकरघे से बनाए गए माल का कुल उत्पादन कितना हुआ था;

(ख) उसी अवधि में सूत की कितनी खपत हुई थी; और

(ग) उसी अवधि में उस राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के सम्बन्ध में केरल के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) 137,509,000 मीटर।

(ख) केवल सहकारी क्षेत्र में ही 2580 मे० टन है। सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य हथकरघों द्वारा धागे की खपत की जानकारी प्राप्त नहीं है परन्तु ऐसा अनुमान है कि यह 10,000 टन के कुछ आस-पास होगी।

(ग) 25 लाख रुपये।

यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, अजमेर

2672. **श्री प० गोपालन : श्री रमानी : श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर में पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में दक्षता अनुभाग 'विशेष सेल' के क्या कार्य हैं और उसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या तथा उनके पदनाम क्या हैं;

(ख) दिल्ली में पश्चिम रेलवे का विदेशी यातायात लेखा कार्यालय के प्रत्येक दौरे के समय दिल्ली में इन कर्मचारियों को साधारणतः कितना कितना रुकना पड़ता है और सामान्यतः कितने समय के बाद वे दिल्ली का दौरा करते हैं;

(ग) उनको वित्तीय वर्ष 1963-64, 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में ऐसे दौरों के लिए कितनी धनराशि, वेतन, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में दी गई हैं;

(घ) वित्तीय वर्ष 1963-64, 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में दक्षता सेल द्वारा कम ली गई कितनी धनराशि का पता लगाया गया है; और

(ङ) क्या पश्चिम रेलवे के दिल्ली के विदेशी यातायात लेखा कार्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति और समयनिष्ठता का कोई रिकार्ड रखा जाता है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) (एक) अजमेर में पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में दक्षता अनुभाग "विशेष सेल" के कार्य उस विवरण में दिए गए हैं जो सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1820/67]

(दो) उसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और उनके पदनाम निम्नलिखित हैं :—

(1) उप-मुख्य	1
(2) क्लर्क ग्रेड प्रथम	2
(3) क्लर्क ग्रेड द्वितीय	1

(ख) प्रत्येक महीने में लगभग एक सप्ताह।

(ग) वर्ष	दिल्ली के दौरों के लिए वेतन तथा भत्ते	यात्रा/दैनिक भत्ता	योग
1963-64	1386	1053.95	2439.95
1964-65	751	553.85	1304.85
1965-66	699	508.50	1207.50
1966-67	2280	839.05	3119.05

(घ) वर्ष	विदेशी यातायात लेखा-कार्यालय में कम ली गई राशि
1963-64	408.73
1964-65	73.80
1965-66	...
1966-67	3888.60

(ङ) जी, नहीं। कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दिए गए कार्यों को नियत समय में ही पूरा करें। जब भी पर्यवेक्षक दल के साथ होता है, वह यह देखता है कि कर्मचारीगण समय के अन्दर ही कार्य पूरा कर लें।

दक्षिण रेलवे लेखा कर्मचारी संघ

2673. **श्री चक्रपाणि : श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री नम्बियार : श्री अ० कु० गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 10 जुलाई, 1967 को दक्षिण रेलवे लेखा कर्मचारी संघ की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की मुख्य मागें क्या हैं; और

(ग) उनकी माँगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दक्षिण रेलवे लेखा कर्मचारी संघ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) शिकायतें श्रेणी I के लिपिकों के स्थान भरने के बारे में हैं।

(ग) मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

Recession

2674. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Soviet Union has offered to help overcome recession in India; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs : (Shri Fakhrhuddin Ali Ahmed) : (a) and (b) While there has been no offers from the Soviet Union to help us

in overcoming recessionary trends as such in Indian industry, it was agreed during my recent visit to USSR that we should think of practical aspects of combining the efforts of the Soviet assisted Heavy Machine Building Plant at Ranchi and the Mining and Allied Machinery Cor poration at Durgaqur with comparable Soviet plants; for this purpose the Soviet authorities offered to depute a team of their experts to visit India and study the problem in depth. A formal invitation has now been sent for deputing a Soviet Team to visit India.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

2675. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (रांची) में उत्पादन तथा उसको मिले क्रयादेशों में समन्वय बढ़ाने के लिये इनके मंत्रालय और योजना आयोग ने संयुक्त रूप से क्या निर्णय किये हैं ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की अधिष्ठापित क्षमता के पूर्ण उपयोग करने में किस सीमा तक सफलता मिली है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : हैवी मशीन विल्डिंग प्लांट को 1970-71 तक के लिए काफी मिल चुके है । परन्तु निर्माण के लम्बे चक्र को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि प्लान्ट के पास किसी भी समय 5 वर्ष तक के लिए आर्डर तैयार करने चाहिए । हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन का धमन भट्ठी के अगाऊ आर्डरों की आवश्यकता को मान्यता दे दी गई है । इन आर्डरों में कोयले के चूल्हे, उपोत्पाद संयंत्र और अन्य सहायक और महत्वपूर्ण निर्माण सम्बन्धी उपकरण के सहित 1719 घन मीटर के दो धमन भट्ठियाँ भी सम्मिलित हैं । इसकी आगे जांच की जा रही है । उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्नों पर भी विचार हो रहा है । हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन इस समय इस बात का पता लगा सकता है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है ।

स्कूटरों के निर्माण के लिये मंजूरी

2676. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि स्कूटरों के निर्माण हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिये उद्यमियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र सरकार के पास अप्रेल, 1965 से लम्बित पड़े हैं और 22 जुलाई, 1966 को हुई लाइसेंस समिति की एक बैठक में चुने हुए कारखानों की एक सूची को मंजूरी दी गई ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि स्कूटरों की माँग सप्लाई से कहीं अधिक है ; और

(ग) वर्तमान स्कूटर निर्माताओं द्वारा स्कूटरों के फालतू पुर्जों के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) आवेदनों की छानबीन करने का काम चौथी पंचवर्षीय योजना में स्कूटरों के लक्ष्य निर्धारित किए जाने तथा यह सुनिश्चित किए जाने तक कि वर्तमान एकक उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कितना योगदान दे सकते हैं, रोक रखा गया था। लाइसेंस समिति की एक उप-समिति उन आवेदन पत्रों की जांच कर रही है जिनपर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उसपर लाइसेंस समिति के विचार किए जाने तथा उसकी सिफारिशें मिल जाने पर ऐसी आशा है कि सरकार उन आवेदनों पर अन्तिम निर्णय लेने की स्थिति में होगी। अन्तिम निर्णय मार्च, 1968 के मध्य तक हो जाने कि आशा है।

(ग) स्कूटरों के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों के उत्पादन के लिए स्कूटरों के उत्पादकों तथा सहायक उत्पादकों ने पर्याप्त सुविधाएँ स्थापित कर ली है। ऐसे पुर्जों के निर्माण के लिए भी देश में सुविधाएँ स्थापित की जा रही हैं जिनका अभी तक आयात किया जा रहा है।

विदेशों में बिक्री केन्द्र (सेल्स एम्पोरियम)

2677. **श्री स्वातंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय माल के कुछ बिक्री केन्द्र, खुदरा अथवा बहुविभागीय स्टोर स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टोरों के माध्यम से निर्यात की संभावना के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के बिक्री एम्पोरियम इस समय न्यूयार्क, पेरिस, माण्टरियल तथा नैरोबी में हैं। उनका हम्बर्ग में एक गलीचा भंडार डिपो भी है वहां पर फुटकर बिक्री होती है। यथा समय उनका बोस्टन, शिकागो अथवा सानफ्रांसिसको, लन्दन, सिडनी तथा रोम और विदेशों के अन्य व्यावसायिक केन्द्रों में फुटकर बिक्री दुकानें खोलने का विचार है।

(ख) इन स्टोरों में बिक्री की सही संभावनाओं को आंकना कठिन है परन्तु इनमें पूर्वानुमानों के अनुसार तथा कुछ स्टोरों में उससे भी अधिक बिक्री होती है।

इस्पात स्लीपरों का निर्यात

2678. **श्री जो० ना० हजारिका :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 और 1966-67 में रेलवे इस्पात स्लीपरों का निर्यात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को ;

(ग) 1965 से अब तक कितने मूल्य के स्लीपरों का निर्यात किया गया ; और

(घ) इस मामले में निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

पूर्व रेलवे मुख्यालय, कलकत्ता के रोकड़ कार्यालय से नकदी गुम होना

2679 **श्री बाबूराव पटेल : श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री चपलकान्त भट्टाचार्य :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 अक्तूबर, 1967 को कलकत्ता में पूर्व रेलवे मुख्यालय के रोकड़ कार्यालय के कोष कक्ष से वास्तव में कितनी रकम गुम हुई पाई गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि कोष कक्ष का मुख्य ताला बिल्कुल बन्द था, तिजोरी का ताला टूटा हुआ पाया गया था जिसमें एक मुहरबन्द थैले में यह रकम रखी हुई थी ;

(ग) गुम हुए उस थैले का वजन कितना था जिसमें दस-दस और सौ-सौ रुपये के नोट थे ;

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ङ) गत वर्ष मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे में नकदी की इस प्रकार की कितनी चोरियां हुईं, ये चोरियां किस-किस तारीख को हुईं तथा कितनी-कितनी रकम की चोरी हुई ;

(च) भविष्य में इस प्रकार की और चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं ;

(छ) क्या कोष-कक्ष विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इस क्षति के लिये बीमा किया हुआ था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) 5 लाख रुपये।

(ख) जी हां।

(ग) थैले में केवल 10 रुपये वाले नोट ही थे। थैले का वजन मालूम नहीं है।

(घ) इस संबंध में ये छः रेलवे कर्मचारी अब तक गिरफ्तार किये गये हैं।

1. श्री वेणु व्रत चटर्जी, सहायक कोषाध्यक्ष,
2. श्री जी० के० मुखर्जी, कैश क्लर्क,
3. श्री रामेश्वर राम, फर्राश,
4. श्री लाल बहादुर, जमादार,
5. श्री कालिका सिंह, मुख्य जमादार,
6. श्री चन्द्रिका तिवारी, हावड़ा कैश कार्यालय का चपरासी ।

(ङ) कुछ नहीं।

(च) तत्संबंधी हिदायतें बार-बार दोहराई जाती हैं जिन में रेलवे प्रशासनों से कहा जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल सुरक्षा प्रबन्ध पर्याप्त तथा ठीक हों । वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर रेलवे कैश कार्यालयों का निरीक्षण करते रहते हैं और मूलभूत सुरक्षा प्रबन्धों में यदि कोई त्रुटि होती है तो वह तुरन्त दूर कर दी जाती है ।

(छ) जी नहीं ।

यात्रियों के लिये सुविधायें

2680. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्री-सुविधाओं में सुधार करने के लिये **चौथी योजना में चार करोड़ रुपये** नियत किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कैसे उपयोग किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे अभिसमय समिति, 1965 आगामी पांच वर्षों में (अर्थात् 1966-67 से) रेलवे विकास निधि में से 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था उपयोक्त सुविधाओं के लिये करने की सिफारिश की है । वास्तविक राशि जो 1966-67 तथा 1967-68 के बजट में इसके लिये रखी गई है यह है :

1966-67—4 करोड़ रुपये ।
1967-68—3.89 करोड़ रुपये ।

(ख) यह राशियां रेलवे द्वारा उनके वार्षिक यात्री तथा अन्य रेलवे उपभोक्ताओं की सहूलियत के कार्यों पर खर्च की जाती हैं । यह कार्यक्रम विभिन्न खण्डों द्वारा उनकी क्रमशः उपभोक्ता सहूलियत समितियों तथा उपनगरीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति की सलाह से तैयार किया जाता है ।

व्यय के लिये जो कार्य यात्री तथा रेलवे उपभोक्ता सहूलियतों के लिये वर्गीकृत किये गये हैं, वह दर्शाने वाला एक विवरण संलगन है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1825/67]

बोंगायगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार

2681. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगायगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बंगईगाव / जोगीगोपा से आगे का अतिरिक्त यातायात अंशतः विद्यमान मीटर गेज

लाईन द्वारा, सड़क द्वारा तथा जोगीगोपा से तथा को नदी मार्ग द्वारा होता है। बंगईगांव से आगे सड़क तथा नदी द्वारा यातायात बढ़ाने की योजना परिवहन मंत्रालय ने बना रखी है।

Delivery of Goods Lying on Station

2682. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have framed rules to the effect that traders should obtain delivery of their goods from stations without delay, otherwise their goods would be auctioned ;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is fact that a number of traders purposely delay taking delivery of their goods from godown sheds at several railway stations and thus make use of them as their own godowns; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha).

(a) and (b) The procedure for dealing with consignments which the consignees may fail to remove from railway premises is laid down in section 56 of the Indian Raiways Act. (An extract of Section 56 is laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See No. Lt-1822/67)**

A rule based on this is incorporated in the Indian Railway conference Association Goods Tariff No. 32, Part I. (An extract of the relevent rule is also attached).

(c) It does sometimes happen that goods received at the destination are left on railway premises for fairly long spells, but it is naturally difficult for the railway administration to make out whether the consignees are purposely delaying removal of the goods from goods sheds and thus making use of them as their own godowns.

(d) Apart from levying wharfage charges, the railway administration contact the consignees, if they are known, and the trade associations and, in the type of cases in which they can be of help, the local civil authorities too, is as to secure removal of the goods. If that does not produce results, action is taken in terms of the provisions of the act and the rule contained in the goods Tariff.

Steel Plants

2683. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the reasons for the increase in capital investment, each year on Bhilai, Durgapur, Rourkela and Bokaro Steel plants, at the preliminary stage of the production capacity of ten thousand tons;

(b) whether it is a fact that there is a great difference in the capital investments on Bhilai Steel plant and Bokaro Steel plant, the production capacity of both of which is the same; and

(c) whether the said increase is due to the rise in prices in India or that in Russia ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) :

(a) to (c) Initially, the capacity of the Bhilai, Durgapur and Rourkela Steel Plants was one million tonne ingots each. At its first stage, Bokaro Steel Plant will have a production capacity of 1·7 million tonnes of steel ingots which will be increased to 4 million in the second stage. Project estimates are sanctioned for the steels plants by Government and within the sanctioned estimates, funds are released year after year in keeping with the progress of construction and erection. This accounts for yearly increase in capital investment.

The production capacity of the Bhilai and the Bokaro Steel Plants are not identical; their product-mix is also entirely different. the sanctioned project estimates of the Bhilai Steel Plant at the one million tonne ingots capacity stage amounted to Rs. 2023.4 million. The estimated cost of the first stage of Bokaro Steel plant with a production capacity of 1.7 million tonnes of ingots steel is Rs. 6200 million which includes increases in the cost of machinery and equipment, materials, cost of construction and erection etc. which have taken places in India and abroad since the establishment of Bhilai Steel Plant with a capacity of one million tonnes of ingot Steel.

Public Sector Employees

2684. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of public sector employees who gave up their jobs and joined service in private sector and the number of private sector employees who similarly joined service in public sector since 1961 to date;

(b) whether it a fact that thousands of public sector employees are joining service in private sector each year and that this number is increasing every year; and

(c) the efforts being made to prevent them from doing so ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) :

(a) It is not possible to ascertain how many employees who left their jobs in the public sector joined the private sector. The numbe.· of employees of all categories who resigned from public Sector during 1961 to 1965 is as follows :

1961	2136
1962	2135
1063	3087
1964	3636
1965	3069
1966 and 1967	Figures not available.

(b) The total number of employees in the public Seetor in 1965-66 was of the order of 4.7 lakhs, and of this the percentage of those who left service works out to approximately 0.65 percent, which is not of a magnitude to cause undue concern.

(c) Government has been paying constant attention to the salary scales, allowances, housing facilities, incentives, career prospects etc. provided for the employees in the public sector with a view to minimising drift of personnel.

पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य रेलवे (फोरेन) यातायात कार्यालय में पदोन्नति

2685. **श्री रमानी : श्री अ० कु० गोपालन :**

श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात सम्बन्धी हिसाब किताब में सरलीकरण प्रक्रिया को केवल पश्चिम रेलवे में ही क्रियान्वित किया गया था :

(ख) यदि नहीं, तो पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्कों की उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति न किये जाने के कारण हैं जब कि अन्य रेलवे में पदोन्नतियों की गई हैं; और

(ग) जब कि अन्य भारतीय रेलवेज में पदोन्नतियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । पश्चिम रेलवे में पदोन्नतियों पर लगाये गये इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क) जी नहीं ।

(ख) अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में श्रेणी 1 लिपिकों के सभी उपलब्ध पद भरे जा चुके है और वहां कोई भी पदोन्नति रोकी नहीं गई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कटक पारादीप रेल लाईन

2686, **श्री रवि राय : श्री स० कुन्दू :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटक पारादीप रेल लाइन बनाने के लिये कुछ धन मंजूर करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) इस लाईन का निर्माण योजना आयोग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा ।

Arrest of Railway Employees of Kasganj

2687. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it a fact that some employees of Kasganj, North Eastern Railway, were arrested on the 18th August, 1967;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that as a protest against the arrests, the employees had stopped doing their work and on account of that traffic was disrupted; and

(d) the number of striking employees and the period during which they did not do their work ?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**) :

(a) Yes, two Railway employees.

(b) One man was arrested at spot while stealing coal from Railway wagon and another for beating a G.R.P. Constable.

(c) Yes, as indicated against (d).

(d) Stoppage of work was from 15.30 hrs. on 18.8.67. to 14.30 hours on 19.8.67. 282 employees stopped work on 18.8.67. and 289 on 19.8.67.

Textile Mills in M. P.

2688. Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of textile mills in Madhya Pradesh, the districts in which they are located and the number of permanent and temporary workers, separately, employed in them;

(b) the particulars of such mills as have shown loss at the end of the year; and

(c) the amount given by Government as loan to the mills in order to assist them and the percentage of interest charged ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

पश्चिम रेलवे की दिल्ली स्थित संकलन शाखा से कर्मचारियों का तबादला

2689. **श्री नम्बियार :**
श्री ऐस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 में रेलवे बोर्ड ने आल इंडिया रेलवे मैनेज फेडरेशन को आश्वासन दिया था कि किसी भी कर्मचारी का तबादला उसकी अनुमति के बिना उसके कार्य स्थान से नही किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे की संकलम शाखा के सात क्लर्कों के दिल्ली से दोहाद भेजने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन आया हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) जब पश्चिम रेलवे पर अन्य रेलवे के यातायात संबंधी बीजकों को साख्यकी रूप देने का कार्य दिल्ली के सांख्यकी कार्यालय से दोहद के लेखा कायांलय में स्थानांतरित किया गया तो दिल्ली कार्यालय के कुछ कर्मचारी फालतू हो गये जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त सात कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया । उनके अभ्यावेदनों के उत्तर में इस बीच उन्हें दिल्ली पुनः तबदील के लिये कार्यवाही की गई है ।

नहान फाउंडरी के लेखे

2690. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1967 में नहान फाउंडरी के लेखों में बहुत सी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जाँच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) मेसर्स नाहन फाउन्ड्री लि० के लेखे की कुछ अनियमितताओं का उल्लेख केन्द्रीय सरकार के 1967 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में किया गया है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया है कि इनकी आवश्यक जांच-पड़ताल कराई गई है तथा इन पर मेसर्स नाहन फाउन्ड्री लि० के निदेशक मण्डल द्वारा विचार किया जा रहा है ।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड मे बिजली की चोरी

2691. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड को मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को अपनी बस्ती में बिजली सप्लाई करने के लिये बस्ती में बिजली के उपभोक्ताओं से वसूल होने वाली राशि से पांच लाख रुपये अधिक देने पड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ; और

(ग) बस्ती में बिजली के उपभोक्ता भविष्य में विजली चोरी न कर सकें, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा कारखाने तथा बस्ती के लिए बिजली का संभरण इकट्ठा किया जाता है और उसकी अलग से भुगतान नहीं किया जाता तथापि बस्ती में बिजली की खपत तथा मीटर के किराये के रूप में देय राशि तथा वास्तव में दी गई राशि में अन्तर है । । इस प्रकार 1961-62 से लेकर छः वर्षों में राजस्व में 8.79 लाख रुपये की हानि हुई । इसके कारण ये हैं :—

1. घरों में बिजली लगाते समम तथा सब स्टेशन के परीक्षणों में हुई हानि ।

2. 1961-62 तथा 1962-63 के कुछ भाग में बिजली के सम्भरण को एक ही दर पर आंका जाना क्योंकि इस समय बिजली के घरेलू मीटर उपलब्ध नहीं हैं ।

3. प्रारम्भिक अवस्था में मीटरों को लगाए जाने से पूर्व परीक्षण की सुविधाओं का न होना ।

4. बिजली के मीटरों को छेड़ना ।

5. बिजली की चोरी में कमी करने की जाँच की गई है ।

(ग) चोरी में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ;

1. चोरी रोकने वाले दलों द्वारा आकस्मिक छापे मारना ।

2. संदिग्ध जगहों पर परीक्षण मीटरों द्वारा चौकसी रखना।

3. अच्छे किस्म के मीटर बोर्डों का लगाया जाना जिसमें कटआउट को पीछे से लगाया जाता है ।

4. बिजली की सप्लाई के पहले सीधे मीटरों को करना और तत्पश्चात कट-आउट तक पहुंचाना ।

5. मीटर के मुख्य ढक्कनों के अन्दर बदले जा सकने वाले ब्लाक के स्थान पर स्थायी सम्पर्क जोड़ना ।

रेलों में चोरी

2692. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : श्री रणधीर सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में रेलों में कितनी चोरियां हुई तथा कितने मूल्य का माल चोरी हुआ; और

(ख) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गये हैं तथा उसमें कितने रेलवे कर्मचारी हैं ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) चोरियों और वस्तुएँ उठाये जाने की घटनाओं की संख्या	2,343
चोरी हुई वस्तुओं का मूल्य	8,77,063 रुपये
ढूढ़ ली गई वस्तुओं का मूल्य	2,26,323 रुपये
वास्तविक हानि:	6,50,740 रुपये
(ख) उन मामलों की संख्या जिनमें अपराधी पकड़ लिये गये	327
(ग) इसमें से रेलवे कर्मचारियों की संख्या	99

औद्योगिक बस्तियों का कार्य

2693. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक बस्तियों के कार्य का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से औद्योगिक बस्तियों के कार्य में सुधार करने के लिये, क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) देश की औद्योगिक बस्तियों के कार्य संचालन के बारे में प्राक्कलन समिति ने अपनी 106वीं रिपोर्ट में समीक्षा की थी और इस समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें भारत सरकार ने स्वीकार कर ली हैं।

(ख) चूंकि औद्योगिक बस्तियों की स्थापना और उनकी देख-रेख राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है, अतः प्राक्कलन समिति की सिफारिशें उन्हें मई, 1967 में बता दी गई थीं। प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी राज्य अधिकारियों से जो बातचीत हुई उससे पता चला है कि महाराष्ट्र, मद्रास और गुजरात राज्यों में औद्योगिक बस्तियों के कार्य संचालन के संबंध में कुछ सुधार हुआ है। इन राज्यों की अधिकांश, औद्योगिक बस्तियों के शेडों का कब्जा ले लिया गया है और उनमें कारखाने चलने शुरू हो गए हैं।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) प्राक्कलन समिति द्वारा बताई गई कमियां और उन पर की गई सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की जानकारी में ला दी गई हैं।

(2) लघु उद्योग विकास आयुक्त ने सभी उद्योग निदेशकों को पत्र लिखे हैं जिसमें औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम को पुनर्जीविन प्रदान की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(3) समस्त लघु उद्योग सेवा संस्थानों को निदेश दिये गये हैं कि वे प्रत्येक बस्ती के कार्य संचालन का पुनरीक्षण करें तथा भावी उद्यमियों के मार्ग में एवं बस्तियों के समुचित रूप से चलाने के बारे में आने वाली कठिनाइयों को उद्योग निदेशक की जानकारी में लायें।

(4) चूंकि बहुत सी बस्तियां खराब जगह पर स्थिति हैं, अतः उद्योग निदेशकों को परामर्श दिया गया है कि भविष्य में वे उपयुक्त, तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराये बिना नई बस्ती की योजना न बनायें। सर्वेक्षण के निष्कर्षों को प्रत्येक लघु उद्योग सेवा संस्थान से संबंधित सलाहकार समिति द्वारा जांच पड़ताल करने के पश्चात बस्तियों के स्थान और रूप-रेखा आदि के बारे में सलाह के लिये विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को भेज दिया जाता है। राज्य सरकारों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अपनी ओर से नई बस्तियों की स्थापना न करके औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित स्थानों की व्यवस्था करें फिर भी वे शहरी क्षेत्रों में सहकारी एवं गैर सरकारी ज्वाईंट स्टक कम्पनियों की स्थापना करने में सहायता कर सकती हैं। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार द्वारा क्रियाशील औद्योगिक बस्तियाँ बना सकते हैं।

(5) राज्य उद्योग निदेशकों को विभिन्न अतिरिक्त प्रोत्साहनों के बारे में जैसे नियमित

कच्चे माल का अधिमान्य आवंटन करने तथा चुंगी और बिक्री कर इत्यादि में छूट देने का सुझाव दिया गया है।

(6) औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम की प्रत्येक राज्य सरकार, ग्रामीण तथा लघु उद्योग कार्यकारी दल के प्रतिनिधि द्वारा चालू वार्षिक योजना पर वाद-विवाद के दौरान समीक्षा भी की गई थी।

कुप्पम (दक्षिण रेलवे) के निकट दुर्घटना

2694. **श्री बलराज मधोक :** **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मई, 1967 को दक्षिण रेलवे के कुप्पम स्टेशन के निकट होने वाली दुर्घटना की जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति उनको दी जाने वाली सहायता के लिये की जाने वाली कार्यवाही तथा प्रतिकर की राशि से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने रेलवे मंत्रालय को इस विषय में एक ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ;

(ख) रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त, बंगलौर का जिन्होंने दुर्घटना की सांविधिक जाँच की थी, अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी अबतक के उनके निष्कर्ष के अनुसार, दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों के दोष के परिणामस्वरूप हुई।

(ग) और (घ) जी हां, दुर्घटना में हताहत व्यक्तियों के निकट संबंधियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय रेलवे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एक तदर्थ दावा आयुक्त इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप दायर किये गये दावों का निर्णय करने तथा उन्हें निबटाने के लिये नियुक्त कर दिया गया है।

दिल्ली में रिंग रेलवे

2695. **श्री बलराज मधोक:** **श्री कंवर लाल गुप्त:**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में संघ क्षेत्र दिल्ली में रिंग रेलवे के कार्य को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मंजूर शुदा परियोजना को दिल्ली मुख्य लाइनों पर यातायात कम करना तथा तत्संगत यातायात की सुविधाएं कहा जाता है। गत तीन मास में 6 प्रतिशत प्रगति हुई। ये कार्य पूरे किये गये ;

(एक) रिंग रोड के लिये ऊपरी सड़क पुल पूरा हुआ तथा उसपर सड़क यातायात चालू किया गया।

(दो) रिंग रोड को पटेल नगर से जोड़ने वाली नई 100 फुट चौड़ी सड़क के लिये ऊपरी सड़क पुल का मुख्य भाग (छोटी-छोटी मदों को छोड़ कर)

भी पूरा किया गया। पुल तक के मार्गों पर कार्य अभी आरंभ नहीं किया गया जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय अधिकार की है।

(तीन) सरदार पटेल मार्ग तथा आजादपुर रोड के लिये ऊपरी सड़क पुल के निर्माण में काफी प्रगति हुई है।

(चार) विचाराधीन अवधि में 20 लाख घन फुट चट्टानें भी काटी गई, परियोजना की कुल प्रगति 79 प्रतिशत है और इसके दिसम्बर, 1968 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

दिल्ली में रेलवे ऊपरी-पुल

2696. **श्री बलराज मधोक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों मे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में रेलवे के ऊपरी पुलों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : चौथी पांच वर्षीय योजना के दौरान तिलक ब्रिज को चौड़ा करने सहित 9 ऊपरी/निचले सड़क पुल सड़क प्राधिकारियों द्वारा बनाने को योजना थी। किन्तु धनाभाव के कारण इन अधिकारियों ने जून, 1967 में निर्णय किया कि चौथी योजना में केवल तीन निर्माण-कार्य ही हाथ में लिये जाएँ। इन प्रस्तावों का तथा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्योरा इस प्रकार है:—

(एक) दिल्ली सराय रोहिल्ला में विद्यमान केवल क्रासिंग के स्थास पर ऊपरी सड़क पुल

उत्तर रेलवे द्वारा इस निर्माण-कार्य के सामान्य प्रबन्धों के नक्शे पूरे कर दिल्ली नगर निगम [अनुमोदनार्थ भेज दिये गये हैं। उत्तर रेलवे ने निगम को] उनका 13.3 लाख रुपये का भाग जमा कराने के लिये कहा गया है जो रेलवे द्वारा निर्माण करने के लिये है और उसे आवर्ती तथा परिरक्षण पर होने वाले व्यय को वहन करने को सहमत होने के लिये भी कहा गया है। निगम द्वारा इस पर अभी निर्णय लिया जाना है। रेलवे ने अपनी ओर से यह कार्य 1968-69 के अपने निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया है।

(दो) दिल्ली दुग्धयोजना के निकट पटेल रोड पर ऊपरी सड़क पुल जो विद्यमान लेवल क्रासिंग का स्थान लेगा

रेलवे द्वारा इस निर्माण-कार्य के नक्शे बना कर दिल्ली नगर निगम को अनुमोदन के लिये भेज दिये गये हैं। उत्तर रेलवे ने निगम से उनका 10.5 लाख रुपये का शेयर जमा करने को कहा गया है और उन्हें आवर्ती तथा परिरक्षण व्यय वहन करने के लिये भी कहा गया है। मामला निगम के पास अभी पड़ा हुआ है। रेलवे ने अपनी ओर से यह कार्य 1968- 69 के अपने निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया है।

(तीन) तिलक पुल को और चौड़ा करना

यह ऐसा कार्य है जिसका पूरा खर्च सड़क प्राधिकारियों द्वारा वहन किया जाना है।

नक्शे बन चुके हैं और पुनरीक्षित लागत अनुमान, जो 50 लाख रुपये का है, उन्हें भेजा जा चुका है। इसके लिये धन अब तक उपलब्ध नहीं किया गया और अनुमान की स्वीकृति की भी प्रतीक्षा है।

गृह-कार्य मंत्रालय में 29-6-1967 को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया था कि इस कार्य के लिये धन (28 लाख रुपये) अगस्त, 1967 तक रेलवे के पास जमा करा दिया जाएगा। क्योंकि अब तक रेलवे के पास कोई राशि जमा नहीं कराई गई इसलिये इन कार्यों को पूरा करने में कोई प्रगति करना संभव नहीं हुआ है।

कोयला विपणन बोर्ड

2697. **डा० रानेन सेन:**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला उत्पादकों ने कोयला विपणन बोर्ड स्थापित किया है;

(ख) इस मामले में सरकार से परामर्श किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) निजी क्षेत्र में कोयला उत्पादकों द्वारा कोयला मार्किटिंग बोर्ड स्थापित किये जाने की सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दोहरी रेलवे लाइनों का बिछाया जाना

2698. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारती रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में दोहरी रेलवे लाईन बिछाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या रेलवे लाइनों को दोहरा करने का कोई नया प्रस्ताव भी है और यदि हां, तो कितने मीटर लम्बी और किन-किन लाइनों को दोहरा किया जाएगा; और

(ग) मुख्य लाइनों अर्थात् दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-पठानकोट और दिल्ली–कालका के कार्य को पूरा करने के लिए कितने समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) यह जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1823/67]

शेष लाइनों को दोहरा करने के आगामी कार्यक्रम इस बात पर निर्भर है कि समय-समय पर यातायात मे किस प्रकार विकास होता है तथा संसाधन कहां तक उपलब्ध होते हैं। अतः इस समय यह कहना संभव नहीं है कि मुख्य मार्गों पर दोहरी लाईनें कब बन पाएँगी।

स्टेशनों पर पीने के पानी की सप्लाई

2699. **श्री स० च० सामन्त :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर भी, विशेषकर गर्मी के मौसम में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहाँ कहीं प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की है वहाँ भी पानी पिलाने के लिए नियुक्त लोगों से रेलवे कर्मचारी अपने निजी कार्य करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप यात्रा कर रहे लोगों को बहुत कष्ट होता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

2700. **श्री जी० ब० सिंह : श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री श्री धरन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा बनाई गई पुनर्बेल्लन (री-रोलिंग) मिलों की लागत आयातित मिलों के मूल्य से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं: और

(ग) इन मिलों की लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० ने पुनर्बेलन मिलों का निर्माण अभी शुरू नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Recognition of Trade Unions by Railway Board

2701. **Shri Shasibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Trade Unions which have been granted recognition by the Railway Board;

(b) whether the Railway Board have framed any rules etc. for the elections of these unions; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Railway Board do not give reeognition to any Trade Unions on Railways; the competent authority to recognise such Unions is the General Manager of the Zonal Railway

concerned. General Managers of Railways have recognised 19 Unions on the various zonal Railways. Railway Board have given negotiating facilities to the following two Federations of Railwaymen :—

(i) All India Railwaymen's Federation ; and

(ii) National Federation of India Railwaymen,

(b) and (c) presumably the reference is to election of office-bearers of the Zonal Unions. In terms of the conditions precedent for the recognition of Unions, the rules of the Unions should contain, among others, the following provisions in regard to election of office bearers of local Unions.

(i) Subject to the provisions of Section 22 of the Indian Trade Unions Act, 1926, persons holding the offices in the Central executive of the Unions need not necessarily be Railway Servants. They shall be elected at the Annual General Meeting and shall ordinarily hold office for one year or until the next Annual General Meeting.

(ii) Office-bearers and also the Branch Secretary of each of the Branches of the Union, and other representatives of the Central Executive Committee of the Union shall be elected from those ordinary members of the Union who have attained the age of twenty one years.

Industrial Centres in Adivasi Areas

2702. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of new industrial centres which are proposed to be set up by Government in Adivasi areas for Industrial development;

(b) whether any scheme for setting up such industrial centres in East and West Nimar districts of Madhya Pradesh is under consideration of Government; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affars (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) to (c) the information is being collected from the concerned authorities and will be placed on the Table of the House.

Assault on the Office of D. S. Howrah

2703. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agitated crowd attacked the office of the Divisional Superintendent of Eastern Railway, Howrah and six persons were wounded as a result thereof in the last week of August, 1967;

(b) if so, the causes thereof; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) On 29.8.67. due to late arrival of a train at Howrah, passengers became agitated and rushed to the office of the Divisional Superintendent and demanded that he should

come out and explain the cause for the late running of the train. The Divisional Superintendent agreed to meet five or six representatives of the passengers to here their grievances, but the passengers in an agitated mood refused to send their representatives and demanded that Divisional Superintendent should come out and speak to them. Subsequently, infuriated passengers forcibly entered the Divisional Superintendent's office. Some passengers entered the Chambers of officers. Chairs and benches were broken and used in assaults, resulting in injuries to a few persons. Glass panes were broken and telephone equipments were damaged. Movement of some local trains on both Eastern and South Eastern Railways was thereby affected from 14.80 hours to 15.30 hours, as the demonstrators held up out-going trains .

(c) Two counter cases have been registered by Police, i.e. one on the complaint by members of public on Crime No. 96 of 29.8.67 under Section 147/148/328 IPC and the other complaint against a number of outsiders by the Divisional Superintendent, Howrah on Crime No. 101 of 29.8.67 under Section 147/447/426/337/323 IPC. The police investigation is still continuing. None has so far been arrested.

Fire Incident at Chirimiri Railway Station

2704. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chirimiri Railways Station in Sarguja District of Madhya Pradesh was set on fire on the 26th September, 1967 by an agitated crowd;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the loss of property suffered by government thereby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. poonacha) :

(a) Yes.

(b) While 4 school girls were crossing the station yard near a sharp curve on the side of which coal dust was stocked, one of them was run over, the leg of another girl was cut near the ankle and the remaining two girls sustained minor injuries by the shunting engine.

On receipt of information about this accident, students from colleges and schools gathered in large number near the place of occurence and assaulted the shunter seriously and set fire to the Parcel office and station Master's room.

(c) Rs. 1,61,800/- approximately.

Over Bridge at Chirimiri Railway Station

2705. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is fact that there is no over bridge at Chirimiri Railway Station in Madhya Pradesh which may lead to the market and the school from the station;

(b) If so, whether Government propose to construct an over-bridge at the station; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Sri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The question of providing a safe and convenient approach from the marketside to the station including provision of a foot over bridge as necessary, is already under consideration.

(c) Does not arise.

Clash in Third Class Compartment of Parcel Train on N.E. Railwey

2706. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 7957 on the 4th August, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the quarrel which took place in a third class eompartment of a parcel train on the North Eastern Railway has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) and (c) The Police have closed the investigation and submitted final report stating that no clue could be found.

Fare from Fatehpur to Churu

2707. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7937 on the 4th August, 1967 and state :

(a) whether the enquiry in regard to the double fare which was being charged for the railway journey between Fatehpur and Churu has since been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) The question has been re-examined but we have had to come to the conclusion that status quo should, for the present, be maintained. Even as it is, the section continues to be unremunerative. The withdrawal of inflation of the distance for charge will make the return poorer. The prospects of additional traffic coming to the section as a result of withdrawal of the inflation are not appreciable.

सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन

2708. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में कुप्रबन्ध, अकुशल संरक्षण, आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने तथा उत्पादन कम होने के कारण नुकसान हुआ है तथा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का लगा है ; और

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि इस्पात, कारखाने तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कुशलता से काम करने के लिए संविहित निगम स्थापित करने चाहिये ; और यदि हां, तो इस का व्योरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) 1966-67 वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को उत्पादन तथा वित्तीय दृष्टि

से धक्का लगा है । मांग कम होने सहित कुछ कारणों का उनके काम पर बुरा प्रभाव पड़ा जिसके कारण घरेलू बिक्री में भारी कमी हुई और अधिकतम उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हुआ । कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि, आयातित माल और फालतू सामान के मूल्य में अवमूल्यनोत्तर वृद्धि, अस्तव्यस्तता और रुकावटें विशेष रूप से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कोयला-भट्टियों में इसके अन्य कारण हैं ।

(ख) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि औद्योगिक और निर्माण सम्बन्धी क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं में इस समय जो कम्पनी फार्म' अपनाया जाता है उसकी अपेक्षा संविहित निगमों को आम तौर पर अपनाया जाना चाहिये । इस समय रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति

2709. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय टिकट निरीक्षण दल द्वारा हाल में की गई जांच से पता चला है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) क्या इस दल को इस बात का पता लगा है कि समाज के सम्पन्न लोग भी अब बिना टिकट यात्रा करते हैं ;

(ग) क्या लोगों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने का एक कारण रेल किराये की वृद्धि है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : केन्द्रीय टिकट निरीक्षणदल द्वारा अब तक की गई जांच से पता चला है कि उत्तरी रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है और केन्द्रीय रेलवे में थोड़ी वृद्धि हुई है । 1959-60 में इसी तरह के दल द्वारा की गई जांच से तुलना करने पर ऐसा पता चला है ।

(ख) जी हां, ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सामान्य टिकट निरीक्षण व्यवस्था के अलावा बिना टिकट यात्रा को खत्म करने के लिए उठाये गये कदमों में 'फ्लाइंग स्क्वाड' की सहायता से जोरदार अचानक और क्षेत्रवार जांच, संकेन्द्रित स्थल और विभागीय जांच, मजिस्ट्रेट के साथ जांच, कुछ विभागों में तीसरे दर्जे के हर कोच में एक टी० टी० ई० और रेलवे पुलिस दल के दो रक्षकों की तैनाती, बिना टिकट यात्रियों के लिए टिप्पणी आदि शामिल हैं ।

उड़ीसा में खानों के पट्टे

2710. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1967 से सितम्बर, 1967 तक उड़ीसा में खानों को पट्टे पर देने के बारे में कितने स्वीकृति प्रमाण-पत्र दिये गये हैं;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये प्रमाण-पत्र दिये गये; और

(ग) किन-किन तथा कितने मामलों में आवेदन-पत्र दिये जाने के दिन में ही स्वीकृति प्रमाणपत्र दिये गये ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) से (ग) आवश्यक सूचना राज्य सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

यात्री टिकटों की बिक्री से होने वाली आय

2711. **श्री समर गुह** :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी साधारण प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के यात्री टिकटों की बिक्री से क्रमश: कितनी आय हुई;

(ख) उक्त अवधि में नये कोचों के निर्माण तथा उक्त श्रेणीयों के यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए क्या अतिरिक्त सुविधायें दी गई हैं;

(घ) विभिन्न वर्गों के यात्रियों से होने वाली आय के अनुकूल सभी यात्रियों को समान लाभ देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा): (क) विभिन्न श्रेणियों में वहन किये गये यात्रियों से 1964-65, 1965-66 और 1966-67 वर्षों को दौरान हुई आय का व्योरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपयों में आंकड़े)

	1964-65	1965-66	1966-67	3 वर्षों का जोड़
वातानुकूलित प्रथम श्रेणी	1·80	1·99	2·06	5·85
प्रथम श्रेणी	14·70	16.87	17·22	48·79
द्वितीय श्रेणी	8·10	8.78	7·86	24·74
तृतीय श्रेणी (वातानुकूलित कुर्सी गाड़ियां)	174·68	191.53	202·20	568·41
सभी श्रेणियों का जोड़	199·28	219·17	229·34	647·79

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान नये यात्री डिब्बों पर निम्नलिखित खर्च किया गया :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	1964·65	1965·66	1966·67	3 वर्षों का योग
वातानुकूलित प्रथम श्रेणी यात्री डिब्बे	—	—	13·75	13·75
प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बे	1,62·05	1,90·70	1,75·40	5,28·15
मिले-जुले प्रथम और द्वित्तीय श्रेणी सवारी डिब्बे	-	—	14·40	14·40
द्वित्तीय श्रेणी सवारी डिब्बे	-	-	43·70	43·70
मिले जुले प्रथम और तृत्तीय श्रेणी सवारी डिब्बे	53·61	20·39	30·79	1,04.79
तृलीय श्रेणी सवारी डिब्बे	10,54·58	8,81·00	12,06·87	31,42·45
वातानुकूलित तृत्तीय श्रेणी कुर्सी गाड़ी (चेयर कार)	-	-	55·95	55·95
बिजली एकाधिक एकक सवारी डिब्बे	2,91·67	4,24·53	5,80·92	12,97·12
डीजल रेल गाड़ियां	8·60	-	-	8·60
जोड़ ...	15,70·51	15,16·62	21,21·78	52,08·91

यात्री सुविधाओं पर व्यय के सम्बन्ध में प्रत्येक श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है। अधिकांश सुविधायें सभी श्रेणीयों के यात्रियों के लिए एकासी हैं। यात्रियों तथा अन्य रेलवे उपभोक्ता सुविधाओं पर इन वर्षों के दौरान निम्नलिखित व्यय किया गया :—

यात्रियों और अन्य रेलवे उपभोक्ता सुविधाओं पर व्यय (लाख रुपये)

1964-65	2,87
1965-66	4,27
1966-67	3,65

(ग) पिछले तीन वर्षों में तीसरे दर्जे के ज्यादा दूरी यात्रियों के लाभ के लिए 396 सलीपर कोच (246 बड़ी लाइन पर और 150 छोटी लाइन पर) बढ़ाये गये हैं । नये तीसरे दर्जे के डिब्बों में जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उन में चिलमची (वाशबेसिन) रात की रौशनी आदि हैं । इस के अतिरिक्त ऐसे पुराने डिब्बों में 3,493 पंखे लगाये गये जिन में पहले पंखे लगे हुए नहीं थे । तीसरे दर्जे के यात्रियों सहित सभी यात्रियों के लिए स्टेशनों पर जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उन में प्रतीक्षालय का निर्माण, विश्रामालय, जलपान गृह और विक्रेता केन्द्र, प्लेटफार्म का विस्तार करने, ऊँचा करने, चौड़ा करने, समतल करने, ढकने तथा अन्य सुधार करने, नये उपरिपुलों और छोटे रास्तों की व्यवस्था, जल की सप्लाई के सुधरे प्रबन्ध आदि शामिल हैं ।

(घ) हमारी नीति उपलब्धि धनराशि से आम तौर पर सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए और विशेष रूप से तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना है ।

खनिजों की खोज के लिये अनुसंधान संस्था

2712. **श्री समर गुह :**

क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 तथा 66-67 में किये गये खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) हमारे देश में खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण तथा खोज के लिये क्या तरीके अपनाये जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार भारत में छिपे हुए खनिज संसाधनों की खोज के लिये पुराने तरीकों को सुधारने तथा नये तरीकों का पता लगाने के लिये अनुसंधान संस्थाएं स्थापित करना वाँछनीय समझती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) 1965-66 तथा 1966-67 के वर्षों के दौरान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किये गए सर्वेक्षणों के परिणाम संलग्न विवरण में दिये गये है । [**पुस्तकालय में रखी गयी , देखिये** संख्या एल० टी० 1824/67]

(ख) छोटे तथा बड़े पैमाने पर भूतल का भूवैज्ञानिक मानचित्रण भूरसायनिक तथा भूभौतिक सर्वेक्षण, गढ़े बनाना, खाइयां खोदना, अन्वेषणात्मक व्यधन तथा खनन ।

(ग) खनिजों के अन्वेषण के नये तरीके निकालने तथा उनमें सुधार करने के लिये भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के पास पहले ही एक क्षेत्रीय प्रविधि अनुसंधान एकक है ।

हसन-मंगलोर मीटर लाइन

2713. **श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगडी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हसन-मंगलोर मीटर लाइन का निर्माण कार्य रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कितना काम हो चुका है और वह कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अक्तूबर, 1967 के अन्त तक मंगलोर-पनमबूर लिंक पर कुल मिला कर 62 प्रतिशत काम और हसन से मंगलोर तक मीटरगाज बड़ी लाइन पर 19.5 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है । मंगलोर-पनमबूर लिंक के जून, 1968 तक तैयार हो जाने की आशा है । हसन-मंगलोर के बीच मीटर लाइन का निर्माण-कार्य इस तरह चलाया जा रहा है कि वह मंगलोर पत्तन परियोजना के पूरा हो जाने के साथ-साथ पूरा हो ।

होस्पेट से मिराज तक और लोंडा से मरमागोआ तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2714. **श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगाडी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होस्पेट से गुण्टांकल के रास्ते होकर मद्रास तक बड़ी लाइन पर तथा होस्पेट से द्रबली और लोंडा के रास्ते होकर मरमागोआ तक अयस्क लोह ढोने के लिए प्रति मीटरिक टन कितना भाड़ा लिया जाता है; और

(ख) क्या होस्पेट और मिराज तथा लोंडा और मरमागोआ को मिलाने के लिए मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) होस्पेट से गुण्टाकल के रास्ते होकर मद्रास तक अयस्क लौह के भाड़े की दर प्रतिटन 28 रुपये और होस्पेट से द्रवली और लोंडा के रास्ते होकर मरमागोआ तक 21.32 रुपये है ।

(ख) जी, हां ।

Northern Railway Employees Union

2715. **Shri A. B. Vajpayee :** **Shri Sharda Nand :**
Shri N. S. Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Northern Railway Employees Union has recently submitted a Memorandum regarding demand of ministerial and Class IV staff to the Divisional Superintendent of Jodhpur division; and

(b) if so, the action proposed to be taken in regard to:-

(i) preparation of duty List of ministerial and Class IV staff;

(ii) provision of leave-reserves for them as per Railway Board's orders;

(iii) improvement in the working of Railway Hospital and Dispensaries; and

(iv) full re-imbursement of tuition fee to employees as paid by them to School authorities ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) A representation was submitted by the Uttar Railway Karamchari Union (unrecognised) on 25. 10. 67.

(b) (i) The complaint is that the workload according to the present duty list is heavy. In view of the ban on the creation of posts in ministerial categories, any increase of staff is not at present possible.

(ii) Leave reserves have been provided according to the percentages prescribed.

(iii) The complaint is essentially against inadequate facilities available in Dispensaries for outdoor patients. All available facilities are provided to the staff.

(iv) The claim is for reimbursement of fees at the rates approved by Government for aided schools instead of the rates charged by Govt. in Government schools. In accordance with the latest orders, reimbursement of fees is permissible only at the rates charged for the corresponding classes in Government schools and the Railway Administration is following the same.

Northern Railway Workers' Union

2716. **Shri A. B. Vajpayee : Shri Sharda Nand: Shri N. S. Sharma:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Northern Railway Workers' Union recently submitted a memorandum about their demands to the Financial Adviser and Chief Aceounts Officer of Jodhpur Division; and

(b) if so, the action proposed to be taken in regard to :—

(i) filling up of all the vacancies;

(ii) provision of appropriate leave reserves as per the decision of Railway Board; and

(iii) other demands of workers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) (i) Vacancies in the Traffic Accounts Branch could not be filled up due to ban on recruitment; however, certain steps have been taken to rationalise the work in the different offices;

(ii) Leave reserves have been provided according to the percentages prescribed; and

(iii) Other demands have been examined and action as justified is being taken.

Installation of Computers

2717. **Shri A. B. Vajpayee: Shri Shardanand : Shri N. S. Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of computers installed so far on Railways for automation of accounting work;

(b) the amount of foreign exchange and Indian currency spend for these computers as non recurring expenditure, interest per mensem on the non-recurring capital and recurring monthly expenditure;

(c) the number of posts abolished and the amount saved as a result thereof;

(d) the total loss or profit per month; and

(e) further programme of installing such computers for Railways and the amount of foreign exchange and Indian currency likely to be spent thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Seven-four on Zonal Railways and three in the Production Units. The other five Zonal Railways have Unit Record Epuipment.

(b) All payments for these computers and Unit Record Epuipment are in Indian Rupees and not in foreign exchange.

The non-recurring expenditure on the installation of the computers was about Rs.11 lakhs. This expenditure was charged to Revenue on the Zonal Railways and to the Workshop Suspense in the Production Units which was later on charged off as part of the cost of the outturn of Production Units.

No interest is, therefore, accruing on the non-recurring charges. The monthly rental of the 7 computers is about Rupees 3 lakhs.

(c) and (d) The computers on Zonal Railways and in two of the Production Units were installed in replacement of Unit Record Equipment. One Production Unit had a computer almost from its inception. On the Zonal Railways only the work which was being done on the Unit Record Equipment is initially being put on to computers and there is very little immediate saving in staff due to the changeover. Savings will, however, accrue when more jobs are put on to computers in the course of the next two years or so, and may be expected to amount to over Rs.100 lakhs a year. The strength of accounting staff in production Units was kept down ab initio in view of the imminent installation of mechanised accounting equipment, and savings as such on existing posts did not figure in the production Units on a substantial scale. The savings as a result of mechanisation of accounting with Unit record Equipment on the Zonal Railways, viz., the cost of about 1300 posts saved are estimated at about Rs. 52 lakhs per year. This is, in addition to the increase in the amount of under-charges detected, which rose from about Rs. 25 lakhs in 1963 before mechanisation to about Rs. 94 lakhs in 1966 when the machines had taken over the check of charges. The value cannot be computed in rupees of the much wider range of statistical

information of the movement of commodities which became available after the installatiou of Unit Record Equipment. The statistics being compiled now are for about 550 commodities and in greater detail than was done for only about 140 commodities compiled before mechanisation. These statistics are also available much earlier now than they used to be.

(c) Computers are expected to replace existing Unit Record Equipment on two more Zonal Railways and another computer is expected to be installed in the Railway Board's office in the course of the next few months. The latter will be used mainly for better control over transportation, particularly over the movement of wagons. The non-recurring expenditure on the computers will be approximately Rs. 4 lakhs, which includes the replacement of Unit Record Equipment by computers on two Zonal Railways and the installation of the computer in the Railway Board's Office. The monthly rental for a computer is about Rs. 48,000/- on Zonal Railways, which, taking all the Zonal Railways together where a computer is replacing Unit Record Equipment, will be approximately equal to the cost of working with unit record machines which they replace. The monthly rental of the computer for the Railway Board's Office will be about Rs. 77,000/- including peripheral equipment like punches, verifiers etc. All the charges are payable in Indian Rupees.

Central Government Health Scheme facilities to employees of Northern Railway.

2718. **Shri A. B. Vajpayee.** **Shri N. S. Sharma.**
Shri Sharda Nand.

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in response to a circular issued by the Railway Board a large number of employees of Northern Railway in Delhi have recently agreed that facilities of Central Government Health Scheme should be provided to them also as are provided to the employees of Railway Board and other employees of the Central Government;

(b) if so, the total number of employees who have opted for it; and

(c) the number of employees out of them who have been provided facilities under 'Central Government Health Scheme' the number of those to whom facilities are yet to be provided and the time by which these facilities would be provided to them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) and (b) the possibility of coming to an arrangement with C. G. H. S. authorities whereby the latter would provide out-door treatment facilities to Railway employees and their dependants residing in areas of Delhi and New Delhi which are situated at a distance from a Railway Health Unit/Hospital, but where there was a C. G. H. S. dispensary nearby, was explored. On enquiry from the Northern Railway it was found that 1731 Railway employees would like to avail of such facilities if arranged. The C. G. H. S. authorities did not agree to accommodate the Railway staff in their scheme. The proposal was, therefore, dropped.

(c) Does not arise.

हस्त शिल्प बोर्ड

2719. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 21 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6435 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हस्त शिल्प बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का इस बीच पुनर्गठन कर दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/6/67- एच० सी०, दिनांक 16 सितम्बर, 1967 की जिसके द्वारा उसका पुनर्गठन किया गया है, एक प्रति (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1825/67]

खादी के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये समिति की नियुक्ति

2720. **श्री रामकृष्ण गुप्त : श्री विभूति मिश्र :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या खादी तथा ग्रामंद्योग उपयोग की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये नियुक्त की गई उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कूप्यम रेलवे दुर्घटना सहायता समिति, त्रिवेन्द्रम

2721. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब 21 मई, 1967 को दक्षिण रेलवे पर कूप्यम के निकट रेल दुर्घटना हुई थी, तो सब बत्तियां बुझा दी गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता देने के बजाय यात्रियों के सामान को बिना रोक टोक लूटा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में यात्रियों का इस प्रकार लूटा जाना रोकने और अपराधियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। ठीक स्थिति यह है कि दुर्घटना ग्रस्त यात्रियों का सामान पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के पर्यवेक्षण के अधीन एकत्रित कर लिया गया था और उचित पहचान करके कूप्यम में दावेदारों को सपुर्द कर दिया गया था और शेष चीजों की सूचना जनता को समाचार पत्रों और सूचना पट्टों के द्वारा दी गई।

घायल यात्रियों का प्राथमिक उपचार किया गया और गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को निकटतम हस्पतालों मे पहुँचाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मालगाड़ी के बन्द डिब्बे

2722. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि अक्तूबर, 1967 से जनवरी, 1968 तक काण्डला, बम्बई, मद्रास, कोचीन तथा कलकत्ता पत्तनों से आयातित अनाज की ढुलाई के लिए मालगाड़ी के कितने बन्द डिब्बों की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या बन्द डिब्बों में अनाज की ढुलाई की व्यवस्था करना संभव होगा ;

(ग) यदि नहीं, तो बन्द डिब्बों की कितनी कमी रहेगी ; और

(घ) रेलवे खुले डिब्बों में अनाज की ढुलाई अच्छी हालत में किस प्रकार करने का विचार कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री च०मु० पुनाचा) : हर महीने अलग-अलग मात्रा का आयात किया जायेगा। रेलवे को प्रत्येक पत्तन पर आयातों सम्बन्धी कार्यक्रम वास्तविक ढुलाई के महीने के आरम्भ में प्राप्त होते हैं, कार्यक्रमों के प्राप्त होने पर मालगाड़ी के पर्याप्त बन्द डिब्बों की सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 के दौरान इन पत्तनों पर आयात के पूर्वानुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, बशर्ते कि ढुलाई सामान्य ढंग से होती है और असामान्य नहीं होती।

(घ) जब अनाज लादने के लिए खुले मालगाड़ी के डिब्बों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तिरपाल से ढक दिया जाता है और ठीक ढंग से सुरक्षित कर लिया जाता है जिससे नुकसान होने का खतरा कम हो। रास्ते में उठाईगीरी या चोरी की रोकथाम के लिए उनके साथ अनुरक्षक गाड़ी की व्यवस्था भी की जाती है। आमतौर पर ऐसे माल डिब्बों की ढुलाई निश्चित गन्तव्य स्थानों तक अखण्ड रेलों में होती है।

राजस्थान में सीरामिक तथा जिप्सम पर आधारित उद्योग

2723. **श्री देवकी नन्द पाटोदिया :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जिप्सम और मिट्टी के बरतन बनाने की सामग्री पर आधारित उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त कच्चा माल विद्यमान है ;

(ख) क्या इन उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकार को सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

इस्पात का उत्पादन

2724. श्री कंवर लाल गुप्त:

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई रूरकेला तथा दुर्गापुर स्थित सरकारी क्षेत्र के कारखानों में पिछले छः महीनों में वस्तुतः कितना उत्पादन हुआ और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस विस्तार कार्यक्रम पर, रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में, कितना खर्च आयेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) भिलाई, रुरकेला तथा दुर्गापुर स्थित सरकारी क्षेत्र के कारखानों में अप्रैल-सितम्बर, 1967 की अवधि के दौरान उत्पादन और स्थापित क्षमता का व्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

(टनों में)

कारखाने	उत्पाद	स्थापित क्षमता	उत्पा (अप्रैल-सितम्बर, 1967)
भिलाई इस्पात कारखाना	उष्ण धातु	1,180,500	1,085,979
	इस्पात के डले	1,250,000	929,950
	बिक्री योग्य इस्पात	982,500	632,698
रूरकेला इस्पात कारखाना	उष्ण धातु	659,500	444,687
	इस्पात के डले	700,000	430,866
	बिक्री योग्य इस्पात	354,000	304.004
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	उष्ण धातु	642,000	429,791
	इस्पात के डले	508,000	346,685
	बिक्री योग्य इस्पात	407,000	268,895

(ख) और (ग) भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर संयंत्रों की क्षमता इस समय 10 लाख टन से बढ़ाकर क्रमशः 25, 18 और 16 लाख टन की जा रही है। दुर्गापुर और रुरकेला का आगे विस्तार करने का निर्णय तो स्थगित कर दिया गया है लेकिन भिलाई इस्पात के पहले चरण

का विस्तार, जिसमें छठे भट्टी संश्लिष्ट की स्थापना करने का विचार है, हाथ मे लिया गया है। अतिरिक्त सिंटरिंग संयंत्र सुविधा और कुछ अन्य सुधारों के सिवाय, इस संश्लिष्ट की लागत का अनुमान 2875·80 लाख रुपये लगाया गया है जिसमें विदेशी मुद्रा 910·60 लाख रुपये है।

व्यापार मण्डल

2725. **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अक्तूबर, 1967 को व्यापार मण्डल की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन-किन विषयों पर बातचीत हुई तथा क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या मण्डल ने सरकार को कोई सुझाव दिये है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) विचारार्थ विषय ये थे : (1) भारत के विदेशी व्यापार की समीक्षा और निर्यात संवर्धन के लिये किये गये उपाय, (2) निर्यात ऋण तथा वित्त सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार, (3) व्यापार वार्ताओं के कैनेडी दौर के परिणामों पर विचार, तथा (4) भारत के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में सलाहकारी ढांचे का अभिनवीकरण तथा सरलीकरण।

मुख्य सिफारिशें ये थीं : (क) परम्परागत मदों के निर्यात में निरंतरता को बनाये रखना चाहे कभी कुछ कमी भी उत्पन्न हो जाए, (ख) कच्चे माल पर आयात शुल्कों को घटाना, (ग) निर्यात शुल्कों को कम करना, (घ) बिक्री कर, उत्पादन शुल्कों तथा निर्यात पर अन्य आन्तरिक करों को कम करना, (ङ) बोनस वाउचर योजना शुरू करना, (च) आयात प्रतिस्थापन योजना की अधिक कड़ाई के साथ क्रियान्विति, (छ) निर्यात-अभिमुख उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चे माल का संभरण, (ज) बैंक दर में कमी, (झ) अधिक निर्यात ऋण सुविधाओं की व्यवस्था, (ञ) नकल करने के निमित्त सेम्पलों को प्राप्त करने की क्रियाविधि का सरलीकरण, (ट) फिलीपीन, लेटिन तथा केन्द्रीय अमरीकी देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, (ठ) निर्यात नीति संकल्प को शीघ्रता से तैयार करना, (ड) व्यापारबोर्ड तथा निर्यात-आयात सलाहकार परिषद का पुनर्गठन करना, ताकि दोनों को एक साथ मिलाया जा सके जिससे कार्यों का दोहरे रूप से होना रुक जाये तथा अधिक दक्षता प्राप्त हो सके।

इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विज्ञापन

2726. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय अभियान के रूप में

'हिन्दुस्तान स्टील में देश क्या खो रहा है' शीर्षक के अन्तर्गत 28 अक्तूबर, 1967 के 'मार्च आफ दी नेशन' में छपे हाल ही के विज्ञापन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उस में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की फर्मों के बारे में दिये गये आंकड़े भ्रामक नहीं हैं; और

(ग) यदि हाँ; तो सरकारी क्षेत्र के विज्ञापनों द्वारा ठीक जानकारी देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान और धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में पूंजी विनियोजन

2727. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कुल पूंजी (ऋण और पूंजी समेत) लगभग 1000 करोड़ रुपये है न कि 525 करोड़ रुपये की अंश पूंजी है; और

(ख) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की तुलना में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में इस समय कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उसके अनुपात में कितनी बिक्री है तथा तीनों इस्पात निगमों में प्रति अंश पर कितनी शुद्ध आय होती है ?

इस्पात, खान और धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रखी जयेगी ।

रूरकेला में 'फलैट' उत्पादों का निर्माण

2728. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में 1967-68 के दौरान रूरकेला इस्पात कारखाने के फ्लैट रोल्ड सैक्शनों में कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(ख) चालू वर्ष में तीनों संयंत्रों को कितना मुनाफा होने का अनुमान है ?

इस्पात, खान और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1966-67 के दौरान उत्पादन की तुलना में 1967-68 के दौरान रूरकेला इस्पात कारखानों के फ्लैट रोल्ड सैक्शनों में उत्पादन की संभावना इस प्रकार है :

(आंकड़े हजार टनों में)

	1966 67 (वास्तविक)	1967-68 अप्रैल-सितम्बर, 67 (वास्तविक)	दूसरे आधे वर्ष का अनुमान
बिक्री योग्य इस्पात			
प्लेटें (पाइप प्लांट से उत्पादन सहित)	167	71·5	102·5

एच० ग्रार० कायल	171	81·3	113·2
एच० ग्रार० चदरें और पलेटें	164	65·0	84 4
सी० ग्रार० कायल (काली पलेटों सहित चदरें और पट्टियाँ)	134	74·8	79·4
टीन की पलेटें	26	7·9	20·3

(ख) लगातार आर्थिक मन्दी और लोहे तथा इस्पात बाजार में मन्दी और दुर्गापुर तथा रूरकेला इस्पात संयंत्रों में गम्भीर श्रमिक संकटों को देखते हुए इस समय यह अनिश्चित है कि क्या संयंत्रों को कोई मुनाफा होगा ।

रबड़ के छोटे उत्पादक

2729. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे रबड़ उत्पादकों के लिए राज-सहायता योजना के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना से रबड़ की खेती करने वाले कितने किसानों को लाभ पहुँचने की आशा है; और

(घ) इस योजना पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) और (ख) योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) लगभग 72,000.

(घ) लगभग 117 लाख रुपये ।

रबड़ के छोटे उत्पादक

2730. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के छोटे उत्पादकों की समस्याओं पर विचार करने के लिये कोई समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति के सदस्यों के नाम तथा समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1826/67]

Factories Manufacturing High Tension Insulators

2731. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs be** pleased to state :

(a) the number of factories manufacturing high tension insulators in the country and the number of those in the public sector and in the private sector separately;

(b) whether machines have been imported from abroad for these factories; and

(c) if so, the cost thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) Nine; out of which one is in the public sector and the other eight are in the private sector.

(b) Yes, Sir.

(c) Approximately Rs. 4 crores (pre-devaluation).

Tractors

2732. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of tractors manufacturing firms in the country and the number of tractors manufactured by them during the past three years;

(b) the number of tractors imported from Russia during the said period and the amount of foreign exchange spent thereon; and

(c) whether the country's requirements cannot be met with indigenous tractors ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) There are five units in the country for the manufacture of wheeled type agricultural tractors. The production of these units during the past three years has been as uuder :—

Year		Nos. manufactured.
1964—65		4,098
1965—66		5,714
1966—67		8,818
1967—68	(Upto Oct.)	5.670

(b) The number of wheeled type agricultural tractors imported from Russia during the said period and amount of foreign exchange spent thereon is as under :

Year	No. af Tractors.	Value (Rs. in lakhs)
1964—65	2,589	176.21
1965—66	2,551	197.34
1966—67	1,708	150.93
1967—68 (Upto July'67)	897	67.84

(c) The current indigenous production is not sufficient to meet the full requirements of the country.

रेलवे लेखा विभाग में पदों का आरक्षण

2733. **श्री राम चरण :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे विभाग में प्रतियोगिता के द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में से कुछ पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक रेलवे में इस वर्ग के पृथक–पृथक अर्हताप्राप्त (परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3) के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या उनको पदोन्नत किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

रेलवे लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों का रक्षित किया जाना

2734. **श्री राम चरण :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक रेलवे के लेखा विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जूनियर लेखापाल / इन्सपेक्टर और वरिष्ठ लेखापाल / इन्सपैक्टर के पदों में से कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पद समाप्त कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और रिक्त स्थानों को भरने के लिए (परिशिष्ट 3) परीक्षा न लेने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

परिशिष्ट दो की परीक्षा में अर्हताप्राप्त कर्मचारी

2735. **श्री राम चरण :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में, रेलवेवार, परिशिष्ट दो की अर्हताप्राप्त ग्रेड दो के कितने क्लर्क पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने क्लर्क 110-180 रुपये के वेतनक्रम से अधिकतम वेतन पा रहे हैं ;

(ग) दिसम्बर, 1968 तक क्लर्क ग्रेड एक में कितने स्थानों के रिक्त होने की सम्भावना है और उनमें से कितने स्थानों को उस वर्ग के कर्मचारियों से भरा जायेगा; और

(घ) भविष्य में परिशिष्ट दो की अर्हताप्राप्त कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे के लेखा विभागों में चयन के द्वारा भरे जाने वाले उप-प्रमुखों के पद

2736. **श्री राम चरण :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में चयन के द्वारा भरे जाने वाले उप-प्रमुखों के पदों को बिना चयन से भरे जाने वाले पद घोषित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कम हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) 1.7. 1959 से पहले उप-प्रमुखों के पद 200-10-300 रुपये तथा 160-10-250 रुपये के विहित वेतनक्रम में थे और तब उन्हें क्रमश: "गैर-चयन" तथा "चयन" पद के वर्गों में रखा गया था। उप-प्रमुखों के पद के लिये 1 जुलाई, 1959 से 210-380 रुपये का एक ही अधिकृत वेतनक्रम लागू करते समय इन पदों को 12-9-1961 से "गैर-चयन" पदों के वर्ग में रखने का निर्णय किया गया था। जब वेतनक्रमों के ढाँचे में परिवर्तन हुआ तो इन पदों को पदालि में वर्गीकरण के प्रश्न पर पुनः विचार करना पड़ा तथा नवीनतम स्थिति के अनुसार निर्णय करना पड़ा। निर्णय अन्य विभागों में उसी वेतनक्रम वाले क्लर्क अधीक्षकों के वर्गीकरण के अनुसार है। वर्गीकरण में परिवर्तन के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी उप-प्रमुखों के वर्ग में रक्षित पदों के पास नहीं हैं और उन्हें अपनी वरीयता तथा योग्यता के अनुसार दूसरे लोगों के साथ ही अवसर प्राप्त करना होगा।

Industrial Licences

2737. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of licences granted for setting up industries in Madras, Andhra and Mysore during the three Plan periods;

(b) the amount paid by the Central Government for running these industries in the said States during the three Plan periods; and

(c) the number of industrial licences granted and the expenditure incurred by the Central Government for setting up industries in Uttar Pradesh during the three plans ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) to (c) 382 licences in Madras, 142 in Andhra Pradesh, 100 in Mysore and 222 in U.P. were granted for setting up now industrial units during the three Plan periods. No expenditure is incurred by the Central Government for setting up industrial units in the private sector in any of the States.

मोटर तथा स्कूटर के टायरों की कमी

2738. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर तथा स्कूटर के टायर निर्माताओं ने देश में टायरों की कृत्रिम कमी पैदा कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके उत्पादन तथा वितरण का विनियमन करने का सरकार का विचार है; और

(ग) विनियमन कब तक किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) मोटर तथा विशेषकर स्कूटरों के टायर और ट्यूबों की कमी तथा उत्पादकों के निर्धारित खुदरा मूल्यों पर इनके उपलब्ध न होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ।

(ख) जी, नहीं क्योंकि स्कूटरों के टायरों तथा ट्यूबों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

मोटर गाड़ियों के टायर निर्माताओं ने उत्पादन को आगामी दो मास में पर्याप्त परिमाण में बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। उनको यह भी निर्देश दिये गए हैं (1) वे अपने स्कूटरों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन का 10 प्रतिशत पुराने टायर तथा ट्यूबों के बदलने हेतु 1 जनवरी, 1968 से सहकारी स्टोरों को दें ; तथा (2) वे अपने विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के मामलों की भी तुरन्त जांच करायें। मेसर्स फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ बम्बई जो कि देश में स्कूटरों के मुख्य उत्पादकों में से एक है, के कारखाने में मजदूरों की हड़ताल को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मूंगफली के तेल का निर्यात

2739. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मूंगफली के तेल का, जिसे आम तौर पर 'वनस्पति घी' कहा जाता है, निर्यात करने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) कृषि-मूल्य आयोग का प्रतिवेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Super Fast Goods Trains

2740. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to run super fast goods trains in the near future ;

(b) if so, the sections on which these goods trains would be introduced; and

(c) the main features thereof ?

The Minister Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) and (b) Super Express Goods trains are already running on the Railways since January 1965. At present these services are running on the following routes :—

1.	Carnac Bridge-New Delhi	Daily service
2.	Shalimar-Wadi Bunder	Bi-weekly
3.	Howrah-New Delhi	Daily service
4.	Shalimar-Salt Cotaurs	Bi-weekly
5.	Tatanagar-Shalimar	Bi-weekly
6.	Wadi Bunder-Salt Gotaurs	Tri.weekly
7.	Madras-Bangalore City (In one direction only)	Tri-weekly

(c) Super Express Goods trains are run to improve the transit of goods between important pairs of stations. They are run to fixed schedules which are published in the passenger time-tables. Running of these trains is specially watched. The matter of further speeding up these trains on sections where traffic warrants is under consideration.

सीमेंट का निर्यात

2741. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमेंट के निर्यात की अनुमति देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) सीमेंट के निर्यात पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है और सरकार इसके निर्यात का स्वागत करेगी क्योंकि इससे देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी ।

रेलों में अपराध

2742. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में अपराध की सामान्य स्थिति अधिक खराब हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे प्रति वर्ष कितनी वित्तीय हानि होती है,

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पूरी पेटियां आदि अथवा फर्सलों की चोरी के मांमले में कुछ सुधार हुआ है अर्थात् 1965-66 में 1294 मामले हुए थे जबकि 1966-67

1196 मामले हुए थे, पूरी पेटियों आदि अथवा पार्सलों के अतिरिक्त छुटपुट चोरी के मामलों में मामूली सी वृद्धि हुई है अर्थात् 1965-66 में 1,64,886 मामलों की तुलना में 1966-67 में 1,83,492 मामले हुए ।

	1965-66	1966-67
(ख) (1) पूरी पेटियों आदि पार्सलों की चोरी के कारण किये गये दावों का भुगतान	रुपये 8,04,471	रुपये 6,84,790
(2) छुटपुट चोरी के कारण दावों का भुगतान पूरी पेटियां आदि पार्सलों के अतिरिक्त	1,83,02,785	2,37,69,109

दावों के लिये प्रतिकर के भुगतान में विशेषतया छुटपुट चोरी के सम्बन्ध में वृद्धि का कारण यातायात की यात्रा में वृद्धि तथा मूल्य देशनांक में वृद्धि और भारतीय रेलों द्वारा सामान्य वाहकों की जिम्मेवारी लेना हो सकता है ।

फर्मों का काली सूची में रखा जाना

2743. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में कुछ फर्मों को काली सूची में दर्ज किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं और उन्हें काली सूची में दर्ज करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ को आयात लाइसेंस दिये गये हैं अथवा सरकार के साथ अन्यथा व्यापार करने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं और उनके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी हां, इस मंत्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष में दो फर्मों को काली सूची में दर्ज किया गया है ।

(ख) निर्धारित कार्यविधि के अनुसार काली सूची में दर्ज किये जाने की सूचना सामान्य रूप से संबंधित फर्म को नहीं भेजी जाती है । अतः उनके नाम बताना वांछनीय नहीं समझा जाता है । इन फर्मों ने भ्रष्टाचार और कदाचार किया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड)

2744. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्ष के आरम्भ में दिल्ली में होने वाले संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये विदेशों में बनी कारों का बड़ी संख्या में आयात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

2745. **ओंकार लाल बेरवा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल-जुलाई, 1967 के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में भारी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, हां।

(ख) अप्रैल-जुलाई, 1967 की अवधि में निर्यात में कमी का कारण यह था कि इस्पात पाइपों, ट्यूबों तथा डीजल इंजिनों जैसी थोड़ी सी मदों के निर्यात में भारी गिरावट आ गई थी । इन मदों के सम्बन्ध में हुई गिरावट का कारण अंशतः विश्व व्यापार में अस्थायी परिस्थितियों तथा देश के उत्पादन में कुछ अव्यवस्था थी । परन्तु सितम्बर, 1967 के दौरान इंजीनियरी माल का 3.01 करोड़ रुपये का निर्यात सर्वाधिक था ।

पूर्वी यूरोप के देशों को जूतों का निर्यात

2746. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के देशों को जूतों के निर्यात के सम्बन्ध में निर्माता संगठनों और व्यापारी निर्यातकों के दावों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम ने व्यापारी निर्यातकों तथा निर्माता संगठनों को जो क्रयादेश दिये, उनकी संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) संविदों के निष्पादन के लिए उपलब्ध समय, व्यक्तिगत क्षमताओं एवं साधनों आदि को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम का इरादा है कि यथासंभव अधिकतम सीमा तक निर्माताओं के साथ सीधे लेन-देन बढ़ाये जायें और निर्यातक व्यापारियों के साथ लेन-देन कम किये जायें। जूतों के संभरण की व्यवस्था करने का मुख्य आधार, राज्य

व्यापार निगम तथा उसके सहयोगी संभरकों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त नमूनों में से विदेशी खरीददारों द्वारा चुने गये नमूने होते हैं ।

(ख) 1965 से 1967 तक के तीन वर्षों के दौरान पूर्वी यूरोप को निर्यात किये जाने के लिये निर्माताओं तथा निर्यातक-व्यापारियों को राज्य व्यापार निगम ने जितने आर्डर दिये, वे इस प्रकार हैं :

(1) निर्माताओं को दिये गये आर्डर......20.68 लाख जोड़े जूते

(2) निर्यातक-व्यापारियों को दिये गये आर्डर ....18.425 लाख जोड़े जूते

बिना जोड़ के ट्यूबों का निर्माण

2747. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिना जोड़ के ट्यूब बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या किसी विद्यमान सरकारी उपक्रम को यह कार्य सौंपा गया है अथवा इस काम के लिये एक नया सरकारी उपक्रम स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) बिना जोड़ के ट्यूब बनाने का काम कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 3,09,600 मी० टन की वार्षिक क्षमता के जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन के लिए कई पार्टियों को लाइसेंस तथा आशय-पत्र दिये गये थे । उनमें से एक एकक ने जिसकी क्षमता 30,000 मी० टन है जोड़ रहित ट्यूबों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और इसी एकक द्वारा 10,000 मी० टन की और क्षमता स्थापित करने का काम किया जा रहा है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में किसी भी विद्यमान उपक्रम को जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन का काम नहीं सौंपा गया है और इस प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र में जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन के लिए किसी भी नए उपक्रम को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय रेलवे में चोरी

2748. **श्री हेम राज :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरियां न होने देने के लिये किये गये विभिन्न उपायों के बावजूद रेलवे में चोरियां बढ़ती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके कारणों के बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) जी हां, चोरी छुटपुट चोरी में मामूली **वृद्धि हुई है और** जांच से पता लगा कि उसके कारण निम्नलिखित हैं :

1. देश के विभिन्न भागों में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का अधिक बिगड़ना तथा सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस वा रेलवे रक्षा बल की सहायता में लगा रहना जिसके कारण वे रेलों में चोरी का पता लगाने तथा रोकने के कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे सकी थी।

2. रेलवे यातायात में पर्याप्त वृद्धि हो रही है परन्तु सरकारी रेलवे पुलिस अथवा रेलवे सुरक्षा बल की संख्या में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है।

3. रेलवे द्वारा लाये ले जाये वाली वस्तुओं के मूल्य में पिछले कुछ वर्षों से पर्याप्त वृद्धि हुई है और इससे चुराई गई सम्पत्ति में तदनुसार वृद्धि हो गई है।

अपराधों में वृद्धि तथा परिवर्तन पर मुख्य सुरक्षा अधिकारियों तथा रेलवे बोर्ड सुरक्षा बल के महानिरीक्षक द्वारा मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की अपराधों सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन द्वारा लगातार पुनर्विचार किया जाता है और रेलवे द्वारा उचित गश्त तथा निवारण सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है। सरकारी रेलवे पुलिस तथा राज्य पुलिस द्वारा उसी प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही है।

French Collaboration for Car Industry

2749. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs be** pleased state the steps taken to seek French collaboration in establishing heavy industries, engineering works and for car manufacture and the result thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

Government have taken no special steps to seek French collaboration in establishing heavy industries. Any specific proposals received from the Private Sector for collaboration with French parties is given due consideration and decision taken on merits.

During my recent visit to France, the possibility of collaboration between the two countries in the field of design engineering and consultancy service were briefly discussed. This matter is being followed up.

Regarding the car manufacture, proposals have been received, among others, from Kenault and Citroen of France, for the manufacture of a low cost car in India. These proposals are under examination along with other proposals received.

कपड़ा मिलों का उत्पादन

2750. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूई को लाने ले जाने पर लगे नियंत्रण में नर्मी करने, रूई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों को समाप्त करने और सूती कपड़ा मिलों को पुनः खोलने से सूती कपड़ा उद्योग

को पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने और अपनी वस्तुओं को अधिक बाजारों में बेचने में किस हद तक सहायता मिली है; और

(ख) यदि प्रगति संतोषजनक नहीं है, तो सरकार का क्या वैकल्पिक नीति अपनाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) देश में ही कपास की पूर्ति की पहले से अच्छी स्थिति और कपड़ा उद्योग के विभिन्न पक्षों में मतैक्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 सितम्बर 1967 से कपास के लाने ले जाने पर 4 नियंत्रण, साविधिक न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये हैं और कपड़ा मिलों के लिये अतिरिक्त अनिवार्य छुट्टी और प्रतिबन्धित काम के घण्टों सम्बन्धी आवश्यकताएं, जिनको कपास तथा स्टेपल रेशा कपड़ा मिल (कार्य चालन का विनियमन) आदेश, 1966 के अन्तर्गत लागू किया गया था; अब समाप्त कर दी गई हैं।

2. चालू रूई मौसम के प्रथय दो महीनों अर्थात् सितम्बर तथा अक्तूबर, 1967 में दिसम्बर 1966 के अगस्त 1967 के मासिक औसत उत्पादन की तुलना में सूत के उत्पादन में 7 प्रतिषत से 11 प्रतिशत तक वृद्धि बताई गई है। इस वृद्धि का कारण अतिरिक्त छुट्टी की अनिवार्य शर्त और मिलों के काम के घंटों से प्रतिबन्ध का हटाया जाना है।

सूती कपड़ों के विपणन में भी सुधार हुआ है।

Theft of Rubber Cushions From Railway Compartments

2751. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rubber cushions worth Rs. 25000/—were stolen from Railway compartments near the capital recently;

(b) whether it is also a fact that some of these cushions have been found in the houses of some distinguished persons in Delhi; and

(c) if so, the steps taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) The cushions were recovered from different persons, residents of Delhi.

(c) The case has been registered u/s 3/51/55 of Railway Stores. Unlawful Possession Act, 1955 vide FIR No. 613 of 3.11.1967 and is still under police investigation.

ब्रिटेन के इस्पात दल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में जाना

2752. **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन का एक इस्पात दल दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ;

(ग) क्या संयंत्र में कोई खराबी पैदा हो गई है जिसके कारण उत्पादन में कमी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) तथा (ख) ब्रिटेन के समुद्र-पार विकास मंत्री ने ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के परामर्श से दुर्गापुर इस्पात कारखाने की तकनीकी सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये एक दल भेजना स्वीकार कर लिया है। अभी दल सम्बन्धी ब्योरे उनके दौरे के समय तथा अध्ययन की अवधि के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(ग) तथा (घ) संयंत्र की क्रियान्विति में त्रुटियां दांडे समिति ने पहले दी दर्शायी हैं और उस समिति की सिफारिशें अधिकांशतः स्वीकार कर ली गई हैं। अब उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ।

इस्पात निर्यात सार्थ संघ

2753. **श्री य० अ० प्रसाद : श्री न० कु० सांघी :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात निर्यात सार्थ संघ स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सार्थ संघ के सदस्य कौन-कौन होंगे ;

(ग) क्या उसमें गैर-सरकारी उद्योगों को भी शामिल किया जायेगा ; और

(घ) इस्पात के सामान का अधिक निर्यात करने के मामले में यह सार्थ संघ किस प्रकार सहायक होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (घ) अभी नहीं, श्रीमान् ।

आयातित रूई का उत्तर प्रदेश के लिये आवंटन

2754. **श्री य० अ० प्रसाद : श्री न० कु० सांघी :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष कितनी आयातित रूई दी जाती है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने कपड़े के उत्पादन में विविधता लाने हेतु आयातित रूई की मात्रा में वृद्धि के लिये आग्रह किया है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) उत्तर प्रदेश की कपड़ा मिलों को विदेशी रुई का निम्नलिखित आवंटन किया गया :-

वर्ष	गांठें
1962-63	5105
1963-64	7026
1964-65	6228
1965-66	381
1966-67	22884

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश की सूती कपड़ा मिलों ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गये अपने अभ्यावेदन में बताया था कि उन्हें विदेशी रुई इस आधार पर नहीं दी जा रही कि वे उसके परम्परागत प्रयोक्ता नहीं हैं । राज्य सरकार ने इस विषय में केन्द्रीय सरकार से पत्र व्यवहार किया ; चालू मौसम में विदेशी रुई के आवंटन का आधार पहले ही बदल दिया गया है। मिलों को विदेशी रुई का आवंटन अब उनके चालू तकुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है न कि विगत खपत के आधार पर; जैसा कि विगत वर्षों में किया जाता रहा है । इस प्रकार सभी मिलें विदेशी रुई का आवंटन प्राप्त करने की पात्र हो गई हैं ।

बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण

2755. **श्री य० अ० प्रसाद : श्री न० कु० सांघी :**
श्री वेदव्रत बरुआ : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात के लिये अर्जित की गई भूमि से निष्कासित किये गये परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

इस्पात खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी हां, ।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सीमा क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का बिछाया जाना

2757. **श्री अमृत नाहाटा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 के पश्चात् हमारे सीमा क्षेत्रों में बिछाई गई रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार जैसलमेर से बाडमेर तक रेलवे लाइन बिछाने का है;

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): 31 दिसम्बर, 1965 के बाद से सीमा क्षेत्रों में निम्नलिखित नई रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ अथवा वे निर्माणाधीन हैं अथवा उनकी स्वीकृति दी गई है ।

(एक) निर्मित लाइनें

1. **माधोपुर कठुआ** (पंजाब तथा जम्मू और काशमीर में) बड़ी लाइन 8.69 किलोमीटर 21 जनवरी, 1966 को यातायात के लिये खोली गई ।

2. **पोकरन जैसलमेर** (राजस्थान में) मीटर लाइन, 105 किलोमीटर, 15 अगस्त,1967 से विभागीय गाड़ियाँ चल रही हैं। आशा है कि उस मास यह लाइन सार्वजनिक यातायात के लिये खोल दी जायंगी,

(दो) निर्माणाधीन लाइनें :

1. **हिन्दूमलकोट श्रीगंगानगर** (राजस्थान में) बड़ी लाइन, 230.84 किलोमीटर।

2. **झुण्ड-राडला** (गुजरात में) बड़ी लाइन 230.84 किलोमीटर

(तीन) निर्माण के लिये स्वीकृत लाइन :

1. **कठुआजम्मू रेल लिंक** (जम्मू तथा काश्मीर में) बड़ी लाइन, 80 किलोमीटर, स्थान सम्बन्धी अन्तिम सर्वेक्षण चल रहा है।

(ख) जी नहीं।

जीपों और व्यापारिक मोटर गाड़ियों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाना

2758. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री राममूर्ति : श्री एस्थोस :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीपों और तीन टन से अधिक क्षमता वाली व्यापारिक मोटर गाड़ियों के मूल्यों से अनौपचारिक नियंत्रण हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका इन मोटर गाड़ियों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) प्रतिरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन मोटर गाड़ियों की खरीद पर सरकार को कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) प्रतिरक्षा सेवाओं को दी जाने वाली जीपों और वाणिज्यिक गाड़ियों के अलावा जीपों और वाणिज्यिक गाड़ियों पर से अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण हटा दिया गया है। इस प्रकार की गाड़ियों की असैनिक बिक्री के संबन्ध में भी निर्माताओं से यह लिखित आश्वासन ले लिया गया है कि वे विनियन्त्रण की तारीख से 12 महीने की अवधि अथवा प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर जब तक सरकार द्वारा निर्णय नहीं कर लिया जाता, इनमें से जो भी पहले हो तब तक या जब तक उन कारणोंवश जो उनके नियंत्रण से बाहर हों और जिसके लिये अब तक प्रचलित अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाती तक तब वे अपनी गाड़ियों के मूल्य नहीं बढ़ायेंगे।

इन बचावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की गाड़ियों से मूल्य नियन्त्रण हटाने से उनके मूल्यों में कोई अधिक वृद्धि हो जाने अथवा सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशा नहीं है।

मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

2759. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली

2760. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री क० हाल्दर :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) सरकार ने, प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) और (ग) ब्योरों पर कार्य हो रहा है, व आवश्यक विधान, संसद में यथासमय पुरःस्थापित किया जायेगा।

खान मालिकों को उपकरण तथा तकनीकी जानकारी उधार देने की योजना

2761. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय खान मालिकों को बिना हानि-लाभ के आधार पर उपकरण तथा तकनीकी जानकारी उधार देने की योजना पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां तो इस योजना का व्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) से (ग) हां महोदय।, इस योजना के विस्तारों पर विचार किया जा रहा है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीकरण

2762. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब से राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर विस्तार कार्यों के लिये प्रति वर्ष बढ़ती हुई विदेशी मुद्रा की माँग को देखते हुए ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ;

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में वर्तमान गैर सरकारी इस्पात कारखानों को जारी रखना तथा उनका विस्तार करना वर्जित नहीं किया गया है । अब केवल इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी की विस्तार की योजना है और इसके लिये विश्व बैंक से ऋण की बातचीत हो चुकी है ।

निवेली में दूसरी खान चालू करना

2763. **श्री सम्बन्धन :**

क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली लिगनाइट कारपोरेशन से कोई प्रस्ताव मिला हैं जिसमें निवेली में दूसरी खान चालू करने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) हां, महोदय ।

(ख) प्रस्ताव पर विचार किया गया है और पता लगा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है ।

तालचेर उद्योग समूह

2764. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित "तालचेर उद्योग समूह" परियोजना पर सभी पहलुओं से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) :

(क) और (ख) उड़ीसा की औद्योगिक विकास निगम लि० जो कि एक राज्य सरकार की निकाय है द्वारा तालचेर में एक औद्योगिक काम्पलैक्ष स्थापित करने के प्रस्ताव पर सम्बद्ध विभागों तथा संस्थाओं के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है, ताकि इतनी बड़ी लागत वाली योजना पर कार्य आरम्भ करने से पहले संदेह की कोई परिधि बाकी न रहे ।

इंजीनयरी सार्थ समूह

2765. **श्री रा० बरुआ :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिये इस्पात संयंत्र भारी इंजीनि

यरी बिजलीके कारखाने जैसे मुख्य उपक्रमो के निर्माण करने के सम्बन्ध में एक इंजीनियरी सार्थसमूह स्थापित करने का सरकार का क्या विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के सार्थसमूह द्वारा विकासशील देशों तथा दूर पूर्व में औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ करने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में दो कन्सोर्टिया बनाए जाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इनमें से एक इस्पात संयत्र तथा खानों के उपकरणों के सम्भरण से सम्बन्धित सभी कार्य करेगा और दूसरा बिजलीघर के उपकरणों से व्यापार का काम करेगा। व्योरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

डिब्बों (कोचों) और मालडिब्बों के लिये विदेशी मण्डियां

2766. **श्री रा० बरुआ :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बने हुए डिब्बों (कोचों) और माल डिब्बों के लिए प्राप्त होने वाले विदेशों से प्राप्त आर्डरों में हाल ही में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 और 1967-68 में ऐसे आर्डर देने वाले देशों के नाम क्या हैं और वे आर्डर कुल कितने रुपयों के हैं; और

(ग) ऐसे कोचों और मालडिब्बों के लिए और अधिक विदेशी मंडियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा):

(क) अभी तक विदेश से डिब्बों के लिये केवल एक आर्डर प्राप्त हुआ है। परन्तु हाल ही में मालडिब्बों के लिये आर्डरों में वृद्धि हुई है।

(ख) आर्डरों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1966-67	कोई नहीं
1967-68	

कोरियन नैशनल रेलरोड्ज से 8.5 करोड़ रुपये के 500 टैंक माल डिब्बे तथा 600 हायर माल डिब्बे।

श्री लंका से 31 लाख रुपये के मूल्य के 40 टैंक माल डिब्बे।

बर्मा से 7.45 लाख रुपये मूल्य के 40 टैंक माल डिब्बे।

पूर्वी अफ्रीका से 1.65 करोड़ रुपये के मूल्य के 275 बोगी माल डिब्बे।

इस अवधि में डिब्बों (कोचों) के किए कोई आर्डर नहीं प्राप्त हुआ।

(ग) भारत में बने रेलवे इंजन डिब्बों तथा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं :

(1) विदेशों में हमारे दूतवासों द्वारा रेलवे क्रय प्राधिकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करना

(2) व्यापारिक सूत्रों से प्राप्त विदेशी रेलों की आवश्यकताओं का भारतीय निर्माताओं में परिचालन।

(3) रेलवे की अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन द्वारा तकनीकी सेवा बनाना।

(4) रेलवे उपकरण के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम में रेलवे तकनीकी अधिकारी रखा जाना

(5) "इंजन डिब्बे आदि निर्यात संघ" गठित करना।

(6) विदेशी रेलों की रेलवे उपकरण की आवश्यकताओं का अध्ययन करने और अनुमान लगाने तथा ऐसे उपकरणों के निर्यात के लिये दिये गये टेंडरों से उत्पन्न होने वाले तकनीकी मामलों के स्पष्टीकरण के लिए भारती रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

(7) उन रेलों के, जहाँ निर्यात की सम्भावनायें है, अधिकारियों को आमन्त्रण।

रंग रोगन उद्योग

2767. **श्री रा० बरुआ :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान मन्दी की प्रवृत्ति का रंग रोगन उद्योग पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या रंग-रोगन की मांग में कमी होने से यह प्रतीत होता है कि इंजीनियरी उद्योग में मन्दी आ गई है; और

(ग) अलसी के तेल के, जो रोगन बनाने के लिये एक आयातित वस्तु है, मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) देश में अलसी के तेल की उपलब्ध मात्रा को बढ़ाने के लिए अलग अलग कारखानों को इस तेल का आयात करने की अनुमति दे दी गई थी। तबसे संभरण संबंधी स्थिति सुधर गई है और हमें उसके आयात के लिए अधिक आवेदन नहीं प्राप्त हुए हैं।

अमरीका को सूती कपड़े का निर्यात

2768. **श्री समन्वय :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा कपड़े का अमरीका को निर्यात बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में निर्यात संवर्धन परिषद से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) अमेरिका को सूती हथकरघा माल का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गए थे :

(1) अमेरिका में 'ब्लीडिंग मद्रास' के लिये हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया गया है। इसके निमित्त भारत सरकार ने इस संस्था को 1,50,000 डालर का अनुदान दिया है।

(2) अमेरिकी बाजार में इस कपड़े के विषय में वाणिज्यिक आसूचना देने के लिये एक प्रवीण आर्थिक अभिकरण, मेसर्स वर्नर मैनेजमेंट कसल्टेन्ट्स की नियुक्ति की गई है। उनके प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा हथकरघा उद्योग को उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

(3) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम ने मांट्रियल मेले में भाग लिया और इस प्रकार हथकरघा वस्त्रों का प्रचार किया है ।

(ग) हाल में 'ब्लीडिंग मद्रास' कपड़े के निर्यात पर हथकरघा निर्यात संवर्धन समिति की एक तदर्थ समिति ने निर्यात संवर्धन परिषद को एक प्रतिवेदन दिया है और परिषद ने समिति द्वारा दिये गए सुझावों पर अपनी सिफारिशें भेज दी हैं । इन सुझावों पर सरकार विचार कर रही है ।

हथकरघा उद्योग में संकट

2769. **श्री सम्बन्धन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन बातों की जानकारी है कि हथकरघा उद्योग पर इस समय संकट आया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो हथकरघा बुनकरों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) सरकार को मालूम है कि हथकरघा उद्योग को समस्त सूती वस्त्र उद्योग की ही तरह, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसका मुख्य कारण उत्पादन लागत में वृद्धि तथा मांग में कमी होना है ।

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) सूत के संभरण एवं कीमतों पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखने के लिए वस्त्र आयुक्त के अधीन एक समिति की स्थापना ;

(2) हथकरघा वस्त्र की बिक्री को बढ़ाने के लिए विस्तृत अवधि तक विशेष छूटों का दिया जाना ; और

(3) निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं । आशा है कि रुई के उत्पादन में ठोस सुधार तथा कृषि-उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होने के फलस्वरूप क्रय-शक्ति में संभावित वृद्धि होने से हथकरघा उत्पादों की कुल बिक्री अपेक्षतः अधिक होने को प्रोत्साहन मिलेगा ।

लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स

2770. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या वाणिज्य मंत्री लक्ष्मीरत्न काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के बायलाज़ के बारे में की गई जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) इस रिपोर्ट पर बाद में क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) इस मिल के बन्द होने से सरकार को उत्पादन शुल्क की तथा मजदूरों को मजूरी की कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस मिल के बन्द होने के परिणामस्वरूप इस मिल के लगभग 4000 कर्मचारियों को रोजगार देने तथा 6 सितम्बर 1966 से हुई उत्पादन की हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

प्रतिवेदन एक गोपनीय दस्तावेज है तथा इसे सभा पटल पर रखना वांछनीय नहीं होगा ।

(क) प्रतिवेदन पर बड़े ध्यान से विचार करके सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन परिस्थितियों में मिल को अपने नियंत्रण में लेकर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत चलाना अथवा मिल के चलाने हेतु धन देना ठीक नहीं है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) ऐसा पता लगा है कि प्रबन्धकों तथा मजदूरों के बीच एक करार सम्पन्न हो गया है । करार के अनुसार 3,300 मजदूरों की साधारण संख्या की तुलना में 1,500 मजदूरों को काम पर लगा कर मिल 23 अक्तूबर, 1967 को पुनः चालू कर दी गई है ।

जनता रेलगाड़ियां चलाना

2771. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में और जनता रेलगाड़ियां चलाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर तथा कितनी ऐसी गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया को प्रतिकर का सुझाव

2772. **श्री स० मो० बनर्जी:**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया को प्रतिकर का भुगतान कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्या इस बारे में कुछ बातचीत चल रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) नहीं, महोदय ।

(ख) इस समय भारत सरकार यह अनुमान लगा रही है कि मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (निकाय की अवाप्ति) अधिनियम, 1966 (1966 की संख्या 66) के अनुबन्धों के अनुसार

मेटल कारपोरेशन आफ इन्डिया की निकाय को प्रवाप्त करने के लिये कितना मुआविजा देय है। इस कार्य को पूरा होने तक सरकार और कम्पनी के बीच में मुआविजे के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है।

हरियाणा में खनिज पदार्थों की खोज

2773. श्री रणधीर सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा की महेन्द्रगढ़ हिसार तथा गुणगांव पट्टी में खनिज पदार्थों की खोज के लिये कोई बहुप्रयोजनीय योजना तैयार की गई है अथवा विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है तथा उसका ब्यौरा क्या है और यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) और (ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने महेन्द्रगढ़ जिले में कृष्य धातुओं के अन्वेषण के लिये एक कार्यक्रम बनाया है। आशा है यह 1967-68 के क्षेत्रीय ऋतु में आरम्भ किया जायगा।

कारों और ट्रैक्टरों का मूल्य

2774. श्री रणधीर सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों और ट्रैक्टरों के मूल्य में कमी करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) उनके उत्पादन को देश में बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में ट्रैक्टरों और कारों के मामले में देश के आत्मनिर्भर होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) उत्पादन में मितव्ययता बरतने और कारों और ट्रैक्टरों की लागत और मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता के बारे में सरकार निर्माताओं पर बार-बार जोर दे रही है। प्रशुल्क आयोग ने भी उचित विक्रय मूल्य की सिफारिश करने हेतु कार और ट्रैक्टर दोनों के मूल्यों के लिए एक नियमित जांच बिठा दी है। कारों के सम्बन्ध में जबकि रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है, ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) कार-उद्योग प्राथमिकता प्राप्त उद्योग नहीं है और इस समय पुर्जों और कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करना सम्भव नहीं है। फिर भी, आयातित पुर्जों की मात्रा में लगातार कमी के कारण, प्राप्त विदेशी मुद्रा की सीमा के भीतर उत्पादन हर वर्ष बढ़ रहा है। सरकार भी देश में कम कीमत की कार बनाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है।

जहां तक ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है, उन्हें प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और ट्रैक्टर निर्माताओं को स्थापित क्षमता तक उत्पादन करने के लिए आवश्यक सहायता दी जा रही है।

(ग) जबकि यह आशा है कि देश 1970-71 तक ट्रैक्टर बनाने में बहुत कुछ आत्म-निर्भर हो जायगा, फिर भी जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कार उद्योग के विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह प्राथमिकता प्राप्त उद्योग नहीं है।

किसानों के लिये पम्पिंग सेट

2775. श्री रणधीर सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर पम्पिंग सेट बनाने और उन्हें राजसहायता प्राप्त दरों पर किसानों को देने का सरकार का विचार है ताकि अधिक से अधिक भूमि पर कृषि करने के लिये किसानों को प्रोत्साहन मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जी, नहीं। इस प्रकार के पम्पिंग सेटों की मांग पूरी करने के लिए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त हैं। 1966-67 के अन्त तक सभी पम्प सेटों के लिए उपदान का तरीका निर्धारित कर दिया गया था। चालू वर्ष से यह तरीका समाप्त कर दिया गया है और सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि अपने साधनों की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त उपदान पर विचार करें।

Two-Tier and Three-Tier Bogies Attached to Mail/Express Trains

2776. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of I class, II class, III class Airconditioned, 3-tier and 2-tier bogies separately attached to Mail and Express trains running between Lucknow and Delhi and vice-versa :

(b) the amount of earnings that accrued from travels in all these classes separately during 1965-66;

(c) whether it is a fact that air-conditioned bogies run generally without any passengers; and

(d) if so, whether Government propose to stop the use of the air-conditioned coaches ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) The following coaches are running between Delhi and Lucknow and viec versa by Mail/Express trains :

Fully Airconditioned	—	One
Full First class	—	Four
Ordinary second class	—	One
Second class sleeper	—	One

2-tier third class sleeper	Two
3-tier third class sleeper	Two
Full ordinary third class	Five
Third luggage-brake	Four
Postal-cum-third	One

In addition, the following slip coaches are also attached :—

(i) One first and one third class coaches between Lucknow and Agra Cantt.

(ii) One composite first and third class coach between Kanpur and Delhi.

(iii) One composite first and third class coach between. Bulandshahr and Lucknow.

(iv) One composite first and second and one third class coaches between Meerut City and Lncknow.

(v) One Composite first and third class coaeh between Bareilly and Lucknow.

(b) The earnings that accrued class-wise from these bogies during *1965-66* are shown below :—

Airconditioned	—	Rs. 3,54,306
First Class	—	Rs. 8,37,231
Second Class	—	Rs. 3,92.594
III Class		
3-tier	—	Rs. 1816,461.
2-tier		

(c) No. The airconditioned bogies are well occupied.

(d) Does not arise.

रेलवे के लिए आई० बी० एम० मशीनें

2777. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के सभी विभागों में आई० बी० एम० मशीनें लगाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म को कुल वार्षिक किराया कितना दिया जाता है ;

(ग) क्या रेलवे के आयव्ययक को देखते हुए अधिक लाभकारी तरीकों को अपनाने के बारे में विचार किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): जी हां, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स को छोड़ कर जहां इण्टरनैशनल कम्पयूटर्स एण्ड टैबूलेटर्ज का कम्प्यूटर लगा हुआ है।

(ख) 1966-67 के लिये इन मशीनों का कुल किराया लगभग 48 लाख रुपये दिया गया था।

(ग) प्रबन्ध तथा लेखे में दक्षता प्राप्त करने के लिये कम लागत पर आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिये यह मशीनें लगाई गई हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारियों को पारी के बाहर क्वार्टर दिया जाना

2778. **श्री रा० स्वा० विद्यार्थी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी क्षेत्रीय रेलों में पात्र रेलवे कर्मचारियों को पारी से बाहर क्वार्टर देना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पारी के बाहर रेलवे क्वार्टर देने के बारे में सभी क्षेत्रीय रेलों के लिये समान नीति नहीं बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) रेलवे बोर्ड के भारतीय रेलों के विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये कोई विस्तृत प्रक्रिया नहीं बनाई है । यह बात विभिन्न रेलवे प्रशासनों पर छोड़ दी गई है कि क्वार्टर किस प्रकार दिये जाने हैं । रेलवे प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा संगठित श्रमिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं । इसी कारण पारी के बाहर रेलवे क्वार्टर देने के बारे में कोई समान नीति निर्धारित नहीं की गई है । रेलों को केवल यही निदेश दिये गये हैं कि जहां भी पारी से बाहर क्वार्टर दिये जायें, वे इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पंजी में पंजीकरण की तिथि के आधार पर ही दिये जाने चाहिये ।

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर की व्यवस्था

2779. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1967 को कितने रेलवे कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली / नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र दिये हुए थे ;

(ख) उनमें ऐसे कितने पात्र रेलवे कर्मचारी थे जिन्होंने दिल्ली / नई दिल्ली में गैर पारी से रेलवे क्वार्टर के आवंटन के लिए आवेदनपत्र भेजे हुए थे ; और

(ग) दिल्ली / नई दिल्ली में कितने और किस टाइप के रिहायशी क्वार्टर बनाये जा रहे हैं और उनके कब तक पूरा तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) तीसरी श्रेणी—14279; चौथी श्रेणी—19123

(ख) " 49; " 10

टिप्पणी : ये उन प्रार्थनापत्रों की संख्या हैं जिन्हें उचित मानकर स्वीकार किया गया और रजिस्टर कर लिया गया ।

(ग) इस समय कोई भी निवासीय क्वार्टर नहीं बनाए जा रहे हैं ।

2780. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे क्वार्टरों का नियतन करने के प्रयोजन से प्रत्येक रेलवे खण्ड में 'अत्यावश्यक' तथा 'गैर अत्यावश्यक' घोषित किये गये रेलवे कर्मचारियों की श्रेणियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या रेलवे खण्डों में रेलवे क्वार्टरों का नियतन करने के प्रयोजन से 'अत्यावश्यक' और 'गैर-अत्यावश्यक' श्रेणियों की घोषणा करने के बारे में एक समान नियम नहीं अपनाये जाते हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) रेलवे कर्मचारियों की जिन श्रेणियों को विभिन्न रेलवे जोनों में रेलवे क्वार्टरों के नियतन के लिए 'अत्यावश्यक' घोषित किया गया है उनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1827/67]

(ख) और (ग) सभी रेलवे जोनों में समानरूप से लागू करने के लिए कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं बनाये गये हैं । चूंकि प्रत्येक रेलवे जोन में स्थानीय स्थिति अलग-अलग है इसलिए रेलवे क्वार्टरों के नियतन के लिए किसी श्रेणी को 'अत्यावश्यक' घोषित करने का काम सम्बन्धित रेलवे प्रशासन के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है ?

मेहसाना से अबू रोड तक रेलवे लाइन को दोहरा बनाना

2781. श्री द० रा० परमार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी रेलवे पर मेहसाना से अबू रोड तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की अनुमित लागत कितनी है ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में विद्युत चालित करघे

2782. श्री द० रा० परमार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के लिये 5200 विद्युत-चालित करघों का कोटा नियत किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस कोटे में से 2000 विद्युत चालित करघों का कोटा सहकारी

समितियों के लिये, 2000 करघों का कोटा विस्थापित लोगों के लिये तथा 1200 करघों का कोटा अन्य लोगों के लिये आरक्षित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ अनुसूचित जातियों के लोग हथ करघा उद्योग में लगे हुए हैं तथा इस उद्योग में मशीनों का प्रयोग आरम्भ हो जाने के कारण अनुसूचित जातियों के बहुत से लोग बेकार हो गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के उन लोगों के लिये विद्युतचालित करघों का पृथक कोटा क्यों आरक्षित नहीं किया गया ; और

(ङ) विद्युत-चालित करघों की खरीद तथा उनकी मरम्मत आदि के लिये अनुसूचित जातियों के लोगों को ऋण तथा आर्थिक सहायता के रूप में कोई वित्तीय सहायता क्यों नहीं दी जा रही है, जिस प्रकार से यह सहायता विस्थापित लोगों को दी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, नहीं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य को 3200 शक्ति-चालित करघे लगाने के लिए आबंटित किये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं । यह राज्य सरकार के स्वनिर्णय पर छोड़ दिया गया है कि वह उपरिलिखित कोटे में से जितनी संख्या में चाहे शक्ति-चालित करघों का आबंटन सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों को करे ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस विषय में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

साड़ी दुर्गा काटन मिल्स

2783. **श्री द० रा० परमार :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि साड़ी दुर्गा काटन मिल्स जून 1967 में नीलाम होने वाली थी :

(ख) नीलाम स्थगित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा प्रबन्धकों को कुल कितना ऋण दिया गया था और इस समय कितना उनसे वापस लेना शेष है ?

वाणिज्य मंत्रालय उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) नीलामी स्थगित कर कर दी गई क्योंकि मिल कम्पनी गुजरात उच्च न्यायालय से प्रस्तावित नीलामी को रुकवाने के लिये निषेधाज्ञा ले आई थी ।

(ग) मिल कम्पनी की सम्पत्ति से क्रमशः 9,33,000 रुपये तथा 9,23,000 रुपये की कुल राशि वसूल की जानी है तथा यह राशि अभी भी गुजरात सरकार के पक्ष में बकाया है ।

होस्पेट में इस्पात कारखाना

2784. **श्री मणीभाई जे० पटेल :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होस्पेट में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या मैसूर सरकार द्वारा अपनी ओर से होस्पेट में एक इस्पात कारखाना स्थापित किये जाने के बारे में उस सरकार की ओर से अधिकृत रूप में कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूस के सहयोग से घड़ियां बनाने के कारखाने

2785. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के सहयोग से जिन पक्षों को घडियां बनाने के दो कारखाने स्थापित करने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है उनके नाम क्या हैं ;

(ख) ये कारखाने कहां-कहां स्थापित करने का विचार है और सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक कारखाने पर कितना पूंजीगत व्यय होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) मेसर्स बी० एस० एण्ड कम्पनी और मैसर्स एच० ई० एस० लिमिटेड को क्रमशः पांडिचेरी और बम्बई में सोवियत रूप के मैसर्स प्रोमश एक्सपोर्ट के सहयोग से घड़ी का एक कारखाना स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप में स्वीकृति मिल गई है। सहयोग की शर्तें अभी विचाराधीन हैं। लगने वाली पूंजी का निश्चित अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास

2986. **श्री मणीभाई जे० पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन पंच वर्षीय योजनाओं में मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक परियोजनाओं के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं मध्य प्रदेश में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं की और स्थापना की गई :

परियोजनाएं जो स्थापित हो चुकी हैं :

(1) भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई

(2) हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल।

(3) नेपा मिल्स, नेपानगर ।

परियोजनाएं जो कार्यान्वित की जा रही हैं :

(1) भिलाई कारखाने में छठी धमन भट्ठी।

(2) हेवी इलेक्ट्रिकल्ज भोपाल (अवस्था 1) का विचार ।

(3) भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई का विस्तार (प्रथम चरण)

(4) नेपा मिल्स नेपानगर का विस्तार।

(5) सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद

(6) कोरबा अल्युमीनियम, कोरबा।

(7) न्यू अल्कलायड कारखाना, नीमच।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित और परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है :

(1) भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार (द्वितीय चरण) ।

(2) हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विस्तार (द्वितीय चरण) ।

(3) जगदलपुर, बस्तर, दण्डकारण्य क्षेत्र के निकट कागज लुग्दी कारखाना ।

New Industrial Units in M. P.

2787. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the new industrial units set up in Madhya Pradesh during 1966-67 and the extent to which they have proved successful; and

(b) the total amount granted by Government during the said period ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

स्वेज के रास्ते से व्यापार

2788. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : श्री हेम बरुआ :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1966 से अक्तूबर 1966 की अवधि में और जून 1967 से अक्तूबर 1967 की अवधि में अलग अलग स्वेज नहर के रास्ते भारत से कुल कितना निर्यात हुआ ?

(ख) उपरोक्त अवधियों में इस माल पर भाड़े के रूप में अलग अलग कुल कितनी धन राशि दी गई ;

(ग) क्या निर्यात में कमी और भाड़े में वृद्धि का कारण स्वेज नहर का बन्द हो जाना है ;

(घ) क्या निर्यात को बढ़ाने के लिये इसराइल द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक भू-मार्ग ईलयट से आशहोद का उपयोग किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) निर्यात के आंकड़े अगस्त, 1966 तक उपलब्ध हैं । जून-अगस्त, 1966 की अवधि के दौरान तथा-जून-अगस्त, 1967 की अवधि में स्वेज नहर के रास्ते से हुए निर्यात के अनुमानित तुलनात्मक मूल्यों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

(लाख रुपयों में)

जून-अगस्त 1966	जून-अगस्त 1967
185.95	204.37

जून-अक्टूबर, 1966 की अवधि के दौरान स्वेज नहर के रास्ते से हुए निर्यात का मूल्य अनुमानतः 334.95 लाख रुपये है ।

(ख) निर्यात आदि पर दिये जाने वाले भाड़ों, जो संविदों की शर्तों के अनुसार आयातकों अथवा निर्यातकों द्वारा दिये जाते हैं, के आंकड़े नहीं रखे जाते । फिर भी, मोटे अनुमान के अनुसार स्वेज नहर से हुए निर्यात पर कुल भाड़ा निम्नलिखित होगा :—

(लाख रुपये में)

जून-अगस्त 1966	जून-अगस्त 1967
1750	2250

(ग) निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई । भाड़ों में जो वृद्धि हुई है वह कुछ तो निर्यात में वृद्धि और कुछ स्वेज नहर के बन्द होने के कारण शिपिंग कान्फ्रेन्सों द्वारा लगाये गये अधि-प्रभारों के कारण हुई है ।

(घ) जहां तक सरकार को जानकारी है, भारत के व्यापार से संबद्ध शिपिंग कान्फ्रेन्सों के पास इलत से अशदोद तक वैकल्पिक स्थल मार्ग के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इगतपुरी-भुसावल सेक्शन का विद्युतीकरण

2789. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के इगतपुरी–भुसावल सेक्शन के विद्युतीकरण के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या विद्युतीकरण कार्य को इटारसी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि विद्युतीकरण कार्य को, भुसावल तक पूरा हो जाने के पश्चात् उससे आगे नहीं बढ़ाया जाना है तो भुसावल तक विद्युतीकरण के कार्य में लगी मशीनों और व्यक्तियों का

किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) इगतपुरी से लेकर भुसावल तक पूरे खण्ड में हुई समग्र प्रगति लगभग 73 प्रतिशत है, परन्तु इगतपुरी से नन्दगांव तक के खण्ड में विद्युतीकरण लगभग पूरा हो चुका है।

(ख) यदि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली उपलब्ध की तो पूरे खण्ड में विद्युतीकरण का काम जुलाई, 1968 तक कई सोपानों में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) भुसावल-इटारसी खण्ड में विद्युतीकरण का काम चौथी पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले विद्युतीकरण के कार्यक्रम में अन्तरिम रूप से शामिल कर लिया गया था, परन्तु खिडकिया और तलवडिया के बीच लाइन का कुछ भाग पुनासा बांध के प्रस्तावित निर्माण के कारण नीचे दब जायेगा और इस मार्ग को दूसरी ओर बदल दिया जायेगा, इसलिए भुसावल-इटारसी खण्ड के विद्युतीकरण के काम पर, आगे चलकर इस समय विचार करना पड़ेगा जब कि यह मार्ग दूसरी ओर बदल दिया जायेगा और यह काम धन और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर भी निर्भर होगा।

(ङ) इगतपुरी-भुसावल खण्ड के विद्युतीकरण की परियोजना में इस समय लगाये गये अधिकांश आदमियों और मशीनों की व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा की जाती है और काम समाप्त हो जाने पर ये ठेकेदार ही उन्हें वापस ले लेंगे।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोयला खानें

2790. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में गोतितोरिया-मोहपानी में जी० आई० पी० रेलवे की अपनी कोयला खानें थीं ;

(ख) क्या इन खानों में कोयले की चार सतहें थीं और क्या उन्हें इन खानों में उपलब्ध कोयले की भारी मात्रा से बन्द किया गया था ;

(ग) क्या सरकार इन खानों से कोयला निकालना वांछनीय समझेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) हां, महोदय।

(ख) हां, महोदय। जिस क्षेत्र में पहले खनन कार्य किया गया था, उस में 6 मिलियन टन कोयले के संचय का अनुमान था परन्तु इसमें सन्देह है कि इसे वित्तीय दृष्टि से लाभदायक रूप में निकाला जा सकता है।

(ग) और (घ) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण इस समय पुरानी कोयला खानों के समीपवर्ती क्षेत्रों का अन्वेषण कर रहा है। इस अनुसंधान के पूर्ण हो जाने पर इस क्षेत्र के भविष्य में विदोहन किये जाने की सभाव्यता का पता लगाया जा सकेगा।

पूर्वी यूरोप के देशों को पटसन की वस्तुओं का निर्यात

2791. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये में मूल्य अदायगी के आधार पर भारत से पटसन की वस्तुओं का आयात करने वाले पूर्वी यूरोप के देश उस माल का निर्यात डालर वाले देशों को करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो देशों के नाम क्या हैं तथा वस्तुओं के इस पुनः निर्यात को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) पूर्व यूरोप के देशों में व्यावसायिक संगठनो द्वारा इस प्रकार के कार्य-कलापों के बारे में कुछ समाचार मिले हैं। बहुधा पटसन के आयात का व्यापार न करने वाले कुछ उद्यमियों द्वारा पटसन के माल के आयात के संबंध में जांच करने पर पता चला है कि पटसन का माल देश में प्रयोग के लिये नही अपितु वह अन्यत्र बिक्री के लिये था। यह मामला संबद्ध सरकार की जानकारी में लाया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन उद्यमियों को सजा दी गई है और भविष्य में ऐसे सौदे पुनः न करने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में सरकार सतर्क है और ऐसी सूचनाएं जब भी मिलती हैं तो उनकी जांच हेतु कार्यवाही की जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सदन इस बात को मानेगा कि कठोर कार्यवाही के लिए पक्के प्रमाण एकत्र करना कुछ कठिन है। फिर भी, विश्वसनीय सूचना मिलने पर पूर्वोपाय किये जाते हैं।

महाराष्ट्र में चूने के पत्थर के निक्षेप

2792. श्री राणे :

क्या इस्पात, धातु तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में धुलिया जिले के अक्कलकुवा तालुक में और जलगांव जिले के चोपड़ा, पावल तथा खेर तालुकों में कई लाख टन चूने के पत्थर के निक्षेपों का हाल में पता लगा है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार अथवा किसी गैर-सरकारी कम्पनी ने उक्त तालुकों में सीमेंट के कारखाने लगाने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले में पहल करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसको सदन के पटल पर रखा जायेगा।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर इस विषय पर विचार किया जा सकता है।

Survey by the National Productivity Council

2793. **Shri Avatar Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development and CampanyAffairs** be pleased to state :

(a) the findings of the survey undertaken by the National Productvity Council in Delhi, Punjab U. P. etc. in connection with the marketing of fruit; and vegetable; and

(b) the action proposed to be taken by Government thereon?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) A survey in marketing and distribution of vegetables and fruits in Delhi was conducted jointly by the National Productivity Council and the National Council of Applied Economic Research. A summary of the conclusions and recommendations made in the survey report is given in the statement laid on the Table of the House (**Placed in Library. See No. Lt-1828/67**)

(b) The National Productivity Council has sent a copy of the Survey Report to the Delhi Administration for implementation of the recommendations.

Small Scale Industries

2794. **Shri Ram Avatar Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal from F.I.C.C.I. regarding showing preferential treatment to Small Scale Industries; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मनमाड सेक्शन दक्षिण-मध्य रेलवे को दिया जाना

2795. **श्री दामानी** :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे का ढोंढ—मनमाड सेक्शन हालही में दक्षिण-मध्य रेलवे (सिकंदराबाद) जोन को दे दिया गया है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के आसपास के लोगों ने, जो इस लाइन का प्रयोग करते हैं, इस पर आपत्ति की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कपड़ा आयुक्त के कार्यालय में छंटनी

2796. **श्री दामानी** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कम करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे कपड़ा आयुक्त के कार्यालय के कुशल संचालन पर प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विदेशी सहयोग के बारे में मुदालियर समिति का प्रतिवेदन

2797. श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० आर० मुदालियर की अध्यक्षता में बनाई गई विदेशी सहयोग सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर सरकार के निर्णय संकल्प संख्या आई० पी० ऐण्ड एफ० सी०-5 (1)/66 दिनांक 16 सितम्बर, 1967 में दिये गये हैं जो भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 दिनांक 30 सितम्बर, 1967 में प्रकाशित किया गया था।

रूपासा-बंगरीपोसी रेलवे लाइन हटाया जाना

2798. श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उस राज्य में रूपासा-बंगरीपोसी रेलवे लाइन को हटाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय सरकार के रेलवे विभाग की उन लाइनों की, जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं हैं और जिनमें उपरोक्त खण्ड भी शामिल है, जांच की जा रही है ताकि ऐसे उपाय निकाले जा सकें कि जिनसे इन लाइनों पर होने वाले लाभ में वृद्धि की जा सके। किसी विशेष लाइन का क्या किया जायेगा, इस सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रस्ताव इस जांच के परिणामों पर आधारित होंगे । उड़ीसा सरकार के निर्माण तथा परिवहन मंत्री को सूचित किया गया है कि यह मामला विचाराधीन है और यह भी सूचित किया गया है कि कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

तुरन्त तैयार होने वाली चाय

2799. श्री म० सुदर्शनम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका का चाय बोर्ड तुरन्त तैयार होने वाली चाय का आविष्कार करने में सफल हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भी इसी प्रकार के अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) जी, हां ।

केरल में स्थित केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

2801. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों के कर्मचारियों ने सरकार को ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस ज्ञापन में की गई मुख्य मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) 1. मिस्त्रियों के वेतनमान का पुर्नाधारण ।

2. मिस्त्रियों के सेवा नियमों का बनाया जाना जिनमें उनकी पदोन्नति की गुंजाइश हो ।

3. एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले मिस्त्रियों को स्थायी किए जाने की घोषणा करना ।

4. वर्ष 1964-65 और 1966 के लिए बोनस मंजूर करना ।

5. तकनीकी कर्मचारियों को वर्दी तथा मकान किराया भत्ते की मंजूरी ।

6. प्रशासन द्वारा एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करना ।

7. मिस्त्रियों की पदोन्नति ।

8. एसोसिएशन के सदस्यों में भेदभाव बन्द किया जाना ।

9. उत्पादन केन्द्रों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए पूरी तौर से ध्यान देना ।

10. कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्यों के लिए चन्दा दिया जाना ।

(ग) मांगें विचाराधीन हैं ।

Shares Certificates of Hindustan Motors

2802. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of forged Share-certificates of Hindustan Motors seized in 1965;

(b) the number of share-holders who suffered loss as a result thereof ;

(c) the action taken by Government against the offenders; and

(d) the names of the persons from whom forged certificates have been recovered ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) :

(a) 6,600

(b) 9

(c) The matter is still under investigation.

(d) Two individuals, one firm of stock and Share Brokers, one Stock Exchange and four Banks sent the forged certificates to the Company either for verification or transfer. In view of the pendency of the investigation. disclosure of their names at the stage will not be in the public interest.

Import of Woolen Yarn

2803. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of woolen yarn imported from Australia at the time of Chinese aggression in 1962;

(b) the value thereof;

(c) the quantity and the price at which the yarn was given to private companies and the manner in which the remaining quantity was utilized; and

(d) the profit earned or loss suffered in respect of that yarn?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi):

(a) No yarn was imported from Australia at the time of Chinese aggression in 1962.

(b) to (d) Do not arise.

राज्यों में उद्योगों में पूंजी विनियोजन की जांच

2804. **श्री क० लकप्पा :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्यों में उद्योगों में पूंजी विनियोजन पर नियंत्रण तथा उसकी जाँच के लिये कोई प्रभावशाली व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यों में उद्योगों में केन्द्रीय पूंजी विनियोजन के बारे में कुप्रशासन को रोकने के लिये सरकार के पास क्या नियतकालिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार ने कितने मामलों में स्थिति को सुधारने के लिये कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) केवल कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें केन्द्र का हिस्सा विनियो जन के केवल एक अंश के रूप में है, केन्द्रीय सरकार की अधिकांश पूंजी राज्यों। उन्हीं सरकारी उपक्रमों में लगी है जो कि सर्वथा केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है मुख्यकार्यकारी की नियुक्ति अनिवार्य रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जाती है। । सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडल की नियुक्ति भी हर साल कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा ही की जाती है और इसमें प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि के अतिरिक्त एक प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय का भी निर्देशक के रूप में मनोनीत होता है जो कि वित्त सम्बन्धी पहलुओं पर प्रत्यक्ष निगरानी रखता है। उपक्रम को सरकार को अपने उत्पादन की प्रगति और वित्तीय स्थिति की समय समय पर रिपोर्ट देनी होती

है । उपक्रमों के वार्षिक बजट की आवश्यकताओं के लिये सरकार को संसद के अनुमोदन से स्वीकृति देनी पड़ती है । सरकारी उपक्रमों की एक संसदीय समिति है जो इन उपक्रमों की लगातार समीक्षा करती है और अपनी रिपोर्ट देती है । समिति की सिफारिशों के आधार पर और समय समय पर दी गई रिपोर्टों में यदि कोई कमियाँ होती हैं तो उन्हें ध्यान में रख कर सरकार प्रत्येक उपक्रम के सम्बन्ध में समय समय पर सुधार के लिये कार्यवाही करती है ।

नीलगिरि रोड स्टेशन पर रेलवे फाटक

2805. **श्री स० कुण्डू** :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के नीलगिरि रोड रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे फाटक बनाने के लिए नीलगिरि रोड स्टेशन की जनता ने बार-बार माँग की है;

(ख) क्या जनता की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए नीलगिरि रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे फाटक बनाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) 1260 फुट की दूरी पर जो एक रेलवे फाटक पहले से ही बना हुआ है उसके अलावा एक नये फाटक की मांग की गई है । यह प्रस्तावित रेलवे फाटक अतिरिक्त 'सहायक' निर्माण कार्य होगा जिसकी पूरी लागत नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार को वहन करनी होती ।

इस प्रस्ताव के बारे में आवश्यक ब्यौरा तथा उससे सम्बन्धित खर्चे का ब्योरा राज्य सरकार को 1963 में भेजा गया था परन्तु उसने अभी तक न तो अपने अन्तिम निर्णय की और न ही उसकी लागत के बारे में स्वीकृति की सूचना दी है ।

Over-Bridge at Kishanganj Railway Station

2806. **Shri Lakhan Lal Kapoor**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passengers have to face inconvenience and danger in the absence of an overbridge on the metre-gauge line at Kishanganj Railway Staiton, Bihar, (North-East Frontier Railway);

(b) whether a scheme has been formulated to construct the required overbridge and thus to eliminate the said danger ; and

(c) if so, when the said scheme is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes. There is no foot over bridge connecting M. G. island platform with main M. G. platform at this station. A foot over bridge, connecting M. G. & B. G. main plat-forms with station approach however exists.

(b) Yes. It is proposed to extend the existing foot over bridge upto M. G. island platform.

(c) Subject to availability of funds work is likely to be completed by end of financial year 1968-69.

एल्यूमीनियम के कारखाने

2807. श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के सहयोग से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अल्यूमीनियम के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) प्रस्ताव है कि पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से महाराष्ट्र राज्य में हंगरी और रूसी सहायता से मध्य प्रदेश में एक एक एल्यूमिनियम प्लांट स्थापित किया जाय।

(ख) महाराष्ट्र का प्रस्तावित प्लांट रत्न गिरि में स्थित होगा और इसकी 50,000 टन प्रति वर्ष एल्यूमीनियम धातु (जिसमें लगभग 25,000 टन एल्यूमीनियम के तार और छड़ें शामिल हैं), उत्पादन क्षमता होगी। साथ ही स्पोदिज खनन तथा एल्यूमिना निर्माण करने की सहायक सुविधाओं की भी व्यवस्था है। नगर बसाने के अलावा, परियोजना पर 68·88 करोड़ रुपये की लागत आने का अस्थायी अनुमान है। इस समय सरकार परियोजना के उन पहलुओं पर दुबारा विचार कर रही है जिन का सम्बन्ध मुख्यतः देशी उपकरण तथा सेवाओं का अधिकाधिक प्रयोग करने से है।

मध्य प्रदेश में प्रस्तावित एल्यूमिनियम प्लांट की स्थिति कोरबा में होगी और उसकी उत्पादन क्षमता एक लाख टन प्रति वर्ष एल्यूमिनियम धातु की होगी। इसमें स्पोदिज खनन तथा 2,00,000 टन प्रति वर्ष एल्यूमिना निर्माण करने की और साथ एल्यूमिनियम सेमीस के निर्माण की सहायक सुविधाओं की भी व्यवस्था है। एल्यूमिना अवस्था तक परियोजना में तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग हंगरी द्वारा दिया जायेगा तथा प्रद्रावक (एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु उत्पादन करने के लिये) और एल्यूमिनियम सेमीस के निर्माण की सुविधाओं के लिये रूसी सहयोग प्राप्त होगा। सरकार ने कोरबा में एल्यूमिना प्लांट स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस पर लगभग 33.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी (जिसमें 2.05 करोड़ रुपये नगर बसाने की लागत भी शामिल है)। कोरबा प्रद्रावक तथा एल्यूमिनियम सेमीस उत्पादन करने की सुविधाओं के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम रूसी अधिकारियों से लिया जा रहा है।

कृत्रिम रेशम उद्योग

2808. श्री राजदेव सिंह : श्री रवि राय :

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशम उद्योग के कार्य संचालन की जाँच करने के लिये सरकार ने अक्तूबर 1963 में एक सरकारी दल नियुक्त किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आयात की गई वस्तुओं पर राजकीय व्यापार निगम को विश्व के बाजारों में प्रचलित मूल्यों से 25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक अधिक मूल्य देना पड़ा था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इटली और जापान की एक एक कम्पनी अथवा सार्थ समूह के साथ किये गये करारों से हमारी सरकार को कम से कम 80 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ। परन्तु सूरत के क्षेत्र में नायलन धागे के मूल्य एवं वितरण की व्यवस्था के बारे में द्रुत सर्वेक्षण करने के सीमित उद्देश्य को लेकर ही उसे भेजा गया था।

(ख) बिलकुल ऐसी बात नहीं है। समिति ने केवल इतना ही कहा था कि धागे का वास्तविक आयात करने में राज्य व्यापार निगम द्वारा कुछ देर कर दी गई है, क्योंकि प्रतिबद्ध ऋणों के आधार पर संभाव्य संभरकों से होने वाली बातचीत दीर्घकाल तक चलती रही और उसकी आरंभिक अवस्था में उन्होंने एक प्रकार का सार्थसंघ सा बनाकर ऊंचे मूल्यों की माँग की थी जिसे राज्य व्यापार निगम ने देने से इंकार कर दिया। अन्ततः पहले बताये गये भावों के 15 से 25 प्रतिशत कम मूल्यों पर आयात किये गये।

(ग) जी, नहीं, जहाँ तक सरकार को जानकारी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Fallow Railway Land

2809. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the basis on which and the names of persons to whom fallow railway land lying between Rang Mahal and Pili Banga Railway Stations in Bikaner Division of the Northern Railway, tilled this year has been given ;

(b) whether it is a fact that the landless Harijan tillers of Chak 34 S. T. G. District Ganganagar (Rajasthan) have been demanding this land since long and inspite of it the Railway authorities have not given this land to them and instead it is tilled by the railway officers or their relatives ; and

(c) if so, the justification therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Fallow Land between Rang Mahal and Pili Banga railway stations has not been given for tilling to anybody this year.

(b) Applications from certain persons of Chak 34 S. T. G. Suratgarh District Sri Ganga Nagar (Rajasthan) were received in July '67 through the Hon. Member. He was requested by the Divisional Superintendent Bikaner on 1.8.67 and reminded on 20.10.67 to give detailed information regarding location of the land required by each individual and the area thereof. No further details have been received from the applicants so far.

It is not correct that Railway Officers or their relatives are tilling this land.

(c) Does not arise in view of reply to (b) above.

जापान के सहयोग से कागज बनाने का कारखाना

2810. श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान की एक कम्पनी के सहयोग से निकट भविष्य में कागज के कारखाने स्थापित करने वाली है;

(ख) यदि हाँ, तो ये कारखाने कहाँ कहाँ पर स्थापित किये जायेंगे तथा उनके कब स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उनका कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

औद्योगिक एककों का विस्तार

2811. श्री नायनार :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालामेसरी स्थित मशीनी औजार कारखाने का तथा दिल्ली स्थित डी० डी० टी० के उत्पादन और अलवाये स्थित बी० एच० सी० संयंत्रों के विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) मशीनी औजारों की माँग में हुई गिरावट को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, कालामेसरी के विस्तार की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कुछ और समय तक माँग की प्रवृत्ति देख लेने के पश्चात् योजना की पुनः जाँच की जायेगी ।

चूंकि डी० डी० टी० और बी० एच० सी० के उत्पादन में वृद्धि का सम्बन्ध पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से है, इसलिए सम्बन्धित मंत्री के नाम इस बारे में अलग से प्रश्न पूछा जाए ।

ओलावक्कोड में ऊपरी पुल

2812. श्री नायनार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य के ओलावकोड में रेलवे लाइन पर पुल गिर चुका है जिसके परिणामस्वरूप इस पुल के निकट रहने वाले कई परिवारों को दिक्कत हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन परिवारों को जिन्हें इस पुल के गिरने से इतनी अधिक हानि हुई है, कोई मदद देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 534/10-11 किलो मीटर पर रेलवे लाइन के ऊपर का पुल (ओलावकोड स्टेशन) ठीक स्थिति में है। तो भी, मिलाने वाली सड़कों के हाल की वर्षा के कारण बहुत अधिक टूट जाने की वजह से स्थानीय नगर पालिका ने इस पुल के ऊपर से सड़क यातायात को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। इन मिलाने वाली सड़कों की देख-रेख का काम राज्य सरकार के लोक निर्माण कार्य विभाग का है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता से गया होकर बनारस के लिये एक्सप्रेस गाड़ी

2813. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंख्य तीर्थ यात्रियों को सुविधा के लिये जो वर्ष भर कलकत्ता बनारस तथा गया आते जाते रहते हैं कलकत्ता से गया होकर बनारस के लिये और बनारस से गया होकर कलकत्ता के लिये कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्हें पता है कि इन तीर्थ स्थानों से गुजरने वाली सीधी रेल गाड़ियों में सुदूर स्थानों के यात्रियों की भीड़भाड़ के कारण जगह मिलना असम्भव होता है;

(ग) यात्रियों को होने वाली उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार कलकत्ता से गया होते हुए बनारस के लिये एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) आजकल बरास्ता गया हावड़ा/सियालदा और वाराणसी के बीच प्रतिदिन 4 एक्सप्रेस और दो जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं। इनके अलावा, सीधी यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये सीधे जाने वाले पाँच डिब्बे (दो बरास्ता-गया और तीन बरास्ता-पटना) भी चलते हैं जिनमें पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे की जगह होती है।

(ख) और (ग) हावड़ा और वाराणसी के बीच जो सीधे यातायात है उसे चलने वाली वर्तमान रेलगाड़ियाँ पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं और हावड़ा तथा वाराणसी के बीच अतिरिक्त द्रुत रेलगाड़ियाँ चलाने के कोई उपयुक्त कारण नहीं हैं।

Level Crossing near Pipra Railway Station

2814. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gate-man, who had all along been posted at the level crossing at Pipra Bazar Gumti 145B near Pipra Station on Muzaffarpur-Narkatiaganj line on the North Eastern Railway, has now been withdrawn from there; and

(b) if so the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) A census of traffic recently carried out by the Railways had revealed that there was no justification of have a gateman exclusively for operating the gates of the level crossing referred to. However, as the level crossing in question is situated close to Pipra station, the work of operating its gates is now being carried out by the on-duty pointsman, without causing any inconvenience to the road-users.

पश्चिमी बंगाल के रेलवे कर्मचारी

2815. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के वर्ष 1958-59 तक कलकत्ता में काम कर रहे पश्चिमी बंगाल के 800 रेलवे कर्मचारियों को दक्षिण पूर्व अथवा पूर्व रेलवे के कलकत्ता स्थित कार्यालयों में ही नौकरियां दे दी गई हैं और उन्हें गोरखपुर स्थित उनके नये मुख्यालयों में स्थानान्तरित करने के आदेशों को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक विभाग के वस्तुतः कितने कर्मचारियों को उक्त कार्यालयों में नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसी आधार पर डी० बी० के० रेलवे के लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को जिनकी संख्या बहुत कम है तथा थोड़े से कार्यकारी कर्मचारियों को दक्षिण मध्य रेलवे अथवा दक्षिण पूर्व रेलवे में उसी प्रकार नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ । पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग 1300 कर्मचारियों को कलकत्ता में पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में नौकरी में लगा लिया गया था ।

(ख) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) डी० बी० के० एक परियोजना है और सभी को यह मालूम है कि जैसे ही कार्य पूरा हो जायेगा इसे बन्द कर दिया जायेगा । जो कर्मचारी अन्य रेलवे जोनों से स्थानान्तरण पर आये हैं वे इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि जैसे ही परियोजना पर हो रहा कार्य पूरा हो जायेगा, उन्हें अपने उन्हीं रेलवे जोनों में चला जाना होगा जहां से वे स्थानान्तरित हुये हैं । यह बात पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के साथ नहीं है जोकि पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे में समाविष्ट कर लिये गये थे । भूतपूर्व बंगाल आसाम रेलवे के एक भाग को विभाजन के बाद 1947 में आसाम रेलवे बना दिया गया । भूतपूर्व बंगाल आसाम रेलवे के कलकत्ता स्थित तत्कालीन कार्यालयों का पुनर्गठन कर दिया गया था ताकि वे आसाम रेलवे के लेखा सम्बन्धी तथा वाणिज्यिक अधिकांश कार्यों को कर सकें । जब आसाम रेलवे 1952 में बनाये गये बड़े पूर्वोत्तर रेलवे जोन का एक भाग बन गया था, भूतपूर्व आसाम रेलवे के लेखा सम्बन्धी तथा वाणिज्यिक

कार्यालय कलकत्ता में ही रहे । 1955 में यह निश्चय किया गया कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ये कार्यालय गोरखपुर स्थित मुख्यालय में ले आये जायें । उन कर्मचारियों के, जो कलकत्ता में एक लम्बे समय से कार्य करते आ रहे थे, बड़ी संख्या में स्थानान्तरण से अत्यधिक कठिनाई पैदा होती । इस कठिनाई के न होने देने के लिये सरकार ने यह विशेष निश्चय किया कि कलकत्ता स्थित इन कार्यालयों में लगे हुए कर्मचारियों को पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में समाविष्ट किया जाना चाहिये । यह बात डी० बी० के० परियोजना के कर्मचारियों के साथ नहीं थी क्योंकि ये लोग अलग अलग रेलवे जोनों से थोड़े समय के लिये ही लाये गये थे ।

लघु उद्योग विशेषज्ञ दल का संयुक्त अरब गणराज्य का दौरा

2816. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने उनसे अनुरोध किया था कि संयुक्त अरब गणराज्य में लघु उद्योगों के विकास के बारे में सलाह देने के लिये वहाँ विशेषज्ञों का एक दल भेज दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार उस देश में ऐसा दल भेजने के लिये सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) अधिकारियों के एक दल ने जो औद्योगिक संगठन, धातु की चादर के काम, चमड़ा उद्योग का विकास तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना और उन्हें चलाने में विशेष योग्यता रखते हैं, प्रतिनियुक्ति की जा रही है ।

आस्ट्रेलिया के सहयोग से कारों का निर्माण

2817. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक फर्म ने आस्ट्रेलिया के सहयोग के आस्ट्रेलियाई 'सेटा' कारों का निर्माण करने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) देश में सस्ती कीमत की कार बनाने के लिये सरकार को प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है । जब तक इनकी जाँच नहीं कर ली

जाती और उस पर कोई निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक इस अवस्था में यह प्रकट करना उपयुक्त नहीं समझा जाता है ।

इस्पात कारखानों में उत्पादन का कम हो जाना

2818. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई स्थित इस्पात कारखानों में उत्पादन बहुत कम हो गया है जिसके फलस्वरूप नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इन इस्पात कारखानों में आरम्भ से लेकर अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है तथा सरकार को कितनी हानि हुई है और इस हानि के कारण क्या हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) से (ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन में तथा वित्तीय रूप से 1966-67 में हानि हुई है । 1966-67 के अन्त में, कम्पनी को हुई कुल हानि 82.3 करोड़ रुपये थी । पूंजीगत सम्पत्तियों में परिवर्तन, परिवर्धन, सुधार तथा प्रतिस्थापन पर हुए खर्चे को तथा चालू विस्तार कार्य पर हुए खर्चों को शामिल करके कुल पूंजीगत व्यय की रकम 31 मार्च, 1967 को राउरकेला इस्पात कारखाने में 361.59 करोड़ रुपये, भिलाई इस्पात कारखाने में 360 करोड़ रुपये और दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 259.04 करोड़ रुपये थी ।

1966-67 में इन तीनों इस्पात कारखानों के कार्य-चालन पर गिरती हुई मांग का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप आन्तरिक विक्रय में अत्यधिक कमी हो गई, उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तक उपयोग नहीं हो पाया, कच्चे माल की लागत बढ़ गई, आयात किये गये स्टोर तथा कलपुर्जों की लागत में अवमूल्यन के पश्चात् वृद्धि हो गई, काम, विशेष रूप से दुर्गापुर इस्पात कारखाने आदि की कोयला भट्टी का काम, रुक गया । चालू वर्ष में भी, इन इस्पात कारखानों का काम पूरी संस्थापित क्षमता के अनुसार नहीं चल रहा है, जिसके अनेक कारण हैं जैसे कि इस्पात तथा लोहे के बाजार में लगातार सुस्ती छाया रहना, श्रम सम्बन्धी गम्भीर समस्याएँ पैदा होना, विशेष रूप से दुर्गापुर इस्पात कारखाने में, दुर्गापुर की कोयला भट्टी में अत्यधिक मरम्मत का होना, विस्तार यूनिटों के चालू करने में देरी होना या उनका पूरी क्षमता के अनुसार कार्य न करना ।

सरकारी क्षेत्र में इन इस्पात कारखानों के कार्य-चालन के पुनरुत्थान के लिए एक छः सूत्री एकीकृत कार्यक्रम अपनाया क्या है । इसमें निम्नलिखित बातें शामिल की गई हैं :

(एक) प्रबन्ध व्यवस्था ।

(दो) प्रबन्धकों का नियंत्रण

(तीन) प्रौद्योगिकयि सुधार

(चार) लागत कम करना
(पाँच) प्रोत्साहन, तथा
(छः) बाजार तथा विक्रय

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य

2819. **श्री लोबो प्रभु :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं के विदेशों में मिलने वाले मूल्य प्रकाशित नहीं किये जाते और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) 1950-51 से लेकर आज तक खालों, कच्चा चमड़ा, सूती कपड़ों तथा पटसन के कपड़ों के निर्यात को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या निर्यात के लिये प्रोत्साहन देने से पहले देश में व्याप्त मूल्यों तथा पूर्ति की कमी जैसे बातों पर विचार किया जाता है; और

(घ) रुपये में व्यापार करने वाले देशों के साथ व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी के महानिदेशक, कलकत्ता अपने साप्ताहिक प्रकाशन "इण्डियन ट्रेड जरनल" के माध्यम से निर्यात की महत्वपूर्ण मदों के महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में भाव नियमित रूप से प्रकाशित करते है; इसी प्रकार निर्यात संवर्द्धन परिषदें अपनी अपनी मदों के वैदेशिक भाव प्रकाशित करती हैं। चाय बोर्ड भी अपने वार्षिक प्रकाशन "टी स्टैटिस्टिक्स" में अपने वैदेशिक भाव प्रकाशित करता है।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि पटसन के माल, चमड़ा तथा खालों और चपड़ियों के निर्यात 1950-51 से गिर गये हैं, कपड़े के थानों के मामलों में, निर्यात यद्यपि 1950-51 की अपेक्षा कम है तथापि वे गत दस वर्षों में लगभग स्थिर रहे हैं।

उक्त मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये उपाय निम्नलिखित हैं:-

चपड़ियां : कच्ची खालों तथा चपड़ियों पर निर्यात नियंत्रण लागू है और निर्यात के लिए केवल सीमित कोटे दिये जाते हैं। सरकार की नीति टैन की हुई खालों तथा चपड़ियों, समापित चमड़ा तथा चमड़े का सामान जैसे तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहित करने की है।

बगैर कमाई हुई खालें : ये प्राथमिकता प्राप्त उद्योग की सूची में शामिल की गई है। कच्ची खालें तथा चपड़ियां तथा टैनिंग के लिये अपेक्षित वृक्षों की छालें तथा सत्, खुले सामान्य लाइसेंस में शामिल किये गये हैं। चमड़े के पंजीकृत निर्यातक आयात पुनर्भरण लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

सूती वस्त्र : यह भी एक प्राथमिकता प्राप्त उद्योग है जो आयातित माल की अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताएं प्राप्त कर सकता है। सूती कपड़े के थानों के नियातक रंगसामग्री तथा रसायनों के आयात हेतु आयात पुनर्भरण प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ अपनी एक योजना के अंतर्गत सूती कपड़े के निर्यात पर नकद सहायता देता है।

पटसन का माल : (1) खेती के सुधरे हुए तरीके अपनाकर कच्चे पटसन की पैदावार बढ़ाने और उसकी किस्म में सुधार करने के लिये सतत प्रयास किये जाते हैं। (2) पटसन की अधिक से अधिक निकासी के लिये जूट के माल के नवीन तथा विविध प्रयोगों का पता लगाने के लिये एक सघन गवेषण कार्यक्रम बनाया गया है। भारतीय पटसन मिल संघ इस समय सं० रा० अमेरिका में औद्योगिक सहयोगियों की एक फर्म (फैब्रिक्स रिसर्च लेबोटरीज) के सहयोग से गवेषण कार्यक्रम चला रहा है जिसका प्रमुख ध्येय पटसन के माल के नवीन प्रयोगों को विकसित करना है। (3) 1.1.1963 से निर्यात (गुण नियंत्रण थता निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनिवार्य लदान-पूर्वक निरीक्षण और गुण नियंत्रण आरंभ किया गया है। (4) सोवियत रूस तथा पूर्व यूरोपीय देशों के साथ दीर्घावधि व्यापार करार किये गये हैं, जिनमें पटसन के माल के निर्यात के लिये विशेष उपबंध हैं। (5) पटसन के माल पर लगाने वाले निर्यात शुल्कों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। हाल ही में किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप पटसन के माल की सभी किस्मों पर शुल्क कम किये गये हैं (6) पटसन का माल प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में से एक है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण (अनुबंध) (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1829/67]

समान औद्योगिक विकास

2820. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय प्रादेशिक असमानता को ध्यान में रखने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का यह भी विचार है कि सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं यथा जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट, औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक ऋण आदि विनियोजन निगम की विनियोजन नीतियों को ऐसा बनाया जाये जिसके द्वारा देश में समान औद्योगिक विकास संभव हो सके ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियोजन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत जब उद्योगों को लाइसेंस दिया जाता है तो आर्थिक और तकनीकी बातों के अनुसार संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को पहले ही ध्यान में रखा जाता है।

(ख) सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं में विनियोजन नीतियों को बढ़ावा देने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है, किन्तु ये संस्थाएँ सहायता के लिए देश भर की फर्मों से प्रार्थना-पत्र मंगाती हैं और परियोजना की उपयोगिता का विचार करते हुए सापेक्ष रूप से कम विकसित राज्यों के उद्योगों की सहायता करने को सदा तत्पर रहती हैं। जहाँ तक जीवन बीमा आयोग द्वारा पूँजी लगाने का सम्बन्ध है विभिन्न राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

2821. **Shri J. Sundarlal**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no rules have been framed for price appreciation on cotton, silken and woollen cloth sold at the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

भारत में कारखाने लगाने के लिये विदेशी कम्पनियों को जारी किये गये लाइसेंस

2822. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया**:

क्या औद्योगिक विकास तथा समवायकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों को भारत में कारखाने स्थापित करने के लिये इस विशिष्ट शर्त पर लाइसेंस दिये गये थे कि उनमें पांच साल के भीतर भारतीय अंशधारी होने चाहिये;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी बहुत सी विदेशी कम्पनियों ने जिनमें ग्लैक्सो एण्ड त्रिपुरा इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड शामिल है, इस वायदे का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों को अपने वचन निभाने के सम्बन्ध में बाध्य करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कागज बनाने के कारखानों के लिये लाइसेंस

2823. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया**:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कागज बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिये 1960 से लेकर 1967 तक किन-किन व्यक्तियों तथा कारखानों को लाइसेंस दिये गये तथा उन कारखानों को स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

चलचित्रों का निर्यात

2824. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया**:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में अब तक भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड के पदधारी अथवा प्रतिनिधि मंडल कभी विदेश गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधिमंडलों का विवरण क्या है ;

(ग) उनके प्रत्येक दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी; और

(घ) इस निगम के कितने चलचित्रों का निर्यात किया और उक्त अवधि में उससे कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1830/67]

Import of Dry Fruit

2825. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that licences for import of dry fruit from foreign countries have recently been issued to some firms;

(b) if so, the number of applicants for the above licences and the number of those among them whose applications were rejected; and

(c) the grounds on which the applications were rejected?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) to (c) No particulars about the parties, the countries, nor the year, which the Hon'ble Member has in mind. have been indicated, In the circumstances, it is difficult to give a specific reply. However, it is pertinent to mention that dry fruits are imported from Iran and Afghanistan ; and import licences are issued to the Established Importers and Co-operative Societies, in accordance with the declared policy.

नियंत्रण वाली धातुओं के लिए लाइसेंस

2826. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बात के लिये क्या व्यवस्था की है कि नियंत्रण वाला जिन धातुओं के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं, लाइसेंसधारियों द्वारा उनका उचित उपयोग किया जाये ;

(ख) वर्ष 1964-65 और 1966-67 में अब तक दिल्ली मैसर्स डेल्टन केबल कम्पनी को कितनी मात्रा में नियंत्रण वाली धातुओं के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) अलौह धातुओं पर कोई नियंत्रण नहीं हैं और तकनीकी विकास के महानिदेशक या अन्य प्रायोजक अधिकार उत्पादन के आंकड़ों में जैसी भी स्थिति हो, कच्चे माल की उपयोगिता पर निगरानी रखते हैं ।

(ख) इस फर्म के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशक के 1964-65 में निम्नलिखित परिमाण के लाइसेंस की सिफारिश की है :-

टीन	1.50मी० टन
अल्युमिनियम	13मी० टन
तांबा	77 मी० टन

1967-68 के लिए नीति के अनुसार इकटठी आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखा गया है और तकनीकी विकास के महानिदेशक ने क्रमश: 9.9 लाख रुपये तथा 8.7 लाख रुपये की कीमत के लाइसेंसों की सिफारिश की है । तो भी 1966-67 में इस आशय से रोक लगा दी गई थी जिससे तांबे का आयात 22 मी० टन से अधिक नहीं बढ़े । रोक इसलिये लगा दी गई थी कि यह वस्तु ऐसी हैं जिस पर पट्टा लगाया जाता है।

कारों के टायर

2827. **श्री विश्वनाथ राय :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश कारों के टायरों के मामले में आत्म-निर्भर है ; और

(ख) क्या किसी अन्य देश में उनके लिये कोई मांग है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में मोटर गाड़ियों के टायरों का निर्यात विभिन्न देशों को किया गया जैसे चेकोस्लोवाकिया, लंका, इण्डोनेशिया, कीनिया, थाईलैण्ड, बर्मा, नेपाल, मारीशस तथा संयुक्त अरब गणराज्य ।

लघु उद्योगों का विकास

2828. **श्री स० कुण्डू :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम विकसित कुछ राज्यों में लघु उद्योगों के विकास के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है, उस पर कितना व्यय होगा तथा वह किन किन राज्यों में क्रियान्वित की जायेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में लघु उद्योगों को समृद्ध बनाने का है और यदि हाँ, तो इस योजना का व्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) संबंधित अधिकारियों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम में कागज की लुग्दी बनाने का कारखाना

2829. **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण दल ने आसाम में सरकारी क्षेत्र में कागज की लुग्दी बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि यह प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इसे प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ग) आसाम के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसके सम्भवतः अप्रैल, 1968 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटसन के माल का निर्यात

2830. **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों को हाल में निर्यात किया गया पटसन का तैयार माल घटिया किस्म होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा इस माल की मात्रा कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जहाँ तक सरकार को जानकारी है, जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में सिमलुगुड़ी-मोरानहाट ब्रांच लाइन का बन्द करना

2831. **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की सिमलुगुड़ी-मोरानहाट ब्रांच लाइन को बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में डीजल से चलने वाले रेल इंजन

2832. **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लुमडिंग बदरपुर सेक्शन में डीजल रेल इंजन चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन में मार्च, 1963 से डीजल रेल इंजन चल रहे हैं।

निर्यात प्रोत्साहन योजना

2833. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात करने वाली कुछ ऐसी फर्मों का पता चला है जो निर्यात प्रोत्साहन योजना के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ । कुछ निर्यातक फर्में निर्यात के विषय में अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रही हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1831/67**]

बाटने से बचे खुचे रेशम का निर्यात

2834. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या वाणज्यि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वह सच है कि बाटने से बचे खुचे रेशम के निर्यात मूल्य की तुलना में उससे तैयार किए गये माल का चौगुना दाम मिलता है;

(ख) यदि हां, तो बाटने से बचे खुचे रेशम का निर्यात क्यों करने दिया जाता है जबकि भारतीय निर्माताओं और माल तैयार करने वालों की मांग उपलब्ध माल से अधिक है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभार्थ तथा दूरस्थ गांवों के लोगों को रोजगार कराने के लिये इस बचे खुचे रेशम के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) 1963 से चालू रद्दी रेशम निर्यात नीति की समीक्षा के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सितम्बर, 1967 में एक रद्दी रेशम समिति स्थापित की थी। समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अन्य बातों के अतिरिक्त यह विचार व्यक्त किये हैं :—

(1) धागा बटते समय बचे हुए रेशम के रद्दी धागे से निर्मित तैयार माल से निर्यात मूल्यों के वर्तमान स्तर पर व्यर्थ रेशम की लगभग दुगनी निर्यात कीमत उपलब्ध होती है।

(2) निर्यात योग्य कपड़े के उत्पादन के लिये देश में व्यर्थ रेशम की अनुमानित खपत इस समय लगभग 23 हजार कि० ग्रा० है जबकि उसकी वार्षिक उपलब्ध 45 हजार कि० ग्रा० है।

इसलिये समिति ने सिफारिश की है कि व्यर्थ रेशम के निर्यात को निर्माताओं को दिये गये बटाई के रेशम धागे के संभरण के साथ 1:1 के अनुपात में संबद्ध किया जाय। यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

राखा में तांबे की खोज

2835. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में राखा नामक स्थान में ताँबे की खोज का कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) यदि नहीं, तो काम पर और इस कार्य में लगे हुए देशी अथवा विदेशी तकनीकी जानकारों पर कितना धन खर्च किया जा चुका है तथा अब तक कितनी सफलता मिली है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० ने सितम्बर 1967 तक प्रारम्भिक कार्यों पर 5·55 लाख रुपये की रकम व्यय की है। इसके अतिरिक्त भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था इस सम्पत्ति का अन्वेषण करती रही है और अलग से लेखा रखे बिना, इस खर्च को अपने समस्त आयव्ययक में से पूरा करेगी।

2. रूस के दो खनन/धातुकार्मिक और भूविज्ञान विशेषज्ञ दलों ने अक्तूबर, नवम्बर, 1965 में इस सम्पत्ति की जाँच की और विस्तृत अन्वेषण तथा धातुकार्मिक जाँचों के कार्यक्रम का सुझाव दिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अधीन एक विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त की गई हैं और वह इस सम्पत्ति की जाँच कर रहा है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अन्वेषण का एक कार्यक्रम बनाया है। साथ ही एक छोटी खान जिसका बाद में विस्तार किया जाएगा का विकास भी किया जायगा। इस कार्यक्रम पर क्रमशः 1·51 करोड़ रुपये तथा 6·58 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

3. बड़े पैमाने पर मानचित्रण, गढ़े और खाइयां खोदना, भूरसायनिक नमूने लेना तथा भूभौतिकि सर्वेक्षणों कार्यों द्वारा इस मट्टी की विस्तृत जांच का काम भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने 1950 में शुरू किया था। अभी तक किए गए व्यधन तथा अन्वेषणात्मक खनन कार्यों

के आधार पर अयस्कों के संचयों का निम्न हिसाब लगाया गया है :–

संचय (मिलियन टनों में)	तांबे की औसतन श्रेणी (तांबे की प्रतिशत)
25·11	2·19
63·90	1·54
87·81	1·32
151·32	0·96

अनुमान है कि इन संचयों से 20·000 टन तांबा 30 साल तक उत्पादित हो सकेगा।

रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण

2836. **श्री म० ल० सोंधी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता द्वारा रेलवे कर्मचारियों पर विशेष कर पूर्वी क्षेत्र में आक्रमण की घटनाएं हाल ही में बढ़ गई हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में कितनी बार प्रहार किया गया तथा अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) जी, हां। पूर्व दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेलवे कर्मचारियों पर वर्ष 1966 में 22 आक्रमण हुए थे जब कि 1967 में उससे अधिक 46 आक्रमण हुए। इन मामलों में हुई हानि का पता नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में रेलवे के गैंगमैनो की मृत्यु

2837. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में हाल में 6 गैंगमैंन दम घुटने के कारण मर गये थे ;

(ख) यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ; और

(ग) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के काम की अवस्थाओं का सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

उद्योग आयोग

2838. **श्री लोबो प्रभू :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम का पुनर्विलोकन करने के लिये कब तक उद्योग आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

यह मामला प्राक्कलनसमिति (1967-68) द्वारा औद्योगिक लाइसेंस संबंधी नवीं रिपोर्ट में भी उठाया जा चुका है और जिसकी सरकार जांच कर रही है।

रुपये के अवमूल्यन से पहले तथा बाद में जारी किये गये लाइसेंस

2839. **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन के बाद कितने नये औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये तथा रुपये के अवमूल्यन से पहले जारी किये गये कितने औद्योगिक लाइसेंस व्यपगत हो गये;

(ख) क्या सरकार ने आयातित मशीनों वाले नये कारखानों तथा अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 57·5 प्रतिशत बढ़ाये गये शुल्कों की तुलनात्मक हानियों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके उत्पादन की अधिक लागत को, जिसका प्रभाव उनके उत्पादन पर पड़ता है, रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है, यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स मिल्स, भावनगर

2840. **श्री मेहता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स मिल्स, भावनगर, की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर रही है और उसने मजदूरों की मजूरी नहीं की और भविष्य विधि में अपना अंशदान, जो कई लाख रुपये का होता है, नहीं दिया है, और इसके अतिरिक्त वह प्रशासनिक तौर पर भी इतना अशक्त हो गया है कि वह बन्द होने की अवस्था में पहुंच गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मिल को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) यह सच है कि महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स मिल्स, भावनगर की वित्तीय स्थिति कुछ समय से बिगड़ रही है।

(ख) मिल के मामलों की जाँच करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत एक जाँच समिति की नियुक्ति का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

प्रश्नों, ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं आदि के बारे में

RE: QUESTIONS, CALLING ATTENTION NOTICES ETC.

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाली सूचना ली जायेगी। श्री जगन्नाथ राव जोशी।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal): Mr. Speaker. . . . .

Shri Molalu Prasad (Bansgaon): Mr. Speaker, Sir, on a point of order under Rule 357. On 21.11.67 I gave notice of a Short Notice Question with reference to the reply given to unstarred Question No. 337 on the 14th Nov. 1967. That Short Notice Question is stated to be not trceable.

अध्यक्ष महोदय : इसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

Shri Molahu Prasad: May I know under which rule that Short Notice Question is stated to be missing. You are concerned with this matter.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब जो कहेंगे वह वाद-विवाद में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री मोलहू प्रसाद :**

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The notices of questions given by the Hon. Member are stated to be missing. He wants to know about them.

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : पर अब यह बात नहीं उठायी जा सकती। अचानक यदि वह यहाँ इस प्रकार कोई बात पूछने लगें तो मैं किस प्रकार उत्तर दे सकता हूँ। हजारों प्रश्न प्राप्त होते हैं और क्या अध्यक्ष के लिये यह जान सकना सम्भव है कि कौन सा प्रश्न लिया जा रहा है और कौन सा नहीं?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इससे पहले कि आप असली कार्यवाही शुरू करें, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूँ? सभी प्रतिपक्षी दलों के नेताओं ने आपसे निवेदन किया था कि.........

अध्यक्ष महोदय : वह यहाँ इस प्रश्न को न उठायें।

श्री नाथ पाई : आप को कम से कम हमारी बात का उत्तर तो देना चाहिये।

क्या आप मेरी शिकायत सुनेंगे? आपको एक पत्र भेजा गया था.........

---

* कार्यवाही के वृत्तात में सम्मलित नहीं किया।

Not Recorded.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को इस प्रकार यहाँ उठाना ठीक नहीं है।

श्री नाथ पाई : यह कह कर कि मैं कोई अनुचित बात कर रहा हूँ आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। सभी प्रतिपक्षी दलों के नेताओं ने आप को एक पत्र लिखा था। हमें यह भी सूचना नहीं दी गयी है कि उस पर आपका क्या कार्यवाही करने का इरादा है। क्या यह भी पूछना अनुचित है कि इस पर आपका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष कोई भी शोक प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हमने इस विषय में एक निर्णय लिया था और यदि कोई नेता इस सभा का सदस्य नहीं था तो भी हमने उसके निधन का उल्लेख यहाँ किया, जैसे कि मास्टर तारा सिंह के मामले में। परन्तु जब अध्यक्ष को कुछ नामों का प्रस्ताव किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि......

श्री नाथ पाई : हमने केवल सेनापति बापट के बारे में कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाम नहीं लेना चाहता था। नाम लेना ठीक नहीं है, इसी कारण मैं नाम नहीं ले रहा था। मामले पर चर्चा हो जाने के बाद ही उसका यहाँ उल्लेख किया जाना चाहिये। मैं समझता था कि यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है कि वह अध्यक्ष पीठ से इस प्रकार का प्रस्ताव करें। यदि कोई यह लिखेगा कि इस प्रकार का अधिकार अध्यक्ष से वापस ले लिया जाना चाहिए तो मैं यह कहूँगा कि यह अधिकार किसी और को दे दे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि सभा चाहे तो वह इसके लिए कोई समिति नियुक्त कर सकती है अथवा अन्य कोई निर्णय ले सकती है जिससे कि अध्यक्ष को निर्णय लेने और बाद में किसी व्यक्ति द्वारा उस निर्णय में परिवर्तन कराये जाने के प्रयत्न को कोई कठिनाई न हो। जो व्यक्ति इस संसार में नहीं रहे हैं उनके बारे में मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। यदि सभा चाहती है तो वह कोई समिति नियुक्त कर दे, सभा का निर्णय मुझे मान्य होगा।

श्री नाथ पाई : क्या मैं यह मान लूं कि आपने इस बारे में निर्णय ले लिया है? ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि ऐसे अवसर पर हम आपके अधिकार की अपेक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अध्यक्ष के निर्णय का आदर किया, जाना चाहिये। पर आपने मुझे और जो व्यक्ति आपके पास गये थे उन्हें यह बताया था कि आप इस मामले पर बातचीत करना पसंद करेंगे। अब आपका यह कहना कि आप के निर्णय को चुनौती दी जा रही है उचित नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह ने उनको यह बताया था।

श्री नाथ पाई : वह कभी हमारे साथ नहीं गये और न ही उन्होंने हमें कुछ बताया। जब हम सबने आपको पत्र लिखा था तो हमें आशा थी कि आप सहमत हो जायेंगे। उस कोटि के केवल कुछ ही क्रान्तिकारी इस देश में रह गये हैं। यह सदन चार्ल्स लेटन अथवा बेकर

द्वारा बनाया हुआ नहीं है अपितु मूलतः इस सभा के निर्माण का श्रेय सेनापति बापट जैसे व्यक्तियों को है जो कि महान देशभक्त थे। इस प्रकार के महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करके हम अपने पूर्वजों की महानता को स्वीकार करते हैं।

हम आपको किसी कठिनाई में नहीं डालना चाहते। यह अधिकार सामान्यतः आपके पास ही होना चाहिये, पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त दल के नेता ने पत्र पर हस्ताक्षर करके कार्य में सहायता ही की थी। मैं समझता था कि सरकार सहमत हो गई है। आपने अपना निर्णय कभी बताया नहीं था।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

मैं आप के इस विचार का समर्थन करता हूँ कि इसके निर्णय का अधिकार आपके पास ही होना चाहिए।

जहां तक दिवंगत आत्मा के प्रति आदर प्रदर्शित करने का प्रश्न है, हम सब श्री नाथ पाई के साथ हैं और दिवंगत आत्मा के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शायद परसों आपने मुझे यह कहा था कि आपने अपना विचार श्री खादिलकर को बता दिया है और तभी मैंने यह निर्णय माननीय नेता ने बता दिया था। कल आपने भी श्री नाथपाई से कहा था कि आपने निर्णय ले लिया है।

अध्यक्ष महोदय : अस्तु, अब वह जो कुछ कहना चाहते हैं कह लें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जब संसद कार्य मंत्री यहाँ आये तो मैं भी उपस्थित था। उन्होंने यह नहीं कहा कि अध्यक्ष महोदय ने निर्णय ले लिया है परन्तु उन्होंने यह सूचना दी थी कि वह उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सेनापति बापट एक महान नेता थे। उनकी देश सेवा और बलिदान अद्वितीय हैं। उन्होंने वर्षों तक महान कष्ट झेला था। मैं श्री नाथ पाई की भावना से सहमत हूँ और हम उस दिवगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिवार के प्रति आदर की भावनायें समर्पित करते हैं।

श्री नाथ पाई : हमें आपसे यही आशा थी की आप श्रद्धांजलि अर्पित करने में पहल करेंगे। हम भी आपके साथ-साथ अपनी श्रद्धाजलियाँ समर्पित करते हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इससे आपको अनावश्यक ही कुछ परेशानी हुई है। जैसा कि आप कह चुके हैं आप भी सबके समान ही सेनापति बापट के प्रति सम्मान की भावनाएँ रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय संग्राम के इस महान सेनानी के निधन पर शोक प्रकट करने में हम सब भी आपके साथ हैं। उन्होंने जो देश की सेवा की उसके लिये हम कृतज्ञ हैं।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Many persons of this country made great sacrifices for the independence we attained in 1947. When any of them passes away naturally the nation mourns over it. Senapati Bapat comes in the category of those revolutionaries in which Lokmanya Tilak, Vir Sawarkar, Chandra Shekhar Azad and Sardar Bhagat Singh are included. I and my party pay homage to Senapati Bapat.

श्री सेझियान (कुम्बाकोणम) : द्रविण मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं आपके एवं अन्य नेताओं के साथ महान देशभक्त और क्रान्तिकारी सेनापति बापट को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन जैसे देशभक्त के प्रयत्नों के कारण ही भारत को आज यह गौरव और स्वतंत्रता प्राप्त हुई है।

श्री डी० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। सेनापति बापट हमारे देश के इतिहास का अंग बन गये है। उन्होंने अपना सभी कुछ स्वतंत्रता संग्राम में अर्पित कर दिया था। साम्यवादी दल की और से मैं आपके द्वारा तथा अन्य संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं में अपना स्वर मिलाता हूँ।

Shri Madhu Limaye(Monghyr) : There had been two main streams in the freedom struggle of the country—that of an armed revolt and the other that of peaceful revolution. In my opinion both have contributed equally towards the attainment of India's freedom. Senapati Bapat was a General of armed revolt. I pay my homage to him on my own behalf as well as on behalf of my party.

श्री अ० क० गोपालन (पुद्द कोटै) : अपने दल की ओर से मैं उस महान देशभक्त और क्रान्तिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो कि राष्ट्रीय आन्दोलन से पूर्व ही स्वतंत्रता के लिए लड़े थे।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, मैं भी अन्य दलों के अपने सहयोगियों के साथ सेनापति बापट को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिस समय लोग इस देश में अंग्रेजी शासन को दैवी संयोग समझ रहे थे उस समय कुछ ऐसे भी साहसी व्यक्ति थे जिन्होने आगे बढ़कर भारत में नहीं अपितु इगलैंड में ही इस धारणा का खंडन किया कि भारत में विदेशी शासन की आवश्यकता है। सेनापति बापट उन्हीं व्यक्तियों में से थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पथ प्रशस्त किया।

यह सच है कि उनकी विचारधारा भिन्न थी और वह इस बात में विश्वास करते थे कि देश की स्वतंत्रता के लिये उपाय चुनने में हम स्वतंत्र हैं। वह अपनी इस धारण पर दृढ़ रहे। पर जब गांधीजी के नेतृत्व में देश ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया तो सेनापति बापट ने अपने को महानतम सत्याग्रहियों में सिद्ध कर दिखाया। 1903 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक कोई भी आन्दोलन ऐसा नहीं था जिसमें सेनापति बापट ने भाग न लिया हो।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उनका एकमात्र ध्येय भारतीय जनता का उत्थान और उनका व्यवसाय उपनिषदों का अध्ययन रह गया। पर 76 वर्ष की आयु में गोआ की पीड़ित जनता की स्वतंत्रता की पुकार उन्हें फिर गोआ के स्वतंत्रता संग्राम में खींच ले गई। वहाँ उन पर पाशविक अत्याचार किये गये पर फिर भी वह मुस्कराते रहे। उनमें एक विद्वान, सैनिक और सन्त के व्यक्तित्व का अभूतपूर्व सम्मिश्रण था। ऐसे ही व्यक्तियों के कारण हम स्वतंत्रता प्राप्त कर पाये हैं। मैं स्वतंत्रता संग्राम के उस महान सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सेनापति बापट महाराष्ट्र में चाचा के नाम से पुकारे जाते थे जैसे कि वे प्रत्येक परिवार के एक वयोवृद्ध सदस्य हों। उनका जीवन विद्यार्थी जीवन से लेकर अन्त तक एक यज्ञ था। स्वतंत्रता संग्राम के प्रारम्भिक दिनों में तो उन्होंने भारत में एक विद्यार्थी के रूप में भाग लिया ही था, जब वह दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में विदेश गये तब भी वह देश की स्वतंत्रता के लिए जूझते रहे। यद्यपि वह उस समय आतंकवादी नीति में विश्वास करते थे फिर भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे अधिक प्रेम की नीति में विश्वास करता हो। वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े जहां कहीं अन्याय दिखाई दिया उसके विरुद्ध भी लड़े परन्तु किसी व्यक्ति के प्रति उन्हें कभी तीखा नहीं पाया गया। हम उस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य कृपया खड़े होकर कुछ देर के लिए मौन रखेंगे।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a shortwhile.

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : श्रीमन् उस महान देशभक्त को श्रद्धांजलियाँ अर्पित किये जाने के बाद में इस सम्बन्ध में हमारी जो परिपाटियाँ है उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन पर अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो कुछ कहना है वह अध्यक्ष महोदय ही कहेंगे और बाद में वही बोले थे अन्य किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। फिर हमारे प्रिय प्रधान मंत्री के परामर्श पर इस परिपाटी का पालन नहीं किया गया और विभिन्न दलों के नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने दी। आपको यह निर्णय देना चाहिए कि भविष्य में इस सम्बन्ध में किस परिपाटी का पालन किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सब को ज्ञात है कि शोक प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। यदि विभिन्न दलों के नेताओं ने मुझे एक छोटी सी बात के लिए लिखा तो मैं 'ना' कैसे कह सकता था ? यदि सदन का नेता और प्रतिपक्षी दलों के नेता किसी बात पर सहमत हो जाते हैं तो वह स्थिति अध्यक्ष के लिये अच्छी होती है, अन्यथा वह एक कठिन स्थिति में पड़ जाता है। मैं दिवंगत नेताको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता था, हालांकि यह कार्यावलि में नहीं था फिर भी मैं सहमत हो गया।

श्री कृपालानी जी ने जो बात पूछी है उसकी चर्चा यहाँ पर न की जाये तो अच्छा है। मैं पुराने कागजात देखकर सब तथ्य इकट्ठे करूँगा। यदि सभा चाहती है कि भविष्य में अध्यक्ष अपना निर्णय दे तो मैं ऐसा करूँगा अन्यथा यदि मुझे पत्र लिखा गया तो मैं उस सभा के नेता को भेज दूंगा और फिर सभा का नेता और प्रतिपक्षी दलों के नेता आपस में मिलकर उस पर निर्णय कर लेंगे। मैं सदन के सभी दलों में यह भावना उत्पन्न करना चाहता हूँ कि मैं किसी दल विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ अपितु सभी का हूँ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLEIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को दालें इत्यादि का चोरी छिप्पे ले जाया जाना

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal): Mr Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon:

"Large scale smuggling of pulses and other foodgrains to China and Pakistan through the eastern borders of India"

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ रिपोर्टें देखी हैं कि मध्य प्रदेश खाद्यान्न व्यापारी संघ के अनुसार भारत की पूर्वी सीमा से चीन और पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी मात्रा में दालों का तस्कार व्यापार होता रहा है। तथापि, इस सम्बन्ध में किसी भी राज्य सरकार से अब तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस मामले की जांच करें और सही स्थिति से अवगत करायें।

Shri Jagannath Rao Joshi: I gave notice of a question to this very effect previously also which was answered on the 14th November. Its reply was exactly similar to the statement made by the Minister now. Today it is 1st December and it is not understood as to how the same reply is given to day also.

I would invite your attention to the news item which appeared in the press on 27th November :—

"A gang of forty smugglers attacked a patrol party with deadly weapons, forcibly released an arrested smuggler and contraband articles, snatched away two rifles and kidnapped some sepoys."

Even after this incident we receive a reply from the Minister that reports are awaited. In 1946 Late Pt. Jawaharlal Nehru once stated that such antisocial elements would be hanged to death from trees but no such element has so far been hanged.

Sir, on a point of order. When the question of smuggling is before the house the Minister of Food and Agriculture should not evade it by saying that it relates to the Minister of Home Affairs. A satisfactory reply should be given. May I know what action government propose to take in the matter?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इन मामले में हमें पूर्णरूप से राज्य सरकारों तथा गृह कार्य मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर निर्भर करना पड़ता है। हमने इन प्रश्न को राज्य सरकारों के पास भेजा था परन्तु मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : जब पिछली बार भी मैंने खाद्य मंत्री से चावल की तस्करी

के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम इस बारे में जांच कर रहे हैं। वह कह तो देते हैं कि हम जाँच कर रहे हैं परन्तु जाँच होती नहीं।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad): When I had said that smuggling is going on on the border of Assam then an assurance was given that the matter will be enquired into. For your information, Sir, I want to point out that in every town of Assam one can find smuggled pens etc. so much so that one can find such fountain pens even in Government offices there. But unfortuately Government is not aware about all these things. It appears that Government machinery is not working properly.

I would also like to know whether Government knows the extent to which foodgrains have gone in Assam. If foodgrains have gone there in excess of the requirement then it is quite evident that the same will be smuggled. Will Government enquire into the whole matter?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक राज्य से दूसरे राज्य में दालों को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है। जहाँ तक दालों का सम्बन्ध है वे प्राय: 60,000 से 70,000 टन तक अन्य राज्यों से आसाम में जाती हैं। यदि आसाम बड़े पैमाने पर दालों की तस्करी होती तो आसाम में उनका मूल्य बढ़ जाता परन्तु वहाँ पर पिछले दो महीनों से मूल्य कम हो रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The pulses exported to Gauhati and Siliguri from Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh during the last two three months were to the time of 15 lakh maunds while these were exported in the corresponding period to the tune of one and a half lakh maunds. Under these circumstances we find that the requirement of these people cannot be so much. Secondly these pulses cannot be diverted from there to other States because their prices will increase thereby. Hence what is happening there is that organised gangs are indulging in smuggling there and our information is that some Ministers are also involved to a party to these un-social elements. Smuggling of different commodities is taking place in other States also. Hence I would suggest that some officer of C.B.I. should go there and he should go into the whole matter. I would, therefore, like to know whether Government is prepared to refer the whole matter to C.B.I. so that smuggling may be checked.

श्री अन्ना साहिब शन्दे : मैं गृह मंत्रालय को इस सारे मामले की नई सिरे से जाँच करने की प्रार्थना करने को तैयार हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो तस्वीर खींची है उससे स्थिति का सही पता नहीं चलता है। मेरी जानकारी तो यह है कि प्रति वर्ष 30, 40 लाख मन दालें आसाम को भेजी जाती हैं।

———

ऊन के आयात तथा वितरण सम्बन्धी नई नीति

NEW POLICY OF IMPORT AND DISTRIBUTION OF WOOL

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये की ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में कल श्री मधु लिमये ने एक विवरण सभा पटल पर रखा था और मैंने कहा था कि हम इस पर आज विचार करेंगे ।

श्री देवकी नन्द पटोदिया (जालोट) : मैंने भी इस बारे में आपको एक पत्र लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक ध्यान दिलाने वाली सूचना का सम्बन्ध है मैंने कभी भी किसी ऐसे सदस्य को अनुमति नहीं दी है जिसका नाम सूची में न हो ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

आपने यह विनिर्णय दिया है कि किसी सदस्य को प्रश्न नहीं पूछना चाहिये जब तक कि उसका नाम सूची में न हो । मैं कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता था परन्तु चावल की तस्करी की बात मेरे ध्यान में थी और आज मैंने प्रश्न काल में भी इस बारे में उल्लेख किया था कि मंत्री महोदय को जाँच करनी चाहिये । कोई जाँच नहीं की गई है । अतः मैं स्पष्टीकरण चाहता था ।

श्री देवकी नन्दन पटोदिया : जब आंकड़ों में अन्तर हो तो क्या व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं परन्तु उसका उत्तर अध्यक्ष देगा नकि मंत्री ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में विवरण सभा पटल पर रखा गया था । अतः आपका यह कहना सही है कि जिन सदस्यों का नाम सूची में है केवल वही अग्रेतर स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं । परन्तु चूंकि सभा को 24 घंटे का समय दे दिया गया है और हममें से किसी सदस्य को यह पता चल गया है कि जो जानकारी दी गई है वह गलत है इसलिये आपको उसे तत्सम्बन्धी प्रश्न पूछने की अनुमति दे देनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने के कई तरीके हैं । सदस्यों को बहुत से विशेषाधिकार और सुविधायें प्राप्त हैं । परन्तु यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि मैं श्री पाटोदिया को अनुमति दूंगा तो सभा के प्रत्येक सदस्य को अनुमति दे सकूंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : When all such things are rejected by your office then what is the use of Rules ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कुछ तो रद्द करनी ही होती हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the statement containing new policy of Import and Distribution of wool consists of eight pages and a radical change has been made in

the old policy. I would like to know from the Hon. Minister of Commerce whether he had received any complaints regarding the old distributiou just as there is a report of Shri Dutt on Model Woollen Mills. Similarly the decision of the Bombay High Court regarding Kabir Woollen Mills of Ludhiana is worth receiving. By that the House will be astonished to know what is going on in their offices.

I would also like to know from the Hon. Minister whether Nylon worth Rupees eighty lakhs was imported for wool industry after Chinese attack and now Nylon worth Rupees fifty lakhs has been declared surplus and given to two parties namely Arthur Export and Import Agency and Commonwealth Woollen Mills. I think that these two parties must have made atleast rupees six crores by spending fifty lakhs.

There is no doubt that their old policy was a failure. It has been said that the distribution had not taken place in time and very poor quality was supplied. I would therefore like to know from the Hon. Minister the percentage of yarn supplied to them during the last five years and what was its quality ?

The Hon. Minister has also said that the new policy is beneficial for centralised industry. Hence I would like to know what is meant by centralised industry ?

I have the full list of hosiery industry with me. The hosiery industry will say that this is a centralised industry. But I find that there are some units which consume wool less than 100 pounds while at the same time there are some units which consume wool more than 200 pounds. Hence the result of the new policy would be than most of the mills would be selling their quota in black market.

I find that some artificial units are being created in a wrong way in Jammu and Kashmir and quota is being given to them. I would like to know from the Hon. Minister whether he is prepared to refer this whole matter be some parliamentary committee such Puhlic Account Committee or Public Undertakings Committee.

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : Sir, as you already know I never object if any matter concerning my Minister is referred to any Parliamentary Committee. As far as the questions put by the Hon. Member are concerned I would only like to say that the whole matter is under consideration. After the enquiry is completed punishment will be awarded to those who are found guilty.

Shri Madhu Limaye : As far as the policy matters are concerned he should answer them. The matter concerning misappropriation may be referred to the committee.

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : I have a right to ask it. It is not a question of his will.

Shri Dinesh Singh : Everybody here has his own rights. That is not the way to talk here.

Shri Madhu Limaye : My question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कह दिया है कि मेरे पास और जानकारी नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

ट्रेक्टर (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1967 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं ट्रेक्टर (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1967 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

1. (एक) एस० ओ० 2943 जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1967 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1119 में एक संशोधन किया गया।

(दो) एस० ओ० 2944 जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 1967 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2372 में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०** 1832/67]

2. (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत माइनिक एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) उक्त कार्पोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1833/67]

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 6 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3965 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालम में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1834/67]

(2) निर्यात निरीक्षण परिषद् के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1835/67]

स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के किये गये डाक्टरी इलाज के बारे में तकनीकी रिपोर्ट

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : डा० श्री० चन्द्र-

शेखर की ओर से मैं तारांकित प्रश्न संख्या 210 क पर अनुपूरक प्रश्नों के दौरान 23 नवम्बर, 1967 को स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन राज्य मंत्री द्वारा दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में, स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के किये गये डाक्टरी इलाज के बारे में तकनीकी रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1836/67]

आग्रिम संविदा विनियम अधिनियमन, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4140 की एक प्रति, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । सभा पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1837/67]

———

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 4 दिसम्बर 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) खाद्य की स्थिति पर आगे चर्चा,

(2) अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1967 को प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिये प्रस्ताव पर आगे विचार,

(3) राज भाषा संशोधन विधेयक, 1967 पर विचार करना और उसे पास करना तथा राज भाषा सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा,

(4) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1967, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पर विचार तथा पास करना,

(5) (क) वर्ष 1967-68 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान,

(ख) वर्ष 1964-65 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(6) शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन पर आगे विचार ।

अध्यक्ष महोदय : ग्राज 4 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है । इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस बारे में इस समय कोई प्रश्न न पूछा जाये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : May I know whether these items will be taken in the same order in which they have been said by the Hon. Minister or there will be any change in it ?

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में हर बात पर चर्चा नहीं हो सकती ग्रतः ग्रागामी सप्ताह के कार्य के बारे में चार बजे चर्चा होगी । मैं शास्त्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वह भी समिति की बैठक में ग्रा जायें ।

पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re: SITUATION IN WEST BENGAL

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि वह कृपया पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल को पश्चिम बंगाल में संयुक्त वामपंथी मोर्चे के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की उनकी ग्रसंवैधानिक कार्यवाही के कारण बर्खास्त कर दें।" हमारे देश के एक भाग में ग्रभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न होने के कारण मैं सभा से इस प्रकार की सिफारिश करने का ग्रनुरोध कर रहा हूँ । केन्द्र में सत्ताधारी कांग्रेस दल की सत्ता-लोलुपता के कारण संवैधानिक तथा राजनैतिक जीवन के सभी ग्रौचित्य ग्रौर शिष्टताग्रों का उल्लंघन हो रहा है ।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल को ग्रचानक बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही से यह स्पष्ट हो गया है कि मनमाने प्राधिकार ग्रौर सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त करने की इच्छा से भारत में जनता के कुछ वर्ग कहां तक ग्रागे बढ़ सकते हैं। राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है लेकिन उसे ग्रनुच्छेद 156 के ग्रधीन राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है ग्रौर चूंकि राज्यपाल ने ग्रपने उच्चपद का ग्रपमान किया है, इसलिये हम राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बर्खास्त करदें ।

ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ग्रपनी ग्रन्तरात्मा को केन्द्रीय सरकार के पास बन्धक रख लिया है। उन्होंने ग्रपने ग्रशिष्ट कार्यों से ग्रपने पद का ग्रपमान किया है ग्रौर बंगाल को एक कठिन ग्रौर लज्जाजनक स्थिति में डाल दिया है । वहां पर विधान सभा के ग्रध्यक्ष ने कहा है। उन्हें पता नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है । उन्हें तथाकथित मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया गया । इसीलिये उन्होंने कहा

है कि वहां पर जो कुछ हुआ है उसे वह मान्यता नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि केवल विधान सभा ही मंत्रिमंडल बना सकती है और उसे बर्खास्त भी कर सकती है। उन्होंने चारित्रिक दृढ़ता और साहस का जो परिचय दिया है उसके कारण गुण्डों ने उनके निवास स्थान पर हमला भी किया है।

पश्चिम बंगाल और अन्य स्थानों की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान संविधान और विशेषकर इसका एकात्मक स्वरूप एक ऐसे सिद्धान्त हीन दल के हाथों का खिलौना बन गया है जो राज्यों में नामजद किये राज्यपालों के जरिये काम कर रहा है।

संविधान के अनुसार आसाम के राज्यपाल के अतिरिक्त और किसी भी राज्यपाल को स्वविवेक से काम करने का अधिकार नहीं है। आसाम के राज्यपाल के स्वविवेक अधिकारों पर भी संविधान की छठी अनुसूची में दिये गये कुछ उपबन्धों द्वारा सीमा लगादी गई हैं।

राज्यपाल के कार्यों के बारे में डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो कुछ कहा था उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में क्या धारणा थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल अपने आप कुछ नहीं करेगा और वह किसी भी मामले में मंत्रिमंडल की राय को नहीं ठुकरा सकेगा। उसका कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिमंडल को निष्पक्ष, सच्चा और कुशल प्रशासन चलाने की सलाह दे। अन्ततः उसे मंत्रियों की ही सलाह लेनी होगी।

21 दिसम्बर को जब मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया था, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने रात के दो बजे मुख्यमंत्री श्री अजय मुखर्जी के पास एक सन्देश भेजा था जिसमें उन्होंने चार बजे तक उत्तर देने की बात कही थी और यह कहा था कि वह 18 दिसम्बर से पहले की किसी तारीख को निश्चित करने के लिये तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे स्वयं कोई उत्तर नहीं दे सकते परन्तु 23 तारिख को उनके मंत्रिमंडल की बैठक है और उसके बाद ही वे राज्यपाल को बता सकेंगे कि वह 18 दिसम्बर से पहिले किसी तारीख को निश्चित करने के लिये तैयार हैं या नहीं। किन्तु राज्यपाल ने इन्तजार नहीं किया क्योंकि उन्होंने दिल्ली से परामर्श करके पहले ही अपना निर्णय कर लिया था।

यह सब ऐसे समय में किया गया है कि जब पश्चिम बंगाल में प्रशासन के भंग होने के बारे में लगाये गये सभी आरोप झूठे ठहराये जा चुके हैं। वास्तव में अक्तूबर के आंरभ में या उससे पहले भी पश्चिम बंगाल में हड़ताल या तालाबन्दी की एक भी घटना की खबर नहीं मिली थी। 26 नवम्बर को इन्जीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रधान ने संवाददाताओं को बताया था कि राज्यपाल एक ऐसा वातावरण तैयार करने जा रहे हैं जो उद्योग के लिये लाभदायक होगा और जिसमें श्रम-प्रबन्ध बहुत अच्छा होगा।

जब संयुक्त मोर्चा सरकार बर्खास्त की गई थी तब पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य थी। कुछ दिन पहले वहां पर स्थिति उस स्थिति से अच्छी थी जो एक साल पहले कांग्रेस के शासन में थी।

वास्तविक स्थिति यह थी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक खाद्य नीति निर्धारित की थी जिसे लोग बहुत पसन्द कर सकते थे। जोतदारों और धनवान लोगों के मन में इससे

भय पैदा हो गया था और इसलिये ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिये षडयन्त्र रचा गया ।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने कर्तव्यों तथा मर्यादा को त्याग कर राजनीतिक और मानवीय शिष्टता को तिलांजली देदी है तथा उन्होंने अपने पद का भी दुरुपयोग किया है । पश्चिम बंगाल जैसे सीमान्त राज्य में जिस विश्वास के साथ उनकी नियुक्ति की गई थी उसको उन्होंने पूरा नहीं निभाया । उनके आचरण से भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य में अत्यधिक अराजकता और आशान्ति फैल गई है जिसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं । राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाना चाहिये ! इस सभा को राष्ट्रपति से यह सिफारिश करनी चाहिये कि वह उन्हें राज्यपाल के पद से हटादें ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा 30 नवम्बर, 1967 को दिये गये वक्तव्य का अनुमोदन करती है ।"

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj): The Speaker of the West Bengal Assembly has said that the action of the Governor in dismissing the Ministry of Shri Mukherjee and hereafter calling the Assembly session is unconstitutional and illegal. If that is so, the Speaker should not have come to the Assembly at all. The every fact the he came to preside over it, adjourned sine die and said that he wanted more time to give a considered ruling meant that he accepted the situation and now he can not go back upon it. Moreover, what the Speaker had stated was not his ruling. It is only an opinion expressed by him which can not have any validity so far as the Assembly and Government are concerned.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

Summons for convening the Assembly on the 29 were issued on the 22nd November. There was enough time for the Speaker to have considered the validity or otherwise of convening the Assembly and to have said so. The fact that he did so only when the Assembly met, shows that he was not acting on his own but certain other forces were working behind him. It is also significant that the Chairman of the council held the Governor's action as valid.

The whole situation is very clear. When 17 legislators left the United Front, the Front was turned into a minority. Since the continuance of a minority Government is not in-accordance with democratic principles as enshrined in our Constitution, the Governor wanted a session of the Assembly to be called at an early date so that the voting might decide as to who was in majority. But the Ministry of United Front was deliberately avoiding it. There was a definite purpose behind it. The Communist wanted to avoid an early meeting so that they might prepare for carrying out their plan of creating disorder and chaos through violence.

It has been reported in the press that as early as 29th October, the Left Communist leader Shri Sunderayya had declared in Calcutta that if the United Front Government in

West Bengal was toppled, his party would resort to violent action. Mr. Konar in a speech at Burdwan in 15th November, called upon the people to paralyse the railways, vehicular traffic and all normal activities as soon as the United Front Government was toppled. He exhorted Government employees to burn the houses of those who might join Dr. Ghosh's party.

The Naxalbari Group of Left Communist leaders asked their partymen to sabotage electric installations, the Central Dairy, the Gun and Shell Factory, the Indian Oil Company and the Oriental Gas Company. The Bengal Left Communists came out openly with posters showing Mao-Tse-Tings pictures and quotations from him inciting armed rebellion.

Therefore, the question before us was whether those who are openly instigating the people to commit violence and create chaos and thereby throw democracy to dust should be given time to do so. The West Bengal Governor took prompt action with a view to prevent antisocial elements from carrying out their plans of violence and sabotage.

Shri Shiv Chand Goel (Chandigarh): The main question about West Bengal is as to who has the right to make or bringdown the Ministry. There is no doubt that this is the right of the elected representatives of the people. Otherwise. there is no meaning of democracy.

When trouble was created, the West Bengal Ministry made a reasonable request that the opinion of the Supreme Court might be asked about the right of the Governor to dismiss the Ministry. Even that was refused by the Centre. The action of the Speaker of the West Bengal Assembly is nothing but 'tit for tat'.

The Speaker had not refused calling of the Assembly Session. The difference was only about the date on which the Session should be called. That was no justification for the Governor to dismiss the Ministry.

I feel that it has now become necessary that our Constitution should be amended and a provision should be made there in for the impeachament of a Governor who acts country to the Constitntion and the aspirations of the people.

The situation in West Bengal warrants the imposition of President's rule. The Government of India has been following two standards in these matters. They imposed President's rule in Haryana because they were not sure whether a Congress Ministry could be formed there. Although the United Front was in majority, yet they dissolved the Legislatire Assembly there. But they are not prepared to dissolve the West Bengal Legislative Assembly and to obtain the verdict of the people. On the one hand they dissolved the Legislative Assembly of Haryana on the gronud that many defectors were taking place there and on the other, in Punjab they encouraged certain people to defect so that the Congress Party may come to Power.

I am very sorry to say that our Government is making a mockery of the democracy and the Constitution. They seem determined to oust all non-Congress Government. They should adopt one standard, be it Haryana, Punjab, West Bengal or any other State. Unless these anti-Constitution actions of the Government are stopped, democracy in this country will come to an end.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभा और देश राजनीतिक स्थिति के बारे में और पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र का जो मजाक किया गया है उसके बारे में बहुत उत्तेजित है। राज्यपाल की कार्यवाही ने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में संदेह पैदा कर दिया है। राज्यपाल

ने विधानमंडल की शक्तियां अपने हाथ में ली हैं । संविधान के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् विधान-मण्डल के सामने उत्तरदायी है न कि राज्यपाल के सामने । विधानमण्डल ही केवल ऐसा मंच है जहां पर सत्ताधारी दल की शक्ति की परीक्षा की जानी चाहिये ? पश्चिमी बंगाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्राथमिक और मूलभूत सिद्धान्त की उपेक्षा की गई है ? राज्यपाल ने उन शक्तियों का अतिरेक किया है जो उन्हें संविधान-निर्माताओं द्वारा दी गई थी ।

हमारा राज्यपाल जब अच्छा होता है तो हमें अच्छा शासन मिलता है ! जब राज्यपाल खराब होता है तो वह शरारत कर सकता है । मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान, पांडीचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पजांब में काफी शरारत की गई है । केन्द्रीय मंत्रियों की सांठ-गांठ से राज्यपाल द्वारा संवैधानिक उपबन्धों का दुरुपयोग किया गया है ? यदि यह बातें होने दी गईं तो हम लोकतंत्र के सभी तरीकों से वंचित हो सकते हैं । चुनाव मजाक बन जाते हैं जब यह राज्यपाल के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है कि किसी एक राज्य में किस व्यक्ति को शासन करना चाहिये । जैसा कहा गया है, प्रत्येक राज्य में मापदंड अलग-अलग हैं । एक राज्य में विधान सभा को निलम्बित किया जाता है, दूसरे में इसका सत्रावसान किया जाता है और तीसरे राज्य में विधान सभा को विसर्जित कर दिया जाता है ।

संवैधानिक उपबन्ध जो भी हो, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल को अपनी इच्छा का प्रयोग करने और तदनुसार कार्यवाही करने की अनुमति दी जानी चाहिये ? इस प्रश्न पर हमें निर्णय लेना चाहिये ? प्रश्न यह है कि क्या जनता के निर्णय का उल्लंघन किया जाना चाहिये ? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अल्पमत प्राप्त हुआ था । संयुक्त मोर्चे को जनता द्वारा निर्णय दिया गया था ? केन्द्रीय सरकार के साथ सांठ-गांठ करके राज्यपाल ने इसका स्पष्ट रूप से उल्लघंन किया है ।

कुछ दिन पूर्व गृह मंत्री ने कहा था कि संविधान के अधीन राज्यपाल को सभी शक्तियां प्राप्त हैं । 'राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त' का अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्यवाही कर सकता है । अनुच्छेद 165 में यह भी उल्लिखित है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद ग्रहण करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे और अगले दिन उसे बर्खास्त कर देंगे । राज्यपाल को सरकार की सिफारिश पर कार्यवाही करनी पड़ती है । चूंकि यहां पर राज्यपाल के नाम का उल्लेख किया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मनमानी कार्यवाही कर सकता है ।

राज्यपाल का ध्येय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण करना होना चाहिये ? क्या पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में ऐसा किया गया है ? क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल में जनता के निर्णय का सम्मान किया है ? जब आप देखते हैं कि एक ऐसे दल को, जिसे बहुमत प्राप्त नहीं है, सत्ता सौंप दी जाती है तो ऐसी स्थिति में केन्द्र को जनता के पास पहुंच कर उसका नया निर्णय प्राप्त करना चाहिये था !

बिहार के राज्यपाल, श्री अनन्तशयनम आयंगार ने 28 नवम्बर को कहा था कि एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का काम संविधान का ऐसा अर्थ निर्णय करना है

जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो सके और लोकतंत्र खतरे में न पड़े । उन्होंने यह भी कहा था कि राज्यपाल का पद राजनीतिक विचारों से नियंत्रित नहीं होना चाहिये और राज्यपाल को लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिये, न कि उसे नष्ट करना चाहिये ।

यदि हम लोकतंत्र और संविधान पर निर्भर न होकर नौकरशाही पर निर्भर रहेंगे तो हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा !

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : श्रीमन्, मैं श्री चव्हाण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत सरकार के विचार में डा० घोष को मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्ति और श्री अजय मुखर्जी की इस पद से बर्खास्तगी वैध है ? यह सही है कि यदि कोई राज्यपाल असंवैधानिक कार्य करता है तो केन्द्रीय सरकार उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकती। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह आरोप सिद्ध हो गया है कि राज्यपाल का कार्य असंवैधानिक था ? ऐसी ही स्थिति पश्चिम नाइजीरिया में भी उत्पन्न हो गई थी। वह देश भी हमारी तरह एक संघ राज्य है और वहां पर भी राज्यपाल को मुख्य मंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है । 1962 में पश्चिम नाइजीरिया में राज्यपाल ने वहां के मुख्य मंत्री को उस समय बर्खास्त कर दिया था जब वे बहुमत खो बैठे थे और विपक्षी दल के उस नेता को नियुक्त कर दिया जिसे अधिक संख्या में सदस्यों का समर्थन प्राप्त था भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने राज्यपाल के इस अधिकार का विरोध किया और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया । मुख्य मंत्री की नियुक्ति अन्ततः वैध मानी गई।

संविधान के अनुसार राज्यपाल से यह पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपने कौन से अधिकार का प्रयोग करके मुख्य मंत्री की नियुक्ति की थी किन्तु यह तरीका नहीं अपनाया गया क्योंकि इसके लिये न्यायालय में जाकर बहस करनी पड़ती !

राज्यपाल ने कहा "मेरे पास 146 सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। क्या आप विधान सभा को तुरन्त बुलायेंगे ? जिन सदस्यों ने आपके विरुद्ध हस्ताक्षर किये हैं, हमें उनकी शक्ति की परीक्षा कर लेनी चाहिये ।" मुख्य मंत्री एक सम्मानित व्यक्ति हैं । यदि मुख्य मंत्री पर ही यह निर्णय छोड़ दिया जाता तो जब वे यह जान लेते कि उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो वे स्वयं ही इज्जत के साथ अपना पद त्याग देते ।

इंग्लैण्ड में बहुमत समाप्त हो जाने पर प्रधान मंत्री तत्काल त्यागपत्र दे देता है । अपनी गद्दी पर बने रहने के लिए वह किसी अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करता । जब कोई व्यक्ति अपना बहुमत खो बैठता है तो उसे मुख्य मंत्री के पद से चिपके रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने मुख्य मंत्री से विधान सभा बुलाने के लिए कहा किन्तु मुख्य मंत्री ने नहीं माना । उन्होंने कहा कि वह 18 दिसम्बर को विधान सभा बुलायेंगे। फिर बाद में कुछ और सदस्यों ने दल बदल लिया। इसके अतिरिक्त लोगों ने राज्यपाल को लिखा कि हम इस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे । कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा

रही थी क्योंकि सरकार जो संविधान के अधीन काम कर रही थी उसने यह जान लिया कि उनकी हार निश्चित है। इसलिए उन्होंने खुल्लमखुल्ला यह प्रचार शुरू कर दिया कि जनता को कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिये और कहा कि हालांकि हम बहुमत खो चुके हैं, फिर भी जनसम्पत्ति को अवश्य नष्ट किया जाना चाहिये। जब ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई, जब हिन्सा के लिए खुल्लमखुल्ला भड़काया जाने लगा तो राज्यपाल ने मुख्य मंत्री से विधान सभा शीघ्र बुलाने को कहा। क्या राज्यपाल का यह कार्य असंवैधानिक था ? क्या उन्हें हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने अल्पमत वाले दल की विधान सभा न बुलाने की बात नहीं मानी ? जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वे राज्यपाल को हटाने सम्बन्धी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते।

अतः राज्यपाल ऐसे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है जो बहुमत खो चुका है। यदि राज्यपाल ने गलत कार्रवाई की थी तो इस का निर्णय लेने का सब से अच्छा तरीका यह था कि विधान सभा में मतदान लिया जाता। जनता की अवाज परमात्मा की आवाज होती है लेकिन पश्चिम बंगाल की विधान सभा के अध्यक्ष ने क्या किया ? पहला काम तो उन्होंने यह किया कि उन्होंने लोगों की जबान बन्द कर दी और लोग अपनी आवाज नहीं उठा सके। हमने कहा कि सभा सर्वोच्च है और इसलिए सभा को इस प्रश्न पर बहस करने देना चाहिये किन्तु यह सवाल ही नहीं उठाने दिया गया और बिना किसी प्रस्ताव के ही फैसला सुना दिया गया और एक विचित्र उदाहरण पेश कर दिया गया और किसी औचित्य प्रश्न के उठाये जाने से पहले ही अध्यक्ष ने अपना फैसला दे दिया। (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : समाचारपत्रों से मुझे मालूम होता है कि अध्यक्ष तैयार वक्तव्य लेकर विधान सभा में आये और इसे पढ़ा। पीठासीन अधिकारी की हैसियत से, जहां तक मुझे प्रक्रिया की जानकारी है, ऐसा उन्हें अधिकार है। (अन्तर्बाधा)

डा० रानेन सेन : आप के विनिर्णय के बाद श्री अ० कु० सेन का वक्तव्य हटा दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं निकाला जायेगा (अन्तबाधा)

राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह पुराने मंत्रिमंडल को जिसे बहुमत प्राप्त नहीं है बर्खास्त कर सकता है और उस मंत्रिमंडल को नियुक्त कर सकता है जिसे बहुमत प्राप्त है। यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि पहले रोज जिस दिन विधान सभा की बैठक हुई तो अध्यक्ष के पास 146 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करके एक पत्र भेजा जिसमें यह कहा गया कि उन्हें सभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त है और फिर भी हमें कहा जाता है कि एक ऐसे मंत्रिमण्डल को नियुक्त कर दिया गया है जिसे बहुमत प्राप्त नहीं है।

इस समय संवैधानिक सिद्धान्त परीक्षाधीन हैं। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर विषयपटक चर्चा करना नितान्त जरूरी है।

श्री श्रीराज मेघराज जी धरंगधरा (सुरेन्द्र नगर) : पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार वास्तव में अपने दायित्व से मुकर नहीं सकती है। किन नीतियों

के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, यह जानने के लिए यह अधिक अच्छा होगा कि यह बात जान ली जाये कि इस नीति को अन्य राज्यों में किस तरह अपनाया गया है।

आम चुनावों में राजस्थान में संयुक्त विपक्षीदल को बहुमत प्राप्त हुआ इसे प्रदर्शित किया गया और विधायक व्यक्तिगत रूप से पहले राज्यपाल को तथा उसके बाद राष्ट्रपति से मिले। फिर भी राज्यपाल ने संयुक्त विपक्षी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया संविधान की दृष्टि से यह उचित नहीं था। विधान सभा को स्थगित रखा गया जिससे कांग्रेस दल कुछ विपक्षी सदस्यों को अपने साथ मिलाने में सफल हो गया। एक ऐसे स्थायी मंत्रि-मंडल को जिससे राज्य का प्रशासन बिगड़ने की सम्भावना हो, बर्खास्त करना राज्यपाल के लिए वैध है। लेकिन इसके लिए उसे विधान सभा बर्खास्त कर देनी चाहिये और नये चुनाव कराने चाहिये।

हरियाणा में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कोई छः महीने हकूमत की। वहां पर दल बदल हुई लेकिन मंत्रिमंडल का बहुमत समाप्त नहीं हुआ और न ही राज्यपाल ने यह सुझाव दिया कि मंत्रिमंडल का बहुमत समाप्त हो गया है। इसके बावजूद भी दल बदल को देखते हुए उन्होंने मुख्य मंत्री को बरखास्त कर दिया, विधान-सभा विसर्जित कर दी और राष्ट्रपति शासन थोप दिया। क्या यह कार्रवाई संवैधानिक थी ?

इसी तरह पश्चिम बंगाल में घटनायें हुई। राज्यपाल ने श्री अजय मुकर्जी का गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बरखास्त कर दिया।

डा० पी० सी० घोष के साथ 17 विधायकों ने दल बदल लिया और यह स्पष्ट हो गया कि सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है। राज्यपाल का यह इरादा पक्का हो गया जब उन्हें पता चला कि दल की शक्ति के परीक्षण के लिए विधानसभा की बैठक शीघ्र बुलाने का मुख्य मंत्री विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल को बरखास्त कर दिया। उनकी अगली कार्यवाही अनुचित थी और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से सिद्धान्तों के विरुद्ध थी।

पश्चिम बंगाल विधान सभा में 280 सदस्य हैं। डा० पी० सी० घोष को जिन्हें 17 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है मुख्य मंत्री नियुक्त किया गया है। उन की शक्ति का आधार विधान सभा में उस सब से बड़े नये दल अर्थात् कांग्रेस दल का समर्थन था जिसके 280 सदस्यों की विधान सभा में 134 सदस्य हैं।

फिर भी विरोधी शक्तियों द्वारा विधान सभा में अपनी शक्ति की परीक्षा किये जाने से पूर्व ही अध्यक्ष ने स्वयं ही विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अध्यक्ष की इस अधिकारिक कार्यवाही के गुण दोषों पर पहले ही वाद-विवाद हो चुका है। यदि अध्यक्ष ने विधान सभा के मत पर पहले ही निर्णय देने के लिए राज्यपाल की निन्दा की है तो वह स्वयं भी सभा की सहमति लेने के लिए अपने को नहीं रोक सके। पश्चिम बंगाल में जो घटनायें हुई हैं उनका आधार राज्यपाल की प्रारम्भिक अनुचित कार्यवाही है। उन्होंने ऊपर से सलाह लेकर कार्य किया और एक ऐसे 17 व्यक्तियों से अल्पमत प्राप्त दल को सत्ता सौंपी जिन्होंने हाल ही में दल परिवर्तन किया था और जो कांग्रेस दल के समर्थन से ही सत्तारूढ़ रह सकते हैं।

दल परिवर्तन की घटनायें जहाँ कहीं भी हों उनकी निन्दा की जानी चाहिये । किन्तु यह प्रतीत होता है कि जो बात सार्वजनिक नैतिकता के लिए एक राज्य में उपयुक्त है । जैसा कांग्रेस की नीति से स्पष्ट है । वही बात दूसरे राज्य पर लागू नहीं हो सकती है । क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि दल बदलने की आश्चर्यजनक घटना को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता है अपितु उसका स्वागत भी किया जाता है और ऐसे लोगों को कांग्रेस के समर्थन से सत्तारूढ़ कर दिया जाता है । यह केन्द्र में कांग्रेसी सरकार द्वारा की गई एक असंवैधानिक कार्यवाही का एक उदाहरण है और इसलिए हम गृहमन्त्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते हैं ।

आम चुनावों के बाद 9 राज्यों में कांग्रेस दल हार चुका है और इस हार पर कांग्रेस दल का और केन्द्र में कांग्रेस सरकार का क्रुद्ध होना स्वाभाविक है । यदि कांग्रेस दल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संविधान की अवहेलना करता रहा और इस की हत्या करता रहा तो वह अपने राजनीतिक एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों को कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा । चाहे वह राज्यपाल द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग हो या दल-परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों का प्रोत्साहन या कठपुतली सरकारों की स्थापना, इससे इस सरकार की अथवा इस महान दल को कोई प्रशंसा मिलने वाली नहीं है । फिर भी यदि अपनी गलत नीतियों द्वारा यह सरकार अनियमिततायें करती रही तो केन्द्र और राज्यों के बीच तालमेल के लिए खतरा पैदा हो जायेगा ।

यह पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को उस स्थिति में क्या करना चाहिये जब उस का प्रशासन उसकी विधान सभा की बदलने वाली शक्तियों द्वारा ठप्प कर दिया जाये । सर्वप्रथम, उन्हें संविधान के अधीन नियुक्त किये गये राज्यपाल के रूप में कार्य करना चाहिये । केन्द्रीय सरकार के एक एजेंट के रूप में नहीं । जब बहुमत के अभाव के कारण किसी एक मंत्रिमंडल का पतन हो जाये तो उन्हें दूसरे सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए कहना चाहिये । एक दल से दूसरे दल में जाना अथवा मिली जुली सरकारें ठीक हैं किन्तु कठपुतली सरकारें बनाना ठीक नहीं है । यदि ऐसा न कर सके तो उन्हें मध्यावधि चुनाव कराने चाहिये । यदि वे मध्यावधि चुनावों के लिए तैयार नहीं हैं तो छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिये ।

इन सभी तरीकों को अपनाने के बाद यदि सरकार फिर भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ है तो उन्हें एक सर्वदलीय सरकार बनानी चाहिये । इस समय भारत में राज्यों को सबसे ज्यादा एक अच्छी, ईमानदार, किफायत करने वाली और निष्पक्ष सरकार की आवश्यकता है । एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जल की सप्लाई, सफाई, सूखा और बाढ़ राहत, मध्यम और छोटे सिंचाई कार्य, बीज के पैकेज कार्यक्रम, किसानों के लिए आवश्यक खाद, भू-राजस्व का उन्मूलन जैसी जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।

Shri Rabi Ray (Puri) : The central Government's attitude had not been uniform with the State Governments. It had in fact been trying, through the medium of Governors, to topple down non-Congress governments in the states wherever they have been formed as a result of the verdict of the people. If union Government is going to behave in future like this, one doubts whether democracy will survive in the country at all.

The question before us is whether the action of Governor of West Bengal in dismissing the Chief Minister, Shri Ajoy Mukerjee, is proper. The Governor of Bihar has said in this connection that it had been provided in the Constitution that Governor should act on the advice tendesed by the council of Ministers and not in his disretion. The two States have set precidents which are opposed to each other in Bihar, the Governor agreed with the advice of the Chief Minister to call the Assembly on a particular day while in West Bengal the Governor acted otherwise. The latter action is clearly unconstitutional. The fundamental principle of democracy is that the option of the duly elected public representatives, and not that of persons nominated by the Government, should prevail. That is why we have been demanding that either the Governor's office should be abolished or only peoples representatives should be appointed.

In the ciruumstances prevailing in the country, it has become necessary that the opposition parties come together and try in a concerted manner, to unseat the Congress party at the Centre so that their dictatorship come to an end and the roots of democracy are firmly established in the country.

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य रूप से गैर- सरकारी सदस्यों का कार्य 3 बजे उठाया जाना चाहिये लेकिन आज, यदि सभा ने अनुमति दी, तो मैं इस वाद-विवाद को जारी रखना चाहूँगा और इसे समाप्त करना चाहूँगा और गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लगभग 4 बजे उठाया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह संकल्प भी गैर-सरकारी कार्य है । गृह कार्य मंत्री ने एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया है । गैर-सरकारी कार्य के लिये निर्धारित किया गया समय कम करना उचित नहीं है । आधे घण्टे की चर्चा भी है । अतः इस मद के लिए सोमवार 2 घंटे का समय लिया जाये और अब गैर-सरकारी कार्य शुरू किया जाये ।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह पहले ही तय हो चुका है कि इस वाद-विवाद को आज समाप्त किया जाना चाहिये । गैर-सरकारी कार्य के लिये निर्धारित समय को छोड़ना नहीं चाहते तो सभा का समय बढ़ा दिया जाना चाहिये और हमें देर तक बैठना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा सुझाव यह है कि 3 बजे अपराह्न से 5.30 बजे अपराह्न तक गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाये और 5.30 बजे अपराह्न के बाद इस वाद-विवाद को जारी रखा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कड़ी टूट जायेगी । इस चर्चा को जारी रखा जाये । इस मामले के बारे में हम सोचेंगे और समय कुछ बढ़ा देंगे ।

श्री शशि रंजन : मैंने नियम 193 के अधीन नोटिस दिया है लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आम तौर पर कुछ नोटिस प्राप्त होते हैं और सभी को, जो नोटिस भेजते हैं, अवसर आवश्यक रूप से नहीं दिया जाता । हम इस वाद-विवाद को आज खत्म करना चाहते हैं ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : आप गैर-सरकारी कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को अभी शुरू क्यों नहीं किया जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे निकाल नहीं रहा हूँ। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को निर्धारित समय मिलेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : $2\frac{1}{2}$ hours time is allotted to Private Members' business during a week. Private members' matters should be givan high priority even though the House is not unanimous in the matter. Private Members' Business must be taken up just now. The time allotted for private members' business should not be curtailed.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह वाद-विवाद आज अवश्य समाप्त होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित समय दिया जायेगा। औपचारिक रूप से प्रस्ताव किया गया है कि वाद-विवाद जारी रखा जाये। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सभा इस से सहमत है।

डा० कर्णी सिंह : हमें कल शनिवार को काम क्यों नहीं करना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य : हम शनिवार को नहीं बैठेंगे।

डा० कर्णी सिंह : एक दिन के लिये संसद का काम चलाने के लिये करदाता पर 1 लाख रुपये का बोझ पड़ता है। हमें कल काम क्यों नहीं करना चाहिये ?

श्री पीलू मोडी : यह अनुचित है कि निर्धारित समय पर एक विशेष विषय अर्थात गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को नहीं उठाया जाता और जो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं उन्हें 7 या 8 बजे अपराह्न तक बिठाया जाता है जबकि अन्य लोगों को उचित समय दिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को निर्धारित समय पर उठाया जाये और प्रस्ताव 6 बजे अपराह्न के पश्चत प्रस्तुत किये जा सकते हैं और वे लोग देर तक बैठ सकते हैं।

Shri Balraj Madhok: I endorse the views expressed by Shri Piloo Mody. At this time Private Members business may be taken up and this debate may be taken up at 5.30 p.m.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जहाँ तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों का सम्बन्ध है उन के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये अथवा कोई गड़बड़ नहीं की जानी चाहिए जब तक कि सभा में मतैक्य नहीं है। यदि मतदान के आधार पर निर्णय लेना चाहते हैं तो मतदान के आधार पर यह भी निश्चय किया जा सकता है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिये। बहुमत द्वारा ऐसा निर्णय भी लिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मालूम होता है कि सभा गैर-सरकारी कार्य को स्थगित करने के पक्ष में नही है (अन्तर्बाधा)।

इसलिए मैं सरकार को सुझाव देता हूँ कि इस वाद-विवाद को सोमवार को जारी रखा जाये। इसका अर्थ यह है कि सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): I move :

> "That this House agrees with the Fifteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th November 1967."

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : सूची के अनुसार, श्री मधु लिमये के विधेयकों के पश्चात मेरा विधेयक विचार करने तथा पास करने के लिए लिया जाना चाहिये परन्तु चूँकि कुछ वित्तीय वचन आवश्यक हैं। इसलिए इस विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि इस विधेयक को शीघ्र ही पास किया जाना चाहिये। मेरा विचार है कि सरकार भ्रष्ट व्यक्तियों को आश्रय देना चाहती है अन्यथा राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त होनी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय सभा के सामने समिति का प्रतिवेदन है। इसका राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए हमने आप को परिसंचालन प्रस्ताव करने का रास्ता बताया है। इस में कुछ समय लगेगा क्योंकि कई वित्तीय जटिलताओं का अध्ययन करना पड़ेगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : In a Bill, I had requested that a session of Parliament should be held in Bangalore. About 60 Congressmen and a majority of opposition had also supported the motion. Sometime before Dr. Ram Subhag Singh had stated in a reply of a question that the Government is examining the question of expenditure on a session of Parliament in South India. Since members of both sides are taking interest in the matter and by the time my bill is considered, the Government would be in a position to finalise the question of expenditure, therefore I submit that the Bill be accorded 'A' Category instead of 'B' Category so that it could be discussed.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय सभा के सामने समिति का एक प्रतिवेदन है। 'ए' वर्ग में किसी विशेष विधेयक को रखने की एक निश्चित प्रणाली है। यदि कुछ सदस्य समिति को

लिखें तो समिति इस पर फिर विचार करेगी। लेकिन इस प्रतिवेदन में उनका विधेयक शामिल नहीं किया गया हैं। इस समय उसे नहीं उठाया जा सकता क्योंकि अब वह 'बी' वर्ग में है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 15वें प्रतिवेदन से, जो 29 नवम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा 520 का प्रतिस्थापन)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL. 1967

(Substitution of Section 520)

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा 540-क का प्रतिस्थापन)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1967

(Substitution of Section 540-A)

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा 197 क का हटाया जाना)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1967

(**Omission of Section 197 A**)

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

संविधान संशोधन विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 331 का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

(**Omission of Article 331**)

Shri Raghuvir Singh shastri (Baghpat) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Rahguvir Singh Shastri : Sir, I introduce the Bill.

मंत्रियों की आस्तियों का प्रकटीकरण विधेयक, 1967

Disclosure of Assets of Ministers Bill, 1967

श्री श० ना० माइती (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रियों की आस्तियों के सामयिक प्रकटीकरण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों की आस्तियों के सामयिक प्रकटीकरण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री श० ना० माइती : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

(नये अनुच्छेद 125 क तथा 221 क का रखा जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967.

(Insertion of new Articles 125 A and 221A)

श्री श० ना० माइती : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री श० ना० माइती : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

पिछड़े समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक, 1967

BACKWARD COMMUNITIES (RELIGIOUS PROTECTION) BILL 1967

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for more effective protection of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward Communities from change of religion forced on them on grounds other than religious conviction.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ; "कि धार्मिक विश्वास से भिन्न आधारों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के व्यक्तियों के बलात् धर्मपरिवर्तन से उनका अधिक प्रभावी संरक्षण करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri : Sir I introduce the Bill.

स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा उपप्रधान मंत्री की सामयिक चिकित्सा परीक्षा) विधेयक, 1967

Health (Periodical Medical Check-up of President, Prime Minister and Deputy Prime-Minister of India) Bill, 1967.

Shri Yamuna Prasad Mandal: I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the medical check-up of the President, the Prime Minister and the Deputy Prime Minister of India from time to time at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है; "कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा उप प्रधान मंत्री की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में सामयिक चिकित्सा परीक्षा के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Yamuma Prasad Mandal : Sir, I introduce the Bill.

स्वास्थ्य (संसद सदस्यों की सामयिक चिकित्सा परीक्षा) विधेयक, 1967

HEALTH (PERIODICAL MEDICAL CHECK UP OF MEMBERS OF PARLIAMENT) BILL 1967

Shri Yamuna Prasad Mandal: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the medical check-up of the members of Parliament from time to time at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and for mattess connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि संसद् सदस्यों की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में सामयिक चिकित्सा परीक्षा के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was Adopted

Shri Yamuna Prasad Mondal: Sir, I Introduce the Bill.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

(धारा 293 क, 324 आदि का प्रतिस्थापन) जारी।

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

(Substitution of Section 293A, 324 etc.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मधु लिमये के कम्पनी अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी । एक घन्टा और तीस मिनट समय निर्धारित किया गया था । एक घन्टा और 13 मिनट समय ले लिया गया है । शेष समय 17 मिनट है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री मधु लिमये के भाषण के बाद सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया । अब हम ने समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा है जिस में कहा गया है कि प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली को खत्म किया जा रहा है । श्री मधु लिमये द्वारा जो दो मामले उठाये गये हैं वे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि समय बढ़ाया जाना चाहिये । मेरा निवेदन है कि कम से कम एक घण्टा और दिया जाना चाहिये ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं यह अनुरोध करता हूँ कि हमें नियत समय के अनुसार चलना चाहिये, ताकि प्रत्येक को अवसर प्राप्त हो सके । मैं अपने विधेयक पर बोलने के लिये पिछले छः महीनों से प्रतीक्षा करता आ रहा हूँ जब कि मेरा विधेयक 'क' श्रेणी का विधेयक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ । परन्तु यह परम्परा है कि कभी-कभी सभा की अनुमति से समय बढ़ाना पड़ता है। श्री बनर्जी विषय की महत्ता को देखते हुए इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के लिये कुछ और समय दिया जाये। क्या समय बढ़ा दिया जाये ?

कुछ सदस्य : जी, हां।

एक माननीय सदस्य : समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रा० की० अमीन अपना भाषण पूरा करें ।

श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए।

Ssi Balraj Madhok in the Chair

श्री रा० की० अमीन (ढंढका): मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उसने राजनीतिक दलों द्वारा चन्दे को बन्द करने को सिद्धांत रूप में मान लिया है। यह तो आवश्यक था परन्तु पर्याप्त नहीं है । यह ठीक है कि देश के राजनीतिज्ञों को चन्दा देकर प्रभावित न किया जाये । मतदान के समय भी स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिये । मतदाताओं पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ना चाहिये जैसा कि आजकल की सहकारी समितियाँ जरूरतमन्द लोगों को प्रभावित करती हैं। मतदाताओं की आर्थिक दासता समाप्त की जानी चाहिये ।

मैं चाहता हूँ कि सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे । मैनेजिंग एजेंसी व्यवस्था समाप्त हो, मैं यह चाहता हूँ, परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि आधुनिक मैनेजिंग डाइरेक्टरों की टोली उसका स्थान ले ले, जिसमें सब नातेदारी और रिश्तेदार ही डायरेक्टर मंडल में होते हैं । ऐसे डायरेक्टरों से कम्पनी के प्रबन्ध में कोई सुधार नहीं आता और ना ही कम्पनी को कोई लाभ होता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि कम्पनी के स्वामित्व को प्रजातान्त्रिक बनाया जाये अर्थात् अधिक से अधिक लोगों को शेयर बेचे जायें और कम्पनी के प्रबन्ध में सभी भागीदारों का अधिक से अधिक हाथ हो। योग्य व्यक्तियों को कम्पनी में डाइरेक्टर नियुक्त किया जाये । इन सुधारों के बाद ही मैनेजिंग एजेंसी की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह विधेयक लाकर श्री मधु लिमये ने देश की एक महान सेवा की है। उसने राजनीतिक जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास किया है। देश में कोई भी यह नहीं चाहता कि कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यापारिक संस्था के हाथों में रहे । जो हमें पैसा देगा वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य ही हमारी सेवाओं का लाभ उठायेगा । इसी बात को दृष्टि में रखकर कम्पनी कानून में यह उपबन्ध रखा गया था कि राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चन्दा भी कम्पनियों के बही खातों में दर्ज होना चाहिये । परन्तु उससे भी दोष दूर न हुआ क्योंकि हमारे देश में 'गुप्त' दान की प्रथा भी प्रचलित है। मेरे विचार से जो भी दल कम्पनियों से इस प्रकार रुपया पाता है वह एक योग्य और समर्थ दल नहीं है । क्योंकि ऐसा दल अपनी नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों का ठीक ढंग से पालन नहीं कर सकता । अतः यह बन्द किया जाना चाहिये ।

मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि देश में मैनेजिंग एजेंसी व्यवस्था एक धोखा मात्र रह गई है। इससे देश को लाभ नहीं हुआ बल्कि इससे लोगों ने अपने स्वार्थ पूरे किये हैं। यदि यह राष्ट्रीय हित में काम करती तो आज सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता ही न होती। निजी क्षेत्र ने उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जो इसे दिये गये। यह व्यवस्था कुछ देशों में अवश्य सफल हुई है परन्तु हमारे देश में तो यह भाई भतीजेवाद और भ्रष्टाचार का रूप बन गई है। आज देश की जनता भी यह चाहती है कि देश में बड़े-बड़े कुछ ही व्यापारिक संस्थाएं निरन्तर न बढ़ती जायें। मुझे आशा है कि सरकार इन सब बातों पर ध्यान देगी। मेरे विचार से तो किसी भी कम्पनी को मैनेजिंग ऐजेंसी व्यवस्था अपनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, क्योंकि इससे राष्ट्रीय हित और समाज कल्याण को भारी ठेस पहुंची है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur); I support this Bill whole heartedly even some Congressmen have supported it. I have seen headings in newspapers to the effect that the Managing Agency system may go'. Today I wish that the Minister for Industrial Development and Company Affairs should issue a declaration in this respect. It may not be in favour of Congress Party itself but it will purify the political life in the country, which is the need of the day. So I also want that the managing Agency system should be abolished. Then such cases will not be repeated as the Birla Brothers gave a donation amounting to Rs. 27 lakhs to the Congress and the discussion on the Hazari Report was not deemed necessary. Moreover take up the case of British India Corporation which now has become Political Rehabilitation Corporation because the defeated Chief Minister etc. were put to it. This Corporation should also be nationalized. This can be done if the system of Managing Agency is abolished. If you want to purify the political life you will have to abolish this system. On the one hand the members of political party will have to go to public for small donations of Rs. 2- or so. On the other, the influence of big business houses on political parties will end. There is no question of minimizing the donations from business firms to political parties. It should be done away with completely.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): Mr. Chairman, I welcome this Bill. I congratulate Shri Madhu Limaye for bringing forward this Bill. I request the governmethe to understand the intention behind that Bill and to accept the principle on which this Bill is based. The Managing Agency system should be put to an end. Such a system does not exist in America, Germany or France, The same has been abolished in Japan too. But in India it exists and it is further developing. Here there are 5 or 6 families which own big business houses and control the Indian economy. They are Tatas, Birlas, Martin Burn and Sahu Jain etc. Even in America, which is a capitalist country, such a State of affairs does not exist. There is a pattern in which shares are distributed widely. For example even in General Motors, one of the biggest firms in America, nobody has more than 5 or 2 percent shares. Only experienced and capable persons are appointed as Directors there in big firms and not on the basis of the number of their shares in them. This is not the case in India. These days nobody favours the concentration of the Capital in a few hands. Moreover there will be no difficulty in case of bank guarantees, as is feared. So I submit that along with the Bill providing for a social control on the banks there should be some provision for abolishing tbe Managing Agency system. Hon. Minister should agree with the proposal that no company should be allowed to give donations to political parties. Not only one but all the parties do so and criticism is raised against one particular party. If such a lagislation is passed only then political life in India will be purified.

श्री राममूर्ति (मदुराई) : मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेसी सदस्यों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है परन्तु यदि वे वास्तव में इस विधेयक का समर्थन करना चाहते हैं तो उन्हें विधेयक के पक्ष में मतदान करना चाहिये। यह विधेयक संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त है। स्वयं कांग्रेसी भी मैनेजिंग एजेंसी व्यवस्था का विरोध करते हैं 1960-61 में कम्पनी कानून संशोधन विधेयक को लाते समय उन्होने यह स्वीकार किया था कि यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये। परन्तु आठ वर्ष बीत चुके। आज तक तो उसे लागू नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार क्यों इस व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहती ? उत्तर सरल है। काँग्रेस चाहती है कि बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाओं से उसे चन्दा मिलता रहे। तथा ऐसी ही संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है। सच तो यह है कि आज की सरकार बड़े उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करती है फिर वह ऐसा काम कैसे कर सकती है। वह बात करती है लोकतंत्र के बारे में और सहारा देती है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। ये दोनों बातें परस्पर मेल नहीं खाती। यदि काँग्रेसी वास्तव में इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं तो वे इस का समर्थन करें तथा मंत्री महोदय उक्त विधेयक को पूर्णतः स्वीकार करलें।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): I agree with the basic principles envisaged in the Bill. I am of the view that the means of production should not be confined to the hands of an individual. We have to increase our production to the maximum. I am myself running Managing Agency but I can say that if this system is abolished. I shall not feel sorry for it. But the way in which industralisation has taken place in our country during the last twenty five to fifty years, big business houses have been running Managing Agencies and it has now become a conventions.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

This convention has both merits and demerits. Today it is not posible for a single business house to run a managing agency because it is not possible to invest huge money if it is urgently required. Therefore if Managing Agency System is abolished all of a sudden it may affect our production adversely. We should examine this question with a practical point of view and we should be misguided by political slogons. We should abolish the Managing Agency sytem in such a manner that it should not affect our production. It is a matter of regret that there are certain parties who wish that peace in this country should be disturbed and production is affected adversely.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): A very important matter has been brought before the House and steps should be taken to abolish the Managing Agency sytem so that our political life becomes more pure. The big industrialists give major part of their donations to Congress party which is a ruling party. It is the donations of companies which corrupt our political life. My party does not collect the donations from the industrialists but we collect a rupee or two from the individuals We are of the view that disparities in income should be removed. Those persons who win their elections on the strength of money cannot serve their electorltes. They never visit their constituencies. But those person who collect donations from the public they are supposed to serve the public.

I support this Bill and appeal to the hon'ble members of Congress Party to support this Bill so that our political life becomes more pure.

Shri S. R. Damani (Sholapur): I do not agree with the Bill in its present form. Managing Agency system has been proud to be helpful in the industrial development of the country. I can say that two or four percent Managing Agents might have abused their powers. But it will be seen that those persons who had purchased shares of their companies they have earned huge profits. I want to say that restrictions already imposed on Managing Agency system are very reasonable and sufficient. All the Managing Agents should not be blamed because some Managing Agents have done very good work. They are running their concerns efficiently and they have earned huge profits thereby.

श्री राजाराम (सलेम) : मैनेजिंग एजेंसी ने पिछले बहुत से वर्षों में देश को तबाह कर दिया है। करोड़पति लोग, जो बड़ी बड़ी फर्मों के प्रबन्ध निदेशक हैं, अपने उद्योग के विकास के लिये बैंक और सरकार की गारंटी प्राप्त कर रहे हैं और वे इस धन का उपयोग बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को खरीद कर राजनीतिक शक्ति के लिये करते हैं।

जो विवरण यह प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार लगभग सभी राजनीतिक दलों ने धन एकत्र किया है परन्तु मेरे दल अर्थात् द्रविड़ मुन्नेत्र कषगमने बिल्कुल धन इकट्ठा नहीं किया। मैं इस बात की चुनौती देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि यदि हमने किसी कम्पनी के प्रबन्धक से एक पाई भी ली हो तो हम यह दल भी छोड़ देंगे और संसद से भी चले जायेंगे। हमने अपने दल का इस प्रकार विकास किया है कि वह कम्पनियों के दान पर निर्भर नहीं करता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : फिल्म स्टारों के वेतन इन्हें प्राप्त हुए हैं। श्री रामचन्द्र और श्री शिवाजी गणेषन के बारे में उन्हें क्या कहना है ?

श्री राजाराम : हमने अपने दल का विकास नैतिकता के आधार पर किया है। हमारे नेता इस प्रकार दान लेने के एकदम विरुद्ध हैं। श्री रामचन्द्रन हमारे दल के सदस्य हैं। उन्होंने एक लाख रुपया देना चाहा परन्तु हमारे दल के नेता ने उसे स्वीकार नहीं किया। हम चुनाव के दौरान विशेष सभाएं करते हैं जिनमें साहित्य और राजनीतिक दर्शन पर भाषण दिये जाते हैं और उन सभाओं में जाने के लिये कुछ फीस ली जाती है। हमने इस प्रकार जनता से सम्पर्क स्थापित किया है और वहां की शासन सत्ता को प्राप्त किया है। इसी लिये हम विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं

Shri George Fernandes (Bombay South): It is clear from the statement of objects and reasons brought forth by Shri Madhu Limaye that crores of rupees are given to political darteo by the companies. Congress party is collecting major part of such money. These donations are mainly responsible for corruption in political life of our country and if we want to eradicate corruption we have to bring an end to such political donations. The companies get the policies of the Government moulded in their favour which affect the common man of the country. Now with the decontrol of sugar, the industrialists have been benefitted to the tune of crores of rupees and the ruling party which has decontrolled sugar must have also been benefited by it. As this Bill seeks to prohibit such practices, I support it whole heartedly.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : इस विधेयक का सार यह है कि राजतीति में प्रवेश करने का सरल मार्ग केवल धन ही नहीं होना चाहिये। अन्यथा लोकतंत्र का स्वरूप पूंजीपतियों तथा चोरबाजारी करने वालों द्वारा कलंकित कर दिया जायेगा। कलकत्ता के उच्च न्यायालय में भी इस सम्बन्ध में एक मामला उठाया गया था। इस न्यायालय के न्यायधीशों ने कहा था कि इस प्रकार का दान दिया जाना व्यापार की दृष्टि से भी खतरनाक है और प्रशासन के स्तर के लिये भी खतरनाक है। इससे पहले भी इस प्रकार के दान की न्यायाधीशों द्वारा निन्दा की जा चुकी है।

यह विधेयक मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने के लिये लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। इससे केवल एक ही वर्ग, वंश अथवा पारिवारिक सम्बन्धियों को लाभ पहुंचा है। पिछले पाँच वर्षों में 10 या 11 करोड़ रुपया कमीशन के रूप में कमाया गया है। इतनी बड़ी धन-राशि का प्रयोग उत्पादक ढंग से नहीं किया गया। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक को स्वीकार करें और लोकतन्त्र की रक्षा करें।

श्री पीलू मोडी (गोधरा): मुझे खेद है कि श्री मधु लिमये ने चुनाव लड़ने के लिये विदेश से आने वाली पूँजी का उल्लेख न कर के स्थानीय अर्थात् देश की पूँजी का उल्लेख किया है और इसमें देश की पूँजी तथा मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली पर चर्चा की है। यदि वह मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। परन्तु यह कार्यवाही उन्हें आर्थिक, व्यापारिक या प्रबन्ध के आधार पर करनी चाहिये और न कि इस आधार पर कि वे राजनीतिक दलों को धन देते हैं। राजनीतिक अंशदान की राशि जितनी बताई गई है वास्तव में यह इससे कहीं अधिक है। परन्तु इस सम्बन्ध में चर्चा करने के पूर्व हमें इस सभा में विदेशी पूंजी पर करनी चाहिये जो गत चुनावों में इस देश में आई है। किसी ने भी इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : प्रस्तावित विधेयक में दो बातों पर चर्चा की गई है। एक तो यह है कि राजनीतिक अंशदानों को समाप्त किया जाय जो समवाय विधि के अधीन रजिस्टर्ड कम्पनियां पहले देती रही हैं। दूसरी बात यह है कि मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को समाप्त किया जाये। जहाँ तक राजनीतिक दलों को दान दिये जाने की बात का सम्बन्ध है, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सभी दलों को आपस में मिल कर यह निर्णय लेना चाहिये कि वे चुनावों के लिये इन कम्पनियों से कोई दान न लें। परन्तु यह कार्य केवल समवाय विधि के उपबन्धों में संशोधन करने से नहीं किया जा सकता। जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है कि कुल गैर-सरकारी फर्में साझेदारियां, संस्थाएं और ट्रस्ट ऐसे हैं जिनपर समवाय विधि के उपबन्ध लागू नहीं होते। इनमें से बहुत से अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाते हैं और इन निकायों के कार्य-संचालन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है।

इस के अतिरिक्त जिस बुराई को माननीय सदस्य दूर करना चाहते हैं वह इन उपबन्धों से दूर नहीं की जा सकती। यह तभी हो सकता है यदि हम यह निश्चय कर लें कि हम उन कम्पनियों से धन नहीं लेंगे जिनका सम्बन्ध उद्योगों से है। परन्तु यह सब हमारे पर निर्भर

करता है कि हम चुनावों का संचालन किस प्रकार करना चाहते हैं। मैं तो उन दिन प्रसन्न हो जाऊँगा जब चुनावों के लिये धन खर्च नहीं किया जायेगा । सभी राजनीतिक दलों को आपस में बैठ कर निर्णय करना चाहिये कि भविष्य में चुनाव के संचालन के लिए जीपों, जलूसों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा इस प्रकार धन खर्च नहीं किया जायेगा। केवल इसी प्रकार हम लोक-तन्त्र की सेवा कर सकते हैं और ऐसा वातावरण बना सकते हैं जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

जहां तक मैनेजिंग एजंसियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को इस बात का पता है कि मैनेजिंग एजंसियों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाये। इस सम्बन्ध में प्रगति हो रही है। इसलिये माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर भी लिया जाये तो भी हम आधी बुराई दूर कर सकेंगे क्योंकि बहुत फर्में समवाय विधि के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती ।

माननीय सदस्य ने केवल इतना कहा है कि अमुक उपबन्धों को हटा दिया जाये।

परिभाषा से लेकर कम्पनी सम्बन्धी उपबन्ध तक सारे मामले पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार करना होगा । हमें यह भी विचार करना होगा कि उसमें क्या उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।

इस सभा में कोई भी सदस्य यह नहीं चाहेगा कि देश के औद्योगिक विकास में कोई बाधा पड़े । बहुत सी प्रबन्धक एजेन्सियां, व्यक्तिगत गारण्टी पर, अनेक कम्पनियों को रुपया दे रही हैं। यदि अचानक कोई कार्यवाही की जाये तो इससे सारा विकास ठप्प हो जायेगा ।

विधेयक में यह कहा गया है कि प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली 31 मार्च, 1968 तक समाप्त कर देना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार ने शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन का प्रबन्ध एजेन्ट नियुक्त कर दिया जाये। जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन का प्रबन्ध सरकार ने संसद् के एक अधिनियम द्वारा अपने हाथ में ले लिया था। यदि हम प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली को समाप्त करते हैं तो हमें शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया की प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली को भी समाप्त करना होगा । काफी मुकदमे पहले ही दायर किये जा चुके हैं अथवा किये जाने का विचार है। इन परिस्थितियों में यदि हम इस प्रणाली को एकदम समाप्त कर दें तो सरकारी कारपोरेशन को भी नुकसान होगा और इसके अलावा और भी बहुत सी कठिनाइयां हो सकती हैं।

सरकार को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि वह इस सारे मामले की छानबीन कर सके तथा यह देख सके कि हम औद्योगिक विकास में रुकावट डाले बिना कितनी जल्दी इस प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली को समाप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि 1969 के अन्त तक हमारे लिए यह सम्भव हो जाये कि हम उन्हें इस व्यापार को समाप्त करने के लिए और कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दे सकें।

सरकार ने विधेयक के दोनों ही सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है। प्रस्तावक को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए और हमें अगले सत्र में एक नये विधेयक को पुरःस्थापित करने

का अवसर देना चाहिएं। उस विधेयक में हम इस विधेयक के इन दोनों ही पहलुओं के सम्बन्ध में व्यापक उपबन्ध रखेंगे।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has agreed in principle that restrictions should be imposed on donations by companies to political parties. He has also made some references to partnerships. He wants time to think over the matter.

The Minister has also agreed in principle to the abolition of Managing Agency system. I would not insist on 31st December, 1968 as the date by which the Bill has sought to abolish the system.

The Minister has given an assurance to bring forward a comprehensive Bill in the next session. I, therefore, wish to withdraw my Bill with the permission of the House.

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The Bill was by leave withdrawn.

लोकपाल विधेयक
LOKPAL BILL

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कतिपय मामलों में प्रशासनिक कार्यवाहियों की जांच करने के हेतु लोकपाल नामक एक प्राधिकारी की नियुक्ति एवं उसके कृत्यों के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर आगामी सत्र के पहले दिन तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाय।"

श्री मान् इस विधेयक पर बहुत पहले ही विचार कर लिया जाना चाहिए था और इसे पास कर दिया जाना चाहिए था। चूंकि राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं मिल पा रही है इसलिए मैं लोकमत जानने के लिए विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव करने के लिए बाध्य हो गया हूँ।

भ्रष्टाचार इस देश के नैतिक ढांचे को ही खोखला बना रहा है। नागरिकों को ऐसे अनुचित और अनुपयुक्त प्रशासनिक स्थिति के अधीन रहना पड़ रहा है जिसका वे कोई समुचित हल नहीं निकाल सकते हैं।

उड़ीसा के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय सरकार जांच आयोग की नियुक्ति के लिए सहमत नहीं हुई। वास्तव में तत्कालीन मुख्य मंत्री को पदत्याग करने के लिए कहा गया। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। किन्तु खेद की बात है कि जब वर्तमान उड़ीसा सरकार ने भूतपूर्व मंत्रिमंडल के विरुद्ध जांच करने का प्रयत्न किया तो केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में सहयोग नहीं दिया।

सरकार ने जांच ब्यूरो के उस प्रतिवेदन की मूल प्रति को देने से भी इन्कार किया जो सभा पटल पर रख दिये जाने के बाद लगभग एक सार्वजनिक दस्तावेज हो गया है।

इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने का एक ही तरीका है और वह यह है कि यहाँ पर भी स्कैन्डिनेविया के ढंग की ओम्बुड्समैन जैसी संस्था स्थापित की जाय।

श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए

Shri Balraj Madhok in the Chair

संसद और न्यायालय, दो ही स्थान वर्तमान समय में ऐसे हैं कि जहाँ पर नागरिकों की मांगों को पेश किया जा सकता है। संसद में व्यक्तिगत मांगों के लिए समय नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर लोक महत्व के प्रश्नों पर ही चर्चा हो सकती है। अतः इस सम्बन्ध में संसद् का कार्यक्षेत्र बड़ा सीमित हो जाता है। जहाँ तक न्यायालयों का सम्बन्ध है, वे इस मामले पर विचार कर सकते हैं किन्तु इस पर खर्च बहुत आयेगा। अतः बहुत से मामलों में नागरिक इस प्रक्रिया को नहीं अपना सकते हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की है। आयोग ने प्रतिवेदन को शीघ्र क्रियान्वित करने पर भी जोर दिया है। किन्तु सरकार ने अभी तक सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। हम इस मामले में विलम्ब सहन नहीं कर सकते है। इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

राज्य का कार्यक्षेत्र बड़ा व्यापक है और आज वह इतना विस्तृत हो गया है कि नागरिक अनेक अवसरों पर उसके प्रभाव में आ जाता है। एक ऐसी संस्था की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके पास पहुंचकर नागरिक अपनी मांगों को मनवा सकें। अतः लोकपाल की नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव की गई है। लोकपाल एक ऐसा अधिकारी होगा जो मंत्रियों तथा सचिवों के प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध की गई शिकायतों को निपटायेगा और लोक आयुक्त छोटे अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध की गई सिफारिशों को निपटायेगा।

प्रस्तुत विधेयक उस विधेयक का ही पूर्णतया प्रतिरूप है जिसकी सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग ने की है। सभा को चाहिए कि यह इसे बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर ले।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Randhir Singh : The ideas and the principles of Shri Deo contained in the Bill are very good, but the scope of the Bill is very limited. It should be made more comprehensive.

Corruption is widespread in our country. It has affected all sections of our society. The Bill should provide for the investigation of corruption charges against persons holding official and non-official position. The investigating machinery should be provided to deal with cases of corruption at the centre and also at the State, District and Village levels. Apart from The Ministers and Government officials at the Centre and in the States. M. Ps., M. L. As. and leaders of various political parties should also come within the purview of the functions of the investigating machinery proposed in the Bill.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने जिस विधेयक की सिफारिश की है उस पर सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय

किया गया है कि इस सम्बन्ध में यदि सम्भव हो तो इसी सत्र के दौरान एक सरकारी विधेयक पेश किया जाय, इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं क्योंकि इस विधेयक का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से ही नहीं है अपितु राज्य सरकारों से भी है। हमने 10 राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त कर लिए हैं। कुछ राज्य सहमत हो गये हैं और कुछ सहमत नहीं हुए हैं। चूंकि हम केन्द्र में इस संस्था की नियुक्ति के सम्बन्ध में विलम्ब नहीं करना चहते हैं इसलिए हमने ऐसा विधान पेश करने का निर्णय किया है जो केन्द्रीय सरकार पर ही लागू होगा। चूंकि जिस विधेयक पर चर्चा चल रही है उसका सम्बन्ध राज्यों से भी है तथा केन्द्र से भी है, इसलिए प्रस्तावक से अनुरोध करूंगा कि वह इसे वापस ले लें।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : क्या केन्द्रीय सरकार पेश किये जाने वाले प्रस्तावित विधेयक में एक समर्थकारी खंड शामिल नहीं कर सकती है कि जिससे राज्य अपने यहाँ विधान सभा में एक संकल्प पास कर के अपने प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अधिनियम को लागू कर सकें ? इस प्रकार यह प्रशासनिक सुधार केन्द्र में ही नहीं अपितु राज्यों में भी जल्दी ही लागू हो जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहाँ तक प्रस्तावित विधेयक में समर्थकारी खंड को शामिल करने का सम्बन्ध है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनेक राज्य सरकारों ने विधेयक में निहित सिद्धान्त से भी सहमति नहीं व्यक्त की है। अतः हमने निर्णय कर लिया कि इस पूरे मामले में विलम्ब करने और विभिन्न राज्यों से सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा हमें केन्द्र में लोकपाल की नियुक्ति कर लेनी चाहिए और हम आशा करते हैं कि राज्य भी हमारा अनुसरण करेंगे। हम पहले केन्द्र लोकपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक विधेयक पेश करेंगे और उसके बाद दूसरी राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त होने पर हम उनके लिए भी ऐसी संस्थाओं को कायम करने के सम्बन्ध में एक अन्य विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री प्र० के० देव : इस बात को समझना कठिन हो रहा है कि सरकार इस विधेयक पर जनता का मत जानने के लिए उसे परिचालित करने के साधारण प्रस्ताव को मान लेने से क्यों हिचकिचा रही है ?

इस सरकार की सदाशयता के सम्बन्ध में मुझे सन्देह है। जिस ढंग से राष्ट्रपति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जानबूझ कर विलम्ब किया गया उससे ये सन्देह उत्पन्न हुए हैं। इस प्रस्ताव को मान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कतिपय मामलों में प्रशासनिक कार्यवाहियों की जांच करने के हेतु लोकपाल नामक एक प्राधिकारी की नियुक्ति एवं उसके कृत्यों के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर आगामी सत्र के पहले दिन तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाय।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में–48; विपक्ष में–46

Ayes—48 ; Noes—46

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान संशोधन विधेयक, 1967

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

(Amendment of Eighth Schedule)

डा० कर्णी सिंह जी (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 18 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 12 सदस्य, अर्थात् :–

श्री ओंकार लाल बेरवा; श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी; श्री ललित सेन; श्री ही० ना० मुकर्जी; श्री अमृत नाहाटा; श्री के० आनन्द नम्बियार; श्री नाथपाई; श्री ईरा सेझियान; श्री विद्या चरण शुक्ल; श्री एन० के० सोमानी; श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया; डा० कर्णी सिंह; और

राज्य सभा के 6 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 6 सदस्यों के नाम सभा को बताएँ ।"

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS OF ADVISORY COMMITTEE

नवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

---

*शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी

Detention of Sheikh Abdullah

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : श्रीमान्, शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी के बारे में 15 नवम्बर, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 71 के दिये गये उत्तर के कारण उत्पन्न होने वाली बातों के सम्बन्ध में मैं एक चर्चा उठाना चाहता हूँ।

शेख अब्दुल्ला 'काश्मीर छोड़ो' आन्दोलन के निर्विवाद नेता हैं। उन्होंने काश्मीर की जनता को प्रेरणा दी और काश्मीर के लोगों के दिलों में उन के लिये काफी स्थान है। वे उस राज्य के प्रधान मंत्री थे। 1953 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वे अब भी जेल में हैं। उन्हें स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया गया और लोगों को अब भी मालूम नहीं है कि उन्हें नजरबन्द क्यों किया गया था। उन्हें 8 जनवरी, 1958 को रिहा कर दिया गया था और फिर अप्रैल, 1958 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एक षड्यंत्र का मामला चलाया गया जो लगभग छः वर्षों तक चलता रहा। उस मामले पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये? अन्तत: मामला वापस ले लिया गया क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं था।

इसके बाद उन्हें 1964 में रिहा कर दिया गया लेकिन फिर एक वर्ष के अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तारांकित प्रश्न का मैंने उल्लेख किया है उसके उत्तर में बताया गया था कि शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी पर लगभग 16,000 रुपये प्रतिमास परिरक्षण और अन्य प्रयोजनों के लिये खर्च होते हैं। सरकार उन्हें रिहा क्यों नहीं करती? उनकी नजरबन्दी के बाद काश्मीर की स्थिति सुधरी नहीं है बल्कि और बिगड़ी है और यदि हम उनके नेता को जेल में रखेंगे तो वहाँ की स्थिति और भी खराब हो जायेगी।

यह सभी लोग जानते हैं कि काश्मीर में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होते। सरकार में भ्रष्टाचार की भी कुछ शिकायतें आई हैं। पिछले 14 वर्षों में शेख अब्दुल्ला को नजरबन्द रखने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। इससे काश्मीर की समस्या के समाधान में कोई सहायता नहीं मिलती है!

जब तक शेख को रिहा नहीं किया जाता है तब तक काश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती। वहां के राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाना चाहिये और काश्मीर के लोगों के मन में विश्वास पैदा किया जाना चाहिये। शेख की रिहाई के बिना यह विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह काश्मीर की जनता के आराध्य व्यक्ति हैं।

शेख को नजरबन्द रखने के परिणामस्वरूप काश्मीर की जनता में कटुता व्याप्त है। वहां की जनता की भावनाओं का दमन करने के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इससे उस राज्य का आर्थिक विकास भी नहीं होगा? इन तरीकों से स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी।

काश्मीर में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं मित्रता बनाये रखने के लिये और वहां की समस्या को हल करने के लिये सरकार को अब शेख को रिहा कर देना चाहिये क्योंकि यह काश्मीर और सारे भारतवर्ष के हित में है।

*आधे घंटे की चर्चा

Half an Hour Discussion

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Sheikh Abdullah was released in 1953 and thereafter his activities were watched. Government tried his best to bring about a change in his activities. But there has been no change in his anti-national attitude for which he was arrested. The demand by the Communist Party for his release only appears to be another conspiracy. His release in the present circumstances will bring more confusion in that state. We would like to know whether it is a fact that the Government has already taken a decision to release Sheikh Abdullah and to grant autonomy to Kashmir.

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : It will be difficult to say whether there is ano change iu the attitude of Sheikh Abdullah because nobody has had any talks with him in this connection. I feel that his release will go a long way to improve the conditions obtaining in Kashmir. No one can say that Sheikh Abdullah is Communal minded. I have been advising the Government since 1966 that the Sheikh should be released. Besides, his detention without any legal trial is not proper. Everybody has raised his voice against his detention without any legal trial. Therefore I feel that it is high time that he is released without any further delay. That would not create problem but on the other hand it will help the Kashmir situation.

Shri George Fernandes (Bombay South) : If the Government was of the view that Sheikh Abdullah's activities were anti-national' then he should have been tried in a court of law. But nobody will appreciate the present attitude of the Government towards Sheikh Abdullah. The Government should state as to when it is going to release him, and whether it is also prepared to consider the question of a Confederation of India and Pakistan in the context of the solution of the Kashmir problem.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I and my party do not believe in putting anybody in jail without any legal trial. But action must be taken against a person whose activities are found to be anti-national. We have already seen how the release of Shekih Abdullah had created a security problem with the result that he had to be arrested again. We must not play with the security and the defence of the country time and again. Our policy of vacilation has led to a state of uncertainty about Kashmir and it is high time that we create a state of certainty.

It will be wrong to assume that the solution of the problem of Kashmir depends upon the release of Sheikh Abdullah. We must go to the people of Kashmir and in still confidence in them, because they are with us and most of them are loyal to our country. But the anti-national elements must be dealt with firmly.

About Rs. 16,000 per month are being spent on the Sheikh. I do not find any justification in spending huge sums of money on a person who indulges in anti-national activities. It is wrong to play with the public money like this.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : काश्मीर की स्थिति में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि काश्मीर भारत का अंग है । इस सम्बन्ध में कोई संशय नहीं होना चाहिये ।

काश्मीर की जनता को दबाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है । यह कहना कि काश्मीर की समस्त जनता को दबाया जा रहा है हमारे देश की बदनामी करना है ।

शेख अब्दुल्ला को जेल में रखकर सरकार भी खुश नहीं है । हम इस स्थिति पर समय-समय पर विचार करते रहेंगे । जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे कि उन्हें रिहा करना आवश्यक है और वह देश के हित में है तो हम उन्हें रिहा कर देंगे ।

उनकी नजरबन्दी के खर्च के बारे में जो रकम बताई गई है वह गलत है । शेख अब्दुल्ला की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । बंगला, पानी फर्नीचर आदि के अलावा उन पर व्यक्तिगत रूप में 1500 रुपये खर्च किये गये हैं । दूसरा खर्च उनकी सुरक्षा पर किया जाता है ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : क्या वे बहुत खतरनाक आदमी हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : दो बाते हैं । शेख अब्दुल्ला को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नजरबन्द करना पड़ा था किन्तु उन्हें नजरबन्द करने के बाद उन्हें एक खास हैसियत के साथ रखना होगा । उनकी नजरबन्दी और नजरबन्दी के खर्च के लिये ये दो बातें उत्तरदायी हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 दिसम्बर, 1967/13 अग्रहायण 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, December 4, 1967/Agrahayana 13, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Alld.